(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1] सप्तम विधान सभा के प्रथम सत्र का आठवां दिवस [संख्या 6

शुक्रवार,
दिनांक 11 जुलाई, 1980

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष। प्रश्न। श्री दाऊदयाल जोशी।

59. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद): क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है इस वर्ष मई के अन्त में राजस्थान भर में राहत कार्यों में लगे लगभग 10 लाख मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया था? यदि हां, तो ऐसा क्यों व किसकी लापरवाही से हुआ?

(2) इस माह तक इस राज्य में कुल कितने मजदूर कार्यरत हैं?

(3) क्या राहत कार्यों को अगस्त के अन्त तक बढ़ाने का राज्य सरकार विचार कर रही है? नहीं, तो क्यों नहीं?

अकाल राहत मन्त्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) : (1) जी हां। विभिन्न जिलों में मजदूरी के भुगतान की स्थिति अलग अलग है। सिवाय गंगानगर एवं भीलवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले के कतिपय कार्यों को छोड़ कर समस्त राज्य में 31-5-80 तक बकाया परिश्रमिक का भुगतान हो चुका है। भुगतान देर से होने के कई कारण रहे हैं। जैसे :—

1) तकनीकी पर्यवेक्षक कर्मचारियों की कमी जिसके कारण आवश्यकता से बहुत कम कर्मचारी नियुक्त किये जा सके और पूर्णतया मस्टररोलों के बनाने और मेजरमेण्ट बुक भरने के काम में देर हुई।

2) कुछ क्षेत्रों में श्रमिकों की संख्या में अशातीत वृद्धि हुई।

3) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों पर पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध न होना, विशेषत : ऐसे स्थानों में जहां श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक थी।

(4) यातायात की कठिनाई तथा रेलवे द्वारा खाद्य निगम को परिवहन के लिए वैगन उपलब्ध होने में विलम्ब।

इन परिस्थितियों के कारण उत्तरदायित्व का निर्धारण करने के प्रयत्न करना आवश्यक नहीं था।

(2) इस समय राज्य में प्राय: 9.78 लाख मजदूर कार्यरत हैं।

(3) राहत कार्यों को अगस्त के अन्त तक बढ़ाना या न बढ़ाना स्थानीय तौर पर श्रमिकों की उपलब्धि और वर्षा एवं फसल की स्थिति पर निर्भर करेगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट पूछा है कि क्या इस बात का निर्णय लिया गया है कि कहां कहां और कितनी जगह राहत कार्य अगस्त तक किये जायेंगे ? मेरे क्षेत्र में, जिसमें यह किया गया है, अब तक सांगोद तहसील में नहीं दिया गया है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की स्थिति मान रहे हैं तो राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां अगस्त के अन्त तक बढ़ाने का विचार है ?

श्री अध्यक्ष : इस का उत्तर आ चुका है।

श्री दाऊदयाल जोशी : मन्त्री महोदय ने कहा है कि परिस्थिति देखकर निर्णय लेंगे। काम अगस्त तक समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसे कौन कौन से स्थान है जहां अगस्त के अन्त तक जारी रहेगा ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : जैसा कि हमने जवाब में कहा है जो स्थिति होगी, उस पर विचार किया जाएगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरे पास सात आठ चीजें हैं, जिनके आधार पर मैं कह रहा हूं। मेरा निवेदन यह है कि उनमें सांगोद तहसील का नाम अंकित करने की कृपा करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता,प्रतिपक्ष): क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने यह घोषणा की थी कि 30 जून, 80 के पहले पहले मजदूरों का सारा भुगतान कर दिया जाएगा ? यदि हां, तो आदेशों के अनुसार कितना भुगतान हो गया है और कितना शेष रहा है ?

एक माननीय सदस्य : अलग से प्रश्न है।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : 31 मई तक का कहा है। 31 मई तक का सभी जगह भुगतान हो चुका है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह क्या कारण था कि सरकार को आदेश देना पड़ा है ? किस कारण सरकार को मजबूर होकर तारीख तय करनी पड़ी है ? इससे उसकी ग्रेविटी का पता लगता है। कितने मजदूरों को मजदूरी बकाया रही है ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : प्रश्न में यह दिया नहीं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, वह 4 जिले कौन कौन से हैं। कितने लोगों की कितनी बकाया है ?

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि गंगानगर जिले में बकाया है, जिसके कारण मजदूर परेशान हैं। बकाया भुगतान कब तक कर दिया जाएगा ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, गंगानगर, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा से तीन जिले बाकी हैं। कितना बकाया है, यह अभी पता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : वह कब तक कर दिया जाएगा ?

श्री अध्यक्ष : गंगानगर जिले का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा ?

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : अधिकारियों को कहा जा चुका है। 10 दिन के अन्दर भुगतान कर दिया जाएगा।

एक माननीय सदस्य : यह कहना गलत है कि सारा भुगतान हो गया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । अगला प्रश्न ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, अन्न के रूप में भुगतान करने की बात है।

श्री अध्यक्ष : जो आप चाहते है, वह उत्तर देना सम्भव नहीं है । अगला प्रश्न ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । अगला प्रश्न । श्री नाथूसिंह ।

राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक एवं नियंत्रित दर पर कापियां उपलब्ध कराना

60. **श्री नाथूसिंह (बांदीकुई)** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रान्त में राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों एवं नियन्त्रित दर की सस्ती कापियों यथा चेतक आदि ब्रांड का भारी अभाव है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(2) किन किन कक्षाओं की पुस्तकों का अभाव है ?

(3) पुस्तकों एवं कापियों को छपाने का कार्य कौन करता है व इसमें सरकार की क्या भूमिका रहती है ? क्या सरकार शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ हो जाने के कारण छात्रों एवं अभिभावकों के हित में पुस्तकों व नियन्त्रित दर की सस्ती कापियां उपलब्ध कराने के मामलों को उच्च प्राथमिकता देगी ?

शिक्षा मन्त्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) : (1) नियन्त्रित दर के कागज की चेतक ब्राण्ड कापियां कम संख्या में उपलब्ध है किन्तु पाठ्य पुस्तकों की अधिक कमी नहीं है । नियन्त्रित दर की कापियों की कमी का कारण भारत सरकार से उचित मात्रा में कागज का न मिलना है ।

(2) हिन्दी कक्षा 4, 6, गणित कक्षा 5,8, उर्दू कक्षा 8 एवं सिन्धी देवनागरी कक्षा 1; कुल 6 पुस्तकों की कमी है।

(3) कक्षा 1 से 8 तक की राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों को छपाने का कार्य राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर द्वारा किया जाता है जो कि स्वायत्तशासी संस्था है। मण्डल की शासी परिषद के अध्यक्ष शिक्षा मन्त्री राजस्थान हैं । नियन्त्रित मूल्य की कापियों के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा सस्ते मूल्य पर सीमित मात्रा मे कागज दिया जाता है । कागज प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य स्तरीय कागज वितरण समिति, जयपुर द्वारा राज्य के विभिन्न कापी निर्माताओं को कागज आवंटन कर चेतक कापियों का निर्माण कराया जाता है तथा उसके वितरण की उचित व्यवस्था की जाती है । सरकार का यह निश्चित प्रयत्न रहेगा कि छात्रों को उपलब्ध कागज के अनुसार नियन्त्रित दर की कापियां तथा श्रेष्ठ पाठ्य पुस्तकें प्राप्त हों ।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह एक ज्वलन्त प्रश्न है, सरकार की इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट नीति नहीं है । पहले सरकार द्वारा बुक सैलर्स को डाइरेक्ट कापियां और किताबें दी जाती थीं और आजकल ऐसी व्यवस्था की गई है कि स्कूलों को दी गई हैं, बड़े स्कूल छोटे स्कूलों को देते हैं। यही नहीं राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल--

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में,

(५)

एक माननीय सदस्य : ये बहुत धीरे-धीरे बोलते है।

श्री नाथूसिंह : अभी जैसा कि मन्त्री महोदय ने बताया कि भारत सरकार से कागज कम मिला इसलिए दिक्कत आ रही है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने भारत सरकार से कब मांग की, कितने कागज की मांग की और उसका क्या जवाब आया ?

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : आपने भारत सरकार को पहला लैटर कब लिखा, कितने कागज की मांग की और उसका क्या जवाब आया ? दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि पाठ्य पुस्तक मण्डल की जो परिषद है क्या उसके द्वारा यह निर्णय देरी से लिया गया जिसकी वजह से यह कठिनाई उपस्थित हो रही है?

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है।

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : जहां तक कागज के आवंटन का प्रश्न है हमने 4721 टन की मांग की थी।

श्री नाथूसिंह : कब ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : और हमको मिला 2990 टन।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उत्तर आने दीजिये।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तिथियां तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है, जितनी मांग की थी वह मैंने आपको बता दिया। हम निरन्तर भारत सरकार से अनुरोध करते आ रहे है।

श्री नाथूसिंह : कितने कागज की आपने मांग की और कितना आपको मिला, यह तो आपने बता दिया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने भारत सरकार को पहला लैटर कब लिखा ?

श्री अध्यक्ष : यह महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सरकार को जब यह आभास था कि कागज की कमी है तो पहले से भारत सरकार को क्यों नहीं लिखा ? अगर पहले लिख देते तो कागज का कोटा आ जाता और यह दिक्कत नहीं होती। मेरा पहला प्रश्न है कि पहले क्यों नहीं लिखा ? दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि भारत सरकार का जवाब क्या है ? अगर सूचना आपके पास नहीं है तो समय मांगिये।

श्री अध्यक्ष : आप तो डिबेट कर रहे हैं इस प्रश्न पर।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। आप सप्लीमेण्ट्री के रूप में पूछ नहीं रहे हैं, माननीय सदस्य, भाषण दे रहे हैं। संक्षेप में पूछ लीजिये।

श्री नाथूसिंह : इन्होंने जवाब नहीं दिया कि भारत सरकार की तरफ से क्या जवाब आया। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि क्या यह सही है कि राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक मण्डल का छापाखाना, जो कि लगभग 30 लाख रुपयों का है, तीन साल से पेटियों में बन्द पड़ा है ?

एक माननीय सदस्य: अलग से प्रश्न है।

श्री नाथूसिंह : और क्या मोनो मशीनें बन्द पड़ी हैं और चालू हालत में नहीं हैं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : आपने तीन साल तक क्या किया।

श्री अध्यक्ष : क्या छापाखाना पाठ्य पुस्तक मण्डल में तीन साल से बन्द पड़ा हैं ? इसका उत्तर दे दीजिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा इसी से सम्बन्धित प्रश्न है।

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, यह मूल प्रश्न नहीं है। अगर तीन साल से बन्द पड़ा है तो इसका उत्तर-दायित्व मौजूदा सरकार का नहीं है।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, 1 रु. और 30 पैसे की रेट से बाजार में कापियां उपलब्ध हैं जितनी चाहे ले सकते हैं। आप पाठ्य पुस्तक मण्डल की जांच करवायें और सही व्यवस्था करवायें।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, माननीय सदस्य।

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया चेतक ब्राड कापियां गत वर्ष बाजार में व्यापारियों के द्वारा बेची जाती थीं और ब्लेक होता था। इसलिए इस साल से हमने स्कूलों के माध्यम से वितरण कराने का निर्णय लिया है। ब्लेक मार्केटिंग को रोकने के लिये इससे अच्छा निर्णय और कोई नहीं हो सकता। हो सकता है कुछ कापियां किसी व्यापारी के पास स्टाक में पड़ी हों और वह बाजार में मिल रही हों लेकिन हमने इस प्रणाली को स्थगित कर दिया है।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जो चेतक ब्रान्ड कापियों के वितरण की व्यवस्था स्कूलों के माध्यम से की गई है, इसका आधार क्या है ? क्या स्कूल डिपो बना दिये गये हैं और उन्हीं के द्वारा सारे राजस्थान में सप्लाई की जायगी ?

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : जिस हिसाब से कापियां दे रहे हैं, 3, 4 और 5 कक्षा को दो कापियां, 6ठी कक्षा को सात कापियां, सातवीं कक्षा को 96 पेज की और 64 पेज की, आठवीं कक्षा को 3 कापियां 96 पेज की, 11वी कक्षा को 192 पेज की कापियां।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैंने वितरण की व्यवस्था के बारे में प्रश्न इसलिए किया था कि कोटा में इतने कम परिमाण में कापियां पहुंच रही हैं कि वहां पर उप-लब्ध नहीं हो रही है। क्या सरकार इस ओर ध्यान देगी ? यह मेरा प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, अगला प्रश्न।

श्री मंगलाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़) तीन साल तक छापाखाना बन्द रखा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया सीमित समय का सदुपयोग करें। प्रश्न संख्या 61

(6)

राज्य में नये जिलों का गठन

61. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व सरकार ने राज्य में नये जिले बनाने का निर्णय लिया था ? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर ?

(2) क्या वर्तमान सरकार उक्त निर्णय का पालन करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या दौसा को जिला बनाने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो इस पर भी अमल किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

उप मन्त्री राजस्व (श्री रामपाल उपाध्याय) : (1) जी नहीं, भूतपूर्व जनता सरकार ने राज्य में नये जिले बनाने का कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया था।

(2) नये जिले बनाने का जब अन्तिम निर्णय ही नहीं हुआ तो पालना करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) नये जिले बनाने का कोई अन्तिम निर्णय ही नहीं हुआ तो अमल करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री रामकिशोर मीणा : गत 15 फरवरी को भूतपूर्व जनता सरकार ने निर्णय लिया था। जिन पत्रों में एडवर्टाइजमेन्ट किया गया था, वह गलत था। क्या नये जिलों को बनाने की घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो वह किस आधार पर की गई थी ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको अवसर दूंगा, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व सरकार ने अपने मन्त्रिमण्डल में अनौपचारिक रूप से इस प्रकार की कोई बात की होगी और उसके आधार पर एक विचार अनौपचारिक रूप से रखा होगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में फाइनेन्स कमिश्नर और रेवेन्यू कमिश्नर, इन दोनों को रख कर विचार किया जायेगा और विचार करने के बाद जो प्रस्ताव या सुझाव आयेंगे उन पर विचार किया जा सकता है।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजा खेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि पुरानी सरकार ने एक बात कही थी कि अनौपचारिक रूप से कोई फार्मल डिस्कशन नहीं हुआ। आप यह बताने की कृपा करें कि इनफार्मल डिस्कशन के कोई मिनिट्स का रिकार्ड है ?

(व्यवधान)

दूसरी बात, किन जिलों के गठन के लिए कमेटी मुकर्रर की गई ? इसका उत्तर देने की कृपा करें। क्या धौलपुर भी उसमें शामिल था ?

श्री रामपाल उपाध्याय : जैसा मैंने निवेदन किया है कि इसके बारे में अनौपचारिक रूप से विचार किया जाकर एक कमेटी बनाने का सुझाव हुआ। उस कमेटी की मीटिंग अब तक नहीं हुई। अब तक किसी तरह का निर्णय नहीं लिया गया तो राज्य सरकार के पास किसी प्रकार का मसला विचाराधीन होने का प्रश्न ही नहीं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है कि यह निर्णय जिसे अनौपचारिक या औपचारिक कहते हैं, मन्त्रिमण्डल की बैठक की कार्यवाही में रिकार्ड हुए हैं ? क्या यह सही है कि उस निर्णय के अनुसार दौसा, बारां, धौलपुर और हनुमानगढ़ इन 4 स्थानों पर नये जिलों का गठन करने का निर्णय लिया गया था ? उसके साथ यह निर्णय भी लिया गया जिन अधिकारियों के नाम आपने बताये, वे अधिकारी, जिलों को किस प्रकार से स्थानांतरित किया जाये, जिले की औपचारिकता किस तरह पूरी की जाये, वह अपनी रिपोर्ट में दें। फिर जिले स्थानांतरित किये जायें क्या इस प्रकार का निर्णय मंत्रिमण्डल की बैठक में लिखित रूप में नहीं था ?

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : आन ए पाइंट ऑफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल में पाइन्ट आफ आर्डर नहीं होता।

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्या यह ...।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री दुलाराम (रायसिंह नगर) : तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने ....

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह: क्या भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी ने गोपनीयता की शपथ-भंग नहीं की है, सदन के अन्दर।

श्री अध्यक्ष : आसन अपने पैरों पर है। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह ब्रीच आफ ओथ, ब्रीच आफ सीक्रेसी है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आसन ग्रहण करें। यदि आप किसी प्रकार शपथ को ब्रीच समझते हैं तो इस प्रश्न को किसी अन्य तरीके से उठायें। मंत्री महोदय को उत्तर देने दें।

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय जो सूचना माननीय भैरोंसिंह जी ने चाही है, वह मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री रामकिशोर मीणा : जयपुर सबसे बड़ा जिला है दुनिया का ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सिर्फ एक सवाल।

श्री अध्यक्ष : इस पर आगे चर्चा नहीं होगी।

(व्यवधान)

श्री रामकिशोर मीणा : मेरा नम्र निवेदन है कि मुझे पूरक प्रश्न पूछने दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री भंवर लाल शर्मा, श्री नाथूसिंह।

राज्य परिवहन निगम की बसेज के लिए टायर्स की व्यवस्था

62. **श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) श्री नाथूसिंह (बांदीकुई)** : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य परिवहन निगम की कितनी बसें चालू न रह कर कार्यशाला अथवा आगारों में खड़ी हैं ?

(8)

(श्री भंवरलाल शर्मा)
(श्री नाथूसिंह)

(2) टायरों के अभाव में कितनी बसें पथ पर नहीं हैं व कब से बेकार खड़ी हैं? कृपया संख्या काल का स्पष्ट उल्लेख करें।

(3) राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा टायरों की उपलब्धि के लिए क्या क्या व कब प्रयास किये गये हैं?

(4) क्या यह सही है कि राजस्थान में उचित दरों पर टायर उपलब्ध होते हुए भी कृत्रिम अभाव दर्शा कर ऊंची दरों पर टायर खरीदे गये? यदि हां, तो इस पर कितना अतिरिक्त व्यय भार पड़ा?

यातायात मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) : (1) परिवहन निगम में कुल 662 वाहन विभिन्न कार्यशाला/आगारों में संचालन योग्य नहीं होने के कारण खड़े हैं।

(2) टायरों के अभाव में प्रश्न के भाग (1) में उल्लिखित वाहनों में से 317 वाहन मार्ग पर संचालन हेतु भेजने से रुके हुए हैं। ये वाहनें जिस अवधि से रुके पड़े हैं, तत्-सम्बन्धित सूचना निम्न प्रकार है।

क्र.सं.	अवधि	वाहन संख्या
1.	1 से 15 दिवस	22
2.	15 से 30 दिवस	225
3.	30 से 60 दिवस	52
4.	60 दिवस से अधिक	18

(3) टायरों की आपूर्ति के लिए निगम द्वारा समय समय पर टायर निर्माताओं को क्रय आदेश दिये गये और इस प्रयोजनार्थ उनसे प्रतिदिन दूरभाष पर सम्पर्क स्थापित किया जाता रहा। दिनांक 12-5-80 को भी निगम स्तर पर टायर निर्माताओं के साथ एक मीटिंग आयोजित की गई और उसमें इंगित की गई कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए नाईलोन टायर भी क्रय किये गये। रिट्रेड टायरों की समय पर आपूर्ति के लिए जयपुर के अतिरिक्त रिट्रेड प्लांट अजमेर में स्थापित किया गया है और तीसरा प्लांट जोधपुर में स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है।

(4) जी नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा : इन बसेज के लिए टायर मिल जायें, इसके लिए अब किन किन कम्पनियों से टायर खरीदे हैं और कितने कितने खरीदे हैं।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : जो टायर मैन्यूफेक्चर करने वाली कम्पनियां हैं उन्हीं से ही टायर खरीदे जाते हैं, डीलर्स से नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा : कितनी संख्या में खरीदे, कब खरीदे, और किनसे खरीदे?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : यह तो मूल प्रश्न नहीं था। प्रश्न था कि टायरों के अभाव में कितनी बसें बन्द हैं। टायर कैसे खरीदे जाते हैं। प्रक्रिया मैंने निवेदन कर दी है। किस कम्पनी से कितने खरीदे, यह सूचना नहीं है। 12-6-80 तक की जो डेट दी है उस दिन भी टायर निर्माताओं से नेगोशियेशन हुए हैं। उन कम्पनियों के नाम हैं:- प्रीमियर, मोदी, जे.के., डनलप, सीट, फायर स्टोन, गुड ईयर, इन्चेक आदि हैं। इन सब कम्पनियों से खरीदे गये।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमुआ रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का इतना बड़ा परिवहन निगम है। सारी बसेज खड़ी रहें, यह अच्छी स्थिति है?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा प्रश्न यह था कि किन किन कम्पनियों से खरीदे और कितनी कितनी संख्या में खरीदे ?

श्री अध्यक्ष : यह सूचना उपलब्ध नहीं है। विस्तार से आप चाहें तो प्रश्न में लिख दें लेकिन यह बहुत ही विस्तृत प्रश्न है। सभी सप्लीमेन्ट्रीज का जवाब आना शायद संभव नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान परिवहन निगम बहुत बड़ा राज्य सरकार का निगम है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान परिवहन निगम राजस्थान सरकार का एक बहुत बड़ा कन्सर्न है इसके सीनियर आई० ए० एस० अधिकारी चेअरमेन हैं···

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछ रहे हैं या सुझाव दे रहे हैं ?

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूछ रहा हूं।

जब इस निगम का इतना बड़ा सीनियर आई०ए०एस० चेअरमैन है फिर भी उन्होंने बसों के टायरों की खरीद नहीं की जिससे बसें खड़ी हैं और निगम को लाखों रुपये रोजाना का नुकसान हो रहा है। क्या राज्य सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ, जिनकी वजह से लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है, कोई कार्यवाही करेगी ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह प्रबन्धकर्ता जनता पार्टी की सरकार के समय से लगे हुए हैं और जान बूझ कर निगम को नुकसान पहुंचा रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज: अध्यक्ष महोदय, या तो वह अधिकारी हैं उनकी गलती की वजह से नुकसान हो रहा है या वह जनता पार्टी की सरकार के द्वारा लगाये जाने की वजह से नुकसान पहुंचा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई बात नहीं है। पिछले काफी अरसे से देश में विद्युत और डीजल की कमी के कारण टायर कम्पनियां टायरों का प्रोडक्शन कम कर सकीं जिसकी वजह से टायरों की खरीद कम हुई। निगम की यह परम्परा रही है कि टायर सीधे कम्पनियों से ही खरीद किये जाते रहे हैं। अब थोड़ी कमी दूर हुई है निगम ऐसे प्रयत्न कर रही है कि टायरों की कमी जल्दी से जल्दी दूर की जा सके।

इसके साथ साथ मैं यह निवेदन कर दूं कि पहले हमारे यहां पर टायर रिट्रेडिंग का काम अजमेर में होता था पर अब निगम द्वारा अजमेर के अलावा जोधपुर में भी टायर रिट्रेडिंग मशीन लगाये जाने की बात की जा रही है।

(10)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री दाऊदयाल जोशी ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। निगम को तीन लाख रुपये रोजाना का घाटा हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय को प्रश्न संबंधित जो सूचना देनी थी वह दे दी । अगर आप लोग कोई और अधिक सूचना इसके बारे में चाहते हैं तो अलग तरीके से प्रश्न पूछ सकते हैं।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज। श्री दाऊदयाल जोशी

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि मैं प्रश्नकर्ता हूं और आप मुझे प्रश्न करने की छूट नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप पूछ लें।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि आज टायरों की कमी के कारण बसें खड़ी हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपस में बातचीत नहीं, करें, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, टायरों की कमी के कारण बसें खड़ी है और दूसरी तरफ निगम का बहुत सारा सामान गोदामों में भरा पड़ा हुआ है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उस बन्द पड़े सामान के लिए आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं? इसके साथ साथ मैं मन्त्री महोदय से यह भी पूछना चाहूंगा, मन्त्री महोदय इस सारी कमियों को कब तक दूर करा देंगे।

(व्यवधान)

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, गोदामों में जो माल पड़ा है वह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं। यह अलग से प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं किसी भी माननीय सदस्य को इस प्रश्न के बारे में आगे सप्लीमेन्ट्री प्रश्न करने की इजाजत नहीं दूंगा। (व्यवधान)

आर्डर आर्डर। आर्डर प्लीज । कृपया स्थान ग्रहण करें। मैंने पहले ही कह दिया है पूरक प्रश्न की इजाजत नहीं दूंगा। कृपया स्थान ग्रहण करें ।

अलग प्रश्न। श्री दाऊदयाल जोशी ।

केन्द्रीय बजट में राणाप्रताप सागर बान्ध के लिये प्रावधान

63. **श्री दाऊदयाल जोशी** (टोगोद): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

नये केन्द्रीय बजट में राणाप्रताप सागर परियोजना पर कुल कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान किस किस योजना में किस किस प्रकार, कितने चरणों में करने का तय किया गया है ? कृपया विस्तृत विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें ।

उप मंत्री सिंचाई (श्री अब्दुल रहमान चौधरी): राणाप्रताप सागर योजना का संबंध केन्द्रीय बजट से नहीं है। वांछित सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह जो सूचना मुझे दी गयी है यह अधूरी है। मैंने यह प्रश्न पूछा था कि राणाप्रताप सागर परियोजना में कुल कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान किस किस योजना में किस किस प्रकार कितने चरणों में करने का तय किया है ? मुझे जो सूचना दी गयी है वह साधारण सी सूचना दे दी गयी है एक पन्ना पकड़ा दिया है पूरी सूचना ही नहीं दी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने यह कह दिया कि राणाप्रताप सागर योजना का संबंध केन्द्रीय बजट से नहीं है। हमें सिंचाई योजनाओं के लिये पैसा मिलता है जिसका हम खर्च करते हैं उसके लिये पूछना चाहता हूं कि राज्य सरकार अगले चार वर्षों में कितना पैसा राणाप्रताप सागर के लिये खर्च करने जा रहे हैं?

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : अध्यक्ष महोदय, राणाप्रताप सागर बान्ध चम्बल परियोजना का द्वितीय चरण है। इस योजना की कुल अनुमानित लागत 3, 641 लाख रुपये है। वर्ष 1979-80 तक इस पर 3046 . 20 लाख रुपया व्यय किया जा चुका है और वर्ष 80-81 में इसके लिये योजना व्यय में 60 लाख रुपये का प्रावधान है। इसके अलावा गैर योजना व्यय में 2955 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, चार वर्षों में बाकी योजना में कितना कितना खर्च किया जायेगा ?

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : अध्यक्ष महोदय, बाकी के कामों को पूरा करने के लिये 594.80 लाख रुपये की आवश्यकता है। यह व्यय 1980-81 से लेकर 1983-84 तक करना प्रस्तावित है। इस वर्ष 80-81 में 60 लाख रुपये की धनराशि व्यय की जावेगी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, 80-81 से 84 तक राज्य सरकार ने चार वर्षों में 594.80 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान रखा है करीब 6 करोड़ रुपये में से इस साल सिर्फ 60 लाख रुपये ही खर्च करने का प्रावधान है तो क्या आगे चार साल में 2 करोड़ 40 लाख ही रुपया मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया शान्त रहें।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : आप जरा सवाल दुबारा करें।

श्री अध्यक्ष : इनका प्रश्न यह है कि जब चार साल में आप 6 करोड़ रुपये के करीब खर्च करने जा रहे हैं और इस साल में आप सिर्फ 60 लाख रुपये का ही प्रावधान रख रहे हैं, जो बहुत ही कम है, इस प्रावधान के अनुसार चार साल में दो करोड़ रुपये ही खर्च हो सकेंगे। इसका उत्तर दें।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : पिछली सरकार ने 60 लाख रुपये का प्रावधान रखा था। अगली आने वाली सरकार इससे अधिक धनराशि रखेगी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार ने 60 लाख रुपये का प्रावधान रखा। वैसे 6 करोड़ में से अधिक प्रावधान होना चाहिए था तो

(व्यवधान)

कोटा डिविजन को खतरा हो गया।

(व्यवधान)

(12)

श्री अध्यक्ष : आर्डर। आर्डर प्लीज। कृपया शान्त रहें।

नेक्स्ट प्रश्न। श्री नाथूसिंह।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने यह जवाब दिया कि सरकार ने 60 लाख रुपये रखा। उन्होंने यह भी कहा कि अगली आने वाली सरकार इससे अधिक रहेगी। इसका मतलब है अगली आने वाली सरकार जल्दी ही आ जायेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री नाथूसिंह।

राजस्थान खेल कूद परिषद

64. **श्री नाथूसिंह** (बांदीकुई) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान खेल परिषद का गठन कितने वर्ष के लिये किया जाता है।

(2) क्या पिछली खेल परिषद का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही उसके पदाधिकारियों एवं सदस्यों को हटा दिया गया?

(3) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे?

शिक्षा मन्त्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) : (1) राजस्थान खेल परिषद् के विधान के अनुसार खेल परिषद् का गठन तीन वर्ष के लिए किया जाता है।

(2) परिषद् के भूतपूर्व अध्यक्ष ने इस वर्ष त्याग पत्र दिया था जो स्वीकार किया गया। इसके अतिरिक्त पदाधिकारियों व सदस्यों में परिवर्तन किये गये।

(3) इस प्रकार का परिवर्तन करने के कौन्सिल के विधान के अन्तर्गत राज्य सरकार को अधिकार थे। तथा खेल कूद परिषद की गतिविधियों, कार्यकलापों को गतिशील बनाया था।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने राजस्थान के खेल परिषद् के अध्यक्ष के ऊपर दबाव नहीं डाला था कि वे त्याग पत्र दें?

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि आगे आने वाले समय जो खेल परिषद् का गठन किया जायेगा, जिस तरह पहले अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों को खेल परिषद् में लेकर गठन किया गया था, क्या सरकार विश्वास दिलायेगी कि आने वाले समय में खेल परिषद् का गठन राजनैतिक रूप से न कर, उसमें खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जायेगा?

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : जहां तक त्याग पत्र का प्रश्न है, राज्यपाल के समय का है। मंत्रिमण्डल से इसका कोई संबंध नहीं है।

जहां तक राजनीति की बात कही, कांग्रेस ई की सरकार राजनीति का सहारा नहीं लेगी। खेल परिषद् के गठन का सवाल है, पिछली सरकार ने जिन आधारों पर खेल परिषद् का गठन किया उससे अच्छे आधार रहेंगे और जो खिलाड़ी रहेंगे उनको उचित स्थान दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री जोशी।

झालावाड़ में प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज

65. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि इस माह झालावाड़ में प्रदर्शनकारियों पर लाठी प्रहार किया गया? यदि हां, तो लाठीचार्ज की आज्ञा कौन से मजिस्ट्रेट ने दी व किन परिस्थितियों में दी?

(2) क्या बाद में प्रदर्शनकारियों के नेताओं को बुलाकर जिलाधीश ने एस.एच.ओ. प्रेमनाथ को तुरन्त वहां से हटाने का आश्वासन

(श्री दाऊदयाल जोशी)

दिया ? यदि हां, तो क्या वह एस.एच.ओ. वहां से हटा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? क्या राज्य सरकार सारे मामले की जांच किसी जज से करवाने की सदन में घोषणा करेगी ?

उप मंत्री गृह (श्री रामपाल उपाध्याय): (1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। लेकिन एस, एच. ओ. को प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरण कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह राजस्थान पत्रिका मेरे पास मौजूद है। लाठी चार्ज हुआ, लोगों को पीटा गया। माननीय मंत्री महोदय सदन को गुमराह कर रहे हैं कि लाठी चार्ज नहीं हुआ। इसका प्रतिवाद राजस्थान सरकार ने आज तक नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछें।

श्री दाऊदयाल जोशी : सदन को गलत सूचना दे रहे हैं ..

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। इसका उत्तर दिया जा चुका है। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : हवालात में बन्द किया। पुलिस पकड़ कर ले गई....

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। अगला प्रश्न।

श्री दाऊदयाल जोशी : जवाब दिलाइये।

श्री अध्यक्ष : इसका जवाब आ चुका है। आप जैसा चाहते हैं वैसा जवाब नहीं आया इन्होंने जवाब दे दिया है।

अगला प्रश्न। श्री रामसिंह विश्नोई। .

जोधपुर व पाली जिले के बाढ़ पीडित किसानों को सहायता

66. **श्री राम सिंह विश्नोई (लूणी) :** क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1). पिछले वर्ष जोधपुर व पाली जिले में जो भयंकर बाढ़ आई, उससे जो कुएं क्षतिग्रस्त हुए और जिन कृषकों को सरकार द्वारा सहायता दी गई उनके नाम, पिता का नाम, जाति, गांव तहसील, मन्जूरशुदा राशि, राशि वितरण की तारीख की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम बगड़ी तहसील सोजत में कुछ लोगों के कुएं क्षतिग्रस्त होने व उसकी रिपोर्ट पेश हो जाने के बावजूद रुपये नहीं मिले.? यदि हां, तो किस कारण ? अब इन्हें यह राशि कब तक दिला दी जायेगी ?

सहायता मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) : जिला जोधपुर में जिन कृषकों को सरकार द्वारा पिछले वर्ष आई बाढ़ के संबंध में सहायता दी गई है उनके नाम, जाति गांव, तहसील. मंजूरशुदा राशि, राशि वितरण की तारीख की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। करीब 1096 लोगों की संख्या है जिसकी सूची सदन में रख दी है। जहां तक पाली का संबंध है, जिलाधीश पाली से सूचना प्राप्त नहीं हो पाई है। मुझे खेद है और सूचना प्राप्त न हो पाई। उसके कारणों पर हम जा रहे हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री अध्यक्ष : नं. 2

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : पाली वाली सूचना है, जो प्राप्त नहीं हुई है।

(14)

श्री रामसिंह विश्नोई : जिन काश्तकारों के कुएं नष्ट हुए हैं उनको एक किश्त दी गई। सीमेंट के अभाव के कारण वे लोग अपना काम नहीं कर पाये। क्या समय एक्सटेन्ड करेंगे ?

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : यदि ऐसी स्थिति है तो राहत दे देंगे तथा दूसरी किश्त दे देंगे।

श्री अध्यक्ष । अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 67

श्री सूरजपालसिंह ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखें)

श्री नाथूसिंह

राजस्थान में भंग किये गये निगम, निकाय व बोर्ड स

68. **श्री नाथूसिंह** (बांदीकुई) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

सरकार द्वारा 18 फरवरी, 1980 के पश्चात अब तक राजस्थान में कितने निगम, निकाय एवं बोर्ड भंग किये गये ? यदि हां, तो कौन कौन से निगम, निकाय एवं बोर्ड भंग किये गये एवं उनके भंग करने के क्या कारण थे ?

नगर आयोजना मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) : नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा लोक हित में 18-2-80 के पश्चात् राजस्थान आवासन बोर्ड एवं निम्नांकित नगर विकास न्यासों का पुनर्गठन किया गया :–

(1) जयपुर (2) जोधपुर (3) अजमेर (4) कोटा (5) उदयपुर (6) बीकानेर (7) अलवर।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रामसिंह।

पाली व जोधपुर जिले के कृषकों को विद्युत के अभाव में क्षति

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पिछले वर्ष बिजली उत्पादन में कमी के कारण पाली व जोधपुर जिले के काश्तकारों की फसल को काफी क्षति उठानी पड़ी यदि हां, तो मिनिमम चार्जेज तथा एवरेज चार्जेज लगाने का क्या औचित्य है ?

(2) क्या सरकार पिछले वर्ष के लिये काश्तकारों के मिनिमम चार्जेज माफ करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप मंत्री विद्युत (**श्री अब्दुल रहमान चौधरी**) : (1) पिछले वर्ष रबी की फसल के समय बिजली की उपलब्धि में कमी के कारण पाली व जोधपुर जिले सहित समूचे राज्य में कृषि उपभोग पर जो लोड स्टेगरिंग करना पड़ा उससे काश्तकारों को काफी परेशानी उठानी पड़ी, परन्तु किसानों को दी जाने वाली बिजली पर कोई कटौती नहीं की गई थी। अतः मिनिमम चार्जेज लगाना वाजिब है। एवरेज चार्जेज तो मीटर बन्द होने की हालत में नियमानुसार लगाये जाते है।

(2) जी नहीं, क्योंकि खेती के लिये बिजली के उपभोग पर कोई कटौती नहीं की गई।

श्री रामसिंह विश्नोई : क्या यह सही है कि काश्तकारों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध होनी चाहिये इस प्रकार का एग्रीमेंट काश्तकार और बिजली बोर्ड के बीच में है ? काश्तकारों को 5 घंटे भी बिजली नहीं दी जा रही है। बिजली नहीं देने के कारण काश्तकारों को नुकसान होता है। मोटरें जल जाती हैं। ऐसी स्थिति में जब आपने 24 घण्टे बिजली देने की जो एग्रीमेंट किया है, उसके अनुसार नहीं दे पा रहे हैं, तो मिनिमम चार्जेज और एवरेज चार्जेज बंद करने की सोच रहे हैं।

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : जैसा कि मैंने आपको बताया है, काश्तकारों के लिये कटौती नहीं की गई है।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह बिल्कुल अधिकारियों द्वारा मिला उत्तर है। 24 घंटे में 5 घंटे बिजली मिलती नहीं है। अधिकारियों के कहने से सदन में कहते हैं, यह बात बिल्कुल नहीं कहनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री राम नारायण डूडी।

श्री रामनारायण डूडी (बिलाडा) : काश्तकार और बिजली बोर्ड के बीच में समझौता हुआ था कि 24 घंटे बिजली देगें तो मिनिमम चार्जेज वसूल करेंगे। हालात यह है कि बिजली केवल 8 घंटे ही मिलती है। 100 होर्स पावर की मोटर है 6 हजार रुपये मासिक चार्जेज आते है यदि वह लगातार चले तो मगर, सभापतिजी, मिनिमम चार्जेज की राशि ज्यादा आती है और मीटर चार्जेज कम आते है। मेरा निवेदन है कि जहां बिजली समय पर मिले नहीं, कम मिले, बोर्ड व उपभोक्ता के बीच हुए समझौते का पालन नहीं हो वहां मिनिमम चार्जेज नहीं किए जाएं, इससे किसान कर्जे से दब गए हैं। और उनका कर्जा नहीं उतरेगा यदि यह हालत रहेगी तो सभापतिजी, किसानों को राहत देने के लिये इस चार्जेज को हटाया जाय।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, माननीय सदस्य।

श्री दिनेश डांगी (देसूरी) : अध्यक्ष महोदय, एक सप्लीमेंट्री !

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इसका उत्तर आने दीजिए।

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक सप्लीमेन्ट्री प्रश्न करना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि पाली जिले के अन्दर जो इन्डस्ट्रियल एरिया है वहां पर बिजली इन्डस्ट्रीज वालों को पैसा लेकर दे दी जाती है और काश्तकारों को बड़े बड़े बिल भेज देते है। जब सरकार से इस बात की कोशिश की गयी कि किसानों के ऊपर से पैसा माफ किया जाये तो ऐसा नहीं किया गया। काश्तकार दुख पाते हैं और इन्डस्ट्रियलिस्ट्स लाभ उठाते हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सही है। आप उसकी इन्क्वायरी कर सकते हैं। उनके पास रजिस्टर होते हैं, बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर, असिस्टेन्ट इन्जीनियर के आफिस से आप मालूम कर सकते हैं कि 24 घंटे में कितनी बिजली उपलब्ध हुई और कहां कहां आपने कटौती की। आपको गलत सूचना अधिकारियों ने दी है। मैं कहता हूं कि जिन अधिकारियों ने आपको गुमराह किया है और झूठी रिपोर्ट दी है क्या उसका आप जांच कराने के लिए तैयार हैं ? मैं ठीक

(16)

(श्री रामसिंह विश्नोई)

कहता हूं कि पांच घन्टे ही बिजली मिली और आपको 24 घंटों की बात कर किसानों से एवरेज और मिनिमम चार्जेज लेने की बात कही है।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, जयपुर डिविजन में भी ऐसा ही हुआ है। रबी की फसल में पूरी बिजली नहीं दी गयी तो मिनिमम चार्जेज लेना कतई अन्याय है। इसको किसी तरह से न्याय नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि जिन किसानों की रबी की फसल बिजली की कमी से बरबाद हुई है उनको मुआवजा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय,

श्री अब्दुल रहमान चौधरी : 24 घंटे बिजली देने की कोई गारन्टी या एग्रीमेन्ट नहीं है।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : तो फिर क्या है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य बाधा उपस्थित नहीं करें।

(व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया (रेवदर) : प्रावधान के अनुसार 16 घंटे बिजली मिलनी थी। बिजली काश्तकारों को प्रावधान के अनुसार नहीं मिली है। तब नियमों के अनुसार यदि कम बिजली मिली है तो क्या मिनिमम चार्जेज लिये जायेंगे तब क्या इसको वर्क आउट किया जायेगा ?

मुख्य मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : श्रीमान्, प्राप्त सूचना के अनुसार मिनिमम चार्जेज वर्ष के आधार पर है न कि महीने के आधार पर।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री हरि सिंह।

भरतपुर फीडर नहर को बारहमासी नहर बनाना

70. **श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भरतपुर जिले में जो भरतपुर फीडर नाम की नहर है उसमें पानी उत्तर प्रदेश से हुए समझौते अथवा अन्डरस्टेन्डिग के अनुसार मिल रहा है ? कितना पानी मिलने का समझौता हुआ है और पांच वर्षों में वर्ष वार कितना कितना पानी मिला है ? यदि समझौते अथवा अंडरस्टेंडिंग के हिसाब से नहीं मिला है तो उसके क्या कारण हैं ?

(2) इस नहर को क्या ऐसी नहर बनाने की योजना है जिसमें कि निरंतर पानी आता रहे ?

उप मन्त्री, सिंचाई (श्री अब्दुल रहमान चौधरी) : (1) भरतपुर जिले में उत्तर प्रदेश के साथ हुई अन्डरस्टेंडिंग के अनुसार भरतपुर फीडर बनाई गई है। इसकी प्राजेक्ट के अनुसार इसमें वर्षा के महीनों में में 300 क्यूसेक पानी औसतन 35 दिन (10,500 क्यूसेक दिन) मिलने का प्रावधान था। वह पानी राजस्थान को तभी मिलता है जब पानी उत्तर प्रदेश की आवश्यकता से अधिक हो। अभी ओखला वेराज में भारी मात्रा में सिल्ट जमा हो जाने के कारण वर्षा ऋतु में आगरा नहर में (जिसमें से भरतपुर फीडर निकलती है) पानी नहीं चलाया जाता, जिसके कारण भरतपुर फीडर में पानी बहुत कम प्राप्त होता है। पिछले पांच वर्षों में उपलब्ध पानी की सूची संलग्न

(2) जी नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री हरिसिंह : यू. पी. गवर्नमेंट से समझौता पिछले पांच साल से क्यों नहीं हो पाया है ?

मुख्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : क्योंकि पिछली सरकार ने इस बात का प्रयास ही नहीं किया।

एक माननीय सदस्य : अब आप प्रयास करेंगे या नहीं ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : निश्चित रूप से

एक माननीय सदस्य : बहुत अच्छा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री राम किशोर मीणा।

सीमेंट की मांग के सन्दर्भ में आपूर्ति

71. **श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय)**: क्या रसद एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राजस्थान में कुल कितने सीमेंट की आवश्यकता है ?

(2) मांग को देखते हुए राजस्थान सरकार कितना सीमेंट उपलब्ध कराने में सफल रही है ?

(3) जयपुर जिले में कुल कितने सीमेंट की आवश्यकता है तथा कितनी सीमेंट उपलब्ध कराई जा रही है ? कृपया तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) कूप निर्माण, व्यक्तिगत उक्त भवन निर्माण हेतु सीमेंट देने में राजस्थान सरकार वर्तमान नियमों में कोई संशोधन करने का इरादा रखती है ?

(5) क्या सिकराय क्षेत्र की सीमेंट की मांग को ध्यान में रखते हुए इसके आवंटन में वृद्धि की जावेगी ? यदि हां, तो कितनी ?

रसद एवं आपूर्ति मंत्री (श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर) : (1) राजस्थान में सीमेंट की प्रति तिमाही लगभग 3,50,000 मै.टन की आवश्यकता है।

(2) उपरोक्त मांग के मुकाबले में वर्ष 1980 की प्रथम तीन तिमाही में लगभग 1,25,000 मै.टन सीमेंट का आवंटन भारत सरकार से प्राप्त हुआ है।

(3) जयपुर जिले की सीमेंट की त्रैमासिक आवश्यकता 17,000 मै०टन है, परन्तु आवश्यकतानुसार पर्याप्त आवंटन नहीं मिलने के कारण जयपुर जिले को केवल 7,500 मै. टन सीमेंट ही दिया जा रहा है। पंचायत समिति वाइज सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(4) इस संबंध में कोई नियम निर्धारित नहीं है। जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर उपभोक्ताओं को विभिन्न वर्गों की आवश्यकतानुसार तथा सीमेंट की उपलब्धि के अनुसार जन साधारण को सीमेंट आवंटन किया जाता है। शासन ने हाल ही में कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं व शहरी क्षेत्र के छोटे उपभोक्ताओं को अपने भवनों के रख रखाव व मरम्मत के लिए वरीयता देने के लिए निर्देश दिये हैं। जब तक आवश्यकतानुसार सीमेंट का आवंटन भारत सरकार से प्राप्त नहीं होता है सभी क्षेत्रों को एक साथ पूर्ण आवंटन सम्भव नहीं है।

(5) भारत सरकार से आवंटन में वृद्धि होने पर ही वृद्धि सम्भव है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

(18)

श्री रामकिशोर मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग के सन्दर्भ में आपने बताया है कि 3,50,000 मै० टन की मांग के अनुपात मे 1,25,000 मै०टन हमको मिला है। क्या इस मांग को दृष्टि में रखते हुए राज्य सरकार प्रयत्न करेगी कि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा सीमेंट आवंटित की जाये ?

प्रश्न (3) के सन्दर्भ में जो सूची सदन की मेज पर रखी गई है उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हू कि जयपुर जिले में सीमेन्ट का जितना आवंटन किया गया है उसमें सिकराय क्षेत्र में 1176 मै. टन की आवश्यकता है लेकिन उसकी अपेक्षा 136 टन ही आवंटन किया जो कि ऊंट के मुंह में जीरे वाली कहावत चरितार्थ करता है। यह जो अव्यवस्था है कि एक क्षेत्र में ज्यादा है और दूसरे में कम है तो क्या समान दृष्टि से आवटन किया जायगा।

तीसरा प्रश्न यह है कि जो काश्तकारों को सीमेन्ट दिया जाता है उसमें वर्तमान व्यवस्था यह है कि सीमेन्ट उन कुओं के लिए दिया जाता है जो कि सरकारी सहायता से बन रहे हैं लेकिन जो प्राइवेट तौर से अपने खुद के खर्चे से कुए बनाना चाहते हैं उनको सीमेन्ट नहीं दिया जाता। क्या सरकार जो सीमान्त कृषक हैं उनको सीमेन्ट का आवंटन कराने में प्राथमिकता देगी ?

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : जहां तक पहला प्रश्न है यह सही है कि 3,50,000 मै. टन की मांग पर 1,25 000 मै. टन ही आवंटित की।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : यह तिमाही है या एक वर्ष का है ?

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : यह एक तिमाही का है। प्रत्येक तिमाही में 3,50,000 मै. टन की आवश्यकता है लेकिन 1,25,000 मै. टन ही मिल रहा है तो स्वाभाविक है कि जो एलोकेशन होगा उसमें कमी होगी।

इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है तो तहसीलों के अनुसार हमने विभाजन कर दिया उसमें सिकराय का जिक्र किया है तो उसमें 136 मै. टन सीमेन्ट दी गई है। मैं आपको बताऊं कि केवल सिकराय के साथ ही ऐसा नहीं किया बल्कि दौसा में 1755 मै. टन की आवश्यकता थी और वहां पर 196 मै. टन ही आवंटित की है, और बस्सी मे 3585 मै. टन की आवश्यकता थी पर 154 मै. टन ही आवंटित की है। इसमें मेरा दृष्टिकोण यह है कि आवश्यकता, कार्य की दृष्टि से विभाजन राज्य स्तर पर नहीं होकर जिला स्तर पर होता है। अब यदि अलाटमेंट के समय और कोई आधार आप सुझाव दें तो राज्य सरकार उस पर विचार कर सकती है। बाकी मैंने कहा कि भेदभाव की दृष्टि का सवाल नहीं है। सिकराय को दूसरों के मुकाबले जितनी सीमेन्ट मिल रही है....

श्री नाथूसिंह : राजस्थान में सीमेन्ट की कमी को पूरा करने के लिए सरकार के सामने क्या योजना है ? नये सीमेन्ट के कारखाने लगाकर या दूसरे तरीकों से कमी को पूरा करने की क्या योजना है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामकिशोर मीणा : जो सूची दी गई है उसमें लालसोट में 285 मै. टन की आवश्यकता है और आपने 206 मै. टन दी

(श्री रामकिशोर मीणा)

है। इसी तरह दूसरे स्थानों को ज्यादा दी है सिकराय की अपेक्षा। वहां पर उनकी आवश्यकता की 70 पर्सेन्ट और 80% की पूर्ति की जा रही है तो क्या सिकराय में..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्नकाल समाप्त हो रहा है।

श्री भंवरलाल भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मैं इसी सिलसिले में पूछना चाहता हूं कि हमारे जयपुर डिविजन में सीमेन्ट मांग आधे के करीब है....

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

आसन अपने पैरों पर है। आर्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, सीमेंट की कमी को दूर करने के लिए ....

श्री अध्यक्ष : आप कृपया किसी अन्य तरीके से इस प्रश्न को उठायें...।

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण करें। आसन पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण करें। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री नाथूसिंह : माननीय मुख्य मंत्रीजी उत्तर दे रहे थे, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री भंवरलाल भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, सीमेंट कैसे मिले, जनता पार्टी की सरकार ने तो सीमेंट का ब्लैक कर दिया।

श्री अध्यक्ष : ध्यान दें, माननीय सदस्य। आसन पैरों पर है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर,ग्रामीण): प्रत्येक कट्टे में जो कम सीमेन्ट आती है उसको रोकने के लिए क्या करना चाहते हैं?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री बनवारीलाल (धौलपुर) : मेरे प्रश्न को स्थगित करने की कृपा करें, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : कोई प्रश्न स्थगित नहीं होगा।

प्रश्न काल समाप्त हुआ, माननीय सदस्य।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के किये कृपया परिशिष्ट 4 देखें।

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

जोधपुर शहर में जल वितरण की समुचित व्यवस्था

67. **श्री सूरजपालसिंह** (भीनमाल) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर को जलदाय विभाग द्वारा केवल 4 घंटे ही पानी दिया जाता है जबकि जयपुर शहर को 24 घण्टे पानी दिया जाता है?

(2) क्या यह सही है कि गत सरकार के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री ने सदन में यह आश्वासन दिया था कि दिसम्बर,

(श्री सूरजपाल सिंह)

1978 तक जोधपुर शहर को 24 घण्टे पानी देने की व्यवस्था कर देंगे परन्तु वस्तुस्थिति इसके बिलकुल विपरीत रही ? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे ।

(3) जोधपुर शहर को अब जल वितरण की समुचित व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं, जोधपुर शहर में वितरण हेतु 4 घंटे से 8 घंटे तक पानी खोला जाता है। जयपुर शहर को 24 घंटे पानी का वितरण नहीं किया जाता है ।

(2) जी नहीं ।

(3) वर्तमान में जोधपुर शहर में जल वितरण की समुचित व्यवस्था है तथा जल वितरण सुचारु रूप से किया जा रहा है ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जिला अलवर की स्वीकृत सड़कों का निर्माण

27. श्री ओंतमल जैन (अलवर) : क्या सार्वजनिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: –

(1) क्या गत सरकार ने निम्न सड़कों की स्वीकृति प्रदान कर दी थी:—

अ. ज्ञानपुर से कराणा (जिला अलवर)

ब. गिरुड़ी से लेलड़ी (जिला अलवर)

स. शेरपुर, गोलपुर से तलवाड़ मोहम्मदपुर (जिला अलवर)

(2) क्या राष्ट्रपति शासन के दौरान उक्त सड़कों के निर्माण पर रोक लगा दी गई ?

(3) अब सरकार उक्त सड़कों का निर्माण कार्य कब हाथ में ले रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं । सड़कों की स्वीकृति ही नहीं है ।

(3) इन गांवों की आबादी 1500 से कम होने की वजह से इन्हें किसी भी स्कीम में नहीं लिया गया है । कराणा की आबादी 2,542 है, और इसको सड़क से छठी पंचवर्षीय योजना में लिये जाने की संभावना है ।

बनासी नदी की जल प्रदाय योजना

28. श्री चतुर्भुज (टोडारायसिंह) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या बनासी नदी ग्राम नेगड़िया से जल प्रदाय योजना के तहत अजमेर, नसीराबाद आदि जगहों के लिये पेयजल वितरण किया गया ?

(2) क्या इस क्षेत्र के गांवों के लिए पेयजल व सिंचाई के लिये कोई व्यवस्था की गई ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी नहीं, नेगड़िया ग्राम तथा क्षेत्र के अन्य ग्रामों के लिये पेयजल की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई । धन राशि उपलब्ध होने पर व्यवस्था करना सम्भव होगा । सिंचाई की व्यवस्था का कार्य इस विभाग द्वारा नहीं देखा जाता ।

(21)

बिलाड़ा के नलकूपों का रासायनिक परीक्षण

29. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) बिलाड़ा के विभिन्न नलकूपों से दिये जा रहे जल का अंतिम बार रासायनिक परीक्षण कब किया गया ? उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह पानी मनुष्यों के पीने के लिये उपयुक्त है तथा क्या इस पानी में फ्लोराइड का प्रतिशत ठीक है ? क्या इस पानी के उपयोग से कोई बीमारी लगने का अंदेशा है या शरीर की बनावट में कोई कमी रह सकती है ?

(3) यदि हां, तो सरकार की इस पानी को दोष मुक्त करने की क्या योजना प्रस्तावित है तथा इसे कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) बिलाड़ा के विभिन्न नलकूपों से दिये जा रहे जल का अंतिम बार रसायनिक परीक्षण अक्टूबर 79 में किया गया । रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) यह पानी मनुष्यों के पीने के लिए उपयुक्त पाया गया है । रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार केवल स्रोत नं० 1 नलकूप के पानी में फ्लोराइड की मात्रा 8 मिली ग्राम प्रति लीटर से अधिक है एवं बाकी दो नल कूपों में 3 मिली ग्राम प्रति लीटर से कम है । फ्लोराइड की अधिक मात्रा पीने के पानी में पाये जाने से मोटेल्ड ऐनेमिल नामक बीमारी होने की सम्भावना रहती है । किन्तु इस पानी के पीने से अभी तक किसी प्रकार की बीमारी या शरीर के बनावट में कोई कमी रहने का मामला विभाग के पास किसी प्रकार से प्रकाश में नहीं आया है न किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई है ।

(3) अभी कोई योजना प्रस्तावित नहीं है ।

(प्रतिवेदन के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखे)

बिलाड़ा कस्बे को बाढ़ से बचाने की योजना

30. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत):

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बिलाड़ा कस्बे को जसवन्त सागर बांध तथा दीपावास बांध (रायपुर पाली) के ओवर फ्लो व क्षतिग्रस्त होने पर भारी खतरा पैदा हो जाता है ? यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों में इस कस्बे में कितनी बार पानी आया ? कृपया तारीख सहित बतायें ।

(2) क्या यह सही है कि इससे इस गांव को करोड़ों रुपयों की जन, धन व पशुओं की क्षति हुई है ? क्या यह भी सही है इस बाढ़ के कारण ऐतिहासिक व धार्मिक स्थान बाण गंगा को भी हानि हुई और यदि नदी को पीचिंग नहीं किया गया तो आगे और हानि होने की संभावना है ?

(3) आगे आने वाली बाढ़ के खतरे से बिलाड़ा को बचाने के लिए सरकार की क्या योजना है ? तथा किस किस कार्य पर कब-कब कार्य शुरू हो जायेगा ?

(22)

उत्तर

(1) जी नहीं।

विलाड़ा कस्बे में दीपावास बांध (रायपुर पाली) के ओवर फ्लो से ही पानी आता है। जसवन्त सागर बांध के ओवर फ्लो से नहीं। ऐसा तब होता है, जब कि दीपावास बांध (रायपुर पाली) के जल ग्रहण क्षेत्र (Catchment Area) में वर्षा, औसतन वर्षा (16") से अत्यधिक होती है।

पिछले पांच वर्षों में बिलाड़ा कस्बे में 1979 (16, 17 जुलाई) में ही अतिवृष्टि एवं प्राकृतिक प्रकोप के कारण ही बिलाड़ा कस्बे में पानी आया। उसके पश्चात पुनः इसी वर्ष पानी 7-8 अगस्त, 1979 को पानी आया।

(2) जी हां।

16-17 जुलाई, 1979 को अतिवृष्टि एवं प्राकृतिक प्रकोप से सारे क्षेत्र में भीषण बाढ़ आ गई थी। इस बाढ़ के पानी ने धार्मिक स्थल बाण गंगा को भी क्षतिग्रस्त किया। इस धार्मिक स्थल को बचाने हेतु विस्तृत सर्वेक्षण कर योजना बनाई जा रही है।

(3) आगे आने वाली बाढ़ के खतरे से बिलाड़ा कस्बे को बचाने हेतु विस्तृत योजना विचाराधीन है। बिलाड़ा कस्बे को बचाने हेतु रिंग बन्ध (Ring Bund) का निर्माण कार्य प्रस्तावित किया गया है। तथा वर्तमान चोपड़ा फीडर के तट बन्ध की ऊंचाई को बढ़ाने (Raising of chopra feeder Bank) हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है।

थाना केशवरायपाटन में दर्ज मामले

31. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बूंदी थाना केशवरायपाटन, लाखेरी, कापरेन, गेन्डोली में जून, 80 में कितनी रपट किस किस के द्वारा किन किन के खिलाफ दर्ज कराई है ? पूर्ण जानकारी सदन के पटल पर रखने का श्रम करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त थानों में कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ? यदि हां, तो किस जुर्म में, कब और कितने? सूची सहित पूर्ण जानकारी सदन के पटल पर रखने का श्रम करें।

उत्तर

(1) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

बाड़मेर व शिव तहसील में पेयजल की व्यवस्था

32. **श्री अमीन खां** (शिव) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बाड़मेर में व तहसील शिव में ऐसे कितने गांव हैं जिसमें 5 से 15 किलोमीटर तक क्षेत्र में पीने के पानी का प्रबन्ध अभी तक नहीं हुआ है !

(2) भू-जल विभाग ने जिन-जिन गांवों का सर्वेक्षण किया है उसकी सूची ग्रामवार देने की कृपा करें।

(अमीन खां)

(3) जिन-जिन गांवों में पीने के पानी की विषम समस्या है क्या उनके लिए कोई योजनायें राज्य सरकार के पास विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो ग्रामवार जानकारी देने की कृपा करें ?

उत्तर

(1) बाड़मेर व शिव तहसील के ऐसे ग्रामों की कोई सूचना एकत्रित नहीं की गई है। इस प्रकार की समस्या हर साल वर्षा ऋतु के पश्चात साल भर जल की उपलब्धि के अनुसार बदलती रहती है।

(2) भू-जल विभाग से प्राप्त सूची संलग्न है।

(3) बाड़मेर जिले में कुल 478 समस्या ग्रस्त ग्राम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 600 करोड़ रु. की लागत से प्रस्तावित दस वर्षीय योजना के अन्तर्गत इन ग्रामों को भी पेयजल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)।

पंचायत समिति डेगाना की जल-प्रदाय योजनायें

33. **श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना)** : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पंचायत समिति डेगाना जिला नागौर में कुल कितनी जल प्रदाय योजनायें कार्यरत हैं ? प्रत्येक योजना के स्रोत व उसके अन्तर्गत पानी प्रदाय किये जाने वाले गांवों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जितने गांव योजना बनाते समय लिये गये थे उन सब में पानी पहुंचा दिया गया है अथवा अभी गांवों को जोड़ना बाकी है ? अगर बाकी है, तो क्यों तथा उन ग्रामों को सम्बन्धित योजना से कब तक जोड़ दिया जावेगा।

(3) ग्रामीण जल प्रदाय योजना पूनास के द्वितीय चरण में कितने गांवों को पानी पहुंचाने का लक्ष्य है ? यह कब तक पूरा होना था और अब कब पूरा होगा ?

(4) ग्राम भादवासी, खुडी कलां, डुगोरदास, डुगोर चिकनास, डुगोर अचला को किस योजना से जोड़ने का निर्णय किया गया है ? क्या पूर्व में तत्कालीन मुख्य मंत्री ने सदन में यह घोषणा की थी कि इन ग्रामों को पण्डवाला ग्राम के आगे मोगास जल योजना से जोड़ दिया जावेगा ?

(5) ग्राम बामना, चौसली, कुक्कर मगरा को सांजू ग्राम जल प्रदाय योजना से जोड़ने की सरकार की क्या योजना है ?

(6) क्या यह सही है कि ग्राम डावोली भवरिया, कवाल, मांझी, गुणसली, कुड्यासनी का पानी इन्सान को कुबड़ा कर देने वाला पानी है ? क्या इन ग्रामों को कुबड़ेपन से बचाने के लिये राज्य सरकार की योजना थी कि ग्राम चुई में जल प्रदाय योजना बना कर पानी दिया जावेगा जहां कि ट्यूब वैल बने हुए हैं ? अब यह कार्य कब तक पूरा होगा ? जब तक कार्य पूरा न हो तब तक कुबड़ेपन से बचाने हेतु सरकार का क्या प्रयास रहेगा ?

(7) क्या जो योजनायें ग्राम डेगाना में पानी वितरण हेतु चलाई जा रही है उस योजना में गांवों के जुड़े होने पर भी किन-

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

किन गांवों को पीने का पानी कई सप्ताहों व महीनों से नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? इन गांवों को समय पर जल प्रदाय की व्यवस्था करने का सरकार का क्या विचार है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति डेगाना जिला नागौर के अन्तर्गत जो जल प्रदाय योजनाएं कार्यरत हैं, उन योजनाओं के अन्तर्गत आने वाले ग्राम एवं स्रोत इत्यादि की सूची संलग्न है ।

(2) पंचायत समिति के अन्तर्गत स्वीकृत 34 गांवों में से 31 गांवों में पानी पहुंचा दिया गया है। ग्राम लगोट व जगड़वास में पानी पहुँचाने का कार्य विचाराधीन है ।

(3) पूनास द्वितीय चरण के लिए सरकार द्वारा कोई योजना अभी स्वीकृत नहीं है ।

(4) राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार की कोई योजना स्वीकृत नहीं है । तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है ।

(5) इन ग्रामों को सोज जल प्रदाय योजना से जोड़ने की योजना अभी स्वीकृत नहीं है । नागौर जिला इस वर्ष विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है ।

(6) ग्राम डोवाली, भवरिया, गवाल भांदी, गणशनी, कल्याणसी के पानी में फ्लोराइड की मात्रा 4 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है । इस वर्ष यह जिला विश्व बैंक परियोजना में प्रस्तावित है । पानी के असर से इस क्षेत्र में कुबड़ेपन के आसार के बारे में सर्वेक्षण किया जाना बाकी है ।

(7) इस पंचायत समिति के अन्तर्गत जो जल वितरण योजनाएं चलाई जा रही हैं उनसे सामान्य रूप से पेयजल उपलब्ध हो रहा है । यदा-कदा बिजली कम मात्रा में मिलने से योजनाओं के अन्तिम छोर के ग्रामों में कमी आती है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, भीनमाल

34. **श्री सूरजपाल सिंह** (भीनमाल) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजना रिपोर्ट में 33 के. वी. ग्रिड स्टेशन जुंजाणी एवं दासंपा का प्रावधान वर्ष 1979-80 में था ? अगर हां तो इन ग्रिड स्टेशनों का निर्माण कार्य शुरू न किये जाने के क्या कारण थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन ग्रिड स्टेशनों का निर्माण कार्य पूरा न हो सकने के कारण काश्तकारों को सही वोल्टेज नहीं मिल सकने के कारण जुंजाणी एवं दासंपा फीडर के सैकड़ों काश्तकारों की फसल चौपट हो गई ? यदि हां, तो उत्तरदायी पाये जाने पर क्या सरकार दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

(3) उपरोक्त दोनों 33 के. वी. ग्रिड स्टेशनों का कार्य कब तक शुरू कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं । योजना में प्रावधान के अभाव में निर्माण प्रारम्भ करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(2) जी नहीं, जुंजाणी एवं दासंपा फीडर पर इस कारण वोल्टेज की कोई कमी नहीं रही है । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) अभी ऐसी कोई योजना स्वीकृत नहीं है ।

सिकराय तहसील के ग्रामों का विद्युतीकरण

35. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) सिकराय तहसील में कुल कितने गांवों का विद्युतीकरण अब तक पूर्ण हो चुका है ? कृपया वर्षवार विद्युतीकृत गांवों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि गत सरकार के मुख्यमंत्री ने सिकराय क्षेत्र के दौरे के वक्त इस क्षेत्र के अविलम्ब विद्युतीकरण की घोषणा की थी ? यदि हां, तो इस ओर क्या प्रगति हुई है ?

(3) सिकराय तहसील के किन-किन गांवों के कितने-कितने समय से आवेदन विद्युत कनेक्शन हेतु पड़े हैं जो कि विद्युतीकरण के लिये स्वीकृत हैं तथा जिन्हें कनेक्शन नहीं दिये गये है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सिकराय तहसील में मार्च, 1980 के अंत तक 46 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। विद्युतीकृत ग्रामों के नाम सूची "अ" में दर्शाये गये हैं।

(2) इस प्रकार की घोषणा की जानकारी नहीं है।

(3) सिकराय तहसील के 44 गांवों में विद्युतीकरण के लिये कृषि कुओं के 500 प्रार्थना पत्र दिनांक 30-6-80 को पेंडिंग हैं। ग्रामवार सूची "ब" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

राज्य के फरार अपराधी

36. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में विभिन्न अपराधों में फरार व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) फरार व्यक्ति को गृह विभाग कितने दिनों तक पकड़ने का प्रयास करता है ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) अपराधी के मृत्यु समय तक उसे पकड़ने का प्रयास किया जाता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

करौली क्षेत्र में सड़क निर्माण

37. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या करौली क्षेत्र में मांसलपुर से बसेड़ी तथा मांसलपुर से जगनेर सड़क निर्माण के लिए निविदाएं आमन्त्रित की जा चुकी है ?

(2) यदि हां, तो इस पर कितनी राशि व्यय होगी और कार्य कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

उत्तर

(1) मांसलपुर बसेड़ी सड़क अकाल सहायता के अधीन स्वीकृत हुई है अत: निविदायें आमन्त्रित नहीं की गई हैं।

मांसलपुर जगनेर सड़क की निविदायें आमन्त्रित की जा चुकी है।

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

(2) मांसलपुर बसेड़ी सड़क का कार्य श्रमिक उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रगति पर नहीं है। अकाल सहायता कार्यों की स्वीकृति माह जुलाई 80 तक ही है। मांसलपुर जगनेर सड़क पर कुल 20 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है तथा इस कार्य का वित्तीय वर्ष 1981-82 में पूर्ण होने की संभावना है।

जिला सवाई माधोपुर के थानों में दर्ज मामले

38. **श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली)**: क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) सवाई माधोपुर जिले में किन-किन स्थानों पर गत दो वर्षों में कितने-कितने मुकदमे थानों में दर्ज हुए?

(2) इनमें से कितने मामले अदालतों में चल रहे हैं और कितने अदालतों में भेजे जाने शेष हैं?

उत्तर

(1) सूचना संलग्न है।

(2) इसमें 1917 मामले अदालतों में चल रहे हैं। 25 अभियोगों में तफतीश जारी है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

लूनी क्षेत्र के ग्राम धुंधाड़ा में खनन कार्य

39. **श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी)**: क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि लूनी क्षेत्र के ग्राम धुंधाड़ा में खनिज का खनन कार्य हो रहा है? यदि हां, तो इसके खनन पट्टे सन् 1970 से किस-किस पार्टी को कितने-कितने समय तक के दिये गये, कितना व क्या-क्या खनिज खनन किया गया तथा इससे सरकार को कितनी आमदनी हुई?

(2) क्या यह सही है कि जिन शर्तों पर इन पार्टीज को लीज दिये गये वह उन शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं तथा उसे खेती के काम में ले रहे हैं? यदि हां, तो सरकार ने इस ओर क्या कदम उठाये तथा आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है?

(3) क्या सरकार अपनी घोषित नीति के अनुसार एक वर्ग किलोमीटर की लीज के टुकड़े बनाकर लोगों को लीज पर देना उचित समझती है अथवा अन्य एजेन्सीज के माध्यम से खनन कार्य को सम्भालकर क्षेत्र के निवासियों को रोजगार दिलाने तथा इस क्षेत्र का विकास करना चाहती है?

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम धुंधाड़ा जोधपुर जिले में पड़ता है वहां कोई खनन कार्य नहीं हो रहा है।

(2) जब वहां कोई खनन कार्य ही नहीं हो रहा है तो किसी कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) क्षेत्र में किसी खनन कार्य के न होने से इसका प्रश्न ही नहीं रह जाता है।

वाणगंगा नदी पर निर्मित पुलिया

40. **श्री माधव सिंह दीवान (सोजत)**:

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जोधपुर-जयपुर मार्ग पर वाण गंगा पर जो पुलिया है वह पिछले वर्ष बाढ़ से पूरी तरह नष्ट हो गई

(श्री रामसिंह विश्नोई)

थी, जिसके कारण इस मुख्य मार्ग पर यातायात करीब 2 माह तक बन्द रहा ? यदि हां, तो यह मुख्य मार्ग, जो सुरक्षा मंत्रालय द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता रहा है, को भविष्य में बारह महीनों तक चालू रखने के सम्बन्ध में क्या कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो रूप रेखा सदन की मेज पर रखें। इस पर कार्य कब तक शुरू कर दिया जावेगा ?

उत्तर

जोधपुर-जयपुर सड़क पर पिछले साल बाढ़ से पहले बाण गंगा नदी पर एक रपट बनी हुई थी। यह रपट बाढ में क्षतिग्रस्त हो गई इसके कारण करीब 1 महीने तक यातायात अवरुद्ध रहा। बाण गंगा नदी पर नया वेन्टेड काजवे (रपट) बनाने के लिये 13 लाख रुपये लागत की स्वीकृति पिछले वर्ष दी जा चुकी है। यह कार्य राजस्थान सरकार एवं निर्माण निगम को पूरा करने के लिये दे दिया गया जो कि सर्वे कर कार्य की रूप रेखा तैयार कर रहा है। कार्य बरसात के बाद जल्द ही शुरू होने की संभावना है।

पाली जिले में सोजत तथा खारची के कृषकों को दिये गये विद्युत कनेक्शन

41. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत),: **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पाली जिले के सोजत आर.ई.सी. तथा ओ. एण्ड एम. तथा खारची आर.ई.सी. सब डिविजन में सन् 1978-79 तथा 1979-80 में कितने कृषि सम्बन्धी पम्प सैटों हेतु आवेदन प्राप्त हुए, कितनों को माहवार कनेक्शन दिया गया तथा 31 मई, 1980 तक ऐसे कितने कनेक्शन बाकी थे जिनके डिमाण्ड नोटिस की राशि जमा हुए 6 माह से अधिक हो गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2 उपरोक्त सब डिविजन में पिछले वर्ष आई बाढ़ में कितने खम्भे गिर गए तथा 31 मई, 80 तक इनमें से कितने खम्भों को खड़ा कर दिया गया ?

(3) इतने लम्बे समय तक खम्भों को खड़ा न करना तथा ऊपर लगे तारों का गांवों की जनता द्वारा दुरुपयोग होने के बाबत कौन जिम्मेदार है ?

उत्तर

(1) वांछित सूचना सब डिविजनवार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) पिछले वर्ष आई बाढ में जो खम्भे गिरे थे उनकी सब-डिविजनवार संख्या निम्न है :—

सोजत (आर. ई. सी.)	861
सोजत (ओ. एण्ड एम.)	13
खारची (आर. ई सी.)	46
योग	920

इनमें से 762 खम्भों को 31 मई, 1980 तक वापस खड़ा कर दिया गया है।

(3) शेष 158 खम्भों, जो कि सोजत आर. ई. सी. सब डिविजन में हैं, का कार्य प्रगति पर है तथा जनता द्वारा तारों का दुरुपयोग नहीं किया गया है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

सोजत की जलप्रदाय योजना

42. **श्री माधव सिंह दीवान** (सोजत):

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सोजत में अभी हाल में जिन कुओं से पानी दिया जा रहा है उनके रसायनिक परीक्षण की क्या रिपोर्ट है ?

(2) क्या स्वास्थ्य की दृष्टि से यह पानी पीने के लिए उपयुक्त है ? यदि नहीं, तो जो मीठे पानी पिलाने की योजना अभी चल रही है, क्या उसमें इतना पानी उपलब्ध हो सकेगा जिससे सारे शहर को पानी उपलब्ध कराया जा सके ?

(3) यदि नहीं, तो सरकार के पास क्या कोई अन्य प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सोजत सिटी में जिन कुओं एवं ट्यूब वैल से पानी दिया जा रहा है उनकी रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।

(2) योजना पर उपलब्ध चार कुओं में से एक कुए का पानी कुछ खारा है तथा एक और नये बनाये गये कुए का पानी काफी मीठा है। कुओं का पानी मिला कर देने से पानी स्वास्थ्य की दृष्टि से पूर्ण रूप से उपयुक्त है। एक और नये कुए का निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर दो नये कुओं से 4 लाख गैलन प्रति दिन तथा पुराने एक मीठे कुए से 1.25 लाख गैलन प्रति दिन मीठा शहर के लिए उपलब्ध होगा।

(3) उपरोक्त कार्य होने के पश्चात् इस वर्ष के अन्त तक पानी की क्वालिटी में और सुधार हो जायेगा अतः किसी अन्य प्रबन्ध की आवश्यकता नहीं है।

(प्रतिवेदन के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

जिला झालावाड़ के राष्ट्रीयकृत मार्ग

43. **श्री बालचन्द्र आर्यवीर** (डग) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) झालावाड़ जिले में कितने ऐसे रूट हैं जो राष्ट्रीयकरण में आ चुके हैं ? क्या उन सभी रूट्स पर रोडवेज की बसें चल रही हैं ?

(2) ऐसे कितने रूट्स हैं जो कच्चे हैं और राष्ट्रीयकरण में ले लिए हैं ? क्या उन रूटों पर बसें चलती हैं ?

(3) क्या सरकार उन रूट्स को राष्ट्रीयकरण से निकाल कर प्राइवेट बस मालिकों को देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले में कुल 20 रूट्स का राष्ट्रीयकरण किया हुआ है। 18 मार्गों पर पथ परिवहन निगम की बसें नियमित चल रही हैं। इनमें से निम्नलिखित दो मार्गों के कुछ हिस्सों पर ही मार्ग संचालन किया जा रहा है क्योंकि ये मार्ग नदी नालों के कारण वाहन संचालन योग्य नहीं हैं :-

1. डग-नन्दपुर-पिड़ावा (डग से नन्दपुर तक वाहन संचालन)
2. इकलेरा-हरनावदा-मनोहर थाना (इकलेरा से हरनावदा तक वाहन संचालन)

(यातायात मन्त्री)

(2) प्रश्न के संदर्भ में मार्गों की सूची संलग्न है। इन मार्गों के वर्षाकाल में अवरुद्ध हो जाने के कारण वाहन संचालन नहीं किया जाता है।

(3) जी नहीं। इन मार्गों के वर्षाकाल में संचालन योग्य एवं राष्ट्रीयकृत मार्गों पर नदी नालों पर पुल बनाने के संदर्भ में राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग को सम्पर्क किया हुआ है। इन मार्गों पर सड़क एवं पुल निर्माण होने पर ही वाहन संचालन हो सकेगा। इन मार्गों पर वर्षाकाल में निजी बस मालिकों द्वारा भी वाहन संचालन नहीं किया जाता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

बिलाड़ा बालिका विद्यालय को क्रमोन्नत करना

44. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि सन् 1977 में तत्कालीन सरकार द्वारा बिलाड़ा नगर में लड़कियों के उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत किया था? क्या गत सरकार द्वारा इसको नई सूची में सम्मिलित नहीं किया गया?

(2) क्या सरकार चालू वर्ष में बिलाड़ा बालिका विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का इरादा रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। वित्तीय स्वीकृति के अभाव में यह विद्यालय नहीं खुल पाया।

(2) राज्य सरकार की नीति स्थान विशेष की स्थिति क्षेत्र का पिछड़ापन, अन्य स्कूलों से दूरी एवं उपलब्ध वित्तीय साधनों के अनुसार नये विद्यालय खोलने की है। तदनुसार इस पर भी विचार किया जावेगा।

इटावा की लिफ्ट सिंचाई योजना

45. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है इटावा ब्रांच कैनाल तथा अयाना ब्रांच कैनाल के बीच अयाना ब्रांच कैनाल ब्रांच लिफ्ट सिंचाई हेतु एल.ओ.टी.सी. विभाग ने एक योजना बनाकर सरकार को भेजी है?

(2) यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई तथा सरकार इस योजना को शीघ्र स्वीकृति प्रदान कर कार्य प्रारम्भ करने के आदेश प्रदान करेगी?

उत्तर

(1) जी हां, योजना केन्द्रीय जल आयोग को स्वीकृति हेतु भेजी गयी है।

(2) योजना की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही कार्य प्रारम्भ किया जावेगा।

केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त राशि

46. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) केन्द्रीय सरकार ने 1980-81 के केन्द्रीय बजट में राजस्थान को कौन कौन से करों व शुल्क मदों से कितनी-कितनी राशि कब तक देने का तय किया है?

(30)

(श्री दाऊ दयाल जोशी)

(2) इन उपरोक्त मदों में गत 1979-80 में कितनी राशि कौन-कौन सी तारीखों में राज्य सरकार को दी गई ?

उत्तर

(1) केन्द्रीय सरकार के बजट से करों व शुल्क के रूप में वर्ष 1980-81 में राज्य सरकार को निम्न राशियां प्राप्त होंगी :—

1- संघ उत्पाद शुल्क (मय बिजली पर शुल्क सहित) रु. 108.42 करोड़

2- विक्रय कर के बदले अतिरिक्त उत्पाद शुल्क रु. 16.18 करोड़

3- आयकर रु. 40.68 करोड़

4- सम्पदा शुल्क रु. 00.17 करोड़

(2) वांछित सूचना अनुसूची-"अ" अंकित है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

राष्ट्रपति शासनावधि में घटित अपराध

47. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में गत राष्ट्रपति शासन के दौरान कितनी हत्याएं, डकैती, चोरी, आगजनी, बलात्कार, राहजनी व फौजदारी की घटनायें घटित हुई ? पूर्ण ब्यौरा दें।

(2) राष्ट्रपति शासन के दौरान अपराधों की जिलेवार घटनायें व ब्यौरा सदन के पटल पर रखें।

(3) अपराधों में हुई इस वृद्धि का क्या कारण है व इसकी रोकथाम हेतु सरकार क्या उपाय कर रही है ?

(4) राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य में हरिजनों पर अत्याचार व हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार की कितनी घटनायें घटित हुई व उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ?

(3) अपराधों में वृद्धि के मुख्य कारण औद्योगिकरण, जनसंख्या में वृद्धि, राज्य में पड़ा सूखा एवं चुनावों में पुलिस की व्यस्तता है। रोकथाम हेतु सभी उपाय किये जा रहे हैं।

(4) इस अवधि मे हरिजनों पर अत्याचारों की 96 घटनायें हुई जिनमें से 14 घटनाएं हरिजन महिलाओं के साथ बलात्कार की थीं। कार्यवाही का ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है ?

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

चूरू की अधूरी सड़कें

48. **श्री भालू खां** (चूरू): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या निम्नलिखित सड़कें अधूरी पड़ी हैं:—

(अ) चूरु तारानगर वाया चलकोई।

(ब) दादर से घांघू

(स) रतन नगर से कड़वाटी

(द) दूधवाखारा से सात्यूं

(य) रामपुर से खण्डवा

(2) इन सड़कों का सरकार कब तक निर्माण कार्य पूर्ण करवा देगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

क– चूरू से तारानगर सड़क अधूरी है। यह सड़क 45 किलोमीटर लम्बी है एवं 1966 से समय समय पर अकाल राहत कार्यों के माध्यम से काम होता रहा है। सड़क धांधला पत्थर एवं ग्रेवल से 20 कि.मी. बनी हुई है। तारानगर द्वार से 4 किमी. डामर सड़क है। इस वर्ष भी अकाल राहत में सड़क 20 कि.मी. स्वीकृत है एवं 1.60 लाख का प्रावधान है कार्य अकाल राहत में चालू है।

ख– जी हां,

ढांढर से धांधू सड़क अधूरी है इस सड़क की लम्बाई 5 कि.मी. है। सन् 1969 में अकाल राहत कार्यों के तहत मिट्टी एवं धांधला का कार्य 1 कि.मी. में किया गया था।

ग– जी नहीं,

रतननगर से गुढ़ा बड़ी कोई पक्की सड़क नहीं है। रतननगर तहसील चूरू में है एव गुढ़ा बड़ी सुजानगढ़ तहसील में है। इस सड़क का कभी कोई निर्माण नहीं हुआ है।

घ– जी हां!

दूधवा खारा से साण्डू सड़क अधूरी है। दूधवा खारा से साण्डू सड़क की लम्बाई 10 कि.मी. है। साण्डू से राजपुरा 4 कि मी. तक मेटल्ड है शेष 6 कि.मी में धांधला की कुटाई का कार्य अकाल राहत के मद से हुआ था। साण्डू से राजपुरा 4 कि. मी. लम्बाई में डामर का कार्य अनुबन्धित है। साल 1980-81 में पूरा करवा दिया जायेगा।

ड– जी हां!

रामपुरा से खंडवा सड़क अधूरी है इसकी लम्बाई लगभग 8 कि. मी. है। सड़क पर करीब 3.5 कि. मी. लम्बाई टुकड़ों में मैटल्ड रोड धांधला पत्थर से बनी हुई है। इस साल भी यह सड़क अकाल राहत कार्यों के तहत चालू है।

(2) इन सब सड़कों का कार्य स्वीकृति एवं बजट प्रावधान उपलब्ध होने पर ही पूरा करवाया जाना संभव हो सकेगा। अभी निकट भविष्य में कोई योजना नहीं है।

जिला सवाई माधोपुर की सहकारी समितियां

49. श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सवाई माधोपुर जिले में किस प्रकार की कितनी-कितनी सहकारी समितियां क्रियाशील है? क्या कुछ सहकारी समितियों में गबन के मामले भी सामने आये हैं? यदि हां तो किन-किन समितियों में?

(2) सरकार ने अब तक गबन के लिये दोषी किन-किन पदाधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर जिले में श्रेणीवार कार्यरत सहकारी समितियों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" में अंकित है। सवाई माधोपुर जिले में 301 सहकारी समितियों में गबन के मामले प्रकाश में आये हैं। जिनकी सूची संलग्न है (परिशिष्ट–ब)

सहकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा गबन के लिये दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ 5 मामलों में एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई है व कुल 349 मामले (धारा 74

(सहकारिता मंत्री)

सहकारी कानून के अन्तर्गत) दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी, इसमें से 251 का फैसला हो चुका है। जिसमें से 157 मामलों में डिग्री की जा चुकी हैं जिसकी सूची संलग्न है (परिशिष्टस) शेष मामलों में शीघ्र कार्यवाही करने के आदेश दिये जा रहे हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अकाल राहत कार्यों पर व्यय

50. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) प्रदेश में चल रहे अकाल राहत कार्यों के संबंध में निम्न जानकारी सदन के पटल पर रखने का श्रम करें :-

(अ) जिलावार सूची

(ब) कार्य का विवरण

(स) अकाल राहत पर कार्यरत श्रमिक की संख्या जिलावार

(2) किस-किस जिले पर कितनी कितनी राशि किस कार्य हेतु स्वीकृत है ? स्वीकृत राशि में से कितनी, कब, किस कार्य पर खर्च की जा चुकी है ?

उत्तर

(1) जिलावार, कार्यवार एवं अकाल राहत पर कार्यरत श्रमिकों की संख्या की सूची सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) जिलेवार स्वीकृत राशि का विवरण संलग्न हैं।

जिलाधीशों से सूचना प्राप्त की जा रही।

(सूची व सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

काम के बदले अनाज योजना के तहत अधूरे पड़े कार्य

51. **श्री बालचन्द्र आर्यवीर** (डग): क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत राज्य के किस-किस जिले में क्या-क्या कार्य हुए ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) कौन-कौन से जिलों में क्या-क्या कार्य अधूरे पड़े हुए हैं ? क्या सरकार अधूरे कार्यों को पूरा करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत दिनांक 31-12-79 तक जिलों द्वारा पूर्ण किये गये कार्यों की संख्या एवं दिनांक 30-6-80 तक काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत चल रहे कार्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जिलों में कौन से कार्य अधूरे पड़े हैं उसकी सूची जिलाधीशों से मंगवाई जा रही है। ऐसे अधूरे कार्य, जिन्हें काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत उपलब्ध होने वाले साधनों के द्वारा पूरा किया जा सकेगा, अवश्य पूरे किये जा सकेंगे। शेष कार्यों को सेफ लेबल तक छोड़ा जाना आवश्यक होगा। जहां तक संभव हो सकेगा ऐसे कार्यों को अन्य विभागों की योजना के अन्तर्गत लेने का भी प्रयत्न किया जावेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

अलवर स्थित दूध की डेयरी

52. **श्री शीतमल जैन (अलवर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-**

(1) जून 1979 से मई, 1980 तक कितना दूध अलवर स्थित डेयरी द्वारा प्रोक्योर किया गया ? प्रत्येक माह अनुसार सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें ।

(2) प्रोक्योर किये हुए दूध में से कितना अलवर से बाहर बेचा गया एवं कितना अलवर शहर में बेचा गया ? प्रत्येक माह अनुसार सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ।

(3) अलवर से बाहर बेचा जाने वाला दूध किस दर पर बेचा गया ?

(4) अलवर से बाहर बेचे जाने वाले दूध का कान्ट्रेक्ट किन किन फर्मों से कितने वर्षों के लिए किस दर पर है ? सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें ।

(5) कान्ट्रेक्ट की अन्य शर्तें क्या हैं ? शर्तों की सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(1) अलवर स्थित डेयरी द्वारा जून 1979 से मई, 1980 तक 85.08 लाख किलो ग्राम दूध प्रोक्योर किया गया । सूची प्रस्तुत कर दी गई है ।

(2) प्रोक्योर किये गए दूध में से 73.55 लाख किलो ग्राम अलवर से बाहर व 10.63 लाख किलो ग्राम अलवर शहर में बेचा गया । सूची सदन की पटल पर प्रस्तुत है । अलवर से बाहर बेचे जाने वाले दूध की दर जून, 79 से मई, 80 तक 2.17 से 2.62 प्रति किलो ग्राम थी ।

(3) अलवर से बाहर बेचे जाने वाले दूध का कान्ट्रेक्ट दिल्ली दुग्ध योजना एवं मदर डेयरी दिल्ली से एक वर्ष के लिये 2.27 से 2.62 रु. प्रति किलो ग्राम की दर पर है । सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

(4) शर्तों की सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बानसूर प्रसूति गृह का निर्माण कार्य

53. **श्री शीतमल जैन** (अलवर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि एक दानदाता ने बानसूर (अलवर) में प्रसूति गृह के भवन का निर्माण करवाया है ?

(2) क्या दानदाता ने प्रसूति गृह को दो वर्ष का खर्च देने का वायदा किया था ?

(3) क्या जनता सरकार ने प्रसूति गृह प्रारम्भ करने का निर्णय कर लिया था ? अगर हां, तो क्या राष्ट्रपति शासन के दौरान उक्त निर्णय को बदला गया है ?

(4) अब सरकार प्रसूतिगृह कब खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां

जी नहीं ।

(4) शर्त के मुताबिक दो वर्ष का खर्चा दानदाता द्वारा जमा कराया जाना है और दान पत्र का निदान किया जाना है । परन्तु दानदाता द्वारा आवर्तक व अनावर्तक खर्च नहीं दिये जाने से इस केन्द्र को प्रारम्भ करने में देर हो रही है । यद्यपि दानदाता को इस बारे में कई बार निवेदन किया जा चुका है ।

(34)

जनरल अस्पताल अलवर की भूमि पर धर्मशाला का निर्माण

54. **श्री जीतमल जैन (अलवर)** : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या जनरल अस्पताल अलवर में रोगियों के परिचारकों (अटेन्डेंट्स) के निवास हेतु अस्पताल की भूमि पर किसी भी धमार्थ ट्रस्ट द्वारा धर्मशाला का निर्माण हो रहा है ?

(2) अगर हां, तो किन शर्तों पर ट्रस्ट को धर्मशाला बनाने का अधिकार दिया गया है ? शर्तों की सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या धर्मशाला का मानचित्र नगर सुधार न्यास द्वारा स्वीकृत किया गया है ? अगर हां, तो क्या निर्माणाधीन धर्मशाला का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार हो रहा है ?

(4) अगर नहीं, तो राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(5) क्या धर्मशाला की व्यवस्था मण्डल में सरकार के प्रतिनिधि होंगे ? यदि हां, तो उनके नाम सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(6) क्या ट्रस्ट देव स्थान विभाग के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) प्रस्तावित शर्तों की सूची संलग्न है।

(3) नक्शा नगर न्यास द्वारा स्वीकृत कराया गया था लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन किये गये।

(4) नक्शे की स्वीकृति ट्रस्ट द्वारा की जानी है।

(5) धर्मशाला की प्रबन्ध कमेटी के अध्यक्ष जिलाधीश होंगे और इस कमेटी में दो सरकारी व दो गैर सरकारी सदस्य होंगे सी. एम. एच. ओ. अलवर व अधीक्षक जनाना अस्पताल अलवर इसके सरकारी सदस्य होंगे।

(6) जी नहीं।

(शर्तों के लिये कृपया परिशिष्ट 19 देखें)

परिवार कल्याण विभाग की उपलब्धि

55. **श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल)**: क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जून, 1977 से दिसम्बर, 1979 तक कुल कितने परिवार नियोजन आपरेशन किये गये ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जनवरी, 1980 से फरवरी, 1980 तक कुल कितने परिवार नियोजन आपरेशन किये गये ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जून, 1977 से दिसम्बर, 1979 तक कुल 56,290 परिवार नियोजन आपरेशन किये गये हैं जिलेवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जनवरी, 80 से फरवरी, 80 तक कुल 13,839 परिवार नियोजन आपरेशन किये गये। जिलेवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 20 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) सर्वश्री गोपाल पचेरवाल, देवीसिंह भाटी, यदुनाथ सिंह, महाराम चौधरी, हरीश शर्मा, शिवसिंह, वीरेन्द्र प्रतापसिंह व रामकंवार बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 9 जुलाई, 1980 को राजकीय महा विद्यालय कोटा में छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय की वाणिज्य संकाय के एक पत्र का बहिष्कार करने पर पुलिस द्वारा किये गये लाठी चार्ज के विषय में।

इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(2) श्री गुलाबचन्द कटारिया, सदस्य विधान सभा की ओर से बढ़ती हुई महंगाई व आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो रही हैं, इस विषय में।

यह विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है और माननीय सदस्य इस पर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समय चर्चा उठा सकते हैं, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(3) सर्वश्री महावीर प्रसाद, हंसराज शर्मा, रामकिशोर मीणा, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान पथ परिवहन निगम की कई बसें टायरों के अभाव में बन्द पड़ी हैं, इस विषय में।

यह प्रश्न भी अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(4) श्री नाथूसिंह, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान के कई बेरोजगार पुरुष एवं महिलायें ठेकेदारों के जाल में फंसकर दुबई आदि अनेक विदेशों में चले गये हैं इस विषय में।

यह प्रश्न राज्य सरकार से सम्बन्धित नहीं है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(5) श्री दाऊदयाल जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा जिले के सांगोद क्षेत्र के किसानों को बुआई के समय संकर ज्वार का बीज नहीं मिलने के विषय में।

यह प्रश्न भी अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(6) सुश्री पुष्पा तथा श्री अनंग कुमार जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 23 जून को जलोई ग्राम में एक ट्रैक्टर की टक्कर देकर रामनाथ गूजर की हत्या कर देने के विषय में।

(7) श्री जीतमल जैन, सदस्य विधान सभा की ओर से अलवर जिले के विजयपुरा गांव में हरिजनों पर सामूहिक हमला किये जाने की घटना के विषय में।

ये प्रश्न भी अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं, अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(8) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य विधान सभा की ओर से राज्य में राष्ट्रीयकृत पुस्तकों एवं कापियों के अभाव के विषय में।

(श्री अध्यक्ष)

सदन में पूर्व में भी इस सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। मैं चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री महोदय सदन में एक वक्तव्य दें इस सम्बन्ध में।

(9) दिनांक 9 जुलाई को श्री मोहनलाल मोदी, सदस्य, विधानसभा ने श्री नारायणसिंह, विधायक दांतारामगढ़ पर किए गए हमले के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी।

यह मामला जेरे तफतीस है। मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(10) सर्वश्री गोपाल पचेरवाल व हरीश शर्मा ने बूंदी जिले के ग्राम मुहली में पुलिस द्वारा किये गये लाठी चार्ज के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। इस मामले में सरकारी तथ्यों का अध्ययन करने के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं दी जा सकती। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, बूंदी जिले में.........

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अभी मैं आपके सामने कुछ अर्ज करना चाहता हूं।

मैंने कल भी निवेदन किया था और उससे पहले भी कि जिन स्थगन प्रस्तावों पर आसन सरकार से जानकारी लेता है उस पर इस वक्त चर्चा नहीं उठाई जाएगी और जब सरकार से जानकारी मिल जाय और वहां से निर्णय यह हो कि स्वीकार नहीं किया जा सकता, उस स्थिति में माननीय सदस्यों को दो दो मिनिट का समय दिया जाएगा। इसलिए जिन प्रस्तावों पर मैंने सरकार से जानकारी चाही है उनके अलावा जिन स्थगन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया है उन पर दो दो मिनट में, बहुत ही सीमित समय की सीमा में, माननीय सदस्य अपनी बात कहने की कृपा करें।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक सूचना देना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह शेखावत :

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : पहले विरोधी दल के नेता बोल लें उसके बाद आप बता दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मुझे जानकारी मिली है कि एक बस दुर्घटना में 26 आदमी मर गए हैं और कई घायल हो गए हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस सूचना के बारे में ठीक प्रकार से पता करके सदन को सूचना दें कि किस प्रकार की घटना हुई है, कितने लोग मरे हैं.....

श्री अध्यक्ष : यह दुर्घटना कहां हुई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अलवर से बस आते हुए।

श्री अध्यक्ष : श्री जनार्दनसिंह गहलोत।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, अलवर से सवेरे 5 बजे जो बस चली थी, वह अलवर से बीस किलोमीटर बाद ही नाले में फंस गई। उसमें 45 सवारियां थीं जो पानी के बहाव में बह गईं। मैं अध्यक्ष महोदय, सरकार को सूचना देना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार तत्काल उनको रिलीफ देने की व्यवस्था करें। 42 आदमियों के बारे में जानकारी नहीं मिली है, वे नहीं मिले हैं। तीन लोगों को अभी तक निकाला जा सका है और 42 लोगों का अभी तक पता नहीं है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष, महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरकार उनको रिलीफ देने की व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष: नेता महोदय कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (मुख्य मंत्री): मुझे सम्पूर्ण दुर्घटना की जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार मौके पर तत्काल जिलाधीश और पुलिस सुपरिटेंडेंट पहुंच गए हैं। जो भी आवश्यक राहत कार्य जरूरी होंगे वे अवश्य किये जायेंगे।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, बूंदी ......

[व्यवधान]

श्री अध्यक्ष : मैंने अभी निवेदन किया था कि पहले जिन स्थगन प्रस्तावों को अस्वीकार किया है उन पर ही बोलेंगे। सबसे पहले श्री गुलाबचन्द कटारिया का स्थगन प्रस्ताव है। बढ़ती हुई मंहगाई के सम्बन्ध में दो मिनट कुछ कहेंगे।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो बहुत पुराना प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : उस पर आ रहे हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो आपने जो आदेश दिया है उसकी मैं पालना करूंगा लेकिन आपने कहा कि लोक महत्व का प्रश्न नहीं है.... ...

श्री अध्यक्ष: उसी पर चर्चा होगी जो अस्वीकार कर दिए हैं। उसी पर बोलने की व्यवस्था है, इसलिए उस पर आप कुछ कह सकते हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह विषय लोक महत्व का विषय है। राजस्थान की गरीब जनता की प्रति व्यक्ति आमदनी बहुत कम है, प्रति व्यक्ति प्रति दिन एक रुपया बैठता है। पिछले 4-5 महीनों से बढ़ती महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है गरीब जनता को अपने बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो रहा है, उनको दूध पिलाना दूभर हो रहा है। चुनाव के दिनों में बार बार यह कहा गया था कि महंगाई कम करेंगे लेकिन, अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस शासन में आज तक भाव कम नहीं हुए और निरन्तर भाव बढ़ते जा रहे हैं। एक भी ऐसा आइटम बता दें जिसका भाव कांग्रेस शासन के आने के बाद कम हुआ हो। पिछले लोक सभा के चुनावों के बाद निरन्तर भावों में वृद्धि हो रही हैं। अध्यक्ष महोदय, लोक सभा में जो बजट पेश किया है और जो छूट किन्हीं वस्तुओं में दी गई हैं उसके पश्चात भी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं बजट में साबुन पर पांच प्रतिशत की छूट दी गई किन्तु उसके बाद साबुन की कीमत बढ़ी है। जब भाव का कारण व्यापारी से पूछा गया तो उनका जवाब था जहां इसमें छूट मिली है वहीं पर कास्टिक सोडा के भावों में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। एक तरफ बजट में कमी की घोषणा की गई

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

लेकिन दूसरी तरफ उसी वस्तु पर वृद्धि की गई है। इससे भावों में कमी होने वाली नहीं है। यह केवल मात्र गरीब जनता को धोखा देना है। इसी तरह, अध्यक्ष महोदय, पेस्ट में 10 प्रतिशत की छूट बताई गई लेकिन उसमें काम आने वाली वस्तु पर छूट नहीं दी गई इससे उसके भाव भी कम नहीं हुए। यही नहीं बीमारी में काम आने वाली दवाओं की कीमत में भी कोई कमी नहीं आई है। जो दवायें जीवन को चलाने के लिये अति आवश्यक मानी जाती है उन 30 प्रकार की दवाओं पर छूट की घोषणा की गई थी और उसमें ढाई प्रतिशत की छूट दी थी लेकिन उनकी भी अभी कीमतों में कमी नहीं हुई है।

आम तौर से बजट में ऐसा देखा गया है कि एक तरफ छूट दी गई है तो दूसरी तरफ इन्डाईरेक्ट टैक्स लगा दिया गया है। उससे महंगाई कम नहीं हुई। सिलाई मशीन पर उत्पादन शुल्क बिलकुल माफ कर दिया लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उस सिलाई मशीन का मूल्य जो बजट से पहले था उसके पश्चात भी कौनसी कमी आई है। जरा बता दें।

अध्यक्ष महोदय, आम काला बाजारी हो रही है उसको रोका नहीं गया है जो जीवन उपयोगी सामग्री है नित्य उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं। तेल, चीनी, साबुन, दाल, आदि उनके लिये चुनाव में आपकी पार्टी ने यह नारा दिया था कि जनता पार्टी के राज्य में महंगाई बढ़ी है। वास्तव में कांग्रेस के शासन में, हिन्दुस्तान के 30 साल के इतिहास में जो भावों में कमी नहीं थी वह जनता पार्टी शासन में कमी आई थी और बहुत सारी चीजों के भाव स्थिर रहे थे। राजस्थान की जनता प्रश्न पूछती है कि आपने उनके साथ धोखा किया है, बेईमानी की है और जनता को बेवकूफ बनाया है। मेरा निवेदन है यदि आपका शासन महंगाई कम नहीं कर सकता है तो उसे एक दिन भी सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपने गरीब जनता को बेवकूफ बनाकर वोट प्राप्त करने की कोशिश की है।

आज, अध्यक्ष महोदय, हर परिवार में जहां 150) रु. का बजट होता था वहां उसके स्थान पर 300) रु. का हो गया है और जहां 300)रु. का बजट होता था परिवार का वह अब बढ़कर 450) रु. का हो गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जिस पर हमने छूट दी है......

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उनके तो कम से कम भाव कम किये ही जाने चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : समाप्त करिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक): अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा भी नाम था।

अध्यक्ष महोदय, महंगाई एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है.....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इसमें नाम है मेरा, मैंने हस्ताक्षर किये हैं।

श्री अध्यक्ष : एक विषय पर एक ही माननीय सदस्य चर्चा उठा सकते है। आपने बढ़ती हुई महंगाई और राजस्थान पथ परिवहन की खराब स्थिति पर भी प्रस्ताव दिया। मैं आपको उसके लिये समय दे दूंगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : महत्वपूर्ण तो बहुत से मामले हैं, माननीय सदस्य।

आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

मैं आपका नाम पुकार रहा हूं। सर्व श्री महावीर प्रसाद, हंस राज और राम किशोर मीणा। पथ परिवहन निगम के बारे में आप बोलेंगे।

श्री महावीरप्रसाद जैन : मान्यवर, आज राजस्थान रोडवेज की जिस प्रकार की अव्यवस्था है वह यह है कि बसें कम और यात्री अधिक होने से सवारियां सुबह से शाम तक बसों में खड़ी सफर करती रहती हैं। कई बार तो, मान्यवर, बसें ही नहीं मिलती हैं और मिल भी जाती हैं तो बैठने का स्थान नहीं मिलता है-खड़े खड़े ही सवारी अपने गन्तव्य स्थान तक पहुंचना पड़ता है। एक एक बस में दो दो सौ आदमी यात्रा करते है। रास्ते में टायर फट जाता है तो उनके पास बदलने के लिए टायर नहीं होता है। ऐसी दुर्दशापूर्ण हालत आज रोड़वेज की चल रही है।

टौंक जिले में सरकार की तरफ से जितनी बसें दी गई हैं उनमें से 20 बसें तो एक न एक चीज के अभाव में वहीं खड़ी हुई हैं और 30 प्रतिशत केवल टायरों के अभाव में चल रही हैं। इसके अतिरिक्त जो बसेज चल रही हैं उनमें अधिकांश में सीटें नहीं हैं, शीशे नहीं हैं, खिड़कियां टूटी हुई हैं बरसात में यात्री उनमें ठीक ढंग से बैठ नहीं सकता है। इस प्रकार की भयावह अवस्था इस रोड़वेज में चल रही है। जो बसें टायर के अभाव में खड़ी हो जाती हैं, उनके पास बदलने के लिए स्टेपनी नहीं है। टौंक जिले के लिए मैं खास तौर से कह सकता हूं कि वहां की स्थिति अत्यन्त ही दयनीय है। टौंक, देवली, मालपुरा और टोडारायसिंह पर मैं रात दिन देखता हूं कि बुकिंग पर झगड़े होते रहते हैं, वहां के लोग चुपचाप उनको सुनते रहते हैं। मेरा निवेदन है कि किसी दिन दुर्घटना घट जायगी तो उसकी ज़िम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी।

अगर राजस्थान रोड़वेज से व्यवस्था नहीं होती है तो फिर यह व्यवस्था उन्हें छोड़ देनी चाहिए और सरकार को कोई न कोई आल्टरनेट व्यवस्था करनी चाहिये। जिस प्रकार की अव्यवस्था रोड़वेज में है वह किसी हालत में बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। मान्यवर, न कोई उनके पास स्टेपनी है, न कोई टायर है, न उनमें बैठने के लिए सीटें हैं, न समुचित खिड़कियां ही हैं और न ही उनमें शीशे लगे हुए हैं। टायरों के अभाव में एक जगह बस खड़ी हो जाती है इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं यह प्रश्न बहुत लोक महत्व का है।

जैसलमेर के लिए मुझे अभी सूचना मिली है केवल एक बस चलती है और वह भी आजकल बन्द है। इसी प्रकार टौंक जिले में कई बसेज बन्द है. इसलिए मैं चाहता हूं इसकी तुरन्त व्यवस्था की जाय, अन्यथा

(40)

(श्री महावीरप्रसाद जैन)

कभी भी विस्फोटक स्थिति बन सकती है जिसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी और भयंकर परिणाम सरकार को भुगतने होंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री हंसराज।

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशोर मीणा।

श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान रोडवेज में टायरों के अभाव में हड़ताल हो रही है उससे यात्रियों को बेहद परेशानी हो रही है। बसेज की कमी के कारण सवारियां यों की यों ही खड़ी रह जाती हैं और अपने गन्तव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाती हैं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान रोडवेज में टायरों की भयंकर कमी बताई जा रही है। मैं रोडवेज के प्रशासन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि टायरों की कमी की वजह से आज एक भी प्राईवेट बस बन्द नहीं है, केवल रोडवेज की बसें ही बन्द हैं तो, अध्यक्ष महोदय, इसकी गहराई में जाना पड़ेगा। आज स्थिति यह है कि टायर आप चाहें जितने मार्केट से प्राप्त कर सकते हैं। टायर न मिलने से एक ओर रोडवेज में अव्यवस्था हो रही है और दूसरी ओर मार्केट में टायर मिल रहे हैं। इस अव्यवस्था को देख कर क्या सरकार तुरन्त व्यवस्था करेगी? मेरा निवेदन है कि 20 दिनों से हड़ताल चल रही है। डीजल की कमी की वजह से किराया बढ़ाया गया है तो ठेकेदारों की जो रेट है उसको भी बढ़ाया जाना वाजिब है। उनकी जो वाजिब मांग है उसको सरकार मानें। जो टायरों की वजह से आज रोडवेज बन्द है उनको तुरन्त चालू किया जाय ताकि यात्रियों की कठिनाई को दूर किया जा सके।

श्री अध्यक्ष: श्री नाथू सिंह। दुबई तथा गल्फ कन्ट्रीज में फंसे राजस्थान के बेरोजगार नागरिकों के संबंध में।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई): अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि यह केन्द्रीय सरकार से संबंधित प्रश्न है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं, केरल से भी कुछ नर्सें कुछ वर्ष पूर्व विदेशों में गई थीं। उनके साथ वहां पर दुर्व्यवहार हुआ था। उस समय केरल की विधान सभा में इस विषय पर चर्चा हुई और केरल की सरकार ने केन्द्र सरकार को लिखा, उनसे आग्रह किया कि वह वहां पर इस तरह की व्यवस्था करे ताकि वहां के नागरिकों को तकलीफ न हो। मैं इसी प्रकार की घटना के बारे में सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। सीकर और झूंझुनूं जिलों के अधिकतर ऐसे व्यक्ति, जो बेरोजगार हैं गल्फ कन्ट्रीज में जाते हैं, दुबई और उसके पास के देशों में जाते हैं। वहां उनके साथ खराब सलूक किया जाता है। यहां के ठेकेदार उनको रोजगार का झांसा देकर ले जाते हैं। वहां पर जो विदेशी कंपनियां हैं, उसमें ले जाकर उनको फंसा देते हैं। 16-16 घन्टे उनसे काम लिया जाता है। उन लोगों के पत्र प्राप्त हुए हैं। उनमें उन्होंने जिक्र किया है कि उनसे 16-16 घन्टे काम लिया जाता है। फिर जब चक्कर आने लगते हैं तो एक वक्त का खाना दिया जाता है। जब काम नहीं होता तो हंटरों से पीटा जाता है। कई

(श्री नाथूसिंह)

व्यक्तियों के मैं नाम गिना सकता हूं। दांता से मूलचन्द रेगर जो हरिजन हैं, जो बेरोजगार हैं, ऐसे लोग हैं, नानगराम, वंशीलाल, मदनलाल, इस तरह के लोग हैं जिनको एक प्रकार से यातना शिविरों में रखा जा रहा है जिस पर पहरा दिया जाता है। सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक काम लिया जाता है। अभी एक व्यक्ति वंशीलाल ने पत्र में लिखा है कि दुबई से 40 किलोमीटर दूर फाइसाईड स्थान पर एक अलग्रसा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी है उसमें काम कराते हैं वह कम्पनी एक पाकिस्तानी की है। उन्होंने लिखा है कि वहां पर पहरा दिया जाता है, 16-16 घन्टे काम कराते हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, चाहे इसका केन्द्र सरकार से सम्बन्ध हो चाहे राजस्थान सरकार का सीधा संबंध नहीं हो लेकिन वह व्यक्ति यहां का नागरिक है, हमारा संबंधी है, हमारा भाई है, जो लोग यातना शिविरों के चंगुल में फंस गये हैं वे किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं किसी के पिता हैं, किसी के पुत्र हैं, मैं समझता हूं किसी का भाई होने के नाते क्या हमारा उनसे संबंध नहीं है, क्या किसी का पिता होने के नाते हमारा संबंध नहीं है? अध्यक्ष महोदय, यह हमारी राजस्थान सरकार की मूलभूत ड्यूटी है, कार्य है राजस्थान सरकार का, कि वहां रहने वाले व्यक्तियों का संरक्षण करें, उनकी रक्षा करें। इसलिये मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, यह बड़ा इम्पार्टेंट प्रश्न है, क्या आप प्रधान मंत्री जी से, विदेश मंत्री जी से पत्र लिखकर निवेदन करेंगे कि ईराक सरकार पर दबाव डालें, गल्फ कन्ट्रीज की सरकारों पर दबाव डालें, वहां पर जो नागरिक हैं उनके संरक्षण की व्यवस्था करें। उनको वापस पहुंचायें। मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्रीमंडल इस बारे में फैसला करे।

श्री अध्यक्ष: संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह: ताकि राजस्थान में आने वाले भाइयों की जान खतरे में है उनकी जान को बचा सकें, उनको यातना शिविरों से निकाल कर ला सकें। मैं यह नम्र निवेदन करना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी से कि वे इसमें व्यक्तिगत इंट्रेस्ट लें कि वे किस तरह से राजस्थान के नागरिक को सुरक्षा पहुंचा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि इस अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जो कि मैं मानता हूं कि सीधा उनसे संबंधित नहीं है लेकिन उन नागरिकों से सीधा संबंधित है इसलिये कम से कम माननीय दृष्टिकोण से आप सोचेंगे।

श्री अध्यक्ष: संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह: मैं समाप्त करता हूं।

माननीय मुख्य मंत्री जी, आप आश्वासन देंगे, इन व्यक्तियों की जान बचाने के लिये मंत्रीमण्डल की तरफ से फैसला करके प्रधानमंत्री से आप आज ही तुरन्त बात करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री गोपाल पचेरवाल। पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के संबंध में।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल एक निवेदन करना चाहता हूं। यह विषय ऐसा है, जो सारे राजस्थान से संबंधित है। इसमें किसी राजनीति का सवाल नहीं है। इस सम्बन्ध

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

में हम सब लोग मिल कर संकल्प पारित कर सकते हैं। उस संकल्प के आधार पर केन्द्र सरकार से निवेदन कर सकते हैं ताकि राजस्थानवासियों को संरक्षण मिले और वे ठीक तरह से वहां रहें।

श्री नाथूसिंह : इस पर मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे। मैं आशा करता हूं मुख्य मंत्री जी दो शब्द कहेंगे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री गोपाल पचेरवाल।

श्री राज बहादुर : अध्यक्ष महोदय. यह इतना गंभीर प्रश्न है। इस पर सरकार कोई रेस्पांस नहीं दे रही है। खाली हम लोग बात कह कर रह जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं निवेदन करूंगा, इस प्रश्न पर पहले ही तय हो चुका है। इस स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया है आसन से फिर भी आपको थोड़ा समय दे दिया गया है। अब आप चाहें कि सरकार की ओर से भी इसका उत्तर दिया जाय तो इसके लिये हम सरकार को बाध्य नहीं कर सकते हैं।

आर्डर प्लीज। आप विवाद का विषय बना रहे हैं।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। आसन से जो समय आपको दिया है, मैं समझता हूं आप उसका दुरूपयोग कर रहे हैं। जो स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया है उस पर वक्तव्य देने के लिये सरकार को बाध्य नहीं कर सकते हैं।

आर्डर प्लीज। इस पर चर्चा नहीं होगी। माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। सदन के नियमों का ध्यान रखें। सब यहां पर महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन की कार्यवाही में व्यवधान डाल रहे हैं।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री देवेन्द्र सिंह।

श्री देवेन्द्र सिंह : आन ए पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन।

मंत्री महोदय से यह सूचना आ चुकी है, इस पर कार्यवाही सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट द्वारा की जा चुकी है। यह लेटर मेरे पास है। यह मैं बता सकता हूं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर मंत्री महोदय कुछ कहना चाहें तो कहें, नहीं कहना चाहें तो नहीं कहें। वैसे यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री देवेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब सूचना आ चुकी है और केन्द्रीय मंत्री मण्डल का पत्र हमारे पास में है तो इसके बाद क्या कार्यवाही बाकी रह जाती है। मेरे पास में केन्द्रीय मंत्री का पत्र मौजूद है। इसमें सारी सूचना आ चुकी है। इसको मैं सदन के पटल पर रखने को तैयार हूं।

श्री नाथू सिंह : राजस्थान के लोगों की जान खतरे में है।

श्री अध्यक्ष : सदन का समय व्यर्थ नष्ट न करें, माननीय सदस्य।

सहयोग की अपील करूंगा इस पर चर्चा न करें। समय जा रहा है।

श्री गोपाल पचेरवाल।

श्री नाथू सिंह : मैं मुख्य मंत्री से आशा करता हूं कि वे इसको देखेंगे। अधिकतर लोग वहां पर हरिजन हैं।

श्री देवेन्द्र सिंह : इस पर कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री नाथू सिंह : क्या मुख्य मंत्री इस विषय पर बात करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री नाथू सिंह : यह प्रश्न लोक सभा में भी उठाया गया है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया जो व्यवस्था दी गई है उसका आप पालन करें। माननीय सदस्य, जो व्यवस्था दी गई है कृपापूर्वक उसका पालन करें। आसन को सहयोग करें। यह बात यहीं पर समाप्त हुई।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय आदर सहित हम आपकी आज्ञा का पालन करना चाहते हैं। परन्तु यह महत्वपूर्ण प्रश्न है...

(व्यवधान)

राजस्थान सरकार इस पर क्या कार्यवाही करने जा रही है यह बता दिया जाए। इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री देवेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल पर कार्यवाही हो चुकी है। व्यर्थ ही समय जा रहा है। अगली कार्यवाही की जाए तो अच्छा होगा।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बराबर आसन की अवहेलना कर रहे हैं।

श्री नाथूसिंह : यह प्रश्न मेरी भावना से जुड़ा हुआ है..

श्री अध्यक्ष : आपने अपनी भावना व्यक्त कर दी।

श्री गोपाल पचेरवाल।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : अध्यक्ष महोदय केशोरायपाटन से चार किलो मीटर दूर एक गुडली ग्राम है। वहां पर माली समाज के लोग निवास करते हैं। वहां पर एक लक्ष्मीनारायण का मन्दिर है और उस मन्दिर के खाते में 42 बीघा जमीन है। उसका खसरा नम्बर 391 रजिस्टर्ड है। श्रीमान, इस जमीन का वहां के पुजारी ने 5-9-78 को एक करतारसिंह सरदार को 8 हजार रुपये में बेचान कर दिया। वह नहरी इलाका है। वह सिंचित क्षेत्र है और

(44)

(श्री गोपाल पचेरवाल)

इस कारण से वहां पर जमीन की लागत अधिक है । वहां के तहसीलदार द्वारा करतारसिंह सरदार से सांठगांठ कर के आठ हजार रुपये में उस जमीन की रजिस्टरी कर दी गई । इस प्रकार कम रुपये में रजिस्टरी करा कर करतारसिंह सरदार ने और तहसीलदार ने सरकार को नुकसान पहुंचाया क्योंकि अधिक रुपये में उस जमीन का बेचान हो सकता था और रजिस्टरी द्वारा सरकार को अधिक आय हो सकती थी । करतारसिंह सरदार ने जब जमीन खरीदी तो गांव वासियों ने बूंदी न्यायालय के दरवाजे खटखटाये और करतारसिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया । श्रीमान, बून्दी एस.सी.एम. कोर्ट द्वारा तारीख 26-6-79 को 20256/- रुपये की डिक्री कर दी और उस आदेश पर पाटन के तहसीलदार ने 17-7-79 को माली-समाज को उस जमीन का कब्जा दिला दिया गया। 27· 1/2 बीघा जमीन जो पड़त पड़ी हुई थी उसका तत्काल कब्जा लेकर कब्जानामा दिला दिया । शेष भूमि पर सरदार की गन्ने की फसल खड़ी हुई थी जिसका कब्जा गन्ने का फसल के बाद दिया जाएगा । यह कब्जा हो गया और कब्जा मिल गया । गांव वालों ने उस भूमि पर अपनी चावल की फसल बो दी लेकिन उसके बाद सरदार ने उस फसल को मिटाने की कोशिश की । इस पर गांव वालों ने रेवेन्यू बोर्ड अजमेर में अपील की और राजस्व मण्डल अजमेर ने यथास्थिति कायम रखी और स्टे दे दिया । परन्तु स्टे हो जाने के बाद भी सरदार करतारसिंह और उसके भाई ने उसकी अवहेलना की । पाटन पुलिस के संरक्षण में साढे सत्ताइस बीघा जमीन पर जो फसल खड़ी थी वह उसने उसके 150 साथियों सहित मजदूरों से कटवा ली और गरीब गांव वालों को नुकसान पहुंचाया । सरकार द्वारा जो कब्जा दिलाया गया था, न्यायालय का जो आदेश था उस सब की सरदार द्वारा अवहेलना की गई है । श्रीमान, गांव वालों ने जब देखा कि सरदार को पुलिस का संरक्षण प्राप्त है, तो उन लोगों ने जो फसल खड़ी थी उसका मुकदमा 6-1-80 को बूंदी कोर्ट में दायर किया । यह चोरी का मुकदमा वहां पर चल रहा है। श्रीमान, जब सरदार का कब्जा रहा और उसकी यह कार्यवाही रही तो 6-6-80 को केशोरायपाटन तहसील क्षेत्र के माली समाज के लोगों की एक ग्राम सभा ग्राम गुडली में हुई । उस ग्राम सभा में तय किया गया कि यह मन्दिर का मामला है इसलिए सरकार को यह गुजारिश की जाए कि यह जमीन उनको कानूनन मिल जाए । उन्होंने जिलाधीश बूंदी से यह मांग की कि यह जमीन उनको वापिस मिलनी चाहिए । परन्तु, श्रीमान, ऐसा नहीं हुआ । उस जमीन के झगड़े को लेकर जो लाठी चार्ज की घटना घटी है उससे जनता में एक तरह का ऐसा वातावरण बन गया है, श्रीमान बून्दी जिले का कलेक्टर सरदार है, वहां का एस. पी. सरदार है और उन दोनों ने मिल कर वहां के किसानों को दबाया । इसलिए लोगों के मन में यह धारणा बन गई है कि कलेक्टर सरदार है, एस. पी. सरदार है और जमीन पर अवैध कब्जा करने वाला भी सरदार है, यह ग्राम जनता में चर्चा का विषय बन गया है कि जिलाधीश सरदार होने के कारण, सरदार करतारसिंह को मदद की जा रही है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गांव वालों ने कलेक्टर को निवेदन किया और उसने सरदार का पक्ष लिया । जब वहां पर गांव की सभा हुई तो बुन्दी एस.डी.एम. भी आये उन्होंने

(श्री गोपाल पचेरवाल)

कहा कि यह गांव वालों के साथ अन्याय हुआ है। रेवेन्यू बोर्ड के फैसले के अनुसार, न्यायालय के फैसले के अनुसार वह जमीन गांव वालों की है, मन्दिर की है और कानून आपकी बात सही है एस.डी.एम. ने कहा कि आप लोग इस विषय में कलेक्टर से मिलो। मैं आपकी बात को वहां तक पहुंचाऊंगा।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, उन किसानों के प्रतिनिधियों को कलेक्टर बूंदी के पास जिला पूल की जीप में बैठाकर ले जाया गया। उन्होंने आश्वासन दिया कि तुम्हारे साथ न्याय होगा। तुमको कब्जा दिलाया जायगा। मैं निवेदन करूंगा कि कलेक्टर महोदय को पत्रावली से अवगत कराया गया। 19 तारीख को इस मसले को निपटाने के लिये, इसका समाधान करने को कहा। माली समाज के आदमियों ने सोचा कि जिलाधीश कह रहे हैं, जुबान की पाबन्दी होगी।

श्री अध्यक्ष : कृपया संक्षेप में कहें।

श्री गोपाल पचेरवाल : जब वहां पर 19 तारीख को किसान लोग गये जिलाधीश के बंगले पर पहुंचे तो जिलाधीश महोदय आश्वासन देकर बाहर पधार गये। मेरे पास टेलीग्राम आया। मैं 21 तारीख का गांव में गया। वहां मालूम किया, क्या गड़बड़ है। श्रीमान, मैं निवेदन करूंगा, मैं गांव वालों से मिल कर आया। उन्होंने कहा कि हम फैसला करेंगे मिल कर, अगर फैसला नहीं हुआ तो आंदोलन की कार्यवाही करेंगे। जिलाधीश से मिलेंगे। 20 तारीख की रात को ऊदाराम माली था, उस पर सरदार द्वारा गोली चलाई गई। वह बच गया। जब वह थाने में रिपोर्ट कराने गया तो थानेदार ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। जब मैं 21 तारीख को ऊदाराम को मेरे साथ लेकर गया तो रिपोर्ट दर्ज कराई। वह गोली चला रहे हैं। थानेदार ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। जब गरीब किसानों पर गोली चलाई जाये तो थाना और पुलिस चुप साधे रहें यह किस भावना का द्योतक है। एक सरदार होने के नाते यह होता रहे और जिलाधीश पुलिस देखती रही है, यह क्या है ?

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री गोपाल पचेरवाल : आज यह प्रशासन का रवैया है। जब उन्होंने इस प्रकार से सरकार का रवैया देखा तो पूरे पाटन क्षेत्र के माली समाज को ग्राम गुडली में 20 जून को इकट्ठा किया। 5000 माली समाज के लोग इकट्ठे हुए। वह वहां पर मीटिंग कर रहे थे। उन्होंने कहा की कलेक्टर साहब को बुलाओ। समझौता करें। श्रीमान् समझौते की बात चल रही थी। एस. डी. एम. मौके पर नहीं थे। हमने कहा की हम समझौता करा देंगे। लेकिन उसी समय वहां पर गरीबों पर लाठीचार्ज किया गया। और मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि हम गरीबों को संरक्षण प्रदान करेंगे। उस बारे में एक मुसलमान के लड़के फरीदुलाखां के दोनों हाथ तोड़ दिये गये। पूरे शरीर में उसके चोट आई है। कोटा अस्पताल से रिपोर्ट मंगा कर देख सकते हैं। जब वह आगे भागे तो उनको कहा गया कि गोली मार देंगे। गोली की धमकी से उनको रोका गया।

कई माननीय सदस्य : शेम शेम।

श्री गोपाल पचेरवाल : उसको निर्ममता से मार मार कर गिरा दिया गया। जब वहां पर उसका विरोध किया तो थाने के दरवाजा बन्द करके थाने के अधिकारियों ने

(48)

(श्री गोपाल पचेरवाल)

उसको पीटा । मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह मुसलमान है । आप अल्पसंख्यकों की भी रक्षा की बात करते हैं फिर आपकी पुलिस अल्प सख्यकों के साथ क्या कर रही है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री गोपाल पचेरवाल : आज भी सरदारों का आना जाना उस जमीन पर बना हुआ है । पुलिस का इन्तजाम मौजूद है । मैं कहूंगा कि गांव के कार्यकर्ता के साथ इस प्रकार की घटना हुई । उसको धमकियां दी गई कि तुमको गोली मार दी जाएगी । क्या इसी प्रकार से गरीबों पर ज्यादतियां होतीरहेंगी माली समाज के लोग गरीब हैं अपना गुजारा करके पेट भरते हैं । उनको इस प्रकार से मारा जायेगा तो बरदाश्त नहीं किया जावेगा वोट की राजनीति के कारण श्रीमती इन्दिरा गांधी अजमेर में जाती है तो दरगाह में जाती हैं । लेकिन एक मुसलमान लड़के को इस प्रकार से मारा जाये, यह कौनसी बात है वह लक्ष्मीनारायण मन्दिर की जमीन है । श्रीमती इन्दिरा गांधी धार्मिकता को मानती हैं तो मुख्य मन्त्री भी इस मन्दिर की जमीन भी दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष : बहुत समय ले लिया माननीय सदस्य ने ।

श्री गोपाल पचेरवाल : मैं एक मिनट में कह दूंगा । एक मिनट अर्ज करना चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

मैं कोशिश यही करता हूं कि कोई माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो बाधा नहीं दी जाये । आप कृपया इसका ध्यान रखें । अब आप समाप्त करें, बहुत अधिक चर्चा हो चुकी है ।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं । मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । अब सरकार की ओर से विवाद चल रहा है । आपने उनकी रिपोर्ट देखी है । उनकी मांग वाजिब है । आप निश्चित रूप से जिलाधीश और एस. पी. को निर्देश दें कि वह माली समाज की जमीन उनको दें जिन्होंने मुसलमान लड़के को पीटा है, उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाये ।

श्री अध्यक्ष : श्रीहरीश शर्मा ।

(अनुपस्थित)

श्री राम रघुनाथ

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने हालात से अवगत कराया है । उनके पास जो डाकूमेण्ट्स हैं, उनके बारे में मैं निवेदन करूंगा । मुझे भी इस पर घोर आपत्ति है । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला सरदार जी और मालियों का ही नहीं है यह पुलिस और प्रशासन का मामला है । पुलिस थाने में बन्द करे, मारपीट करे, अगर मारपीट के द्वारा उनको बैठाने की कोशिश की जाएगी तो इस मामले के पीछे सारे राजस्थान का किसान एक होगा । उनके मन में रोष भी होगा । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं 22 जून को गुडली ग्राम में यह एक ऐतिहासिक घटना घटी । वह जमीन माली समाज को धर्म के नाम से मिली हुई है । वह मन्दिर के नाम से छोड़ी हुई जमीन है । सभी लोगों ने विनय की थी कि जिलाधीश महोदय से निवेदन करें । उस दौरान उनके साथ में ज्यादतियां की गई । उनको मारा पीटा गया । जो लड़का था वह वहां पर आ गया था । गांवों में ऐसा होता है । उसको पीटा गया । यहां तक कि उसको पुलिस जीप के पीछे बांध कर घसीटा गया

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

यहां तक गांवों में होता है । तहसीलदार जी ने कोर्ट का फैसला होने के बाद मुग्रज्जिज लोगों, के सामने कब्जा दिया, हमारे पास उसकी फोटो स्टेट कापी है जिसमें लिखा है- "अन्त में मौके पर राधाकिशन आत्मज भंवरलाल माली, लक्ष्मण आत्मज वरधा माली सन आफ रामचन्द्र माली, सा. गुडली के द्वारा मौके पर हल चला करके खाली जमीन पर कब्जा दिया । रामपाल सन आफ देवीलाल, नाथू सन आफ नारायण माली सा. गुडाली द्वारा मौके पर हल चलाया गया।"

उस तहसीलदार ने मौके के बारे में भी लिखा है, जब वह कब्जा देने के लिए गया तो उसके बारे में लिखा है । —"पुन: मौके कब्जा देते वक्त वहां खड़े ग्रामीण कृषक श्री लक्ष्मण सन आफ वरधा माली गुडली जो कि कब्जा लेने वालों में एक थे जो खड़े हुए थे। उन पर ही बख्शीसिंह की धर्मपत्नी ने जिसका नाम ज्ञात नहीं हो सका श्री लक्ष्मण सन आफ विरधा माली के लाठी (डण्डा) से सिर पर मारने लगी । उन्होंने उस डण्डे की मार को हाथ से झेल लिया । इस प्रकार से राजकार्य में भारी रुकावट डाली ।"

श्री अध्यक्ष : आप बहुत विस्तार में जा रहे हैं ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : यह साबित करता है कि कब्जा दिया गया था ।

श्री अध्यक्ष : आप विषयान्तर हो रहे हैं, माननीय सदस्य ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : इसके बाद जमाबन्दी 18-6-79 को मन्दिर के नाम से हो गई और जमीन का इन्द्राज हो गया उसके बाद झगड़ा हो गया तो जिलाधीश कहते हैं कि चूंकि इतने लोग इकट्ठे होकर सरदार जी की जमीन पर कब्जा करने आये थे इसलिए उनको प्रोटेक्शन दिया । अध्यक्ष महोदय, उन्हीं के विभाग ने कब्जा दिया, 2036 संवत में गिरदावरी का इन्द्राज है—तहसीलदारजी द्वारा दिनांक 17-7-79 को दिया गया । जब उनका कब्जा था और फैसला हो गया था तो प्रशासन और जिलाधीश उनको प्रोटेक्शन देने के लिए कैसे पहुंच गये और उनके साथ मारपीट करने का क्या अधिकार था ? माननीय अध्यक्ष महोदय, जिलाधीश ने जो स्पष्टीकरण दिया उसका आप मुलाहिजा कर लीजिये । वे इस लिए वहां पर पहुंचे कि लोग फसल को लूटना चाहते थे । मैं इसलिए आपके माध्यम से माननीय मुख्यमन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अगर आपकी पुलिस और प्रशासन के अधिकारी नाजायज प्रोटेक्शन देने के लिए किसानों के साथ मारपीट करेंगे तो आपकी सरकार टिकने वाली नहीं है । किसान लोग कभी भी विद्रोह कर सकते है । इसलिए मेरा निवेदन है, कि आप स्टेटमेंट दें और जो नाजायज कार्यवाही की गई है जिन अधिकारियों ने की है उनके खिलाफ एक्शन लिया जावे ।

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी ।

श्री महेन्द्र सिंह (सांगरिया) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह उचित है कि सरदार को प्रोटेक्शन नहीं देकर उसको वहां से बाहर निकाला जाय ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसको विवाद का विषय नहीं बनाये ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, ये कागजात आपकी इजाजत से मैं सदन की मेज पर रखना चाहता हूं,

श्री अध्यक्ष : कागज सदन की मेज पर रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र सांगोद में गत तीन वर्षों से अकाल है। पिछले तीन सालों में यह पहला अवसर है। अभी तीस दिन पहले वहां पर थोड़ी बहुत बारिश हुई थी और कुछ खेत गीले हुए थे तो लोग सांगोद क्रय-विक्रय सहकारी समिति की तरफ दौड़ने लगे। खाद और बीज लेने के लिए लोग क्रय-विक्रय समिति की तरफ गये। विकास अधिकारी ने कहा कि वहां पर अच्छा बीज प्राप्त होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि जैसे ही लोग सांगोद क्रय-विक्रय सहकारी समिति में आये वहां पर उनको बीज उपलब्ध नहीं हुआ। यह मेरे पास कल की तारीख तक की सूचना है। गरीब काश्तकार, जो तीन साल से अकाल से परेशान हैं, परेशान होकर वापस लौट गये विवश होकर। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा था कि विकास विभाग द्वारा ज्वार वितरण की जायेगी। लेकिन वह ज्वार इतनी कण्डम थी कि उगी भी नहीं। किसानों को बाजार से ज्वार महंगी खरीदनी पड़ी। अध्यक्ष महोदय, मेरा क्षेत्र सांगोद अकाल की चपेट में नहीं आ सकता क्योंकि वहां पर चार-चार नदियां बहती हैं। हमने सुझाव दिया था कि इस क्षेत्र में लिफ्ट सिंचाई की योजना बनाई जावे। उसके लिए कनवास के लिए

श्री अध्यक्ष : आप विषयान्तर हो रहे हैं, कृपया समाप्त करें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, लोगों को बीज नहीं मिलता। किसानों ने वहां पर थोड़ी बहुत बारिश होने पर राहत की सांस ली थी। गरीब किसानों को फिर अकाल में डूबना पड़ेगा। मैं इस स्थगन प्रस्ताव के द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार आज ही और तुरन्त ही वायरलैस मैसेज के द्वारा बात करके सांगोद क्रय-विक्रय सहकारी समिति के द्वारा और विकास विभाग के द्वारा अच्छे बीज और खाद की व्यवस्था करायें।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। सुश्री पुष्पा जैन। रामनाथ गूजर की मृत्यु के सम्बन्ध में।

(व्यवधान)

आपस में बात नहीं कीजिये माननीय सदस्य, महिला सदस्या बोल रही है।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से स्थगन प्रस्ताव के द्वारा मैं इस सदन में एक अहम मसला उठाना चाहती हूं, जिसकी उच्च स्तरीय जांच के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिये था और देना चाहिये लेकिन अफसोस की बात है कि सरकार ने आपके माध्यम से मेरे स्थगन प्रस्ताव को मंजूर तक नहीं किया. अध्यक्ष महोदय, केस के तथ्य मैं सदन के समक्ष संक्षेप में रखना चाहूंगी। रामनाथ गूजर नाम का व्यक्ति जो जलोई गांव का रहने वाला था 23 जून को हाथोज गांव में मजदूरी करने के लिए गया जिसका आज तक कोई पता

(सुश्री पुष्पा जैन)

नहीं है। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि जैसा कि समाचार-पत्र भी साक्षी है कि रामनाथ को हाथोज गांव में कुछ लोगों द्वारा हत्या कर दी गई। बताया गया कि रामनाथ को पहले ट्रैक्टर से टक्कर मारी गई और उसके बाद लाठियों के प्रहार किये गये जिससे उसकी मृत्यु हो गई, इस वाकये की रिपोर्ट थाना बगरू में कुछ लोगों ने रामनाथ को बिजली के करेन्ट द्वारा मृत्यु होना बता कर की। लाश का थाना बगरू द्वारा बिना विधिवत पोस्ट मार्टम करवाये और बिना तफतीश के यहां तक कि उस व्यक्ति के घर वालों तक को खबर नहीं की गई और लाश को जला दिया गया, जबकि रामनाथ के हाथ पर उसका स्वयं का नाम और उसके गांव का नाम गुदा हुआ था इसको जानकारी प्राप्त नहीं की गई आखिर इस सबके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता था। यह समझ में नहीं आता यहीं नहीं, अध्यक्ष महोदय, जब रामनाथ के रिश्तेदारों को और गांव वालों को मालूम हुआ कि एक व्यक्ति की लाश हाथोज गांव में मिली और उसको जला दिया गया चूंकि उनका स्वयं का लड़का गायब था जिसकी गुमशुदा की थाना चौमू में रिपोर्ट हो चुकी थी बगरू थाने से जाकर मालुमात की तो उन्होंने यह बताया कि हमें मालूम नहीं, एक लाश मिली थी उसको पोस्ट मार्टम के लिये भेजा गया जब बनीपार्क के अस्पताल में थाना बगरू की रिपोर्ट के आधार पर मालूम किया गया तो वहां मालूम हुआ कि उनके यहां कोई लाश नहीं आई अध्यक्ष महोदय, इस मामले को उच्च स्तरीय जांच के लिए काफी तादाद में लोग माननीय श्रीमती कमला जी से मिले। उन्होंने भी जांच करने का आश्वासन दिया। जब इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो करीब 200 लोगों का प्रतिनिधि मण्डल माननीय मुख्य मंत्री जी से मिला। जिसका हवाला राजस्थान पत्रिका में आया है जिसको मैं आसन की इजाजत से पढ़ना चाहूंगी।

"जयपुर, 2 जुलाई। आमेर पंचायत समिति क्षेत्र के रोजदा गांव के सरपंच नारायण लाल कुलरिया की अगुवाई में करीब डेढ़ सौ लोगों के प्रतिनिधि मंडल ने यहां मुख्य-मंत्री से भेंट कर जलोई गांव के रहने वाले रामनाथ गुजर (35) की संदेहास्पद मृत्यु की जांच की मांग की है।

पुलिस में दर्ज रपट के अनुसार हाथोदा गांव में रामनाथ गुजर की 23 जून को कुए पर पानी पीते समय बिजली का करेन्ट लगने से मृत्यु हो गयी। पुलिस ने लाश को लावारिश मानकर जयपुर में जला दिया। यहां तक कि उसके कपड़े भी जला दिये गये।

रामनाथ झोटवाड़ा पंचायत समिति के हाथोदा गांव में मजदूरी करने गया था। गांव में चर्चा यह है कि उसकी मृत्यु करेंट लगने से नहीं हुई बल्कि उसकी हत्या करवा दी गयी। रामनाथ का गांव हाथोदा से लगभग चार मील दूर है और हाथोदा में भी रामनाथ को लोग जानते हैं।

मुख्य मंत्री से मिले प्रतिनिधि मंडल ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने रामनाथ की लाश को जलाने में जानबूझकर जल्दबाजी और उसके वारिसों को तलाश करने का कोई प्रयास नहीं किया।

प्रतिनिधि मंडल को मुख्य मंत्री ने आश्वस्त किया कि वे घटना की पूरी जांच करवायेंगे।"

मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था लेकिन आज 11 तारीख हो....

श्री अध्यक्ष: कृपया संक्षेप में कहे।

सुश्री पुष्पा जैन : संक्षेप में कहूंगी।

अध्यक्ष महोदय, 23-6-80 का वाकया है और आज 11-7-80 हो गई लेकिन आज तक रामनाथ गूजर का कहीं पता नहीं लगा, आखिर वह कहां है ? अगर वह मर गया तो कैसे मरा ? और उसकी लाश को पुलिस ने विना घर वालों की जानकारी दिये क्यों जला दिया ? यह ऐसे सवाल है, अध्यक्ष महोदय, जिनका उत्तर आना वहुत जरूरी हैं। मैं दावे से कह सकती हूं, मुख्य मंत्री जी, जब तक आप इस काण्ड की उच्च स्तरीय जांच नहीं करवायेंगे, सभी तथ्यों का मालूम नहीं पड़ेगा। कितने खेद की वात है, कि किसी मां की गोद सूनी हो जाय, उसके बाप का कमाने का सहारा चला जाय, उसकी औरत विधवा हो जायं और वच्चे अनाथ हो जाय और सरकार उस मामले की जांच तक न करवाये, इससे ज्यादा शर्मनाक वात इस सरकार के लिये हो नहीं सकती। अध्यक्ष महोदय, यदि मुख्य मंत्रीजी इस मामले की जांच नहीं करवायेंगे तो मुझे अंदेशा है कि गांव में जो दो दलों ने उग्र रूप धारण कर लिया है उससे और भी कोई अनहोनी घटना हो सकती हैं। इस पूरी जानकारी के बाद भी यदि सरकार इस सम्बन्ध में कुछ नहीं करती तो अंत में कुछ वड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि यह राज्य नहीं, यह सरकार नहीं, अंधेर नगरी चौपट राजा, कोई नहीं सुरक्षा, कहीं भी आये जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री जीतमल जैन।

श्री जीतमल जैन (अलवर): अध्यक्ष महोदय, पिछले लोकसभा के चुनाव में सत्तारूढ़ दल ने बड़े जोर शोर से बातें कहीं कि जनता पार्टी के शासन में हरिजनों पर अत्याचार हुए हैं। अभी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी इस बात को दोहराया गया है और इस बात का आश्वासन दिया गया कि सरकार हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिये कदम उठायेगी। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है और वड़ी लज्जा के साथ कहना पड़ता है कि जिन हरिजनों से यह सरकार वोट लेकर आई है आज उन पर इस प्रकार के अत्याचार हो रहे है जो बेमिसाल हैं सरकार इसको अभी तक नहीं रोक पाई है हरिजनों पर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। अलवर जिले के विजयपुरा गांव में हरिजनों को कुछ जमीन दी गई। लेकिन गांव के कुछ लोगों ने मिलकर उन हरिजनों पर हमला कर दिया। मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार का हरिजनों पर जमीन के मामले में अत्याचार हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे और आज जो आंतक का वातावरण हरिजनों में छाया हुआ है सरकार उसे दूर करने का प्रयत्न करे, यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी। राज्य में राष्ट्रीयकृत पुस्तकों एवं कापियों के अभाव के विषय में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रारम्भ में यह कहूंगा कि इस समय पहली कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक के लिये कापियां एवं पुस्तकें उपलब्ध नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सरकार की जो व्यवस्था है उससे बच्चों को कापियां नहीं मिल रही है। स्कूल के जो बच्चे हैं उनको कापियां लेने के लिए 50-60 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। वहां भी 2 या तीन कापियां एक बच्चे को मि

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पाती है। उन कापियों को लेने के लिए बच्चे जाते हैं। उनके आने-जाने में 2-2, 3-3 रुपये यानि 6 रुपये किराया लग जाता है। इस प्रकार की कापियां निर्माण करने वाली फैक्ट्रियां हैं, वह सस्ते मूल्य पर बेचना नहीं चाहतीं। उनके पास आज की तारीख में कोई कोटा नहीं है। 3 महीने का कोटा मिला है और तीसरे महीने एक कापी भी उपलब्ध नहीं है। स्कूल के जो बच्चे हैं वह बगैर कापियों के अपनी पढ़ाई प्रारम्भ नहीं कर सकते। कक्षा 3, 4, 5 और 6 के लिए कापियां उपलब्ध नहीं है। आज बाजार में भी कापियां उपलब्ध नहीं।

अध्यक्ष महोदय, आज सरकार शिक्षा जगत को ठप्प करना चाहती है। नये स्कूल नहीं खोलना चाहती है और पुराने स्कूलों में पढ़ाई नहीं चल रही है। मैं निवेदन करूं कि कापियां नहीं मिलने से एक तरह से शिक्षा जगत का सारा काम रुका हुआ है अनधिकृत रूप से। अनधिकृत शब्द नहीं कहना चाहिए। भ्रष्टाचार इस तरह से राजनीतिक आधार पर हो रहा है कि प्रशासन का काम लगभग बन्द सा हो गया है। मेरा स्थगन प्रस्ताव है कि प्रशासन का कार्य हो। शिक्षा जगत का सारा काम रुका हुआ है इसलिए कापियां उपलब्ध कराने का काम करें। इसलिए मेरा यह स्थगन प्रस्ताव हैं इस पर विचार किया जाये और इस पर गौर किया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल मोदी।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): 6-7-80 को माननीय सदस्य, जो दांतारामगढ़ से आने वाले हैं श्री नारायण सिंह जी, अपने गांव दांतारामगढ़ क्षेत्र में जन सम्पर्क के लिए गये थे और एक मन्दिर में दर्शन के लिए गये। मन्दिर में दर्शन करने गये तो वहां के पुजारी ने उन पर तलवार से हमला किया और हमले से वह घायल हो गये। भगवान की कृपा से बच गये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस सरकार में एक विधायक की सुरक्षा नहीं और वह भी उस विधायक की जो कांग्रेस यानि सत्तारूढ़ दल का विधायक है।

आप देखिए यह हमला किसी अकेले व्यक्ति का प्रयास नहीं है, यह बहुत गहरी चाल है और सामूहिक प्रयत्न है कि किस तरह से विधायक की हत्या की जावे। सरकार ने कुछ जवाब नहीं दिया, आपने दो दिन का समय दिया, सरकार कम से कम जानकारी कर सकती थी कि क्या हुआ, किस तरह से हत्या की कोशिश की गई लेकिन सरकार मौन है। मैं कहना चाहता हूं कि ला एण्ड आर्डर की स्थिति सरकार ने ऐसी बिगाड़ रखी है जैसे सरकार नाम की कोई चीज राजस्थान में नहीं है। लोग समझते हैं यहां किसी तरह से अपराध कर लें, उसको कोई दंड नहीं मिलता है, अपराधी छूट जाता है और निर्दोष व्यक्ति को फंसाया जाता है।

हमारे यहां नीम के थाने क्षेत्र में अभी एक राजपूत महिला का मर्डर हो गया। उस मर्डर में उसके दामाद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार व्यक्ति बच जाएगा। सरकार उसमें मौन है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री मोहनलाल मोदी : यह इतना अहम मसला है, इस सदन के सदस्य का मसला है लेकिन इसके अन्दर सरकार कुछ नहीं कहना चाहती और यह कह कर बात

(श्री मोहनलाल मोदी)

को टालना चाहती है कि इसकी जांच हो रही है। कम से कम अब तक की कार्यवाही से सदन को अवगत कराते कि इसमें यहां तक कार्यवाही हो गई है और अब यह स्थिति है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
सवाई माधोपुर जिले में पड़ोसी राज्यों से भेड़ों का आगमन

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कई माननीय सदस्यों ने दिया है कि पड़ोसी क्षेत्र की भेड़ों के आने के संबंध में। इसमें प्रक्रिया यह होगी कि पहले जिन माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव रखा है उनमें से एक माननीय सदस्य मन्त्री महोदय का में संक्षेप ध्यान आकर्षित करेंगे। इसके बाद में मन्त्री महोदय वक्तव्य देंगे। उसके पश्चात मैं समझता हूं इस समस्या के महत्व को ध्यान में रखते हुए, इस पर एक घन्टा चर्चा होगी।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह प्रस्ताव सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हमसे बिना पूछे दिया है, हमको भी बोलने का अवसर देने की कृपा करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण करें, आपस में बात न करें।

श्री राज बहादुर : एक घन्टा अब दिया जाएगा या बाद में?

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पर बोलना चालू हो गया।

श्री राज बहादुर : मैंने दो मोशन्स मूव किए हैं एक 119 के अन्तर्गत और दूसरा 127 में। एक अकाल के बारे में था और दूसरा था।

श्री अध्यक्ष : वे विचाराधीन हैं। श्री जनार्दनसिंह गहलोत।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान के बाहर से खास तौर से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से भारी संख्या में भेड़ें, जब तक फसल का समय शुरू होता है, बरसात शुरू होती है, बड़ी संख्या में आती है। यह समस्या राजस्थान के लिए कोई इस वर्ष ही नहीं है, काफी वर्षों से चली आ रही है। पिछली सरकार, जो जनता पार्टी की सरकार थी, के समय 30 मई, 1979 को एक व्यवस्था राज्य सरकार ने की। इस प्रकार जो भेड़ें आती हैं करीब 32 लाख भेड़ें सरकार मानकर चलती थी। पिछली सरकार ने 20 लाख भेड़ों को राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में भेजने की प्रक्रिया तय की।

सवाई माधोपुर जिले में और खास तौर से करौली और सपोटरा में बड़ी संख्या में पिछले साल भेड़ें आई थीं, उनके आने से उन क्षेत्र के लोगों के पास उनके अपने मवेशियों को चराने की कोई व्यवस्था नहीं थी, उनके मवेशी पानी के अभाव के कारण दूसरी जगह......

(1.15 म. पू.)

(श्री प्रद्युम्नसिंह सभापति, पीठासीन):

पानी की समस्या के कारण प्यासे मर जाते थे। ऐसा लगता है उस क्षेत्र में इस वर्ष भयंकर अकाल पड़ा और उस अकाल के कारण उस क्षेत्र के सारे मवेशी मर गए। जो थोड़े बहुत बचे या तो वह क्षेत्र छोड़कर चले गए या तो उनमें से कई मर गए। एक तरफ बरसात आई उससे जहां किसानों के लिए थोड़ा बहुत घास पैदा हो गया किन्तु

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

लाखों की संख्या में भेड़ें बाहर से, खास तौर से उत्तर प्रदेश से आने से उनका नुकसान हुआ। राजस्थान में इस प्रकार के मवेशी होते तो तकलीफ नहीं होती लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात की भेड़ें राजस्थान में आकर चरें और राजस्थान के अपने मवेशियों के लिए चरने की कोई व्यवस्था नहीं हो, पीने का पानी भी नहीं हो ऐसी हालत में और मवेशियों को इस क्षेत्र से निकालना आवश्यक है। पिछली बार आंदोलन चला, खास तौर से करौली और सपोटरा में आंदोलन चला, लड़ाई झगड़े हुए, लॉ एण्ड आर्डर सिचुएशन बिगड़ी और कई बार गोलियां भी चलीं। मैं सोचता हूं ऐसा न हो कि राज्य सरकार फिर परेशानियों का मुंह देखे। समय रहते सरकार समुचित व्यवस्था करे या तो राजस्थान से बाहर उन भेड़ों को भेजा जाय या राजस्थान में ऐसे स्थान पर भेजा जाए जहां किसानों का नुकसान न हो। ऐसा सुनने में आता है, किसान कहते हैं कि जब भेड़ें निकलती हैं, उनकी घास समाप्त हो जाती है और उपजाऊ जमीन तक भी समाप्त हो जाती है। ऐसी हालत में ऊन भेड़ों को उस क्षेत्र से निकाला जाए। अगर समय रहते व्यवस्था नहीं की, तो वहां किसानों के लिए जो कठिन समस्या बनी हुई है उससे खराब वातावरण पैदा हो जाएगा।

इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि ऐसा सुनने में आया है कि करौली और सपोटरा में एक लाख60हजार भेड़ें रखने की सरकार की योजना है। मंत्री महोदय ही तथ्य बता पायेंगे लेकिन 1 लाख 60 हजार भेड़ों की जगह वहां कम से कम 5 लाख भेड़ें आ चुकी हैं, वहां के रेंजर्स को सही मायने में मुनाफे का धंधा मिल गया है। भेड़ें कम आती हैं, वन विभाग वाले बिना परमिट बनाए बड़ी संख्या में घुसेड़ देते हैं। अभी करौली और सपोटरा में कम से कम 5 लाख भेड़ें मौजूद हैं। वहां पर ऐसा लगता है जैसे टिड्डी दल आया है, टिड्डी दल की तरह भेड़ें छाई हुई है। राज्य सरकार इस समस्या का समाधान निकालें।

यह इस क्षेत्र की ही समस्या नहीं है, बूंदी और कोटा में भी है। दूसरे सदस्य भी इस पर विचार रखेंगे। मांडल और मांडलगढ़ में इस प्रकार का आंदोलन चल पड़ा इस प्रकार की हालत राज्य व्यापी है। समय रहते इस का हल निकालें, ग्राउंड बनायें। ऐसे स्थान पर भेड़ें भेजें चाहे राजस्थान के बाहर भेजें। लेकिन समय रहते समस्या का हल निकाला जाए।

श्री सभापति : आप मंत्री महोदय के वक्तव्य के बाद प्रश्न पूछ लें।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : माननीय सदस्य ने कहा कि इन भेड़ों से जमीन खराब हो जाती है। यह सही नहीं है, जमीन इम्प्रूव होती है, खराब नहीं होती है।

श्री देवीलाल : भेड़ों के पैरों से घास खिन्न हो जाती है।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़) : आसन से थोड़े समय पहले व्यवस्था हुई है कि इस विषय के लिए एक घंटे की चर्चा होगी। अब रूल 131 की कम्पलायेंस स्ट्रिक्टली करवा रहे हैं। मंत्री के स्टेटमेंट के बाद में सवाल पूछे जा सकते हैं। केवल एक घंटा, इसका मतलब दूसरे माननीय सदस्यों को अधिकार नहीं हैं। मामला बहुत अहम है। सदन कुछ कहना चाहेगा। वक्तव्य के बाद में प्रश्न पूछे जायेंगे ? प्रोसीजर क्या रहेगा ?

(54)

श्री सभापति : प्रोसीजर यह रहेगा कि मंत्री महोदय का वक्तव्य आने दीजिए उसके बाद में जो माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहेंगे उनको ऐसा करने की इजाजत होगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, मैं कोई वक्तव्य देना नहीं चाहता हूं। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि करौली से आने वाले माननीय सदस्य ने बड़ी ही चतुराई से अपना पक्ष रखा। इसके लिये तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने राजस्थान सरकार से बाहर से आने वाली भेड़ों के लिये मना की है........

(1-20 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

वैस्टर्न राजस्थान से जो भेड़ें आती हैं उसके लिये उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। कहीं ऐसा नहीं हो कि वह पश्चिमी राजस्थान से आने वाली भेड़ों को ही उत्तर प्रदेश की भेड़ें बता कर मंत्री महोदय को धोखे में डाल दें।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, छवड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने चतुराई से कहने की बात कही। चतुराई की बात नहीं है उत्तर प्रदेश से करीब पांच लाख भेड़ें करौली सपोटरा क्षेत्र में आ गई हैं और वहां पर बड़ा भारी नुकसान हो रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता ने जो कहा कि करौली से आने वाले माननीय सदस्य ने बड़ी चतुराई से यह कहा कि उत्तर प्रदेश से भेड़ें आ रही है यह बात नहीं। राजस्थान में भेड़ों की बड़ी समस्या है। इस समस्या के बारे में हमने अभी दो दिन पहले प्रभारी मंत्री जी से उनके बुलाने पर बातचीत की। हमने यह कहा था कि करीब पांच लाख भेड़ें राजस्थान में बाहर से उत्तर प्रदेश से आती हैं। वह राजस्थान की भेड़ें कह कर राजस्थान में घुसा दी जाती हैं इसलिये इस समस्या का समाधान होना चाहिये। हमने मीटिंग में कहा था यह वास्तव में समस्या है। इसमें चतुराई नहीं बोनाफाइड है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता महोदय जो बात कह रहे थे मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अभी एक दो दिन पहले मैं जब करौली जा रहा था तो मैंने महुआ से लेकर करौली तक भेड़ों को टिड्डी दल के रूप में करौली क्षेत्र में घुसते हुए देखा। जब मैंने उनको पूछा तो किसी ने बताया कि आगरा से हम आ रहे हैं, किसी ने बताया कि हम मथुरा से आ रहे हैं, किसी ने बताया कि हम कानपुर से आ रहे हैं। उन में वास्तव में कोई वैस्टर्न राजस्थान की भेड़ें नहीं थी। वह लोग भेड़ों का धन्धा करते हैं, राजस्थान की भेड़ें कह कर चराते हैं और किसानों की खेती को बरबाद करते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने जो कहा था उसका मतलब यह था कि आपको अगर वैस्टर्न राजस्थान की भेड़ों से कोई आपत्ति नहीं है। उत्तर प्रदेश की भेड़ें आती है तो आपको आपत्ति है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, छवड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने आपत्ति की बात कही वह गलत है। मुझे जो आपत्ति है उसका कारण यह है कि अकेले करौली और सपोटरा में एक लाख

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

भेड़ों से ज्यादा है। वहां पानी की बहुत भारी समस्या है उनके लिये ही आज पीने का पानी नहीं है। स्थिति ऐसी है कि घास चर जाने से वहां पर आपको पीने के लिये एक दूध का लोटा तक नहीं मिल सकता है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे उत्तर प्रदेश से भेड़ें आएँ, चाहे वैस्टर्न राजस्थान से, करौली और सपोटरा में वह भेड़ें नहीं आनी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज। मैं माननीय सदस्यों से यह कहना चाहता हूं कि अगर स्ट्रिक्टली ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को लेते हैं तो पहले एक माननीय सदस्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हैं उसके बाद में मंत्री महोदय सदन में अपना जवाब देते हैं। उसके बाद में एक दो प्रश्न माननीय सदस्य पूछ सकते हैं। मैं माननीय सदस्यों की इसमें राय लेना चाहता हूं कि पहले माननीय सदस्य इस बारे में पांच पांच मिनट बोल लें, उसके बाद में मन्त्री महोदय अपना स्टेटमेंट दे दें। इसमें माननीय सदस्यों की क्या राय है वह बता दें।

श्री शिवचरण माथुर (मांडल) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भेड़ों की समस्या सभी जगह पर बनी हुई है इसलिए मेरा निवेदन है कि पहले माननीय सदस्य पांच पांच मिनट बोलें उसके बाद में मंत्री महोदय अपना उत्तर दे दें। इसके बाद में अगर कोई प्रश्न रह जाता है किसी भी माननीय सदस्य का तो वह मंत्री महोदय से अपना प्रश्न पूछ लें।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, अभी तीन चार दिन पहले इस समस्या के बारे में 50–60 विधान सभाई सदस्यों की प्रभारी मंत्री ने सचिवालय के कांफ्रेंस हाल में मीटिंग बुलाई थी। उसमें भेड़ों की समस्या के बारे में क्या निर्णय होना चाहिये इस पर बातचीत हुई। पर उस मीटिंग में काफी बातचीत के बाद राज्य सरकार के पास कोई डेफीनेट प्रपोजल इस बारे में नहीं होने की वजह से कोई फैसला नहीं हो सका। मेरा निवेदन यह है कि पहले मंत्री महोदय अपना स्टेटमेंट दे दें उसके बाद में सदन के माननीय सदस्य मंत्री महोदय से प्रश्न पूछ लेंगे।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर (पशुपालनमंत्री): अध्यक्ष महोदय, करौली से निर्वाचित माननीय सदस्य ने भेड़ों की समस्या के बारे में सदन का ध्यान आकर्षित किया। मैं अपनी बात, अध्यक्ष महोदय, बहुत ही संक्षेप में कहना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि भेड़ राजस्थान की सम्पत्ति है। दूसरी ओर प्रश्न यह है कि इन भेड़ों के इधर उधर आने जाने से किसानों को क्षति होती है। किसानों को उसकी क्षति से कैसे बचाया जाय, यह प्रश्न अभी से नहीं पिछले कई सालों से हमारे राजस्थान में उलझा हुआ था। इस साल इसके कारण कोटा, बूंदी, करौली, भीलवाड़ा आदि कई जिलों में झगड़े भी हुए और कई लोग मारे भी गये।

(1. 25 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, सभापति, पदासीन)

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

जैसे ही, सभापति महोदय, नई सरकार का गठन हुआ इस प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया । तो इस सारे प्रश्न पर पहले सरकारी अधिकारियों के साथ और फिर कुछ माननीय सदस्यों के साथ बैठकर विचार हुआ, उसके बाद इस प्रश्न पर मंत्री मण्डल में विचार हुआ । मंत्रि मण्डल में यह तय हुआ कि इस प्रश्न पर और अधिक गम्भीरता से विचार किया जाय । इसके बाद में हमारे काफी विधान सभा सदस्यों के साथ लम्बी वार्ता हुई । उस वार्ता के बाद दिशा निर्देश लेने के लिये इस समस्या के हल को किस प्रकार लागू किया जाय मंत्रि मण्डल के सामने इस प्रश्न को रखा गया ।

जो तथ्य मंत्रि मण्डल के सामने रखे गये वह तथ्य इस प्रकार हैं । पहला यह कि 15 लाख के करीब भेड़ें राजस्थान से बाहर जाती हैं और करीब पांच लाख भेड़ें राजस्थान में बाहर से आती हैं जो कि कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, करौली, सपोटरा में आती है । अब और इस समस्या का क्या समाधान हो इसके लिए सुझाव आये । पहला सुझाव जो सामने आया वह था कि उन पांच लाख भेड़ों को राजस्थान में आने ही नहीं दिया जाय । उन्हें रोका इसलिये जाय कि वह किसी ऐसे जिले में जायेंगी जहां पर कि वन क्षेत्र हों । तो इसके लिये ऐसे सोचा गया कि कुछ निश्चित कदम उठाये जायं ताकि बाहर से उन वन क्षेत्रों से वह भेड़ें नहीं आयें । इसके साथ साथ यह भी सुझाव रखा गया कि पांच लाख भेड़ें, जो इस प्रकार आती हैं, को इस तरह बदला जाय कि उनके जो बड़े बड़े समूह आते हैं उनको बड़े बड़े समूहों में न आने दिया जाय उन्हें 200, 500, 700 के छोटे समूह में कर के उनका मुख दूसरी ओर कर दिया जाय तो ठीक रहेगा ।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के भी दो पक्ष थे एक तो यह कि किसान और दूसरे वह लोगों, जो कि भेड़ पालक हैं । में संघर्ष जो होता था वह इन दोनों ही वर्गों में होता था । इस संघर्ष को किस प्रकार टाला जाये इसके लिए ऐसी व्यवस्था की कि किसानों को उनकी खेती का नुकसान भी नहीं हो और संघर्ष भी नही हो ।

इसके बाद भेड़ व ऊन के जो अधिकारी हैं उनसे इस संबंध में चर्चा हुई । उन्होंने इस संबंध में जहां जहां जंगल हैं वहां का सर्वेक्षण किया और उन जिलाधीशों से सम्पर्क करके इस बात का प्रयत्न किया कि यह जो भेड़ों का दबाव, मैं उदाहरण के लिए कहना चाहूंगा कि भीलवाड़ा में गयी साल तक $1\frac{1}{2}$ लाख भेड़ें आती थीं उस को घटाकर शायद 50 हजार, या ठीक से मुझे फिगर्स याद नहीं हैं, भेड़ें रखी जायें और बाकी को अन्य जगह रखा जाये । इसी तरह से दूसरी जगह उनकी संख्या बढ़ाई गई है । उदयपुर जिले में 13 हजार भेड़ों का था गयी साल वहां 85 हजार भेड़ों का प्रस्ताव रखा तो यह बात बहुत स्पष्ट है कि सदस्यों की जो भावना है उसको सरकार समझ रही है लेकिन समझने के साथ ही जहां तक सरकार की नीति का प्रश्न है तो यह बात बहुत साफ हैं कि राजस्थान में आने से भेड़ों को रोका तो नहीं जा सकेगा । कोई यह कहे कि वह उत्तर प्रदेश की है या मध्य प्रदेश की हैं तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि मैं दिल्ली गया रास्ते में एक आदमी मिला उसने पूछा कि

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

कहां से आ रहे हैं तो मैंने कहा कि दिल्ली से। इसका अर्थ यह निकाला जाये कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूं तो यह बात समझ में आती नहीं भेड़ें आती हैं और कहां से आती हैं यह बहुत साफ है। वह राजस्थान से जाती है और राजस्थान में ही लौट कर आती हैं। इसका भी कारण साफ है कि वर्षा के बाद मध्य प्रदेश की भूमि में जहां वह रहती हैं वहां पानी की वजह से ऐसी भूमि उनके पास नहीं रहती जिसकी वजह से वह सुरक्षित रह सकें। उनमें बीमारी पैदा होती है। उसके बाद उनके मरने की स्थिति पैदा हो जाती है। यह एक सत्य है कि ऐसी स्थिति होती है।

एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि गुजरात से भेड़ें अवश्य राजस्थान में आती हैं। मैं मना नहीं करता क्योंकि जब तथ्यों पर बात करना चाहता हूं तो सदन से कुछ छिपाना नही चाहता। मुझे बताया गया है कि राजस्थान की भेड़ें भी कुछ गुजरात में जाती हैं तो आपने गुजरात से भेड़ों को आने से रोका तो गुजरात वाले भी आपकी भेड़ों को रोकेंगे। यह ऐसा प्रश्न था इस लिए इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा कि क्या गुजरात से आने वाली भेड़ों को रोका जाएगा ? ऐसी स्थिति में जो विधायकों की बैठक हुई, उसमें विधायक भी थे और सरकारी लोग भी और कुछ लोग दूसरे भी थे, करीब 70-80 साथी थे, उनके साथ विचार विमर्श हुआ। उसको मुझे मंत्रिमण्डल के समक्ष रखना है, मंत्रिमण्डल ने अभी मुझे नीति स्पष्ट रूप से नहीं दी है इसलिये आज की स्थिति में मैं अधिक बताने की स्थिति में नहीं हूं, भेड़ें राजस्थान की सम्पत्ति है उनकी सुरक्षा की जायेगी। सुरक्षा करने के तौर तरीकों में बदलाव हो सकता है। यह आधार है जो कि मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिन जिलों पर ज्यादा दबाव है उनमें उस दबाव को कम किया जाये और उस दिशा में जहां वन क्षेत्र ज्यादा है वहां उनको भेजा जाये।

इसके बाद सरकार यह भी सोच कर चलती है कि इस प्रश्न का स्थाई हल कैसे निकाला जाये। मैं सदन से और माननीय सदस्यों से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि 18 तारीख को सरकार का गठन हुआ समस्या बहुत पुरानी है और मेरा ख्याल है कि यह समस्या आज की नहीं है, कई वर्षों से समस्या चली आ रही है। मुझे यह भी मालूम है कि भेड़ें जहां भी जाती हैं वहां किसानों को असन्तोष है। मुझे मालूम है कि विधायकों के सामने भी कठिन समस्या है। निश्चित रूप से उनकी भावना के साथ मैं अपनी भावना को जोड़कर चलना चाहता हूं लेकिन इसके साथ ही साथ भेड़ राजस्थान की सम्पति है इससे भी आंख बन्द करके नहीं चलना चाहूंगा। इसलिए बहुत संक्षेप में जो स्थिति थी वह मैंने सदन के सामने रखी। अब मंत्रिमण्डल इस संबंध में और आगे निर्णय करेगा। 7 तारीख को मंत्रिमण्डल की बैठक हुई है और उसके बाद मंत्रिमण्डल की बैठक नहीं हो सकी। तो मंत्रिमण्डल की स्पष्ट नीति के बारे में आज कहने की स्थिति में मैं नहीं हूं लेकिन जो निष्कर्ष निकलता हुआ दीखता है वह सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं किसी चीज से असहमत नहीं हूं यह बात मान कर चलिये। सहमत हूं दो बातों के साथ कि एक तो

(श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर)

भेड़ें राष्ट्रीय सम्पदा है, और दूसरी, किसानों की खेती का नुकसान नहीं हो, इन दोनों बातों से मैं सहमत हूं । इन दो बातों को आधार मानकर जो भी समस्या का समाधान आप निकालें उसको सरकार शिरोधार्य करके चलना चाहती है ।

भेड़ें राजस्थान में आनी शुरू हो गई हैं । करौली मे पहुंची हैं, भीलवाड़ा में पहुंची हैं, कोटा में भी पहुंची हैं । ऐसी स्थिति में यदि उनको लाठी के बल पर या किसी और बल पर निकालने की स्थिति आ जायेगी तो मेरा ख्याल है ठीक नहीं होगा । मुझे बताया गया है कि भेड़ों के साथ परिचय-पत्र भी रहते हैं । उनको भेजने के प्रस्ताव पर जितनी सम्भव व्यवस्था हो सकती है वह भी की जा रही है । भेड़ों में बीमारी नहीं फैले इसके लिए चिकित्सा की व्यवस्था की जा रही है । यह सारी बातें जो करनी है वह कर रहे हैं लेकिन मैंने कहा कि समस्या निश्चित रूप से गम्भीर है और इसका समाधान सदन के सभी साथियों से मिल कर करना है । मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं कि सदन की ओर से जो भी सुझाव इस सम्बन्ध में आयेंगे और जो मैंने दो बातें बताई इन दो बातों का आधार मान कर सुझाव आयेंगे उनको सरकार को मानने में आपत्ति नहीं होगी । संक्षेप में मुझे इतना ही निवेदन करना है ।

श्री शिवचरण माथुर : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने राजस्थान के एक हिस्से में भेड़ों के बारे में जो अभी वक्तव्य दिया मैं थोड़ा सा इसकी पृष्ठ भूमि आपके सामने रखना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी ने कहा कि 5 लाख भेड़ें आज स्थाई रूप से निष्क्रमण करती हैं, राजस्थान के कुछ जिले हैं जिनमें सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, कोटा बूंदी और झालावाड और टोंक का कुछ हिस्सा आता है वहां के लिए भेड़ों की संख्या मंत्री महोदय, ने पांच लाख बताई । माननीय सभापति महोदय राजस्थान में भेड़ों की कुल संख्या करीब 1 करोड़ है । हम इस बात को मानते हैं कि भेड़ें राजस्थान की अपनी सम्पत्ति है । यह सारी सम्पत्ति सब जिलों में अलग अलग बंटी हुई है । मेरे जिले, जहां से मैं आता हूं, भीलवाड़ा में इस समय 8 लाख भेड़ें हैं । राजस्थान में भेड़ों की जितनी संख्या है उसको देखते हुए चौथा स्थान भीलवाड़ा का आता है । वहां जितनी भी जमीन उपलब्ध है, मवेशियों की संख्या जितनी है और भेड़ों की संख्या जो उपलब्ध है, उसको देखते हुए माननीय मंत्री महोदय ने सवा लाख की बात कही लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि किसी भी समय पिछले चार पांच सालों में 2 से ढाई लाख की संख्या से कम भेड़ें मेरे इलाके में नहीं आई । मैं मेरे क्षेत्र की बात करता हूं, सारे भीलवाड़ा जिले की कल्पना मैं नहीं करता, भीलवाड़ा जिले में उपरला क्षेत्र, इतिहास में प्रसिद्ध है किसानों के आंदोलन के लिए, गांधी जी के नेतृत्व में, श्री माणिक्यलाल वर्मा के समय में आंदोलन चला, उसका क्षेत्र 4 मील लम्बा और 12 मील चौड़ा है उसमें बीस-पच्चीस साल से लगातार दो ढाई लाख भेड़े इकट्ठी होकर वहां की वन सम्पदा को, खेतों को, चरागाह को एक तरह से नष्ट कर देती है । मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं नहीं चाहता कि राजस्थान में कोई टकराव वाली बात आये । सब लोग राजस्थान के रहने वाले हैं लेकिन

(श्री शिवचरण माथुर)

समस्या यह है कि कुल 1 करोड़ की संख्या में से पांच लाख भेड़ें एक साथ दस-पन्द्रह साल पहले यहां आई राजस्थान के विभिन्न इलाकों से। ऐसे मौके पर जब कि हमारे यहां नदियों पर पुल बने तो पुलों को पार कर वह हमारे क्षेत्र में आई। उन्होंने देखा कि यहां पठार हैं और टिकने का अच्छा स्थान है तो वह पांच लाख भेड़ें कभी वापिस नहीं गई। हमारे माननीय जनार्दनसिंह जी का कहना सच है कि जिस राजस्थान के इलाके से वह आईं वहां वह वापिस नहीं गईं। हमारे यहां बरसात की शुरुआत में अच्छी घास पैदा होती है, चरागाह अच्छे होते हैं, फसल अच्छी होती है, जंगलों में अच्छी हरियाली होती है उस समय हमारे यहां भेड़ें आती हैं वह हमारे यहां कहर ढाने के लिए आती हैं और जैसे ही बरसात समाप्त होती है सिंगरोली की तरफ और उत्तरप्रदेश की तरफ चली जाती हैं। जिस समय फसल कट चुकी होती हैं उस समय किसान उन भेड़ों को अपने यहां बैठाना पसन्द करता है। अगर दीपावली के बाद हमारे यहां भी भेड़ें आयें तो समस्या खड़ी नहीं होती। यह भेड़ें 5 लाख वह हैं जो परमानेंट तौरपर वहां रह रही हैं। यह पांच लाख भेड़ें हमारे इलाके में समस्या पैदा करती हैं, जहां भी जायेंगी वहां भी समस्या पैदा करेंगी। पाली जहां से ये गुजरती है, में चारों तरफ से खेतों को नष्ट करती हुई चली जाती हैं। स्थिति यह है।

मेरे इलाके में सन् 78 में किसानों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन चला जिसमें ऊपर माल पंचायत के 10 हजार किसानों ने भाग लिया। तत्कालीन सरकार के मुख्य मन्त्री श्री शेखावत ने मैंने कहा कि इस समस्या का हल निकाला जाए। बड़ी लम्बी चौड़ी मीटिंग बुलाई। अधिकारियों को बुलाया। जनता के प्रतिनिधियों को भी बुलाया। उन्होंने यह कहा था कि समस्या बहुत गंभीर है इसके बारे में आप चर्चा मत कीजिये, भाषण मत कीजिये, यह बताइये हल क्या निकलना चाहिए। मैंने उस समय भी सजेस्ट किया था, हल केवल एक है। इस समस्या को हल करने के लिए आधार निश्चित कर लीजिये। राजस्थान में जंगलों का इलाका देख लीजिये। कितने इलाके में कितनी भेड़ें है, कितने जंगल हैं उसका सारा हिसाब लगाकर निश्चित कर लीजिये। आपके अधिकारी गलत संख्या बता कर आपको अन्धेरे में डालना चाहते हैं। 50–60 हजार भेड़ें अभी अगस्त से पहले आ गई हैं। मेरे इलाके से आज सुबह टेलीफोन आया था कि 50–60 हजार भेड़ें वहां पहुंच चुकी हैं और लगातार भेड़ों के टोले के टोले आ रहे हैं। आप 50 हजार की बात कहते हैं। इस मामले में मैं कहना चाहता हूं माननीय सदस्यों को समिति का आह्वान करना चाहता हूं, मेरे इलाके में आइये। यहां बैठ कर सदन में चर्चा नहीं कर सकते कि कितना नुकसान करते हैं। मेरे इलाके में लोगों में कितना असंतोष व्याप्त है, आप देखिये। सपोटरा जाइये, करौली जाइये....

(1–42 म. प.)

(श्री पुनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)
सब पहलुओं पर विचार करके, गम्भीरता से विचार करके, वैज्ञानिक आधार ढूंढिये और उसका हल निकालने की चेष्टा कीजिये। तत्कालीन मुख्य मन्त्री ने कहा जहां खेती नहीं होती, ऊंचे टीले हैं वहां पर पानी को

(श्री शिवचरण माथुर)

पहुंचा कर चरागाह डवलप किये जा सकते हैं। आप राजस्थान केनाल की रिपोर्ट को देखें, 125 किलो मीटर लम्बी और 2।। किलो मीटर चौड़ी घास है पीने का पानी उपलब्ध है। भेडों के लिए उपलब्ध है...

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री शिवचरण माथुर : आप मौका नहीं देंगे। हमारे जिले की वह एक मात्र समस्या है और कोई समस्या नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं पीड़ा के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि यह समस्या को मजाक में टालने वाली बात नहीं है। आप को मैं कहना चाहता हूं हम लोग जो चुन कर आये हैं चाहे किसी दल से चुन कर आये हों हम वायदे करके आये हैं, चाहें सवाई माधोपुर, करौली, सपोटरा मेरे क्षेत्र बूंदी के क्षेत्र के लोग हैं उन्होंने कहा है कि हमारी समस्याओं को हल कराइये। उसी गंभीरता से सरकार के सामने और माननीय सदस्यों के सामने मैं निवेदन करना चाहता हूं, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान का सवाल मत फैलाइये। सब बैठकर इस समस्या का हल निकालने की चेष्टा कीजिये।

मैंने एक सुझाव दिया था कि पश्चिमी राजस्थान की भेड़ों को हमारे इलाके में स्थाई रूप से दे दीजिये। 100, 200 एक एक गांव में बसाने के लिए तैयार हैं। एक साथ 50 हजार का दल टिड्डी दल की तरह आता है। उसके साथ में सैकड़ों हजारों ऊंट आते हैं, बकरियां आती हैं। एक लम्बा काफिला आता है। रास्ते में कोई आ जाये तो उनके पास हथियार होते हैं, उसको मारते हैं। हमारे यहां के किसान मुकाबला करना नहीं चाहते। आप आंकड़े उठा कर देख लीजिये पिछले सात आठ सालों में जितनी हत्याएं हुई हैं। ऐसा कोई वर्ष नहीं गया जब हत्याएं नहीं हुई हों। मैं नहीं कहता भेड़ पालक नहीं मरे किन्तु 80 प्रतिशत हमारे यहां के किसान मरे हैं। पिछले साल ही करीब पांच आदमियों को मौत के घाट उतारा गया। ऊपरवाल किसान पंचायत के अध्यक्ष पर मुकदमा चल रहा है। उन पर शेखावत सरकार ने मुकदमा चलाया। उनका कोई दोष नहीं था। वह मुकदमा राजनैतिक आधार पर बनाया गया। हमारे 14, 15 आदमी हर पेशी पर जाते हैं, पर फैसला नहीं होता है। फैसला हो जाये अपराध किया हो तो जेल भेजो। सालों तक केस चलते रहते हैं लोग परेशान होते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत पीड़ा के साथ इस समस्या को आपके सामने रख रहा हूं उस क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते इसमें न कोई विचार धारा का सवाल है न कोई और सवाल। समस्या को डिफ्यूज करने के लिए कटिंग एक्रास दी पार्टी लाइन कहना चाहता हूं यह एक गम्भीर समस्या है उसे गम्भीरता से लो। अगर ढिले की गई एक मीटिंग बुलाई, फिर बड़ी मीटिंग बुलाई इस प्रकार ढिले हुई तो हमारे इलाके में तो भेड़ें आ गई। लोगों ने समाचार भेजा है आप सदन में बैठे है यहां भेड़ें आ रही हैं। हमें लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। इस प्रकार की दिक्कत हम बरदाश्त नहीं कर सकते। कोई फार्मूला तय कर लीजिये। आपने कहा 50 हजार भेड़े रखने का फैसला किया है। 50 हजार का फैसला हम बरदाश्त नहीं करेंगे। तय कर दीजिये।

(श्री शिवचरण माथुर)

यदि हमारे यहां भेड़ें नहीं हों, मवेशी नहीं हों, कोई आधार बतायें तो बात समझ में आती है। बिना फार्मूले के 50 हजार कह दिया, इसका कोई तर्क नहीं है। जहां चरागाह ज्यादा हैं वहां भेजिये। हम भी शेयर करने को तैयार हैं। वहां 2½ लाख भेड़ आती हैं। आपके भेड़ ऊन अधिकारी बता सकते हैं। उन्होने कहा था इतनी भेड़ें मौजूद हैं। स्वयं उन्होंने स्वीकार किया कि 2½ लाख, सवा दो लाख के करीब भेड़ें हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसे बड़ी गम्भीर समस्या मानकर उसी आधार पर इस का हल निकालें। समय रहते इस समस्या को नहीं संभालेंगे तो यह बड़ा विद्रोह का रूप ले लेगा। हम लोगों को संभालना भी मुश्किल हो जायेगा। इसलिए मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार से और माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इस स्थिति को गम्भीरता से समझें और समझ कर सही हल निकालने की कोशिश करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सुझाव तो दीजिये कुछ।

श्री अध्यक्ष : श्री राम रघुनाथ।

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक भेड़ों के निष्क्रमण का सवाल हैं उसमें अलग अलग समस्यायें हैं। एक तो वह इलाका है जहां भेड़ें अधिक हैं लेकिन चरागाह नहीं हैं। एक वह इलाका है जहां भेड़ें कम हैं लेकिन चरागाह अधिक हैं। इसलिए इस समस्या को एक तरफा न लेकर इस पर गहराई से सोचना पड़ेगा। एक तरफ तो हम भेड़ों के विकास के लिए सोच रहे हैं और यह चाहते हैं कि भेड़ों की उन्नति हो, उनके लिए चरागाह का प्रबन्ध किया जाय और दूसरी तरफ यह सोच रहे हैं कि भेड़ें अधिक हो गई हैं इसलिए उनको दूसरी जगह भेजा जाय। तो पहले यह तय होना चाहिये कि हमारे राजस्थान में कितनी भेड़ें हैं और इतनी भेड़ें तो होनी ही चाहिये। उतनी के लिए आप सीलिंग लगा सकते है।

पिछली बार सरकार ने अन्त्योदय का कार्यक्रम चलाया था। उसमें गरीब लोगों ने अन्त्योदय योजना के तहत भेड़े खरीदीं। वे भेड़ें दूसरे प्रान्तों से आईं। लोगों ने यह सोचा था कि भेड़ें पाल लेते है तो कुछ लोगों को रोजी रोटी का काम चल सकता है। उस योजना के तहत भेड़ें आई लेकिन समस्या यह रही कि उनके लिए चरागाह नहीं था। मैं निवेदन करना चाहूंगा भीलवाड़ा की समस्या एक अलग प्रकार की समस्या हो सकती है। मैंने आंकड़े देखे हैं और उनमें पाया है कि भीलवाड़ा में भेड़ें अधिक हैं लेकिन अन्य जितने जिले हैं उनमें यह समस्या भी है कि भूमि अधिक है और भेड़ें कम हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं आंकड़ों के अनुसार, साढ़े सैंतीस हजार स्क्वायर किलोमीटर पूर्व के भागों में भेड़ों के लिए जमीन है जहां भेड़ें चर सकती हैं। पश्चिमी इलाके में साढ़े तीन हजार स्क्वायर किलोमीटर में वन की भूमि है यहां भेड़ों को रख सकते है। लेकिन वहां लाखों की तादाद में भेड़ें हैं विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के ही भेड़ पालक है इसलिए उनको माइग्रेट करना पड़ता है।

अभी जो स्टेटमेंट दिया मन्त्री महोदय ने उससे हमने यह महसूस किया जहां भेड़ें अधिक हैं उनको हमें एडजस्ट करना पड़ता है। अब समस्या आती

(62)

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

है एक ये भेड़ें हैं जिन्हें परमानेंट माइग्रेट करना पड़ता है और दूसरी वे भेड़ें हैं जिनको टेम्प्रेरी माइग्रेट करना पड़ता है। टेम्प्रेरी माइग्रेशन का समय दीपावली पर आता है। उस समय खरीफ की फसल काट ली जाती है और माईग्रेशन से खेतों मे नुकसान नहीं होता है। वे ही भेड़ें रबी फसल पर वापिस लौट आती हैं। इसके लिए किसी माननीय सदस्य ने एतराज नहीं किया है इसलिए वह समस्या नहीं है। जो भेड़ें परमानेन्ट माईग्रेट कर गई हैं वे यू. पी. में चली गई हैं। वे राजस्थान में आती हैं और फिर चली जाती हैं। कुछ भेड़ पालक ऐसे हैं जो रबी की क्राप के बाद उन इलाकों में ले जाना पसन्द करते हैं। हर व्यक्ति यह चाहेगा कि उसका नुकसान न हो। जैसा कि अभी माननीय सदस्य कह रहे थे उसके पांवों से नुकसान होता है। मेरा निवेदन है भेड़ एक ऐसा पशु है जिससे नुकसान होता ही नहीं है, उसके घूमने से जमीन पोली हो जाती है, उसकी टट्टी और पेशाब खेत को अधिक फायदा पहुँचाता है। यह बात मानी जा सकती है कि अगर सही व्यवस्थित ढंग से नहीं जाय तो नुकसान हो सकता है। तो एक तो समस्या है माइग्रेशन की। अब सवाल यह है उनको किस प्रकार एडजस्ट किया जाय जिससे कि आसपास के इलाकों को नुकसान न हो। यह तो हो नहीं सकता है कि उनके पहिये लगाकर भेजें दिया जाय। ऐसा नहीं हो सकता है तो फिर भेड़ों के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी।

रहा सवाल मारने पीटने का या झगड़ों का। अध्यक्ष महोदय, मैं भेड़ पालक भी हूं और कोई भेड़ पालक यह नहीं चाहता है कि मार पिटाई या झगड़े-दण्टे हों अथवा कत्ल वगैरह हो। कुछ लोग ऐसे हो सकते है जो यह कहें कि हम इधर से नहीं जाने देंगे, उधर से नहीं जाने देंगे, तब झगड़े की नौबत आयेगी। मैं इस बारे में जनता पार्टी के शासन की सराहना करना चाहूंगा कि पिछले ढाई साल में इन्होंने इस बात को कोशिश की कि भेड़ों को किसी तरह से ऐसे एडजस्ट किया जाय कि किसी को तकलीफ न हो और जहां चारा है उनका उसको भी फायदा पहुंच सके लेकिन अफसोस है कि वह सरकार टिकी नहीं इसलिए कोई फायदा नहीं हो सका।

आप आज यहां बैठे हैं इसलिए सीरियसली सोचें, जहां से भेड़ें आती है चरने को उनको भी फायदा हो और जहां से भेड़ें जाती हैं उनको भी फायदा हो और जो भेड़ें आती जाती नुकसान करती है उसका भी सही समाधान कर दिया जाय तो इस सारी समस्या का हल हो सकता है। मैं निवेदन कर रहा था भेड़ें बरसात के मौसम में वहीं रह सकती हैं जहां पानी नहीं ठहरता हो यानि चिकनी जमीन नहीं हो, पठारी जमीन हो, जहां से पानी बह जाता हो ताकि उसमें छोटी छोटी घास उग आवे। हमारे इलाके में ऐसी जमीन नहीं है।

जनता पार्टी का एक सुझाव यह भी था कि गंगानगर के इलाके में घास उगाई जाय। यह एक हंसी का सुझाव था उनका लेकिन बरसात में वह भी काम नहीं आयेगा, क्योंकि उस इलाके में बरसात के दिनों में फ्लड आता है। फ्लड वाले एरिया में भेड़ें रह नहीं सकतीं क्योंकि उसका कारण है कि भेड़ें दो-ढाई फीट की होती हैं इसलिए फ्लड आने पर वे उसमें बह जायेंगी। इसलिए घास उगाकर वहां परमानेन्ट माइग्रेट करे यह भी नहीं हो सकता है। बरसात

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

में जो भेड़ें आती हैं और उनके आने जाने से जो नुकसान होता है उसको किस तरह डिवाइड करें, यह सोचा जाना चाहिए या जहां जहां वन हैं उनमें उनको बांट सकते हैं।

दूसरा पहलू है भगड़े-टन्टे करने का, क्योंकि वहां के लोग ये चाहेंगे कि भेड़ें नहीं आयें तो उनके जो जानवर हैं वे साल भर चरते रहेंगे क्योंकि आजकल जंगली जानवर तो रहे नहीं हैं इसलिए उनको नुकसान नहीं है। दूसरा आपका फारेस्ट डिपार्टमेंट है वह भ्रष्ट है। 50 हजार भेड़ों का परमिट दिया लेकिन जितनी भेड़ों का परमिट दिया उतनी भेड़ें नहीं पहुंचती है तो भी समस्या का समाधान नहीं होता है और फारेस्ट वाले तो यह सोचते हैं कि हमें फायदा है क्योंकि उतनी भेड़ें नहीं जाती हैं तो घास को भी उनके नाम से काट कर बेच देंगे। आपका प्रशासन ढीला है इसलिए वे भेड़ पालकों को एक्सप्लाइट करते हैं। इस मायने में वे हुक्का भी पिटवाते हैं और सरकार को भी पिटवाते हैं। इसलिए यह बहुत ही गहन विषय है। मेरा निवेदन है इसको आप इस तरह सोचिए कि हमारे पश्चिमी राजस्थान की जितनी भेड़ें माइग्रेट होती हैं टेम्प्रेरी या परमानेन्ट उनको इस तरह डिवाइड करें कि समस्या न रहे। हम भी उनको समझायेंगे और आप भी कोआपरेट करिये। नहीं तो दूसरा चारा यह है कि भेड़ों को बूचड़ खानों में भेजकर कटवा दीजिए अन्यथा उनको चराने का पूरा बन्दोबस्त कीजिये यह आपकी जिम्मेदारी है।

श्री अध्यक्ष : श्री बृज सुन्दर शर्मा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस समस्या पर सदन में विचार हो रहा है, वास्तव में यह एक गंभीर समस्या है। हर साल इस समस्या के बारे में विचार होता है। कई सालों से यह समस्या बनी हुई है लेकिन अन्तिम रूप से अभी हल नहीं निकला है। गत वर्ष भी इस बारे में बातचीत हुई, इस वर्ष भी माननीय मन्त्री जी के साथ बातचीत हुई। समस्या इस बात की नहीं है कि भेड़ें नहीं रखी जायं, समस्या इस बात की है कि कहां रखी जायं और कौनसा इलाका उपयुक्त है और ये भेड़ें कब नुकसान करती हैं। बरसात के दिन ज्यों-ही शुरू होते हैं पहाड़ी इलाकों में पानी झरना शुरू हो जाता है और जब छोटी छोटी घास होती है तो ये भेड़ें प्रवेश करती हैं और प्रवेश करके उस छोटी छोटी घास को जड़-मूल से नष्ट कर देती हैं और आगे घास नहीं उग पाती है। नतीजा यह होता है कि वह इलाका सूखा रह जाता है और बाद में उनके मवेशियों के लिये घास नहीं रहती है। जब भेड़ें आती हैं तो लाखों की तादाद में आती हैं इसलिये उनको ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। भेड़ पालकों से बात होती है तो वे कहते हैं रास्ते रास्ते जा रहे हैं और बरसात बरसात इसी रास्ते से पार हो जायेंगे, यही उनका कहना है। लेकिन वे जहां एक दिन रह जाती है वहां की सारी घास को खत्म कर जाती हैं। अगले दिन दूसरी जगह पर जाकर बैठ जाती है लाखों की तादाद में और वहां की घास को खतम कर जाती है। तो समस्या यह है कि घास उग जाने के बाद जब कि बरसात समाप्ति पर आ जाय उस वक्त अगर माइग्रेट करती है तब तो घास भी बच सकती है और घास उग भी सकती है और भेड़ें भी चर सकती हैं।

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

हैं। जब कि घास का उगना शुरू होता है उस वक्त भेड़ें आती हैं तो सारी घास नष्ट हो जाती है और सारी फसल नष्ट हो जाती है इसके लिए उपाय सोचना पड़ेगा। इस दृष्टिकोण से हम कभी भी नहीं सोचते। पूर्वी राजस्थान के इलाकों में भेड़ें आना उस वक्त शुरू होता है जब कि पश्चिमी राजस्थान में अकाल पड़ता है। अकाल के दिनों में लोगबाग अपने मवेशियों को लेकर पूर्वी राजस्थान में बढ़ते हुए चले आते थे और बरसात होने पर वे वापस अपने घरों को लौट जाते थे। कुछ लोगों ने बाद में यह समझा कि इधर ही रहना ज्यादा उपयुक्त है। वे इधर ही रहने लग गए। उन गांव वालों के साथ मिल कर उसी गांव में रहने के साथ साथ गांव के लोगों में शरीक हो गए। जो शरीक हो गए वे तो गांव में रहने लग गए और गांव के मवेशियों के साथ अपने मवेशियों को भी चराने लग गए। यहां तक तो ठीक है लेकिन जो भेड़ पालक एक गांव में टिकना नहीं चाहते, वह तो जहां नई घास देखते हैं उसी ओर सारी की सारी भेड़ें लेकर चले जाते है। एक लाख-दो लाख भेड़ों को लेकर उस इलाके में जाकर रुकते हैं जहां घास अच्छी देखते हैं और उसको खिला कर उस घास को चरा कर आगे चले जाते हैं। तो यह लाखों की तादाद में जो भेड़ें चार-पांच जिलों में जाती हैं उनकी समस्या है। कोटा डिविजन में यह समस्या है, कोटा के पास के तीनों जिलों में यह समस्या है, सवाईमाधोपुर और चितौड़ और भीलवाड़ा में यह समस्या है। भरतपुर में भी कुछ समस्या हो सकती है पहाड़ी इलाकों में लेकिन उनके यहां पर मैं समझता हूं कि इतने झगड़े नहीं होते जितने झगड़े कि इन जिलों में होते हैं। पहले नैनवा तहसील में झगड़ा हुआ, उसके पिछले साल हिण्डोली तहसील में झगड़ा हुआ और फिर बूंदी तहसील में झगड़ा हुआ। इस तरह से हर साल झगड़े होते हैं और झगड़े होकर मवेशी मर जाते हैं। पुलिस जाती है तो उनके चार पांच आदमी होते हैं और वे दस बीस आदमी होते है जिनसे मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इस तरह से इन इलाकों के अन्दर गम्भीर समस्या है और लोग परेशान हैं। हमारी सरकार से और मंत्रीजी से भी बात हुई, चालीस पचास एम. एल. एज. को भी बुलाया गया लेकिन फिर भी आज तक कोई निर्णय नहीं हुआ। भेड़ें प्रवेश कर चुकी हैं और झगड़े होने का अन्देशा है। इसलिए इस बारे में तत्काल निर्णय होना बहुत आवश्यक है। सरकार की क्या नीति है यह बतावें। भेड़ें घुस चुकी हैं, झगड़े आगे नहीं हों इसके बारे में सरकार क्या सोच रही है, आगे उनको आश्वासन देने के बारे में क्या सोचती है, इन सब प्रश्नों के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा है। वैसे तो ध्यान आकर्षित करने के लिए एक ही माननीय सदस्य का बोलना काफी था, दूसरे वक्ताओं को बोलने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यह अहम प्रश्न है। इसके ऊपर तुरन्त निर्णय होकर इसका एक्जीक्यूशन किया जाय और उस एक्जीक्यूशन को करने के लिए पूर्णतया वहां की पुलिस को, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदारी दी जाय कि वह किसी भी एक जगह के ऊपर भेड़ों को बैठने नहीं दें। वे चलती रहें अपने रास्ते के ऊपर वरना एक दिन पड़ाव डाल दिया और हजारों लाखों की तादाद में एक ही गांव में, एक ही जंगल में अगर उन्होंने पड़ाव डाल

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

दिया तो फिर झगड़े होंगे और झगड़े होकर व्यवस्था खराब हो जाएगी । इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी, जो कुछ भी इसके बारे में निर्णय हो, जल्दी से जल्दी निर्णय करके वहां के लोगों की रक्षा करें। वहां के मवेशियों की, वहां की घास की रक्षा करने का उपाय करें।

मैं आपको यह भी कहता हूं कि सौ भेड़ें एक एक गांव में दे दी जायं। गांव वाले कहते हैं कि एक एक गांव में सौ सौ भेड़ें दे दी जायं तो हम रखने को तैयार हैं लेकिन लाखों की तादाद में एक ही गांव में, एक ही क्षेत्र में ठहर जायं तो उनकी सारी घास चर जाएंगी। इसके बारे में क्या उपाय सरकार करना चाहती है यह बताने की कृपा करें, यही मेरा निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष : श्री परसराम मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष जी, राज्य सरकार को भेड़ों के निष्क्रमण के सम्बन्ध में सर्वमान्य कोई राज्य की नीति निर्धारित करनी चाहिये। जैसा कि मंत्री जी ने शुरू में कहा, राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है, मैं ऐसा समझता हूं कि तत्कालीन मुख्य मंत्री जी ने जो टास्क फोर्स इन दी मंथ आफ अगस्त, 1978 में कायम की थी, जैसी मुझे जानकारी मिली है उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी राज्य सरकार के पास में है। उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, जैसी मुझे जानकारी है, उन्होंने इस समस्या को डी-फ्यूज करने के लिये काफी ठोस सुझाव दिए है।

अभी मांडलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि इस समस्या को लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जानवरों की जितनी भी श्रेणियां हैं उनमें भेड़ सबसे गरीब जानवर है। गाय को भी बहुत गरीब जानवर कहते हैं लेकिन भेड़ सबसे गरीब जानवर है। भेड़ों के लिए कहावत भी है कि भेड़ चाल में चल रहे हैं। मैं भेड़ चाल में नहीं चल रहा हूं। जो बात कह रहा हूं वह इसलिए कह रहा हूं कि पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान का प्रश्न है। पश्चिमी इलाके के लोग भेड़पालन से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। अभी जैसा कि डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि भेड़ों को ट्रांसफर कर दीजिये और भेड़ों को बूचड़खाने में भेज कर कटवा दीजिये। आपके यहां इसका कारखाना भी लग रहा है थोड़े दिनों के बाद। उसमें भेज दें तो भेड़ों की संख्या कम हो जाएगी। अगर आप यह करते हैं तो आप भेज सकते हैं, अरब देशों में बहुत मांग कर रहे हैं भेड़ों की, एक-एक भेड़ के दो दो हजार रुपये मिल जायेंगे और मांसाहारी लोग इनको खाने लग जायेंगे। पाकिस्तान में भी आज यही समस्या है। मैं यह नहीं कह कर, इतना निवेदन करना चाहता हूं कि भेड़ों का निष्क्रमण नहीं हो तो जिन इलाकों से भेड़ें आ रही हैं, राजस्थान में करीब 1 करोड़ 20 लाख के करीब भेड़ें हैं जिनका सेंसस भी हो चुका है, 1 करोड़ 20 लाख भेड़ें पश्चिमी राजस्थान में हैं लेकिन वहां पर चरागाह नहीं हैं इसलिए भेड़ों को जहां चरने की जगह मिलेगी वहां पर चराने के लिए जायेंगे, यह इसमें मूल प्रश्न है। अगर हमने इस मूल प्रश्न का समाधान नहीं किया तो जैसे भीलवाड़ा के अन्दर चार लाख भेड़ें चली जायं, हम यह नहीं चाहते कि वहां पर चार लाख भेड़ें एक साथ चली जायं और वहां की घास चरने के साथ ही

66

(श्री परमराम मदेरणा)

उनकी फसल नष्ट हो जाय तो यह बहुत बड़ा अन्याय होगा। हम भी यह नहीं चाहते कि इस तरह से वहां के लोगों के साथ अन्याय हो। लेकिन राजस्थान के जिस इलाके में पठार है, सपोटरा में आप भेड़ों को चरने नहीं देना चाहते हैं तो फिर उन भेड़ों का क्या हो? आप आश्वासन देकर आए हैं चुनावों में तो आपको इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्णय लेना पड़ेगा कि भेड़ें कहां जा सकती हैं।

आज भेड़ों के सम्बन्ध में मूल समस्या यह है कि एक तो परमानेंट तौर पर रहने वाली भेड़ें हैं, दूसरी जिनका माइग्रेशन हो गया, जिनके लिए ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश से लाखों की तादाद में भेड़ें आ रही हैं। 4 तारीख को मीटिंग में माननीय मंत्री महोदय ने भी निवेदन किया था कि जो लोग गुजरात से आ रहे हैं उनको सिरोही में आने दीजिये। जब जब भी राजस्थान में अकाल पड़ा है, पश्चिमी राजस्थान में अकाल पड़ा है, हर साल चोहटन और बाड़मेर की भेड़ें गुजरात में जाती हैं। करीब दो लाख भेड़ें हर साल गुजरात जाती हैं। इस बारे में गुजरात सरकार का रवैया हमारे साथ बड़ा उदार रहा है और उसने कभी एतराज नहीं किया है। इसी तरह से आज चूरू और बीकानेर का मवेशी हरियाणा में जाता है तो उन्होंने कभी एतराज नहीं किया। आज हम टेम्प्रेरी माइग्रेशन चाहते हैं। 15 लाख भेड़ें उत्तर प्रदेश में गई और उनकी 11 लाख भेड़ें आती हैं तो आपको अकोमोडेट करना पड़ेगा। एक तरफ तो आप यह बात करते हैं कि फोडर का नेशनल ग्रिड सिस्टम होना चाहिए। आप यह बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए। अगर आप इस तरह से दक्षिणी, उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान की बात करेंगे तो आज कई प्रकार के देश के टुकड़े कराने के हथकण्डे पूर्वी हिन्दुस्तान में खड़े हो रहे हैं और देश का विभाजन कर देश को कमजोर करने की बात की जा रही है। यही बात यहां राजस्थान में करने की बात को अगर प्रोत्साहन मिला तो मैं समझता हूं इसमें राज्य के इंटीग्रेशन, राज्य की एकता और अखण्डता की बात ही नहीं हिन्दुस्तान की अखण्डता की बात इसमें निहित है। राजस्थान की अखण्डता कायम रहे इसलिये इस प्रश्न को लेकर इस प्रकार का विवाद और इस प्रकार का डिस्प्यूट खड़ा नहीं करना चाहिए।

इतना ही इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि आज जब यह समस्या सामने है और कुछ जिलों के अन्दर परमानेंट माइग्रेशन से भेड़ें नुकसान कर देती हैं तो जुलाई के महीने में फसल बोने के समय, जिस समय कि फसल स्प्राउट हो रही हो उस वक्त के लिये आपको कोई न कोई परमानेंट साल्यूशन निकालना पड़ेगा। यह मैं अपनी जानकारी के आधार पर कह रहा हूं। इसके साथ ही जो गड़रिये हैं, उनको रोकने के लिये किन्हीं डिपार्टमेन्ट को नामजद कर दिया जाये, आप चाहें तो भेड़ और ऊन विभाग द्वारा इन भेड़ों को रोकने की व्यवस्था की जाये।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने भेड़पालकों से झगड़ा किया उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी? अगर कार्यवाही नहीं की गई है तो राज्य सरकार को देखना चाहिये। मुझे इस बात की जानकारी है कि बिजौलियों का जो आन्दोलन हुआ था, मारवाड़ के किसान भी इस आन्दोलन के अन्दर गये थे। इसलिये आज मारवाड़ के भेड़पालकों को परेशानी है तो उनक

(श्री परसराम मदेरणा)

उनका साथ देना चाहिये। पश्चिमी राजस्थान के एक-एक गांव में काफी भेड़ें हैं। इस जानवर की हालत आज खराब है, इसलिये मजबूर होकर इस बात को कहना पड़ रहा है। इस जानवर की तरफ से ही नहीं बल्कि उन गड़रियों की तरफ से भी मैं यह कह रहा हूं। हमारे वहां गड़रिये हैं, ज्यादा भेड़ें हमारे वहां से आ रही हैं। उन की समस्या के समाधान के लिये कोई रास्ता निकाला जाये। जहां पर चरागाह हैं, उन चरागाहों में अलग-अलग भेड़ों की संख्या निर्धारित करके वहां भेजने की व्यवस्था करें। साथ ही अधिकारियों को पोस्ट करें ताकि लॉ एण्ड आर्डर की प्रॉबलम नहीं बने। पोस्ट क्रियेट करनी है तो करें। आप भेड़ों को अलग-अलग इलाकों में भेजें, मैं नहीं कहता एक ही इलाके में रखें, जिसके कारण किसानों की फसल को वे नष्ट न करें। मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इस समस्या को हल करें। यह बड़े-बड़े ऊन बेचने वाले सेठ नहीं हैं। उन पर दोहरी मार पड़ती है। हजारों रुपये वे एक तरफ देते हैं और दूसरी तरफ गांव वालों की अलग मार पड़ती है। आपके यहां बिल्ली होती है। उस पालतू बिल्ली को आप एक कोने में ले जाकर दो-चार डण्डे मार दो तो वह भी आप पर झपटने को तैयार हो जायेगी। इस तरह डेसपरेट आदमी कुछ भी कर सकता है। इस तरह वहां लड़ाई होती है, लड़ाई कोई चला कर नहीं करता लेकिन मरता क्या नहीं करता, इस तरह लड़ाई होती है।

अभी आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश में दो गड़रियों को मारा और औरतों के पैरों से चांदी के जेवर काट लिये। इसलिये मैं निवेदन करूं कि सरकार इस समस्या पर शान्ति से, गम्भीरता से विचार करें। इस में एक बात सर्वमान्य है कि फसल नष्ट नहीं होनी चाहिये। माननीय सदस्य कह रहे हैं, इस मौसम में, बुवाई के मौसम में फसल को भेड़ें नष्ट कर देती हैं। सवाल यह है कि भेड़ें पर किस तरह से नियंत्रण किया जावे। यह देखना राज्य सरकार का काम है ताकि फसल नष्ट न हो। जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। जब अकाल पड़ता है तो गांवों में भेड़ें फसल को नष्ट करने आ जाती हैं।

इस समस्या के ऊपर गम्भीरता से सोचा जाये तो मैं समझता हूं समस्या बहुत गम्भीर है। इसको गम्भीरता के साथ लें। जैसा कि मंत्री महोदय कह रहे थे कि एक तो भेड़ों को आने ही न दें। अगर उनका आना ही नहीं होगा तो फसल नष्ट नहीं होगी। इसके अलावा आज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लाखों भेड़ों का रेवड़ आ रहा है, उसको रोक दें। दूसरे अलग-अलग क्षेत्रों में इनकी संख्या निर्धारित कर दें। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इन विकल्पों में से इस का परमानेन्ट सोल्यूशन निकाल कर आने वाले समय में भेड़ों के लिये चरागाह की व्यवस्था करें, ताकि रोज-रोज यह प्रश्न खड़ा ही न हो। इस समस्या के रहने की वजह से जिस इलाके में ज्यादा भेड़ें होती हैं, वहां के किसानों की फसल को वे नष्ट कर देती हैं, जिससे उनको नुकसान होता है।

आप विकास की बात करते हैं। पश्चिमी राजस्थान का विकास किया जाये। पश्चिमी राजस्थान के अन्दर चरागाहों का विकास हो सकता है, यदि भेड़ों को खपा दिया जाये। इसलिये मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप पश्चिमी राजस्थान में भेड़ों का

(श्री परसराम मदेरणा)

खपा दीजिये। अगर यह नहीं करेंगे तो बड़ा घातक होगा।

राजस्थान में अकाल पड़ता रहता है। पूरे हिन्दुस्तान की इकानामी मानसून पर निर्भर है। यह बात मैंने विरोधी दल के नेता से भी कही है कि दो साल आप भाग्यशाली रहे। आपके टाइम में दो साल अकाल नहीं पड़ा और सारा मामला ठीक रहा। एक साल अकाल पड़ जाता है तो सारा मामला खराब हो जाता है।

आप चरागाहों के विकास की बात करते हैं तो इस समस्या को ध्यान में रखते हुए सोचें कि किस तरह से चरागाहों का विकास करें। अगर वहां जमीन अवेलेबल नहीं है तो सरकार इसको देखें।

इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार जो कोई भी निर्णय लें, वह भेड़पालकों की सुविधा और असुविधा को ध्यान में रखते हुए लें। वह किसान बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, जिनकी फसल नष्ट हो जाती है, उनको काफी नुकसान होता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ऐसी व्यवस्था करे ताकि भेड़ भी बच जाय और फसल भी नष्ट न हो।

श्री पृथ्वी सिंह (खानपुर) : परमादरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भेड़ राजस्थान में एक बहुत गम्भीर समस्या है। जब राजस्थान में अकाल पड़ा अकाल पड़ने की स्थिति में भेड़ों का पश्चिमी राजस्थान में आवागमन हुआ। जब मारवाड़ में पूर्ण रूप से बारिश होने लग गई उसके बाद भी इन भेड़ों का निरन्तर वहां बने रहना कायम हो गया। यह सवाल आया कि ये भेड़ें स्थाई रूप से वहां पर सैटल हो गई तो लोगों को यह महसूस हुआ, जिस क्षेत्र में ये भेड़े चरती थी वहां चारे की काफी परेशानी होने लगी तो उनकी सहन-शक्ति घटी। केवल मात्र बरसात के चारे से हमारे मवेशी तन्दुरुस्त रहते थे उनकी तन्दुरुस्ती घटने लगी। अब सवाल यह रहा कि या तो भेड़ें यहां रहें या उस इलाके के मवेशी चरें। तो यही बात है कि अगर जंगलों को भेड़ों द्वारा खतम कराया जाता है तो वहां के मवेशी भूखे रहते हैं और मवेशियों की व्यवस्था की जाती है तो भेड़ों के लिये कुछ सोचना पड़ेगा। उस एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनका वहां के जंगलों पर पहला राइट है। उनके मवेशियों के लिये भी चारा पर्याप्त मात्रा में नहीं है इसके बावजूद चरागाहों पर बाहरी भेड़ों का दबाव बढ़ाया जायगा तो उन मवेशियों का हक छीनेंगे जिनके लिये पहले से ही चारा पूरा नहीं पड़ रहा है। तो यह तो मुमकिन नहीं है। अब सवाल यह है कि भेड़ें भी राजस्थान की सम्पत्ति हैं। इस प्रकार कह कर कि भेड़ें भी उस इलाके की संपत्ति हैं, भेड़ें वहां रहे तो केवल मात्र किसानों को ही यह एतराज नहीं है कि भेड़ें फसल को नुकसान पहुंचाती है बल्कि सबसे बड़ा एतराज तो यह है कि अगर भेड़ें वहां रहेंगी तो उस इलाके के मवेशी कहां जायेंगे अगर उनके मवेशियों को खत्म करना है तो भेड़ों को वहां रखें। निरन्तर भेड़ों के दबाव से चारे की कमी होती जायेगी। इसके लिये पहले सुझाव दिया था कि जिन चरनोटों में पहले से मवेशी चरते हैं वहां भेड़ों को अलाउ नहीं किया जावे। 200 – 400 बीघा जितने गांव के चरनोट हैं वहां भेड़ों को नहीं चरने दिया जावे। अगर इनको एडजस्ट करना है तो जो गांव के चरनोट हैं उनमें उन्हें रोक दिया जाना चाहिये।

(श्री पृथ्वीसिंह)

दूसरी चीज, राजस्थान की भेड़ें गुजरात में जाती हैं। अगर गुजरात की भेड़ों को राजस्थान रोकेगा तो गुजरात भी हमारी भेड़ों को रोकेगा। मेरा अर्ज करने का मतलब है कि आज जो भेड़ों की पापुलेशन राजस्थान में है उससे ज्यादा गुजरात में मौजूद है। वह अपनी भेड़ों को खुद ही एडजस्ट नहीं कर पाता है तो राजस्थान की भेड़ों को एडजस्ट करना, मैं तो समझता हूं, पॉसिबल नहीं है। मैं तो समझता हूं, उनको राजस्थान में ही एडजस्ट करना चाहिये और फिलहाल गुजरात की भेड़ें आती हैं कम से कम उनको रोक देना चाहिये। अगर नहीं रोका गया तो दिनोंदिन स्थिति ज्यादा खराब होती जायगी। वहां के गांवों की स्थिति बिलकुल ऐसी हो गई है कि मवेशी भरी बरसात में बिल्कुल भूखे आते हैं और न तो ग्याबण होते हैं, न ब्याते हैं और न दूध देते हैं। ऐसी स्थिति होती जा रही है। तो इस ओर भी सदन को ध्यान देना पड़ेगा।

मेरा निवेदन है कि जिस तरह से भेड़ों का प्रेसर बढ़ रहा है उसको अगर निरन्तर बढ़ने रहने दिया जायेगा तो फिलहाल स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। इसको हमको सोचना है। अगर इसे आप टेक्नीकल तरीके से या और किसी तरीके से नहीं कर सकते तो कम से कम लिमिटेड नम्बर में भेड़ें आयें। जंगल उनको अलॉट कर दिये जायें और गांवों को उनसे अलग कर लिया जाय। मेरा निवेदन है कि भेड़ों की राजस्थान में समस्या बन गई है। आज तो समस्या 50 प्रतिशत है किन्तु 2 साल बाद 100 प्रतिशत हो जायेगी। राजस्थान में वैसे भी जो जमीन है वह काश्तकारों को दे चुके हैं। भेड़ पालक जंगलों का सहारा ले रहे हैं लेकिन पापुलेशन का प्रेशर जो पश्चिमी राजस्थान पर है वही पूर्वी राजस्थान पर भी है और इस प्रेशर आफ पापुलेशन की वजह से यह हो रहा है। अगर इसको गंभीरता पूर्वक नहीं लिया गया तो झगड़े भी होंगे और विरोध भी होगा और हर साल सदन में यह बात आती रहेगी।

कई भाइयों ने सुझाव दिया कि उनके लिये चारे के चरागाह बनाये जायं। उनको लिमिटेड दायरे में घुमाया जा सकता है। जिस प्रकार से भेड़ पालक उनको घुमाते हैं और घुमा कर लोगों की फसलों को बिगाड़ते है, लॉ एण्ड आर्डर को बिगाड़ते हैं तो यह एक और समस्या हो जायेगी। जब तक इसका पूर्ण रूप से हल नहीं किया जाता यह बनी रहेगी। तो मेरा निवेदन करना यह है कि इस पर गंभीरता से सोचा जाय। एक कमेटी बनाई जाय। वह कमेटी उन गांवों में, उस एरिया में घूमे और उन जंगलों की हालत को देखें। वैसे मैं कोटा के लिये निवेदन कर सकता हूं। आज निरन्तर 3-4 वर्ष से मारवाड़ में ज्यादा वर्षा होती है और उस एरिया में वर्षा कम होती है। इसका मेन कारण यही है कि वहां के जंगल बहुत बुरी तरह से बरबाद हो गये हैं। वहां के जंगलों में पूरे पश्चिमी राजस्थान का पशुधन मौजूद रहता है। वहां मारवाड़ के मवेशियों को एडजस्ट करने के लिये तैयार है, वहां के मवेशियों के लिए एतराज नहीं है अगर एतराज है तो भेड़ों से। भेड़ें ऐसी हालत कर देती है कि जिस जगह से भेड़ निकल गई वहां चारे की एक पत्ती भी नहीं रहती। जब भेड़ वहां चरेगी तो मवेशी को 8 दिन का उपवास जरूर करना पड़ेगा। इससे उनकी हैल्थ बिगड़ेगी और उनकी प्रजनन क्षमता भी जाती रहेगी।

(श्री पृथ्वी सिंह)

मेरा निवेदन यही है कि जो भेड़ें वहां चली गई हैं उनको निकालना तो संभव नहीं है लेकिन भेड़ पालकों को कम से कम यह आदेश तो दे दिये जाय कि वे गांवों के चरागाहों को डिस्टर्ब न करें। तो मेरा निवेदन है कि आप एक कमेटी बनायें और इस पर गंभीरता से विचार करें कि क्या क्या इसके लिये हम कर सकते हैं और वह करना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की तो खुशी है कि इस समस्या को सरकार ने गंभीरता से लिया है लेकिन यह कहने में भी मुझे संकोच नहीं होगा कि इसी सरकार के कुछ समर्थक भेड़ों की समस्या को राजनैतिक समस्या का रूप देने की चेष्टा कर रहे हैं। भेड़ों का राजनीति से कोई संबंध नहीं है।

श्री राज बहादुर: राजनीति से कोई संबन्ध नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: मैं समझता हूं, राजनीति के आधार पर चलेंगे तो समस्या का समाधान नहीं होगा और कई प्रकार के संकट खड़े होंगे।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पशुधन के लिये मशहूर है। यह बात सही है कि राजस्थान की अधिकांश ग्रामीण जनता की आर्थिक पशुधन के उपर निर्भर करती है। एक और इस बात का हम प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान में अच्छे पशुधन की संख्या बढ़े तो दूसरी ओर हमें इस बात का प्रयास करना पड़ेगा कि आज जो पशुधन है उसकी चराई की किस प्रकार से व्यवस्था की जाए।

अध्यक्ष महोदय, पिछले तीस वर्षों में पिछली सरकार ने एक प्रकार का अभियान चलाया था, मैंने विधायक के रूप में इस बात का विरोध किया था कि चरागाहों की भूमि का काश्त के लिए अलॉटमेंट नहीं किया जाए। हमारे काश्तकारी कानून में भी इस बात का प्रावधान रखा गया है। लेकिन आंकड़े उठाकर देखा जाए, अध्यक्ष महोदय, तो एक तस्वीर सामने आएगी कि चरागाह की भूमि हमने काश्त के लिए आवंटित कर दी। जहां पर मवेशी आमतौर से चराई के लिए ले जाए जाते थे वह भूमि काश्त के नीचे आ गई और समस्या यह खड़ी हो गई कि उस क्षेत्र के मवेशियों की चराई के लिए किसी प्रकार का स्थान नहीं रहा। एक तरफ तो चरागाह की भूमि की यह स्थिति है दूसरी तरफ धीरे-धीरे राजस्थान की जो वन संपदा थी वह भी पिछले तीस वर्षों में लगभग नष्ट हो गई। इसके लिए भी एक अभियान चलाया गया, 'जंगल काटो' और जंगल काटने के बाद उस भूमि का आवंटन कराओ और फिर उसमें खेती करने की किसी न किसी प्रकार से व्यवस्था करो। इस प्रकार से राजस्थान का जंगल नष्ट हो गया। राजस्थान के वन समाप्त हो गये। माननीय मंत्री महोदय, जो उदयपुर क्षेत्र से आये हैं, स्वयं अन्दाज लगा सकते हैं कि आज से बीस वर्ष पहले उदयपुर में किस प्रकार के जंगल थे और आज जंगल किस प्रकार के हैं। आज वहां पर नाममात्र के जंगल हैं। केवल पहाड़ हैं। नंगी पहाड़ियां इस बात की याद दिलाती हैं कि किस प्रकार से उनको नष्ट किया गया है। किस प्रकार से उनको नष्ट करने में उस समय की सरकार सहायक हुई। मैं यहां पर उन तमाम मामलों का जिक्र नहीं करना चाहता हूं परन्तु निश्चित रूप से यह कहना चाहता हूं कि न राजस्थान में चरागाह रहे और न

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

बन रहे। परिणाम यह निकला कि वन में चराई के लिए जाएं तो केवल मात्र भेड़ ही वहां पर चर सकती है। वहां पर किसी प्रकार के पेड़-पौधे नहीं रहे जिन पेड़-पौधों के आधार पर दूसरे जानवरों को अकाल के समय ले जा कर जीवित रखा जा सके। भूमि का अनाप-शनाप अलाटमेंट हुआ जो भूमि बची हुई थी— कोई राजनैतिक आधार पर यह बात नहीं कह रहा हूं, परन्तु आपने जो बीससूत्री कार्यक्रम चलाया, उसमें जानवरों के खड़े रहने के लिए जमीन भी नहीं बची....

एक माननीय सदस्य : और जो बची वह आपने अन्त्योदय में दे दी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : जो जमीन थी वह सारी की सारी दे दी, बचने का तो कोई सवाल ही नहीं रहा। किसी गांव में एक बीघा जमीन जानवरों के लिए खड़े रहने के लिए थी, चाहे वह गांव की चौपाल ही थी, बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत उसका भी अलॉटमेंट कर दिया ...

एक माननीय सदस्य : और अन्त्योदय में भी........

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप अगर बोलेंगे तो वैसा ही जवाब मिलेगा। अन्त्योदय पर जवाब तो मैं परसों दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि केवल चराई का ही प्रश्न नहीं है। आज जो हमारी भेड़ें हैं, मवेशी हैं, उनको खड़ा कहां पर किया जाए, इसके लिए जमीन नहीं है। किसी के पास 25 मवेशी हैं और घर छोटा है, और बाड़ा नहीं है तो वह गांव में किस जगह ले जाकर उन मवेशियों को, भैंसों को खड़ा करे? यह समस्या है। चराई का प्रश्न तो बाद में पैदा होता है।

अध्यक्ष महोदय, आप तो जानते ही हैं कि राजस्थान में अकाल कोई नया नहीं है। पिछले 100 वर्ष का इतिहास आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि राजस्थान में हर तीसरे वर्ष अकाल की स्थिति हमारे सामने आई है। पहले अकाल पड़ता था उस समय राजस्थान में इतनी भूमि पर काश्त नहीं होती थी। जोधपुर रियासत और बीकानेर रियासत में जब अकाल पड़ता था, तो बीकानेर रियासत का सारा मवेशी पाकिस्तान जाता था और जोधपुर रियासत का सारा मवेशी मालवा मध्य प्रदेश में जाया करता था। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। बीकानेर में अकाल पड़ता तो सब मवेशी पाकिस्तान चले जाते थे। राजस्थान के जोधपुर डिवीजन में अकाल पड़ा तो सारे मवेशी मालवा मध्य प्रदेश के अन्दर चले जाते थे। दूसरे क्षेत्रों में अकाल पड़ता तो सारे जानवर गंगा की तराई में चले जाया करते थे। क्या यह सारी सुविधाएं जो आज से 15 वर्ष पहले इन क्षेत्रों में उपलब्ध थीं आज हैं। उत्तर प्रदेश में भेड़ें जाती हैं, मध्य प्रदेश में भेड़ें जाती हैं, गुजरात के क्षेत्र में भेड़ें जाती हैं, और गुजरात में इसलिए जाती हैं कि उस क्षेत्र में अभी तक लोग खेती नहीं करते हैं। रण के कच्छ इलाके में खेती नहीं होती हैं। वहां का सारा क्षेत्र पड़ा है। इसी तरह से सौराष्ट्र का हिस्सा है जहां पर खेती नहीं हो पा रही है उस क्षेत्र में हमारे मवेशी जाते हैं। यह निश्चित बात है कि राजस्थान के जालौर, बाड़मेर के इलाके में यदि कभी चारे का अभाव होता है तो वहां के

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

लोग मवेशी लेकर गुजरात में जाते हैं। अभी तक कोई बाधा नहीं आई है। परन्तु पिछले दिनों एक विवाद खड़ा हुआ। गुजरात में एक आन्दोलन चला कि गुजरात से गाय पाकिस्तान जाती है और कटती हैं। हमारी गायें चराई के लिए जाती हैं। वहां के मुख्य मंत्री जी से मैंने बात की। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से कोई रोक नहीं है परन्तु यहां पर इस प्रकार का आन्दोलन चल रहा है। इसलिए पहले मुझे इस बात की गारन्टी दी जाए कि जो गायें आ रही हैं वे पाकिस्तान नहीं जाएंगी।

अध्यक्ष महोदय, कहने में संकोच होता है। पिछले दो-तीन वर्ष से जो हालत हमारी है, उसी प्रकार की हालत मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में होगी। मध्य प्रदेश में जो एरिया खाली पड़ा था वह लोगों को आवंटित कर दिया गया है और आज वहां पर काश्त की जा रही है। यही स्थिति उत्तर प्रदेश की है। जिस उत्तर प्रदेश में लाखों मवेशी चराई के लिए जाते थे और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई बाधा नहीं डाली जाती थी, म.प्र. द्वारा कोई बाधा नहीं डाली जाती थी परन्तु पिछले दो-तीन वर्षों में न मालूम क्या प्रभाव हुआ है कि वहां पर भी चराई की जमीन आवंटित हो गई है। अब सरकार तो रोकती नहीं हैं लेकिन आवंटी लाठी और बन्दूक लेकर खड़े हो जाते हैं कि यहां पर मवेशी नहीं आयेंगे। पिछली बार मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री जी से मैंने दो-तीन बार चर्चा की। हमारे और उनके मतभेद रहे। तत्कालीन प्रधान मंत्री मोरारजी देसाई से भी बात की। चरण-सिंह जी से भी बात की। परसराम जी इस बात से सहमत हैं कि राजस्थान की यह जो भेड़ें हैं यह न केवल राजस्थान के भेड़ पालक की सम्पति है, यह राष्ट्रीय सम्पति है। इसलिये किसी न किसी प्रकार से इसको सुरक्षित करना पड़ेगा, इसको संरक्षण देना पड़ेगा। इसलिए मध्य प्रदेश में भेड़ें जा सकें, इसके लिए उनको दवा करके, राजी करके भेड़ें भेजी जाए। उत्तर प्रदेश में भी कुछ भेड़ें भेजी जाय। परन्तु धीरे-2 यह संकट बढ़ता जा रहा है। माननीय शिवचरण जी माथुर क्षमा करेंगे, आपकी भाषा में अब न तो इसका समाधान है और न लक्ष्य में समाधान है।

मैं यह आशा करता था कि इसको राजनीति का प्रश्न न बनाया जायेगा, परन्तु आपने इसको राजनीति का प्रश्न बनाया। भेड़ पालक भीलवाड़ा में नहीं जायेंगे, तो वे चितौड़ गये, वहां पर भी आपने उनका पीछा किया। नतीजा यह निकला कि इस झगड़े में चार आदमी मारे गये। अफसोस मेरे को यह है कि उनकी लाश को देखने को ये नहीं गये। लाश का पोस्टमार्टम कराया गया। उनके परिवारों को सान्त्वना देने ये नहीं गये। वह लाश वहां पर पड़ी हुई थीं। इसलिए इसको राजनीति का प्रश्न नहीं बनाया जाए।

मैं यह मानता हूं कि सवाई माधोपुर जिले में यह बड़ी भयंकर समस्या है, करौली सपोटरा क्षेत्र में, वहां के लोगों के सामने संकट हैं। वहां के सभी नागरिक इस बात का दवाब डालते है कि यहां भेड़ें नहीं चराई जायें। आज सवाई माधोपुर में इस प्रकार की समस्या है, वे कहते हैं कि यहां भेड़ें नहीं आये, सारे क्षेत्र के लोग कहते हैं कि भेड़ें यहां नहीं आये। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं जनार्दन सिंह गहलोत जो और हमारे साथी श्री रंगजी भाई से कि

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आखिर ये भेड़ें कहां जायें, इसका समाधान क्या हो? हमने भीलवाड़ा क्षेत्र में एक मीटिंग बुलायी थी उसमें भीलवाड़ा के कलेक्टर, सुपरिन्टेन्डेट ऑफ पुलिस थे और माननीय शिवचरण जी माथुर थे। वहां जो नार्म्स तय किये थे, वह मेरे तय किये हुये नहीं थे...

श्री शिवचरण माथुर : मैं उनमें शामिल नहीं था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो नार्म्स तय किये, आप बड़े होशियार बनते हैं, निर्णय के समय आप अनुपस्थित थे मीटिंग में...

श्री शिवचरण माथुर : आपने नहीं बुलाया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके माध्यम से कहना चाहता हूं मीटिंग में यह तय हुआ था, जैसा आपने वहां पर कहा, कि माइ-ग्रेशन आधार पर सर्वे करना चाहते हैं। एरिया बांट कर सर्वे करना चाहते हैं। वह हल निकला लेकिन सारा सीजन निकल गया उसकी रिपोर्ट नहीं आयी। 2 साल के बाद रिपोर्ट आयी सीजन से पहले, उसमें भी आपने यह कहा था कि इस रिपोर्ट को माइग्रेशन रिपोर्ट्स के आधार पर डिसकस किया जायेगा। लेकिन कभी भी रिपोर्ट हमें नहीं दी। इसलिए मेरे समय में हो करने का सवाल ही नहीं। जो रिपोर्ट मिली आपको उसमें एतराज नहीं उसके आधार पर अलॉट करदी जाये।

श्री परसराम मदेरणा : वह रिपोर्ट क्या थी?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं सभी जिलों के लिये तय किया जाय कि भेड़ों की संख्या कितनी है, जमीन कितनी है....

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं यही तो निवेदन करना चाहता हूं अभी एक जिले की भूमि की जो स्थिति है, प्राटेक्टेड फॉरेस्ट की जो स्थिति है, अनप्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की जो स्थिति है, क्वालिफाइड फॉरेस्ट की जो स्थिति है उसके आधार पर तय कर दीजिये। किसी में 2लाख आ गये, आप मेहरबानी करके [50 हजार तय कर दीजिये। मैं तो अभी तैयार हूं। आप सारे राजस्थान को बांट दीजिये, बराबर बांट दीजिये। परन्तु आप नहीं करते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: मैं यही तो निवेदन कर रहा था। जिस समय जिला-धीश को यह निर्देश दिये गये थे भीलवाड़ा क्षेत्र में, यह बतायें कितनी जमीन चरागाह के लिये उपलब्ध हो सकती है। उसमें भेड़ों के आधार पर कितनी जमीन चाहिये और उसके बाद जो जमीन बचती है उस भूमि पर कितनी भेड़ें चरायी जा सकती हैं। इसकी सीमा निर्धारित कर दें। उसके आधार पर सीमायें निर्धारित की गयीं। एक भेड़ के लिए कितनी जमीन चाहिये, उसके आधार पर नार्म्स तय किये गये? जब आप योजना मंत्री थे तब तय किये गये। मैंने उसी को आधार मानकर राजस्थान के सारे जिलों को लेकर तय किया कि एक भेड़ के लिये कितनी जमीन चाहिये। भीलवाड़ा जिले में कितनी जमीन उपलब्ध है और भीलवाड़ा में कितनी संख्या भेड़ों की है, उस संख्या के चरने के बाद कितना क्षेत्र बचा रहता है उस.....

श्री शिवचरण माथुर : प्लानिंग विभाग के पास यह काम नहीं था कि यह तय किया जाय कि एक भेड़ के लिये कितनी जमीन चाहिये। पर यह आधार किसी ने भी तय किये हों वह•••

श्री भैरोंसिंह शेखावत: आप योजना मंत्री थे आपने जो आधार बनाये उस आधार पर यह एरिया तय किया था।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस समस्या का समाधान करना है तो उत्तर प्रदेश सरकार से, मध्य प्रदेश की सरकार से और गुजरात की सरकार से बातचीत के बाद हम इस निर्णय पर पहुँचे कि राजस्थान की कितनी भेड़ें उत्तर प्रदेश में ले जायी जा सकती है, कितनी भेड़ें मध्य प्रदेश में ले जायी जा सकती है, कितनी भेड़ों को गुजरात में ले जाया जा सकता है। पहले इसका निराकरण जल्दी से जल्दी हो जाये फिर उसके बाद हर क्षेत्र चाहे वह करौली हो या सपोटरा हो या भीलवाड़ा बिजोलिया का हो, सारे क्षेत्रों में उपलब्ध भूमि में वहां की भेड़ों की संख्या के लिये आवश्यक क्षेत्र निकालने के बाद जितनी भूमि सरप्लस बचती है उस सरप्लस भूमि में कितनी भेड़ों को चरा सकते हैं वह संख्या निर्धारित की जाये। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो संख्या तय की थी, वह इस आधार पर की थी वह आपको स्वीकार नहीं।

तो मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि भेड़ें राजस्थान से आपने भेजी तो यह मानकर चलिये की जितनी ऊन पैदा होती है भारत में उसका 55 प्रतिशत राजस्थान का होता है, लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि सारे ऊन के कारखानें उत्तर प्रदेश में लगे। इसका कारण यह है कि राजस्थान की भेड़ें चरने के लिये उत्तर प्रदेश में जाती हैं। ऊन वहां काटी जाती है, वहां बिकती है। उस ऊन के आधार पर वहां पर कई ऊन के और गलीचे के कारखानें लग रहे हैं तथा रंगाई के लग रहे हैं। इससे राजस्थान को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसलिये राजनैतिक धमकियों में आने की आवश्यकता नहीं। मैं आपको निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि मुझे भी करौली और सपोटरा के सदस्यों ने धमकी दी थी। बड़ा हैरेस किया। मैं केला देवी के मेले में गया था, मुझे आज भी मेले का वह दृश्य याद आता है सारे भेड़ पालक हथियार बंद खड़े थे और दूसरी तरफ स्थानीय जनता हथियार लेकर खड़ी थी। दोनों के बीच में खड़े होकर मैंने कहा था कि राजस्थान का पशुधन है वह सरकार की जो जमीन है उस पर चरेगा। यह उनका अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन साथ ही यह भी कहा था कि स्थानीय जनता के जो हित हैं उन पर किसी प्रकार का कुठाराघात नहीं किया जायेगा। अगर कुठाराघात हुआ तो उन पशुपालकों के खिलाफ हर प्रकार एक्शन लिया जायेगा इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं होगा।

इसी प्रकार राजस्थान केनाल का प्रश्न आता है, मुझे अफसोस हुआ राम रघुनाथ चौधरी कहते हैं कि वहां तो बाढ़ आती है। मैं माननीय सदस्य को एक बात कहना चाहता हूं कि राजस्थान केनाल क्षेत्र में अगर बाढ़ ही आती तो हमें उस केनाल को ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। छोटे छोटे नाले आते हैं नहर के अगर आप उस नाले को भी बाढ समझ कर चलें तो

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मुझे कोई आपत्ति नहीं। राजस्थान केनाल में बाढ़ नहीं आती, इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा वह भी एक समाधान है लेकिन वह समाधान तुरन्त नहीं हो सकता है। आज यह समस्या बड़ी विकट हो रही है। इस समस्या का किसी प्रकार समाधान किया जाय। इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा आप इसमें इतनी ज्यादा ढील नहीं करें। यह एक ऐसी समस्या है जो बड़ा भयंकर रूप धारण करने वाली है। अगर 9 तारीख को केबीनेट रखी गयी है तो उसी दिन बैठक रखी जाये और इस समस्या का समाधान निकाला जाये ताकि जो माननीय सदस्य भेड़ों के आधार पर जीतकर आयें हैं उनकी जुबान बंद हो, अगर उनकी जुबान को बंद नहीं किया गया तो बड़े तो नहीं बल्कि राजस्थान की जनता आपस में इस प्रकार लड़ेगी कि जगह जगह गोलियां चलेंगी। यह पहले हो चुका है पहले जो गलतियां रह गयी है, अगर किसी प्रकार की भ्रांति हो गयी है, या तथ्य सही नहीं हैं तो माननीय शिवचरण जी माथुर से पूछ लिया जाये। उसी आधार पर भेड़ों का बंटवारा किया जाय, स्ट्रोक प्लान बनाईये। पिछले वर्ष जहां जहां ऐसा हुआ उसमें पुलिस अधिकारी भी थे 4 जनों की जानें गयी, ऐसा न हो।

मैं माननीय राम रघुनाथ जी को इस बात से सहमत हूं मुझे पता है कि फोरेस्ट डिपार्टमेंट ने भेड़ों की सही संख्या नहीं दी, भेड़ें ज्यादा हैं। मैं इस समस्या के हल के लिए निम्न सुझाव देना चाहता हूं :—

एक तो अन्य राज्यों से जल्दी सम्पर्क किया जाय कि वहां कितनी भेड़ें खप सकती हैं, कितनी जमीन चराई के काम के लिए अलॉट की जा सकती है।

दूसरी बात है, जहां पर प्योर फोरेस्ट है, ऐसे क्षेत्र हैं वहां पर आप ऊपर पाल का क्षेत्र बता सकते हैं। पर अब प्योर फारेस्ट कहां है वे फारेस्ट डेस्ट्राय हो चुके हैं। डेस्ट्रायड फारेस्ट कौन कौन से हैं ? पहले फॉरेस्ट को, जंगल को काटते हैं फिर काश्त करते हैं। इसलिए अब प्योर फारेस्ट नहीं हैं उसकी डेफिनेशन को अब बदलना होगा। आपने जंगल कटवा दिये और नाम लेना चाहते हैं प्योर फोरेस्ट का। राजस्थान में जितना बड़ा नुकसान फारेस्ट का किया है, वह तो एक अलग से स्कैंडल है जिसका उल्लेख करना मैं आवश्यक नहीं समझता। वह तो सारे पहाड़ देखकर ही कह सकते हैं कि किस प्रकार से जंगल का विनाश हुआ है।

सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य हो या कोई वेस्टर्न राजस्थान के सदस्य और या कोई सदस्य हों मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि भेड़ पालकों के नाम पर राजनीति नहीं लायें। यदि उन्होंने राजनिति लाने की कोशिश की तो बड़ा भारी झगड़ा किसानों में, काश्तकारों में फैल जाएगा और जगह जगह गोलियां चलने लगेंगी।

मैं इस सरकार को इस सदन में यह आश्वासन देता हूं कि हमारी पार्टी इसमें राजनिति नहीं लाना चाहती, हम उनको जो भी वो सहायता लेना चाहेंगे देंगे कितनी संख्या में भेड़ें वहां जा सकती हैं, इस आधार पर वहां तय किया जाये। इसके बाद भेड़ें बचती हैं तो कोशिश यह की जाय कि कौन

(76)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

से क्षेत्र ऐसे हैं जो कि अन्टच्ड हैं। लाखों भेड़ें भेड़पालकों की है। यदि उनके बारे में ध्यान नहीं दिया गया तो राजस्थान की इकॉनामी समाप्त हो जाएगी। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस बारे में फैसला करें डिले, नहीं करें।

श्री शिवचरण माथुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता महोदय ने हमारे सामने कुछ प्रश्न उठाये हैं। मैंने इसको कभी भी राजनीति का प्रश्न नहीं बनाया है। वह भी आंकड़ों की बात करते हैं। मैं भी उसी आधार पर कहता हूं। कहीं कोई राजनीति का सवाल नहीं है लेकिन उन्होंने राजनीति की बात कही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माफ करना, मैंने यह नहीं कहा है। आपने कहा है, मैं इसी आधार पर जीत कर आया हूं।

श्री शिवचरण माथुर : मैंने यह नहीं कहा है। आप प्रोसीडिंग्स देख लें। मैंने यह कहा है कि मेरे खयाल में यह समस्या है।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो यह कह दीजिये, अगर यह प्रोसीडिंग्स में है तो उसे एक्सपंज किया जाये। हमने तो देख लिया।

एक माननीय सदस्य : आपने यह स्वीकार किया था कि हम भेड़ पालकों के बल पर जीत कर आये हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मुख्य प्रश्न पर आइये। माननीय श्री शिवचरण जी माथुर।

श्री शिवचरण माथुर : मैं निवेदन करूंगा, अभी विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने कहा है। आप मेरे साथ आइये। अधिकारियों की बात छोड़ दीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अधिकारियों पर आम तौर पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है।

श्री शिवचरण माथुर : जो आंकड़े आपके पास है उसके आधार पर आप फैसला कर सकते हैं। आप हल निकालने के लिए तैयार हैं तो मैं स्वागत करता हूं।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के माननीय नेता महोदय ने कहा है कि इसको राजनीतिक समस्या नहीं बनायें। इस ओर से इस समस्या पर ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको नहीं कहा है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : उत्तर प्रदेश से भेड़ें आकर यहां इकट्ठी होती हैं। सारा उत्पादन आकर समाप्त कर देती हैं। राजस्थान में ऐसी स्थिति पैदा की जाये कि राजस्थान से बाहर भेड़ें ले जाने की आवश्यकता नहीं हो। यहां उद्योग धन्धे इस प्रकार के पनपें। इस समस्या को सरकार इस प्रकार से लेकर चले। यह भी प्रश्न नहीं उठता है कि हमारे क्षेत्र में या अमुक क्षेत्र में भेड़ें नहीं आयें। राजस्थान में ज्यादा क्षेत्र ऐसे हैं जिनका उपयोग नहीं लिया जाता है। किस क्षेत्र में

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

कितनी भेड़ें आयें इसके लिए फारेस्ट के अधिकारी पैसा खा रहे हैं। करौली में 5 लाख भेड़ें हैं। फारेस्ट विभाग के लोगों ने पैसा खा खा कर यह किया है। वहां कितना कितना बंटवारा हो रहा है, यह तो हम जानते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बताया कि उत्तर प्रदेश की भेड़ें धौलपुर क्षेत्र के सब डिवीजन में आई थीं। वहां उनको प्रवेश नहीं करने दिया गया। वहां जो लोकल आदमी हैं उनके लिए यह समस्या है। इस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप अधिकारियों को यह आदेश दे सकते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप आदेश दें। मैं रात को ही इस बारे में पढ़ रहा था यहां भेड़ों की बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, करौली और धौलपुर में भेड़ें हैं। वह केवल घास ही नहीं खाती हैं वह जहां बैठती हैं, वहां पेशाब करती हैं। उससे वहां घास पैदा नहीं होती है। वहां पर लगता है जैसे कि भयंकर अकाल है। बामनवास, गंगापुर, करौली, धौलपुर वहां पर आबादी की स्थिति भी देखनी चाहिए। जैसा कि पिछली सरकार ने किया था, उसी प्रकार से ध्यान देना चाहिए। भयंकर खराब स्थिति हो चुकी है। ग्राम पंचायत डूंडवा है, वहां पर भेड़ पालकों ने गोली चलाई है। हमारे आदमी मरे। यह भेड़पालक मारवाड़ के हैं। हमारे नेताओं की भेड़ें हैं। जब बरसात का टाइम आता है तो मारवाड़ की भेड़ें आकर ऐसा कर देती हैं जैसे भयंकर अकाल हो। मेरा निवेदन है कि इसका कोई जल्दी ही हल निकाला जाये। वहां पर भयंकर स्थिति होने जा रही है। इसका निर्णय बहुत जल्दी कर लें।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, सन् 1978 में सपोटरा से आने वाले माननीय विधायक ने यह प्रश्न उठाया था। "सन् 1978 में सपोटरा की डांग में हुए भेड़पालकों के साथ झगड़ों में गोलियां चलीं, जिसमें दो भेड़ पालक मर गये तथा कई घायल हुए। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने एवं स्थायी हल के लिए कई राजनेता भूख हड़ताल पर भी बैठे। लेकिन फिर भी समस्या का समाधान नहीं हो सका। अभी हाल ही में सवाई माधोपुर के जंगल में हुई डकैती में घायल भेड़पालक की मरहम पट्टी भी नहीं हो पायी।"

मैं यह बताना चाहता हूं कि भेड़पालकों की इतनी ताकत नहीं होती है कि वह डाकुओं का सामना कर सकें। पुलिस के लोग डाकुओं से मिले रहते हैं। डाकू लोग उनकी भेड़ों को उठाकर ले जाते हैं इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, उनकी जांच करवाई जाये।

(व्यवधान)

श्री रंगजी मीणा (सपोटरा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज,

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : हम तो चाहते हैं ताकि भेड़ें भी चली जावें और डाकू भी चले जावें।

× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार शब्द अपलोपित किया गया।

श्री रामधन (लाडनूं): अध्यक्ष महोदय, कोई भी भेड़ पालक अगर उसके घर में रोटी होती है तो उसको छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाता है। उनकी समस्यायें बहुत अधिक हैं। भेड़ पालकों की हालत खराब है उनका राजस्थान में प्रमुख उद्योग होने के बाद भी भेड़ पालकों का स्तर आज गिरा हुआ है। इसकी तरफ सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि केबिनेट की मीटिंग बुलाकर सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं उनके आधार पर जो समस्यायें उलझी हुई हैं उनका समाधान किया जाये। उस दिन भी मैंने निवेदन किया था कि भेड़ों को चरने की जगह मिलनी चाहिए और ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे कि किसानों के खेत भी नहीं उजड़ें। अगर इन दोनों समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो किसानों के ऊपर अत्याचार होगा। अध्यक्ष महोदय, अगर लाडनूं का आदमी यहां पर आए और कोई बात हो तो जयपुर वाले के बोलने वाले बीस आदमी मिल जायेंगे। इसी तरह से भेड़ पालक यदि दूसरों के इलाकों में जाते हैं तो वे लोग उनको मारते हैं। फिर मरता आदमी क्या नहीं करता, वह भी लड़ाई करता है। यह एक गम्भीर सवाल है इस पर अच्छी तरह से सोचकर निर्णय लिया जाना चाहिए।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रारम्भ में भी मैंने दो प्रश्न सदन के सामने रखे थे। माननीय सदस्यों के विचार सुनने के बाद मैं यह कह सकता हूं कि मोटे तौर पर दो प्रश्न रखे गये थे उन दोनों प्रश्नों से माननीय सदस्यों की सहमति है। एक प्रश्न था कि भेड़ राष्ट्रीय सम्पत्ति हैं इनकी सुरक्षा का दायित्व सरकार का है। दूसरा प्रश्न मैंने रखा था कि भेड़ों के कारण किसानों की खेती को नुकसान नहीं होना चाहिए। इन प्रश्नों पर कोई किसी प्रकार का मतभेद नहीं है।

कुछ प्रश्न और भी माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये उनके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। एक प्रश्न तो यह था कि भेड़ जिस रास्ते से जाय उसकी सुरक्षा की जाय जिससे किसानों की खेती को नुकसान नहीं हो। दूसरा प्रश्न यह है कि जंगलात के आधार पर भेड़ों की संख्या निर्धारित की जाय। मैंने यह निवेदन किया था कि जो भी वही समस्या है उसका समाधान एक साथ तो होता नहीं क्योंकि एक आदत पड़ी हुई है सालों से, उस आदत को छुड़ाने में समय लगता है। भेड़पालक जाते रहे हैं और जैसा कि मैंने प्रारम्भ में कहा था उदयपुर जिले में 13 हजार भेड़ें जाती थीं लेकिन अब इसके दबाव को कम किया गया है। मैं मानता हूं सरकार का यह कर्तव्य है इसमें किसी प्रकार के सन्देह की आवश्यकता नहीं है। सरकार दोनों पक्षों को समान रूप से देखेगी। इसमें किसी प्रकार के भेद की स्थिति हो यह मैं उचित नहीं समझता हूं। इसलिए जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं उनको आधार मानकर शीघ्र ही निर्णय लिया जायगा, इसमें विलम्ब नहीं किया जायगा।

इस चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों ने जंगलात विभाग के भ्रष्टाचार की बात भी कही। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जंगलात के अधिकारी या कर्मचारी भेड़पालकों से मिल कर इस तरह की कार्यवाही करते हैं, उसको रोकने का प्रयत्न किया जाना चाहिए और प्रयत्न किये जायेंगे। प्रश्न केवल यह है कि जो बीमारी

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)

फैली हुई है उसका निदान एक दिन में चाहते हैं यह सरकार के लिए मुश्किल है। आज अगर मैं यह कह दूं कि आज के बाद जंगलात विभाग के भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं आयेगी तो मेरे ख्याल से यह सरकार के लिए उचित बात नहीं होगी। जो भी सम्भव प्रयत्न हम कर सकते हैं उसको किया जायगा जैसा मैंने कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने की बात करते करते वर्षों हो गये। कितने वर्षों से चल रहा है और इसको रोकने के प्रयत्न भी चले होंगे इसमें दोराय नहीं हो सकता।

माननीय मदेरणा साहब ने एक और अन्य समस्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया था। मैं विश्वास दिलाता हूं कि यहां से जाने के बाद उस प्रश्न को देख कर जो भी समस्या का समाधान हो सकेगा वह समाधान करने की व्यवस्था की जायगी।

आज की तारीख में जो समस्या हमारे सामने हैं उसके लिए मैं माननीय सदस्यों को माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो समस्या है आप लोग इस समस्या के समाधान में सहयोग करें। मुझे आशा है निश्चित रूप से आपका सहयोग आपके क्षेत्र में किसानों की जो समस्या है जो भेड़ पालकों की समस्यायें हैं उनका समाधान करने के लिए मिलेगा।

जहां तक लम्बी योजना का प्रश्न है, पहले जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसको देख लेंगे और कोई आधार तय करना हो, समिति के गठन का प्रश्न हो तो उस पर विचार करेंगे परन्तु जो समस्या आज जिस स्थिति में पहुंच गई है उसका समाधान मेरे ख्याल से समिति के गठन से नहीं हो सकता है।

संक्षेप में मैंने आप से कुछ बातें कहीं। मैं फिर आप लोगों से निवेदन करूंगा कि महरबानी कर के इस समस्या को मानवीय दृष्टिकोण से और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देख कर सहयोग करें। सरकार आज या कल जो भी विचार कर के व्यवस्था कर सकेगी, करेगी, मैं यह विश्वास दिलाता हूं।

दल का गठन

जनता एस (चरणसिंह) दल एवं जनता पार्टी (जे. पी.) के पदाधिकारी

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। पार्टियों के निर्वाचित पदाधिकारियों की सूचना।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि विधान सभा के जनता पार्टी एस (चरणसिंह) व जनता पार्टी (जे. पी.) दलों ने अपने अपने दल के पदाधिकारियों की सूचना दी है जो निम्न प्रकार है :—

1— जनता एस (चरणसिंह) दल :

1.	श्री लच्छूराम	नेता
2.	श्री बहादुरसिंह	उपनेता
3.	श्री चाव खां	मन्त्री
4.	श्री भरोसीलाल	कोषाध्यक्ष
5.	श्री यदुनाथसिंह	सचेतक
6.	श्री महाराम	सदस्य
7.	श्री फतेहसिंह	सदस्य

2— जनता पार्टी (जे. पी.) :

1.	श्री हजारीलाल शर्मा	नेता
2.	श्री वीरेन्द्रप्रतापसिंह	उपनेता
3.	श्री कमलेन्द्रसिंह	सचेतक
4.	श्री गोपाल पचेरवाल	सचिव
5.	श्री देवीसिंह	कोषाध्यक्ष

(80)

व्यवस्था का प्रश्न

प्रत्येक एकांतरिक शुक्रवार को होने वाली बैठक में गैर सरकारी कार्य के लिये समय

श्री घनश्याम तिवाड़ी : व्यवस्था का प्रश्न है। विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 23 के अन्तर्गत यह लिखा है:—

"प्रत्येक एकांतरिक शुक्रवार को होने वाली बैठक के अन्तिम ढाई घन्टे गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के सम्पादन के लिए नियत किये जायेंगे।"

तो, अध्यक्ष महोदय, यह सत्र शुक्रवार को प्रारम्भ हुआ था। आज शुक्रवार है। मेरा संकल्प आज की तारीख में ही है। अतः आप उसको लें।

श्री अध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन है उसके अनुसार कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। यदि आपका कोई संकल्प या प्रस्ताव हो, उसको लिया जाये, इसकी आप पूर्व सूचना सदन को दे सकते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह समिति के प्रतिवेदन अनुसार लिया जाये। जो अध्यादेश मन्त्री महोदय पेश करने जा रहे है उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन कर रहा हूं। श्रीमान्, इस अध्यादेश का राज्य में··

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अभी प्रस्ताव आया नहीं है।

विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करने वाले सदस्य द्वारा संक्षिप्त व्याख्यात्मक वक्तव्य

श्रीमती कमला (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधन) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं।

श्री गोपाल पचेरवाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि··

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यादेश जारी करने के साथ····

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय द्वारा राष्ट्रपति शासन में यह अध्यादेश जारी किया गया था....

श्री अध्यक्ष : इसका इन्ट्रोडक्शन की स्टेज पर विरोध नहीं किया जाता।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पिछले दो वर्षों में जितने भी अध्यादेश रखे गये हैं उनका इन्ट्रोडक्शन के समय विरोध किया गया है। उसको माने या किसको माने....

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप रिकार्ड को देखें।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राजगढ़) : No, no. Never, never.

(व्यवधान)

उसको अब इन्ट्रोड्यूज कर दिया।

श्री गोपाल पचेरवाल : नियम 64 में लिखा है, मैं इस सम्बन्ध में निवेदन कर रहा हूं:

"यदि किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाये तो अध्यक्ष,"

(श्री गोपाल पचेरवाल)

यदि अनुमति के आधार पर है तो मैं इसका विरोध कर रहा हूं।

"यदि वह ठीक समझें तो प्रस्ताव करने वाले सदस्य और प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य द्वारा संक्षिप्त व्याख्यात्मक वक्तव्य दिये जाने की अनुज्ञा देने के बाद बिना अग्रेतर वाद-विवाद के प्रश्न रख सकेगा।"

श्रीमान्, मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि जो अध्यादेश ऐसे प्रश्न पर जारी किया जा चुका है उसे

(व्यवधान)

जो यह अध्यादेश जारी किया इसके संबन्ध में मेरा निवेदन है कि चेयरमेन अपना कार्य ईमानदारी से, निष्ठा से कर रहे हैं तो

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री जयकृष्ण शर्मा : आप यह कहते हैं कि हमने···

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज।

श्री डाऊदयाल जोशी : राजस्थान लोक सेवा आयोग में उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद···

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री अध्यक्ष : श्री परसराम मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि इन्ट्रोडक्शन के स्टेज पर अपोज नहीं किया जाता। माननीय सदस्य, रूल 64 में है···

(व्यवधान)

'If a motion for leave to introduce a Bill is opposed, the Speaker, after permitting if he thinks fit, a brief explanatory statement from the member who moves and from the member who oppose the motion, may without further debate put the question'

मैं यह निवेदन करूंगा कि अभी जो विधेयक को पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ उसके सम्बन्ध में विपक्ष के नेता ने कहा है उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इन्ट्रोडक्शन स्टेज के ऊपर अभी भी उस वक्त, जब तीन साल पहले आप विपक्ष में बैठते थे, अपोज नहीं किया गया। यह गलत परम्परा डाल रहे हैं। पहले भी इन्ट्रोडक्शन स्टेज के अन्दर कभी विरोध नहीं हुआ। आपको अवसर मिलने वाला है, आप स्टेट्यूटरी मोशन ला सकते हैं 213 के अन्दर आप दूसरी तरह से पब्लिक ओपीनियन के लिये सर्कुलेट करने का और सलेक्ट कमेटी को रेफर करने का मोशन कर सकते हैं। स्टेट्यूटरी मोशन ला सकते हैं। स्टेट्यूटरी मोशन पेश करके सदन में रिजेक्ट भी करवा सकते हैं। मैं समझता हूं कि यहां पर यह परम्परा 28 वर्षों से है और माननीय सदस्य नई परम्परा डाल रहे हैं, इन्ट्रोडक्शन स्टेज पर कभी भी बिल अपोज

(श्री परसराम मदेरणा)

नहीं हुआ है और न आसन ने इस बात की परमीशन दी है कि इन्ट्रोडक्शन स्टेज पर बिल को अपोज किया जाए।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री राज बहादुर।

श्री राज बहादुर : मुझे यहां की परम्परा के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन अगर सदस्य सुनना चाहें तो यह कोई ब्लेंकेट रूल नहीं है यह मेनडेटरी है कि इन्ट्रोडक्शन के की स्टेज पर अपोज नहीं किया जा सकता। किसी भी बिल के बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल को अगर कोई अपोज करना चाहे तो इन्ट्रोडक्शन स्टेज पर भी अपोज किया जा सकता है, वोट भी लिया जा सकता है और यह कहने का सदस्यों का अधिकार भी है। इन्ट्रोडक्शन स्टेज पर अपोज करने का कोई भी मोशन होता है तो उस सदस्य को अधिकार होता है अपोज करने का। यह पाइन्ट आफ आर्डर है कि इन्ट्रोडक्शन स्टेज पर कोई नहीं बोल सकता, यह गलत है।

श्री गोपाल पचेरवाल : आसन से इजाजत मांगी है···

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो 28 सालों से परम्परायें हैं उनको तोड़ना उचित नहीं है इसलिए मैं उसको अस्वीकार करता हूं।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधन) विधेयक, 1980

श्रीमती कमला (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधन) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधन) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्रीमती कमला : मैं राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधन) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करती हूं।

मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधन) अध्यादेश, 1980 (अध्यादेश संख्या 1 सन् 1980) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखती हूं।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद। श्री राज बहादुर।

श्री राज बहादुर (भरतपुर): अध्यक्ष महोदय, बहुत ध्यान से और आदर के साथ राज्यपाल का अभिभाषण सुना। धन्यवाद का प्रस्ताव हमारे साथी, हमारे मित्र श्री शिवचरण माथुर ने रखा वह भी सुना, समर्थन हुआ वह भी सुना। सर्व प्रथम जो भावना मेरे मन में जाग्रत हुई, जो पहले पन्ने थे, मैंने उनको बड़े ध्यान से पढ़ा। मुझे यह लगा कि जो परम्परा और मर्यादा राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के अभिभाषण की होती है जिसका इशारा 76 (1) में भी है। उसके अनुकूल नहीं है। यह अभिभाषण किसी पोलिटिकल पार्टी या शासक दल की पोलिटिकल विचार धारा के प्रतिपादन के लिए नहीं है और न यह कोई इन्स्ट्रूमेंट है, या हथियार है विरोधी पार्टियों पर

(श्री राजबहादुर)

पैनाने के लिए। यह तो ब्राड पर्पज सर्व करता है कि प्रशासनिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, विकास की दृष्टि से क्या सरकार और शासक दल करना चाहता है और उस के बारे में मैं बहुत विनम्रतापूर्वक कहूंगा थोड़ा ही। मैं 176 (1) बता दूं उसमें यह है कि "....the Governor shall address the Legislative Assembly or, in the case of a State having a Legislative Council, both Houses assembled together and inform the Legislature of the causes of its summons" किन्तु उक्त अभिभाषण के द्वारा उसमें पोलिटिकल प्रचार नहीं होगा और पोलिटिकल फ्लिंग्स अथवा राजनैतिक बाण नहीं चलाया जायगा लेकिन पहला पेज पढ़ लीजिये पूरा, ऐसा लगता है कि बाणों से भरा हुआ है।

मैंने बहुत खोज करने की कोशिश की कि क्या ब्राड फ्रेम वर्क है नक्शा है, नए शासक दल और नई हकूमत की नीतियों का, वे क्या चाहते हैं, यह मैंने जानना चाहा मैंने सोचा कि शायद अकाल और अकाल की समस्या बार बार सताती है, कोई स्थाई हल हमें मिलेगा, संकेत मिलेगा लेकिन वह नहीं मिला। लॉ एण्ड आर्डर की समस्या जिस पर इतना वादविवाद हो रहा है, इतने लोग चिंतित हैं उसका स्थाई हल मिलेगा। यहां यह लिखा गया है: "उल्लेखनीय सुधार किया जायगा"। उल्लेख कौन करेगा ? पता नहीं लेकिन सुधार होगा, क्या होगा किन दिशाओं में होगा, पुलिस शासन का क्या बनायेंगे आप, यह समझ में नहीं आया। यह आशा की जा सकती थी कि जो साधन हैं हमारे राजस्थान के उनका व्यापक दृष्टि से या दूर दृष्टि से क्या उपयोग किया जाए, कोई संकेत नहीं मिला।

इसके अतिरिक्त कुछ शब्द मैं पढ़ना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि क्या किसी भी अभिभाषण में जो आज तक दिया गया हो किसी भी विधान सभा में अथवा पार्लियामेंट में क्या ऐसे शब्द प्रयोग किए गए हैं। हां यह माना कि शासक दल भारी बहुमत से पिछले चुनाव में जीत कर आया है, 133 सदस्य उनके यहां हैं लेकिन चाहे कोई पार्टी हो, राज्यपाल बोल रहे हैं, वह शासक दल के भी हैं और विरोधी दल के भी हैं, उनके द्वारा दूसरी पार्टियों के लिए फासिस्टवादी, साम्प्रदायिकवादी प्रतिक्रियावादी आदि आदि जितने विश्लेषण हैं प्रयोग किए गए हैं। आप कहते हैं यह ठीक है राज्यपाल से कहलाते हैं, यह अशोभनीय नहीं है। आप कहते हैं अटूट विश्वास अटूट आस्था जनता ने व्यक्त की है। आपने कहा, 1977 का निगेटिव वोट था, संदेह नहीं हम एकदम सहमत हैं, न हम से गलतियां होती, न जनता पार्टी का भानुमति के कुनबे का शासन काल आता, कोई संदेह नहीं। 1977 का वोट निगेटिव वोट था। लेकिन अब 1980 में भी क्या था ? जनता पार्टी के विभिन्न घटकों से जो आशायें थीं जनता की, वे पूरी नहीं हुई, जनता पार्टी टूट कर बिखर कर टुकड़े टुकड़े हो गई। लोगों ने सोचा इससे तो पहले ही अच्छा था, वह भी निगेटिव वोट था, निगेटिव वोट 1977 में था और 1980 का भी था। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि सब पार्टियां बिखरी हैं, कौनसी पार्टी नहीं बिखरी ? इस दिल के टुकड़े हजार हुए कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा।

(84)

श्री दिनेश डांगी : Once more.

श्री राजबहादुर : कांग्रेस पार्टी का शानदार इतिहास रहा 90-92 साल का। मैं कहूंगा कि पीढ़ियों का इतिहास लिखा जाएगा। जिन्होंने कांग्रेस को बनाया उनका इतिहास लिखा जायगा गर्व के साथ, बड़े बड़े नाम है, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता, वे हमारे देश के पूज्य हैं, सर्वमान्य हैं उनके नाम व काम लिखे जायेंगे कि कैसी परम्परायें सभ्यता व संस्कृति उन्होंने स्थापित कीं। कांग्रेस किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। कांग्रेस नाम है कुछ मूल्यों का, कुछ पोलिटिकल इतिहास का, कुछ कल्चर अथवा संस्कृति का, कुछ मान्यताओं और आदर्शों का नाम है, चलन और व्यवहार का नाम है। अगर यह कांग्रेस का नाम खाली व्यक्तियों से जुड़जाता है तो यह परम्परा नहीं है, कांग्रेस की। मुझे याद है गान्धी जी चाहते थे पट्टाभी सीतारमय्या अध्यक्ष बनें, सुभाष बोस चुनाव लड़े और वह जीते। गांधी जी ने माना। हम को मालूम है गांधी जी नहीं चाहते थे कि देश का बंटवारा हो लेकिन नेताओं ने कहा और बंटवारा हुआ। गांधी जी ने स्वयं माना और ए०आई०सी०सी० से मनवाया। हमें यह भी याद है पण्डितजी चाहते थे कि राज गोपालाचारी राष्ट्रपति बने और राजेन्द्र प्रसाद न बने लेकिन राजगोपालाचारी के पीछे बहुमत नहीं था, उन्होंने माना राजगोपालाचारी राष्ट्रपति नहीं बने, राजेन्द्र बाबू बने। इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, नहीं चाहते हुए भी जवाहरलाल नेहरू ने कृष्णा मैनन को अपनी केबिनेट से निकाला और उनके बदले चव्हाण साहब आये। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस की कुछ परम्परायें थीं और उन्हीं परम्पराओं के अनुसार कांग्रेस में काम होता था।

श्री दिनेश डांगी : आपकी अब कांग्रेस की कोई परम्परा नहीं थी।

श्री राजबहादुर : यह आपको कहने का अधिकार नहीं है। आपके यहां परम्परा नहीं है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोग इसको गम्भीरता से सोचें। मैं तो इसके बारे में अधिक नहीं कहूंगा और इस कन्ट्रोवर्सी में भी नहीं पड़ना चाहता हूं। आने वाला इतिहास है वह बतायेगा कि कौन सही था।

(व्यवधान)

आप लोग मेरी बात पहले सुन लें। आप अपनी बात चाहे अनुसार कहें। मैं तो आपको बख्श दूंगा पर आने वाला इतिहास आपको बख्शने वाला नहीं है। यहां पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि देश की राजनीति अब बिखर गई है, सभी पार्टियां बिखर गई हैं और देश में राजनैतिक अस्थिरता आ गई है। आज देश की राजनीति को देख कर मुझे लज्जा होती है। जो राजनैतिक पार्टियां होती है उनकी कुछ वेल्यूज होती है। उनके द्वारा कुछ काम किये जाते हैं। पर पता नहीं आज सारी वेल्यूज कहां गईं? मैं तो सत्ता पार्टी वालों से अनुरोध करूंगा कि वह कुछ सोचे कि वह क्या कर रहे है। मैं तो समझता हूं कि आज वह कुछ नहीं कर रहे हैं देश की समस्याओं के बारे से सिवाय इसके कि बड़े बड़े स्लोगन देते हैं और नारों से लोगों को दबाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत ही दुःख के साथ कहना पड़ता है कि कल यहां पर सदन में बलात्कार कांडों की चर्चा चल रही थी, एक पक्ष अपनी बात कह रहा था तो

85

(श्री राजबहादुर)

दूसरी ओर सत्ता पक्ष उसके खिलाफ बोल रहा था। अध्यक्ष महोदय, जहां तक सवाल मां बहनों की इज्जत का है, जहां सवाल ऐसा हो वहां तो कम से कम इस प्रकार की पक्ष विपक्ष की बातें नहीं होनी चाहिये। मां बहनों की अस्मत को नहीं लूटा जा सके, उनकी इज्जत बचाने के लिए कुछ तो प्रबन्ध होना चाहिये। यहां पर सत्ता पक्ष वाले इतनी शेखी बघारते हैं। आप लोग अपनी शेखी बगारने की होड़ लगाते हो कि हम इतने जीत कर आये हैं

(व्यवधान)

आप शांति से सुनिये।

आप जो आज अर्स कांग्रेस बात को कह रहे हो मैं तो यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अर्स कांग्रेस ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और दूसरी कोई भी कांग्रेस कांग्रेस नहीं है। आपकी पार्टी का कोई विधान नहीं है। मेरी पार्टी है जिसका विधान है, जिसका पिछला इतिहास है। मुझे राष्ट्रीय कांग्रेस पर गर्व है और मैं इसी कांग्रेस में हूं और रहूंगा।

श्री दिनेश डांगी : आपका कोई विधान नहीं है न ही आपकी कोई असली कांग्रेस है। आप असली कांग्रेस की प्रोपर्टी को हड़प कर बैठ गये हैं। इसका तो कोर्ट ही फैसला जब करेगा तो आपको पता चलेगा।

श्री राजबहादुर : जो भी फैसला होगा वह सही होना चाहिये क्योंकि सफेद को आप काला नहीं कर सकते और काला हमेशा काला ही रहेगा। आप काले को सफेद नहीं, कर सकते हैं। जो भी हो आप घबराइये नहीं, जो भी फैसला होगा वह होगा। पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि आपकी पार्टी में जो भी निर्णय होता है वह निर्णय आप नहीं करते हैं। डेमोक्रेटिक वे में आपके यहां कोई निर्णय नहीं होता। आप यहां पर बैठे हैं, क्या आप बता सकते हैं कि आपके बारे में निर्णय किसने किया और वह निर्णय कैसे हुआ यहां? प्रश्न आपके लिए बहुत है आप इसका ही उत्तर नहीं दे पाओगे। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि पता नहीं आपके यहां क्या हो रहा है। ऐसा मालूम होता है कि जैसे आप यहां किसी ब्रांच आफिस में हो और आपका सेन्ट्रल आफिस कहीं दूसरी जगह हो। जो भी फैसले होता है आपके ब्रांच आफिस का वह सेन्ट्रल कन्सर्न्ड आफिस से होता है। मैं तो आपसे कहता हूं कि आप जरा प्रांत की कठिनाइयों को गम्भीरता से लें। यह ठीक है कि आप भारी बहुमत से आये हैं लेकिन अगर आप इसको भी गम्भीरता से देखें तो पता लगेगा कि आपकी जीत कोई जीत नहीं है। मेरे पास इलेक्शन आफिस से जो किताब निकली है वह मौजूद है, मैंने उसको पढ़ा है तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि आपने जो 133 सीटें जीती हैं उनमें से आपको 50 प्रतिशत वोट सभी को नहीं मिले हैं। इन 133 सीटों में से 50 प्रतिशत वोट पाने वाले सिर्फ 59 सदस्य हैं। बाकी जो 74 सदस्य हैं उनको 50 प्रतिशत से कम वोट मिले हैं।

(व्यवधान)

आप शांति से सुनिये।

जहां तक सवाल गठबन्धन का है गठबन्धन तो हुआ ही नहीं कोई समझौता नहीं हुआ। अगर होता तो दूसरी बात होती। पर मैं आपको इन वोटों के आधार पर यह कह सकता हूं कि यह आपके लिए एक चुनौती है। आपको भी जनता ने स्वीकार नहीं किया है अगर जनता पार्टी को नहीं किया है तो।

श्री विष्णुप्रकाश बाजारी (ब्यावर) : आप तो अल्प मत में हैं।

श्री राजबहादुर : आप अपनी शेखी बघार रहे हैं। मैं तो आपको जो चुनावों में आप वोट लेकर आये उसकी कह रहा हूं। वैसे अगर आप मेरी बात सुनना चाहें तो सुनें और अगर मेरी बात को आप नहीं सुनना चाहते हैं तो न सुनें। यह आपकी इच्छा है। बाकी दूसरे लोगों को 42 प्रतिशत वोट मिले हैं।

श्री विष्णुप्रकाश बाजारी : आपकी पार्टी को कितने मिले हैं।

श्री राजबहादुर : आपकी निगाह में तो हमारी पार्टी को तो जीरो पर्सेंट मिले हैं आप लोग जो शेखी बघारते हो इसलिए बता रहा हूं। और चूंकि आप जीत कर आये हो आपकी जीत की असलियत क्या है, कुछ आपको उसके विषय में बता दूं।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं दूसरी बात पर आता हूं। जैसा मैंने पहले निवेदन किया इस पूरे अभिभाषण में कहीं भी प्रोग्राम और कार्य का भविष्य में रूप या नीति क्या होगी, उसका संकेत कुछ भी नहीं है। यहां पर पिछले कुछ महीनों में कानून और व्यवस्था में गड़बड़ियां हुई उसके लिये इसमें लिखा कि हर क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार होगा। किन्तु अध्यक्ष महोदय अभिभाषण में सब जगह 'गा' और 'गी' का प्रयोग किया गया है, कहीं भी ठोस तरीके पर यह नहीं बताया कि क्या किया गया है? इस सारे का आधार क्या है। अब फिर बना रहे हैं 20 सूत्री कार्यक्रम को अपना एक मा आधार, अध्यक्ष महोदय, 20 सूत्री कार्यक्रम को मैं भी मानता हूं। 20 सूत्री कार्यक्रम में मेरा भी विश्वास है। जिस वक्त कांग्रेस के टुकड़े नहीं हुए थे? उस वक्त यह मंजूर हुआ था, किन्तु वह घर ही बरबाद कर दिया गया है। मजबूर होकर कहना पड़ता है—

नशेमन अपने लुटने का जो गम होता तो क्या गम था।

यहां तो बेचने वालों ने गुलशन बेच डाला है

असली बात तो यह है, अध्यक्ष महोदय, असली 20 सूत्री कार्यक्रम लागू ही कहां हुआ है। यहां पर 20 सूत्री कार्यक्रम को तो पीछे धकेल दिया गया और उसके स्थान पर पांच सूत्री कार्यक्रम आगे लाया गया। पांच सूत्री कार्यक्रम के द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम का डाइवर्शन कर दिया गया। 20 सूत्री कार्यक्रम को हटा कर सभी बातें वृक्षारोपण, नसबन्दी, शिक्षा वगैरह के कार्यक्रमों को जो पांच सूत्री कार्यक्रम थे उनको प्राथमिकता दी गई। यह तो ऐसे कार्यक्रम नहीं थे जिनके जरिये से कोई आर्थिक क्रान्ति, सामाजिक क्रान्ति होती। वह तो आर्थिक और सामाजिक क्रान्ति वाले कार्यक्रम थे ही नहीं। महज सुधारवादी कार्य थे उस 5 सूत्री कार्यक्रम में यह डाइवर्सरी टेक्टिक्स थे.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, पूरा 20 कार्यक्रम आप लागू नहीं करें पर उसमें से आप तीन बातें ही लागू कर दीजिये। भूमिहीनों को भूमि दिलादो, मजदूरों को........

(व्यवधान)

श्री विनेश डांगी : आप अगर पांच सूत्री कार्यक्रम को नहीं अपनाओगे तो कांग्रेस में नहीं आ सकोगे।

श्री राजबहादुर : तो, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि भूमिहीन किसानों, छोटे किसानों और अन्य गरीबों और निर्धनों का इकानोमिक एक्सप्लोइटेशन मत होने दीजिये। इसका एक ही रास्ता है।

(व्यवधान)

(3.39 म. प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति पदासीन)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय; यह डांगी जी बार-बार 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में बोल रहे हैं। इनको यह तो कह दो कि खड़े होकर 20 सूत्री कार्यक्रम के 20 सूत्र क्या हैं यह तो बता दें नाम गिना दें 20 के आप।

श्री दिनेश डांगी : उन 20 सूत्री कार्यक्रमों में से 8 सूत्र तो आपने शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के समाप्त कर दिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो 20 सूत्र क्या हैं यह बता दो।

श्री दिनेश डांगी : आप उन 8 सूत्रों के नाम गिना दो जो आपने समाप्त किये हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप कोई हैड मास्टर हैं क्या जो हमारी आप क्लास ले रहे हैं।

श्री दिनेश डांगी : आपने 20 सूत्री कार्यक्रमों में 8 सूत्र तो जो अनुसूचित जाति और जनजाति के थे वह मिटाये हैं उनके नाम बता दीजिये।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं सत्ता पक्ष के लिये कि आज हमारे देश और खास तौर से राजस्थान में जो गम्भीर समस्यायें हैं उनको हल करने के लिये क्या विरोधी दल तथा शासक दल सभी एक व्यापक दृष्टिकोण को लेकर राष्ट्रीय आधार के कार्यक्रमों पर सहमत नहीं हो सकते? क्या यह असंभव है? कथनी और करनी का अन्तर दूर कर ठोस कार्य किया जावे।

एक समस्या राजस्थान की अकाल की है। कल मेरे एक साथी ने यह ठीक बात कही थी कि अकाल को दैवयोग से जोड़ दिया जाता है। मेरा कहना यह है कि अकाल पर काबू पाया जा सकता है। जब से राजस्थान बना है उससे पहले से न जाने कितने करोड़ रुपये इस अकाल की समस्या पर खर्च हुए होंगे। कौन नहीं जानता इसको। मैं समझता हूं कि लगभग दो हजार करोड़ रुपये जब से राजस्थान बना है राजस्थान के अन्दर अकाल में राहत कार्यों पर खर्च किया गया होगा। यह मेरा अनुमान है। मैं आंकड़े इकट्ठा करना चाहता था लेकिन जमीन पर क्या है, सतह पर क्या है। वह हमारे सामने है। आप शांति और गम्भीरता से सोचें कि यह अकाल की समस्या हल नहीं होती है, और हर वर्ष सूखे का मुकाबला करना पड़ता है, पश्चिमी राजस्थान का बहुत बड़ा भू-भाग इससे घिरा रहता है; जकड़ा रहता है तो क्या कीजिएगा? अगर यह अकाल की समस्या बनी रहती है तो आप सच मानिये राजस्थान तरक्की नहीं कर पायेगा। सरकार के मन्त्रियों को नोट करना चाहिए और सरकार को नोट करना चाहिये कि अगर बाढ़ की समस्या को आसाम और बंगाल में राष्ट्रीय समस्या मानकर केन्द्रीय सरकार चलती है तो डेजर्ट रिक्लेमेशन याने राजस्थान में डेजर्ट को हरा-भरा बनाना, उपजाऊ बनाना और फेमिन को भी राष्ट्रीय समस्या माना जाकर

(श्री राजबहादुर)

चाहिये और इसके ऊपर केन्द्र को खर्च करना चाहिए और फाइनेन्स कमीशन के जरिये से नये मंत्रिमण्डल को और मुख्य मंत्री जी को इस बात के लिये मूव करना चाहिए, अनुरोध करना चाहिए। यथा सम्भव हम भी उनको सहारा देंगे और सहयोग देंगे लेकिन यह चीज ऐसी है कि इसको आप सिद्धांत रूप से मनवायें। इस भूमि को उपजाऊ बनाने एवं हर वर्ष के अकाल से लड़ने के काम और खर्च का केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य से क्या कहूं। नया मुल्ला अल्लाह ही अल्लाह पुकारता है। कल तक तो आर. एस. एस. में थे और आज उधर चले गए तो बीच में बोलते हैं। आप बोलेंगे तो मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा फिर आप क्यों करते हैं।

श्री भंरोंसिंह शेखावत : हिन्दू से मुसलमान होता है तो वह शेख कहलाता है और वह ज्यादा खतरनाक होता है।

श्री राजबहादुर : यह चीज ऐसी है जिसमें पार्टी का सवाल ही नहीं है और गम्भीरता से उस बात को लेना चाहिए

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान न डालें।

श्री राजबहादुर : इसी प्रकार अल्प संख्यकों की समस्याओं का प्रश्न है। उनके जो वाजिब हक हैं, उनको दिलाना जरूरी है। उनके कब्रिस्तान पर जगह-जगह नाजायज कब्जे कर रहे हैं। बड़ी-बड़ी मस्जिदें हैं जहां लोगों ने कब्जे कर लिए हैं क्या उनको छुड़वायेंगे। यह ऐसी बात है जिसमें कोई मतभेद नहीं हो सकता। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इसके बारे में ध्यान दे। आपने राज्यपाल के अभिभाषण में कहीं देखा अल्प संख्यकों की समस्याओं के बारे में जो कि इतनी व्यापक समस्याएं हैं। आज पढ़े लिखे लोगों की बेरोजगारी की समस्या है, बिना पढ़े लिखे लोगों की बेरोजगारी की समस्या है, स्किल्ड और अनस्किल्ड लोगों की बेरोजगारी की समस्या है, सेमी-स्किल्ड लोगों की समस्या है। यह समस्या अत्यन्त गम्भीर बन जायगी और हमने परवाह नहीं की तो यह भयंकर बन जायगी। आप ऐसे कारगर कदम ढूंढिये जिनसे कुछ राहत मिले बेरोजगार नौजवानों को। जब पंजाब में यह समस्या नहीं है तो राजस्थान में क्यों हो। पंजाब ने बेरोजगारी दूर करने के लिये एक लुधियाना बनाया है। केन्द्र की सहायता से नहीं बनाया तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हम सब लोगों को मिल कर सोचना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। हमें राजस्थान में अनेक लुधियाना बनाने हैं। राजस्थान में गीर यह कर पायेंगे तो कुछ बात होगी।

मैं मूल्यों के बारे में बहुत बात नहीं करना चाहता हूं क्योंकि इसके लिए आपने बहुत वायदे किये थे। इतना जरूर कहूंगा कि प्राईसेज (मूल्य) काबू में नहीं आ सकतीं जब तक कि प्रोडक्शन (उत्पादन) के मीन्स पर राजस्थान सरकार का पूरा कंट्रोल नहीं हो, कण्ट्रोल का मतलब यह है कि जिस चीज का भी प्रोडक्शन (उत्पादन) हो। चीनी हो या कपड़ा हो, उन पर पूरी तरह से कन्ट्रोल होना चाहिए डिस्ट्रिब्यूशन, मशीनरी, वितरण यन्त्र पर। जब तक यह नहीं होगा उस समय तक स्थिति काबू में नहीं चल सकती। लेकिन यहां दूसरी बात हो रही है और वह यह हो रही है कि बजट में संरक्षण किस को मिल रहा है। बजट में संरक्षण मिल रहा है तो कैपी-

(श्री राजबहादुर)

टेलिस्ट तत्वों को ओर केन्द्रीय बजट द्वारा दिशा मोड़ दी गई है। सेन्ट्रल बजट अभी यहां डिस्कस नहीं हो रहा है लेकिन उदाहरण के रूप में कहना चाहता हूं कि हमारी नीति यह थी यानी कांग्रेस की नीति यह थी कि किसी उद्योगपति को कर्जा दिया है और कर्जा नहीं चुक रहा है या देरी हो रही है तो उस कर्ज के बदले में इक्विटी शेयर को बदल दिया जा सकता था। हमारे यहां एक मानी हुई नीति थी कि (The public sector will occupy the commanding hights of our economy) काबू किस का होगा? पब्लिक सेक्टर का वर्चस्व होगा। हमारी आर्थिक नीति पर अब क्या हो रहा है कि कन्वर्टिबिलिटी क्लाज एक प्रकार से एबोलिश कर दिया गया है अब की बार उक्त बजट में। एक और प्रावधान कर दिया है वह यह कि किसी भी निजी क्षेत्र की कम्पनी में हम 40 पर्सेन्ट से ज्यादा शेयर नहीं ले सकते। अब तक यह था कि मेजोरिटी शेयर होल्डिंग आकुपाई कर सकती थी। इसका मतलब यह है कि जो पालिसी आज तक चली आ रही थी, जो कि कांग्रेस की सेन्ट्रल गवर्नमेंट की पालिसी थी और कांग्रेस पार्टी की पालिसी थी, जो कि स्वयं श्रीमती इंदिरा गांधी की पालिसी थी उसके विपरीत बातें हो रही हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि यह जो चीजें हैं इनको आप देखें कि किस प्रकार से आपने इनको समझा है, देखा है और आपकी भावी नीति क्या होगी?

एक बात राजस्थान केनाल की कहूंगा। यह भी चीज ऐसी है कि जिस पर हम सब को गौर करना है। कब इस योजना को पूरा होना था और आज तक कितनी हुई है। मैं कास्ट यानी खर्चे के आधार पर बता रहा हूं। पहली स्टेज में 200 करोड़ लगने थे जिसमें से 183.090 करोड़ लगे, फिर दूसरी स्टेज पर 246 करोड़ थे; 246 में से 44.08 लगे, 446 करोड़ में से 223 करोड़ लगे और इस वर्ष के अन्त तक कुल मिलाकर 282.62 करोड़ होगा। फिर भी 163.38 करोड़ हमें खर्च करना बाकी है। 94 करोड़ रुपये का राज्यपाल के भाषण में जिक्र आया, वह प्रावधान किया है। वह पांच वर्षों में खर्च होगा। उसके अलावा यह साफ नहीं है कि बाकी रुपया क्या फाइनेन्स कमीशन देगा या केन्द्रीय सरकार देगी या राजस्थान सरकार को ही लगाना होगा। यह सारा डेजर्ट रिक्लेमेशन में आ सकता है।

आज स्थिति क्या है? राजस्थान में जहां कहीं सिंचाई का नाम आता है तो उसमें या तो राजस्थान कैनाल का नाम ले लेंगे या फिर माही प्रोजेक्ट का नाम ले लेंगे। इसके अलावा राजस्थान का बहुत बड़ा सीर, हिस्सा है रावी और व्यास के पानी में। ऐट मिलियन (80 लाख) एकड़ फीट आपको मिलना था। मैं आपको आंकड़े दे देता हूं जिससे मालूम हो जायेगा कि कितना आपका सीर थी। पहले 1921-22 से 1945-46 तक कितना पानी मिल सकता था, इसका एनुअल एवरेज निकाला गया। तो टोटल 19.250 मिलियन एकड़ फीट एवरेज हुआ था। इसमें से कुछ पहले से कमिटेड था 15.492 मिलियन एकड़ फीट। इसमें से पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और हरियाणा को 6.12 मिलियन एकड़ फीट मिलेगा। दुबारा इसकी नापतोल हुई और 1921-1922 से लेकर 1970-71 के एवरेज निकाले गये तो

(श्री राजबहादुर)

19.250 मिलियन एकड़ फीट के बजाय 20.296 मिलियन एकड़ फीट हुआ। इसमें जो टोटल अवेलेबिलिटी हुई वह 16.511 मिलियन एकड़ फीट की हुई। इसके आधार पर राजस्थान का शेयर 52.61% है। इसका मतलब यह है कि हमें 8.655 हजार मिलियन एकड़ फीट मिलना है। अब सवाल यह है कि इस पानी को कब तक इस्तेमाल करेंगे। खाली व्यास पर पोंग डेम बना है और अभी रावी पर नहीं बना है। यह सारा पानी पाकिस्तान में जा रहा है और जाता रहेगा या पंजाब और हरियाणा में चला जायेगा। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहीं जिक्र नहीं इसका? इस पर पंजाब और हरियाणा ने काबू कर लिया तो फिर हमें हमारा हिस्सा नहीं मिलने वाला है। यह मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, यह केन्द्र के इंजीनियर्स की बात कह रहा हूं। उनका कहना है कि 15 से 20 साल लगेंगे राजस्थान को इसका उपयोग करने में। इसलिए हरियाणा ने क्या किया वह देखना है। उसने जो रावी और व्यास का पानी था उसको भाखरा और सतलज में डाला और वहां से नयी नहर बना रहे हैं और उसके जरिये 7 हजार क्यूसेक्स फीट लेगा ताजेवाला से।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मुझे थोड़ा समय मिलना चाहिए। मैं वही बात कहूंगा जिससे आप सब सहमत होंगे।

श्री सभापति : समय का भी ध्यान रखें।

श्री राजबहादुर : जी हां, जरूर ध्यान रखूंगा मैं।

मैं आपसे विनती कर रहा था कि उन्होंने उसमें ताजेवाला से पानी लाकर डाला है। अगर हम भी पानी भाखड़ा में डालें तो आप झुंझुनूं को पानी दे सकते हैं। हरियाणा वाले ओखला से पानी लाये हैं और गुड़गांव तक ले गये हैं। आपका झुंझुनू और चुरू का इलाका आता है। ओखला से अलवर और भरतपुर को पानी आ सकता है। भरतपुर के नाम पर चिढ़िये नहीं। अलवर में खूब पानी आता है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : आपने पैसा बरबाद किया है इस योजना पर।

श्री सभापति : व्यवधान न डालें।

श्री राजबहादुर। पैसा बरबाद किया होगा, पैसा लूटा नहीं होगा, पैसा खाया नहीं होगा। इतना कहना काफी है इसके कहे बिना और कोई चारा नहीं है। व्यास, रावी और गंग का पानी मिल जावे हमारे बाट का तो फिर सिंचाई के सम्बन्ध से हमारी जो नीति है बनास का पानी अजमेर, बाण गंग का पानी टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर और अलवर में इस्तेमाल हो सकता है। रावी और व्यास का पानी जा रहा है। गंग से लूनी तक पानी ले जाने की योजना है, वह पड़ी हुई है बिना विचार के। इसके लिये पुरानी स्कीम्स देखिये अगर लेटेस्ट स्कीम्स की आपके पास जानकारी नहीं है। तो मैं आशा करूंगा कि इस पर डिस्कसन हो जाये।

पेयजल के बारे में, वनों के बारे में चर्चा हुई। 138 करोड़ विश्व बैंक से मिला है उसका बंटवारा न्यायिक ढंग से हो। इस पर भी मैंने चर्चा चाही है। एक सांगानेर एयरोड्रम का जिक्र किया गया है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में होड़

(श्री राज बहादुर)

चली थी कि ड्राई पोर्ट कहां बने। यह काफी चीजें आगे बढ़ सकती है। यह राजस्थान में बन सकती हैं। टूरिज्म के बारे में कहा है लेकिन टूरिज्म की बहुत सी चीजें हैं। घना बर्ड सैंक्चुअरी की बात कहता हूं वहां तक के जंगल काट दिये गये हैं ....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जल्दी समाप्त करें। आपने पूरी पार्टी का समय ले लिया है। जल्दी खतम करें।

श्री राजबहादुर : लॉ एण्ड आर्डर के बारे में खास बात कहनी है। एक बावरिया का लड़का और जवांई था उनको यू. पी. के पुलिस वाले और एक थानेदार 13 फरवरी को पकड़ कर ले गये। आज तक पता नहीं लगा है। अधिकृत रूप से मालूम हुआ है उनको गोली से मार दिया गया है। जगनेर के थानेदार आये थे जो उनको पकड़ ले गये। पहली दरख्वास्त उन्होंने एस. पी. को, 14-2-80 को दी, फिर प्राइम मिनिस्टर को दी, राजस्थान के आई. जी. पी. को, ए. आई. जी. पी. अजमेर को दी,....

श्री सभापति : 5 मिनिट पहले ही ज्यादा ले चुके हैं। जल्दी समाप्त करें। आप क्षमा करेंगे। सहयोग करें।

श्री राजबहादुर : तीन चार बातें निवेदन करनी हैं। मुझे 40 मिनट के लिये कहा गया था। अध्यक्ष महोदय से पूछ सकते हैं। इसी आधार पर चल रहा था।

खैर मैं इतना कहना चाहता हूं कि फ्रन्टियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां की बात यदि आप सुनें तो शायद आप पसन्द करें उन्होने कहा है "The fruits of India's had not reached to its freedom. The poor have become poorer and the rich richer. The new rulers used their power not to serve the people but to serve their own interest."

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप समाप्त करें।

श्री राजबहादुर : प्रशासनिक तीन चार बातें खास तौर से कहूंगा —....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, दो मिनिट में समाप्त कर लें।

श्री राजबहादुर : कई बातें हैं जिन पर बुजुर्गी के नाते जैसा एक सदस्य ने व्यंग्य से कहा आपसे दया की भीख नहीं मांगता, जो भी विचार मेरे हैं मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उस सन्दर्भ में एक बात कहनी है आप यह कहना चाहते हैं कि हमारा पैटर्न, स्टाइल यह होगा किन्तु आज Politicians and politics के बारे में अवस्था क्या है? लोग कहते क्या हैं उनके बारे में। Politics has lost its ideological content and moral vigour. It is no more a mission. It has degenerated into a profession जो बस उसको मिलता है, जो समर्थ है। सिक्योरिटी किसको मिल रही है जिनके पास पहले ही सुविधा है। धन और मुनाफे तो उनको हैं, जो पहले से एफ्लूएंट है। आवश्यकता है कि पालिटिक्स पावर के लिये नहीं होनी चाहिये। पोलिटिक्स पावर का गेम हो गया है। Politicians change their parties as they are changing their under-garments मैं ज्यादा न कह कर इतना ही कहूंगा आज इन्डीविजुअल बब

(92)

(श्री राजबहादुर)

चाहते हैं अपनी अलग पार्टी बना लेते हैं Politics is doldrums. हम यहां आये हैं। विधायक बनना या अध्यक्ष बनना ही हमारी मन्जिल नहीं है। यह साध्य नहीं केवल साधन मात्र है, एक रास्ता है। करुणा भरी आवाज को सुनें जो 2॥ करोड़ राजस्थानी भाई, जो आदमी बाहर हैं। लॉ एण्ड आर्डर की ही एक समस्या है उसी को लीजिए। उसके लिए आप क्या करेंगे। History seems to be repeating itself. जनता पार्टी ने क्या किया, इसकी आलोचना कर रहे हैं। जनता पार्टी ने आपकी आलोचना की, 30 वर्षों तक कांग्रेस ने क्या किया। आज आप जनता पार्टी की कर रहे हैं। उन्होंने भी 9 असेम्बलीज भंग की थी आंधी के आम बटोर ल, इस भावना से। अवसर पकड़ लें जितने पकड़ सकते हैं। आपकी तरफ से कोई रचनात्मक बात आये उसका स्वागत होगा। आप जिस तरह से आलोचना की बात कर रहे हैं जो कुछ जनता पार्टी के राज में हुआ था उसकी आपके अन्दर भी शुरुआत हो गई है यह छुपा नहीं है। हम तो चाहते हैं आप स्थाई रहें। राजस्थान के भाग्य को चमकाने की कोशिश करें। जिस प्रकार का भाषण राज्यपाल से दिलाया गया है वह सारी बातें नहीं कही गई है। मुझे खेद है उनको धन्यवाद देना कठिन है, उचित नहीं होगा।

जय हिन्द।

श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ़) : सभापति महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर पिछले दो दिनों से बहस हो रही है। कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये। सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर विरोधी पक्ष की ओर से कुछ टिप्पणियां भी की गई और बहुत कुछ और भी कहा गया। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, जो कुछ मुद्दे की बात होगी, सभापति महोदय, इस सदन में रखनी होगी।

सन् 77 में आम चुनाव हुए। कुछ भी कारण रहा हो, यह सही है कि कांग्रेस को वोट नहीं मिले। निगेटिव वोट के आधार पर उस वक्त की जनता पार्टी शासन में आई। जनता पार्टी से बहुत कुछ आशा जनता ने लगाई थी। स्वयं जनता पार्टी ने भी अपनी उपलब्धि मानी थी। उनके नेताओं द्वारा बहुत कुछ कहा गया था कि देश की काया पलट कर देंगे। वे इस प्रकार का एक जादू का डण्डा घुमायेंगे जिससे देश की कायापलट हो जायगी। जब कुछ बन नहीं पड़ा तो उनसे पूछा गया तो जनता पार्टी के नेताओं की ओर से केन्द्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर यह कहा जाता रहा कि हमें 30 साल का बिगड़ा हुआ शासन मिला है, देश को विभाजन की स्थिति में डाल दिया गया है, तीस साल के कूड़े करकट को निकालने में समय लगेगा। उसके बाद ही हम कुछ करने की स्थिति में हो सकेंगे।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से इस सदन के माननीय सदस्यों को कि केन्द्र में साढ़े तीन हजार करोड़ का फारेन एक्सचेन्ज खजाने में था, खाद्यान के भण्डार भरे हुये दिये गये थे, रिजर्व बैंक में सोने का विपुल भण्डार दिया गया था। उस स्थिति में देश को सौंपा था लेकिन जनता को बताया कि देश का दिवाला निकल चुका है, देश खराब

(श्री हीरालाल देवपुरा)

हालत में मिला है। मैं इस बारे में तो अधिक नहीं कहूंगा लेकिन यह अवश्य कहूंगा कि साढ़े तीन हजार करोड़ के फारिन एक्सचेन्ज को, खाद्यानों के भरे पूरे भण्डार को और देश के रिजर्व बैंक में भरे हुए सोने के कूड़े करकट को जनता पार्टी ने 28 महीनों के शासन में अवश्य साफ कर दिया है। देश जो विकास की ओर अग्रसर हो रहा था उस विकास की गति को रोका है। जब 28 महीने के बाद देश की जनता ने कांग्रेस को शासन सौंपा तो 1300 करोड़ का जो धान का खजाना था वह खाली था और बैंकों में जो सोना रखा हुआ था उसको भी बाजार में बेच दिया गया। ऐसी स्थिति में जनता पार्टी ने देश को सौंपा है। यही स्थिति, सभापति महोदय, राजस्थान की हुई। राजस्थान जब 77 में जनता पार्टी को सौंपा गया था, यह सही है कि उस समय साढ़े सात करोड़ का ओवर ड्राफ्ट था लेकिन इसको भी नहीं भूलना चाहिये, लगभग साढ़े नौ करोड़ की नकद राशि बैंकों में जमा थी। लेकिन 28 महीने के बाद 100 करोड़ का घाटा अभी सौंपा गया है। इसी को यह समझा जाता है कि 28 महीने के अन्दर जनता पार्टी के शासन में राजस्थान में तरक्की हो गई। मैं निवेदन करना चाहता हूं अगर जनता पार्टी के शासन में देश आगे बढ़ा होता तो कोई कारण नहीं थे कि इस चुनाव में भी वे आगे न आये होते। देश की जनता ने पार्लियामेंट और विधान सभाओं के चुनाव में उनको ठुकराया है। यह इसलिये नहीं कि कांग्रेस को निगेटिव वोट मिले। मेरा निवेदन है इस बार निश्चित रूप से कांग्रेस को जनता ने वोट दिया है, श्रीमती इन्दिरा को वोट दिया है, इन्दिरा कांग्रेस को वोट दिया है। निगेटिव वोट के आधार पर नहीं बल्कि पोजिटिव वोट के आधार पर इन्दिरा कांग्रेस सरकार आई है। जनता ने 30 साल की कांग्रेस की सेवाओं को सराहा है और आपके 28 महीने के शासन को ठुकराया है। जनता ने देख लिया कि पूत के पग पालने में ही नजर आ जाते हैं। जनता ने देख लिया कि शुरू में ही यह हालत है तो जनता पार्टी आगे नहीं चल सकती है।

अभी कांग्रेस (अर्स) के नेता महोदय ने एक बात कही कि सिद्धान्तहीन गठबन्धन है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सिद्धान्तहीन गठबन्धन कहा, वह 80 में जो चुनाव लड़ा गया हैं उसके लिये नहीं कहा है। वह तो जो सन् 77 में गठबन्धन किया गया था, उसके लिये कहा गया है। उस चुनाव में जो गठबन्धन किया गया था वह अलग अलग सिद्धान्त वादी पार्टियों ने किया था और केवल एक बार के लिये किया था इस उद्देश्य से कि देश से किसी प्रकार कांग्रेस शासन छीन लिया जाये। अगर यह स्थिति नहीं होती तो आज भी इधर बैठते। उस समय के सिद्धान्तहीन गठबन्धन के कारण से ही यह हुआ कि उसी दिन से कुर्सी की लड़ाई शुरू हो गई। मोरारजी और जगजीवन राम जी में सिद्धान्तहीन गठबन्धन नहीं था तो और क्या था? वह आपने 80 के चुनावों के साथ जोड़ दिया। हमने गठबन्धन की बात नहीं की। वह तो हुआ था सन् 77 के चुनावों में और वह गठबन्धन सिद्धान्तहीन था इसी कारण वह नहीं चल सका। वह गठबन्धन आपका शुरू से ही टूटना

(श्री हीरालाल देवपुरा)

प्रारम्भ हो गया था और आज इस स्थिति में आ गये कि इस सदन में अलग अलग ग्रुपों में मैं उनको देख रहा हूं। आज सदन में इसी रूप में उस पार्टी को देख रहा हूं। यही कारण था कि सिद्धान्तहीन गठबन्धन कहा गया है।

सभापति महोदय, इस चुनाव में इस सदन के विपक्ष के माननीय नेता महोदय, जो पिछली सरकार में राजस्थान के मुख्य मंत्री थे, ने एक बात कही थी, पार्लियामेंट के चुनाव में 25 सीटें राजस्थान की हैं उनमें से 24 सीटें निश्चत रूप से उनकी पार्टी को मिलने वाली हैं। और कोई आश्चर्य नहीं है कि 25वीं सीट भी हासिल हो जाय। मेरा निवेदन है कि 18 सीटें कांग्रेस (आई) को मिली हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पार्लियामेंट में केवल दो सीटें मिली हैं। वे किस आधार पर कहते थे कि 24 सीटें ले आयेंगे। और मुमकिन है 25वीं सीट भी उन्हें हासिल हो जायगी?

इसी प्रकार राजस्थान विधान सभा के चुनाव हुए उसमें भी बड़े दम्भ के साथ कहा था कि निश्चित रूप से उनकी पार्टी को बहुमत मिलेगा और राजस्थान में उनकी सरकार बनेगी। लेकिन राजस्थान की जनता ने इस चुनाव में भी उनको हरा दिया और हमारी पार्टी के 133 मेम्बरों को चुन कर यहां भेजा। एक मेम्बर, जिसने दो जगह से नामीनेशन फार्म भरा था और एक जगह से विथड्रा किया था, गलती के कारण दोनों ही जगह विथड्रा हो गया लेकिन वहां भी निर्दलीय सदस्य कांग्रेस के बल पर ही लड़ कर चुनाव जीता है। इस तरह 134 सदस्यों के बहुमत से हम आये हैं।

माननीय नेता राजबहादुर जी ने अभी बताया कि हम माइनोरिटी के वोटों से जीत कर आये हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं जब वे कांग्रेस में थे, पालियामेंट का आप इतिहास देख लीजिये, पालिटिकल पार्टियां लोक सभा और विधान सभाओं में किस हिसाब से जीत कर आई थीं। आज आप कहते हैं कि माइनोरिटी के वोटों से जीतकर आये हैं। माइनोरिटी के वोट होते तो हमें उधर बैठना होता। इसलिये मेरा मानना है कि हम माइनोरिटी के वोट से नहीं आये है मेजोरिटी वोट से जीत कर आये हैं।

मैं माननीय विपक्ष के नेता महोदय से यह कह देना चाहता हूं और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वे इस प्रकार की भविष्यवाणियां नहीं करें। आज तक उनकी भविष्यवाणियां सही नहीं हुई हैं। तो कृपा करके वे राजनैतिक भविष्यवाणियां बन्द कर दें। वे इस प्रकार की गलत भविष्यवाणियां करते आये हैं। मैं चाहता हूं उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे लेकिन यदि वे इस प्रकार की गलत भविष्यवाणियां करते रहेंगे तो उनकी प्रतिष्ठा जनता में गिरती जायेगी। सभापति महोदय, मुझे अफसोस है इस बात का कि उनकी प्रतिष्ठा इस प्रकार की भविष्यवाणियों से गिर रही है। इसलिये मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस प्रकार की भविष्यवाणियां करना बन्द करें।

अभी सदन में माननीय राजबहादुरजी की तरफ से बीस सूत्री कार्यक्रम का जिक्र किया गया और यह भी कहा गया कि बीस सूत्री कार्यक्रम को यहां पर अमल में लाया जा रहा है। अभी यहां पर एक बात कह रहे थे और जैसा मुझे बताया गया है श्री देवराज जी अर्स भी बीस सूत्री कार्यक्रम को अमल में ला रहे थे, ठीक उसी वजह से वे जीत कर चले

(श्री हीरालाल देवपुरा)

आ रहे थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मुझे खेद है कि वे इस समय सदन में नहीं हैं लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं कि देवराज अर्स जब भी कर्नाटक में जीतते थे तो इन्दिरा गांधी के बलबूते पर जीत कर आया करते थे और इन्दिरा गांधी की कांग्रेस और उनके बीस सूत्री कार्यक्रम के आधार पर जीत कर आते रहे थे। सन् 1980 में जब लोक सभा के चुनाव हुए उस समय उनकी क्या हालत हुई और उसके बाद ही सन् 80 में ही जब विधान सभा के चुनाव हुए उसमें उनकी क्या हालत हुई, यह आप देख लीजिये। जब इन्दिरा गांधी का सहारा उनसे दूर हुआ, इन्दिरा गांधी को जब वे छोड़ कर चले गए तो उनका खुद का अस्तित्व समाप्त हो गया। सारे देश में ही नहीं, उनके खुद के प्रदेश में, कर्नाटक स्टेट में उनका अस्तित्व नहीं रहा। मैं कहना चाहता हूं कि देवराजजी अर्स अगर अपने बलबूते पर जीत कर आए होते या उन्होंने बीस सूत्री कार्यक्रम लागू किया होता और उसके बाद यह हालत हुई होती तो भी वे कह सकते थे लेकिन उन्होंने उसकी क्रियान्विति की इसके बावजूद आज उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बीस सूत्री कार्यक्रम जिस तरह से सारे देश में लागू किया गया था वह न केवल कर्नाटक बल्कि देश के सभी प्रान्तों में जिस हिम्मत के साथ लागू किया था उसके लिए यह नहीं कहा जा सकता कि केवल बीस सूत्री कार्यक्रम को लागू करने के आधार पर कांग्रेस हारी थी। कांग्रेस के हारने कारण दूसरे भी कई हो सकते हैं। बीस सूत्री कार्यक्रम और पांच सूत्री कार्यक्रम अपने आप में पूरे कार्यक्रम हैं, इन कार्यक्रमों को सही रूप में, अमली रूप में लागू किया जावे, इनको सही रूप से क्रियान्वित किया जावे तो निश्चित रूप से इस देश की गरीबी मिटेगी, इस देश के अन्दर आर्थिक सुधार होगा और देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और हम जिस समाजवादी समाज की रचना देश के अन्दर करना चाहते हैं, गरीब से गरीब व्यक्ति को ऊपर उठाना चाहते हैं, नीचे से नीचे व्यक्ति को ऊपर उठाना चाहते हैं और देश से गरीबी को समाप्त करना चाहते हैं उसके अन्दर सफल हो सकेंगे, आगे बढ़ सकेंगे, यह बिल्कुल स्पष्ट है। यह बात सही है कि बीस सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के अन्दर गलतियां हुई, हमारे नेताओं ने माना है, हमारे दूसरे नेताओं ने भी माना था कि क्रियान्विति में गलतियां हुई हैं और उन गलतियों के कारण हम हारे हैं, हमने हार खाई है, बाकी हारने का कोई कारण नहीं था। यह कहना सही है कि बीस सूत्री कार्यक्रम को ठीक तरह अमली रूप नहीं दिया गया और उसको ठीक तरह से लागू नहीं कराया गया। यह सही बात है और इसके कारणों को अभिभाषण में दोहराया गया है। हम बीस सूत्री कार्यक्रम और पांच सूत्री कार्यक्रम को पूरी तरह से लागू करेंगे और सारे राजस्थान में पूरे उत्साह के साथ और सही मायने में उसको लागू करना चाहते हैं इसलिए कि राजस्थान की गरीबी मिटे, जो दबे हुए वर्ग के लोग हैं उनको राहत मिले।

आपने इस कार्यक्रम के अन्दर जितने भी कार्यक्रम थे उसमें से एक छोटासा कार्यक्रम हाथ में लेकर अन्त्योदय योजना के रूप में चालू किया। आपने एक छोटा सा कार्यक्रम हाथ में लेकर दावा किया कि हम नीचे से नीचे आदमी को, गांव के नीचे से नीचे व्यक्ति को ऊपर उठाना चाहते हैं और उसके लिए एक गांव के पांच व्यक्तियों को छांटा। सभापति महोदया, जैसा अभी

(श्री हीरालाल देवपुरा)

हमारे प्रस्तावक महोदय ने धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कहा था और उन्होंने जिक्र किया था और बताया था कि अन्त्योदय योजना और कुछ नहीं, इस बीस सूत्री कार्यक्रम का एक अंश मात्र थी। लेकिन आप में उस बीस सूत्री कार्यक्रम के एक अंश को भी लागू करने की क्षमता नहीं थी। आपकी हिम्मत नहीं कि सारे कार्यक्रम को लागू कर सके। आपने एक अंश को पकड़ा, एक अंश लागू करना चाहा जहां हम गांव के एक पर्टीक्यूलर यूनिट को ही नहीं बल्कि हर वर्ग के, हर तरह के लोगों को आगे लाना चाहते थे, बीस सूत्री कार्यक्रम के आधार पर उनका उत्थान करना चाहते थे वहां पर आपने इस अन्त्योदय कार्यक्रम के आधार पर पांच आदमियों को चुनना शुरू किया और पांच आदमियों को सारे गांव के सामने छांट कर समाज के अन्दर उन आदमियों की प्रतिष्ठा को गिरा दिया। उन पांच आदमियों को भी कोई लाभ नहीं पहुंचा। आज स्थिति यह हो गई कि जिन लोगों को हमने पहले कर्जा दिया था और आपने भी बाद में उनको छांट कर कर्जा दिया, आज वह उस कर्जे को चुकाने की स्थिति में नहीं हैं। उस कर्जे को चुकाने के अन्दर वह असमर्थ हैं। आज अगर वह कहीं पर भी जाता है कर्जा लेने के लिए तो चूंकि गांव के अन्दर उसको छांटा गया और गांव में सब यह जानते हैं कि वह सब से नीचे से नीचे की स्थिति में है, आर्थिक स्थिति में सबसे कमजोर है इसलिए आज उसको कहीं से कर्जा भी नहीं मिलता है। आज उसकी हालत खराब होती जा रही है और उसका सिर नीचे हुआ है। अन्त्योदय में आपने क्या किया? अन्त्योदय में आपने यह किया कि जमीनें बांटीं। जमीने कहां से बांटीं। अभी जब सुबह भेड़ों के बारे में बात हो रही थी तो आपने कहा था कि आपने जमीनें छोड़ी ही कौन सी थी कि हम जमीनें देते। जो बची थी वह हमने अन्त्योदय में दे दी। आप कहते हैं कि हमारी अन्त्योदय की उपलब्धि यह है कि हमने जमीनें दे दीं। आपने जमीनें बांटने के नाम पर अपनी उपलब्धि बताई है। आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर डिविजन के अन्दर और पश्चिमी राजस्थान के अन्दर आपने खेती के लिए किस तरह की जमीनें दीं। आपने जमीने दी तो पहाड़ की चोटी पर जहां पर कोई पहुंच नहीं सकता, जहां पर कोई आदिवासी पहुंच नहीं सकता, खेती कर नहीं कर सकता वहां पर जमीन दी गई या जमीन दी गई तो नाले के अन्दर। आपने खुद ने माना है कि जमीन थी ही नहीं। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस सरकार के शासनकाल में बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत और उससे पहले भी जिस योजनाबद्ध तरीके से हम चल रहे थे उस योजना में हमने जमीन किसानों को बांटी थी, भूमिहीनों को जमीन बांटी थी और जो काबिल काश्त जमीनें थीं, जो नाले में भी थीं उनको काबिल काश्त में कन्वर्ट करके हमने जमीनें बांटी थीं। आज भी उन पर काश्त हो रही है। हमने काबिल काश्त जमीनें बांटी थीं इसमें कोई इन्कारी की बात नहीं है। लेकिन आप तो एक ढिंढोरा पीटना चाहते हैं। आप बता दें कि आपकी क्या उपलब्धि है? इसलिए मैं अपनी सरकार से भी कहना चाहता हूं कि आप अच्छी तरह से समझ लें कि जो आर्थिक कठिनाइयां पैदा कर दी हैं, गांवों के अन्दर परेशानी पैदा कर दी है सरकार को उनका समाधान करना पड़ेगा और उनका समाधान निकालना पड़ेगा।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

सभापति महोदया, राज्यपाल के अभिभाषण के अन्दर हर विभाग के अन्दर, हर विभाग के अन्तर्गत जो होने वाले काम लिए जावेंगे उनका एक दिग्दर्शन कराया गया है। नई सरकार अभी बनी है, सरकार को अभी अपनी योजना बनानी है, बजट पेश करना है। अभिभाषण में जो कुछ भी कहा गया है उसमें संकेत मात्र दिया गया है कि हम क्या करना चाहते हैं, कितना करना चाहते हैं और उसके लिए हमारी क्या योजना है। वह तो सही मायने में जब सरकार का बजट सामने आएगा तब सही रूप में आपको साल भर का नक्शा मालूम होगा कि साल भर में हम कितना काम करना चाहते हैं और कितना नहीं। अभी इस अभिभाषण से इसका अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता है। यह तो मात्र एक रूपरेखा है जिसके आधार पर अन्दाजा लगेगा कि हम किस ओर बढ़ना चाहते हैं। लेकिन आपने जिस स्थिति में इस प्रदेश को छोड़ा है, कल ही भूतपूर्व सिंचाई मंत्री महोदय, कोटा से आने वाले माननीय सदस्य के बाबत कहा गया। मैं कहना चाहता हूं कि सिंचाई के साथ साथ आपने हर क्षेत्र में राजस्थान को कितना पिछड़ा दिया है। राजस्थान का देश में क्या स्थान कर दिया है? राजस्थान को पिछड़ा हुआ बना दिया है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको निवेदन करूं कि कांग्रेसी सरकार ने सर्वे करवा कर अपने यहां पानी को रोका था, इरिगेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से हम पानी को रोकने की योजना बना रहे थे ताकि सिंचाई के माध्यम से हर व्यक्ति को आगे बढ़ा सकें। आपने इसमें नया क्या किया है? आपने नई योजना बना कर कौनसी नई चीज़ दी जिससे यह कह सकें कि जनता पार्टी के शासन में यह योजना बनी है? आपने उन्हीं योजनाओं पर काम किया है जो योजनायें राजस्थान में कांग्रेस के राज में चालू की गई थीं चाहे वह चम्बल काम्पलेक्स की बात हो, चाहे वह माही योजना की बात हो, चाहे वह राजस्थान केनाल के काम्पलेक्स की बात है, चाहे बनास काम्पलेक्स की बात हो और चाहे किसी अन्य योजना की बात रही हो। आपने एक भी योजना नई शुरू नहीं की, एक का सर्वे तक नहीं करा सके। यहां तक मैं कहना चाहता हूं कि आपने राजस्थान को बहुत बड़ा घाटा दे दिया। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है, हम यह समझते थे कि चम्बल में कैचमेंट के अन्दर चाहे गांधीसागर हो, चाहे राणाप्रताप सागर बांध हो और चाहे जवाहर सागर बांध हो, इनके कैचमेन्ट के अन्दर कोई भी बांध नहीं बनाने देंगे जिससे कि पानी रुके और एक दूसरी सरकार को नुकसान हो। लेकिन आपने मध्य प्रदेश सरकार के सामने सरेन्डर कर दिया। चूंकि मध्य प्रदेश में भी जनसंघ की सरकार थी और उससे सहयोग करना था इसलिए आपने उनके सामने सरेंडर किया। आज मध्य प्रदेश में गांधीसागर के कैचमेंट में पांच-सात बांध बन रहे हैं, आपने उनको रोकने की कोशिश नहीं की। मेरे समय में भी यह प्रश्न आया था और मैंने इरिगेशन एण्ड पावर कमीशन की मीटिंग में यह बात रखी थी कि ये बांध नहीं बनने दें जब तक कि राजस्थान सरकार इनका क्लियरेंस नहीं दे देती। राजस्थान का भी इसके पानी के अन्दर उतना ही हक है जितना कि मध्य प्रदेश का। हम भी इसके मुख्य भागीदार हैं। हमने उनसे कहा था कि

(श्री हीरालाल देवपुरा)

गांधीसागर के पानी की रुकावट होगी तो उसका नतीजा यह होगा कि राणाप्रताप सागर और जवाहर सागर के पानी पर, सिंचाई के अन्दर इसका असर पड़ेगा और राजस्थान के पावर जनरेशन पर भी असर पड़ने वाला है, राजस्थान के पावर कंजम्प्शन पर असर पड़ने वाला है। आपके सामने समस्या क्या थी ? आपने स्वयं आगे बढ़ कर उसको क्लियरेंस दे दिया क्योंकि आप का राजनैतिक गठबन्धन हुआ था। उनके क्षेत्र के अन्दर बनने वाले बांधों को आप रोक नहीं सके। वहां पर जनसंघ की सरकार थी और जनसंघ के ही आप थे इसलिये आपने गहराई से इस बात को सोचने की कोशिश नहीं की और आपने उनके सामने सरेंडर कर दिया।

सभापति महोदय, यही नहीं, आप दिल्ली जाइये, रास्ते में धारुहेड़ा के पास में बांध बन रहा है, बेराज बनाया जा रहा है उसके द्वारा साबी के पानी को रोकने की कोशिश की जा रही है। उसके अन्दर राजस्थान के अलवर क्षेत्र के छः गांव डूब में आने वाले हैं लेकिन उन छः गांवों के लिए आपने कोई बात नहीं की, उनके कम्पेन्सेशन की कोई बात नहीं की। उस पानी को रोका जा रहा है उसके बाद उन गांवों की हालत क्या होगी और बांध बन जाने के बाद उन लोगों की क्या स्थिति बन जाएगी ? उस नदी के पानी को रोकने से आज राजस्थान की परेशानी बढ़ी है। साबी का बांध हरियाणा में बनेगा। हरियाणा उस पानी को रोकेगा और पानी को रोक कर छोटे छोटे बांध बनाना चाहेगा उससे नुकसान राजस्थान को होगा। उसके कैचमेंट में राजस्थान सरकार के गांव आ जायेंगे और छः गांव पानी में डूबेंगे। उन पर आपने कोई एतराज नहीं किया और आपने जाकर कंसेंट दे दी। आपको हरियाणा की मदद लेनी थी, देवीलालजी से बात हुई थी, चरणसिंह जी की मदद की जरूरत थी। आप तो राजनैतिक गठबन्धन करने जा रहे थे।

सभापति महोदय, जहां तक पावर का सवाल है, पावर के अन्दर भी यह कहा गया है कि हमने राजस्थान के गांव गांव के अन्दर बिजली पहुंचा दी। आपने साढ़े चार हजार खम्भे खड़े कर दिये लेकिन वहां लोगों को बिजली नहीं मिली है। आज हालत यह है कि राजस्थान के अन्दर पावर की जनरेशन की यह स्थिति है कि राजस्थान को दूसरी स्टेट पर निर्भर रहना पड़ता है। आपको सोचना चाहिये था। एक्सटेंशन के साथ साथ आपको आपरेशन पर भी ध्यान देना चाहिये था। सही तौर पर जिन लोगों को ठीक ढंग से बिजली मिल रही थी, पावर मिल रही थी, उनको पावर मिलना बन्द हो गया। किसानों को लाभ नहीं हुआ, बल्कि किसानों को नुकसान हो गया। जो आदमी पहले पावर ले लिया करते थे उसको नुकसान हो गया। एक्सटेंशन तो किया लेकिन आपरेशन की तरफ आपने ध्यान नहीं दिया।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जो किसान पहले पावर लेता था, उनको भी नुकसान हो गया और इस तरह पावर का कन्जम्प्शन नहीं हो सका। इस तरह आपने आपरेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया।

श्री सभापति : समाप्त करिये।

श्री हीरालाल देवपुरा : दो मिनट और लेना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पावर के अन्दर भी आपने ऐसा किया। हमारे माही और व्यास के अन्दर प्रोजेक्ट बन रहे थे, पंजाब के अन्दर आनन्दपुरा साहब में प्रोजेक्ट चल रहा है और व्यास नदी और पौंग डेम में जो पानी भरा हुआ है उस पानी के अन्दर हमारा हिस्सा है और वहां जो पावर जनरेशन होता है उस पावर में भी हमारा हिस्सा है। लेकिन आपने राजनैतिक गठ-बन्धन करके पंजाब के सामने सरेन्डर कर दिया। जब पंजाब का प्रोजेक्ट क्लीयर हो रहा था तो मैंने खुदने उसको रुकवाया था। पावर एण्ड इरिगेशन कमीशन से हमने रुकवाया था। हमने उसको क्लीयर नहीं होने दिया। लेकिन जब आपकी सरकार आई तो आपकी सरकार ने उनके प्रति अपनी सहानुभूति दिखाई, इसलिए कि अकाली दल से आपको मदद चाहिये थी, आपको प्रकाशसिंह बादल के प्रति सहानुभूति प्रकट करनी थी। आपने उसको क्लीयरेन्स दे दिया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने यह काम सारे राजस्थान को नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से किया है।

सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया, इसमें जो कुछ बातें बताईं, उन बातों को यह सरकार पूरा करने की कोशिश करेगी। उनको पूरा करने की कोशिश कर रही है और आगे बढ़ाने की कोशिश करती रहेगी। लेकिन जिस तरह से आपने राजस्थान को नुकसान पहुंचाया है और राजस्थान की स्थिति को बिगाड़ करके रख दिया है, सिंचाई, पावर और दूसरे सक्टर्स के अन्दर जो नुकसान पहुंचाने की बात की, उस नुकसान को पूरा करने के लिए इस सरकार को बहुत जोर लगाना पड़ेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि इन प्रोजेक्ट्स की तरफ पहले ध्यान दें और इस ओर पहले कार्यवाही शुरू करें ताकि राजस्थान इरिगेशन और पावर में पिछड़ा न रह जाये।

कहने के लिए मेरे पास बहुत सी बातें थीं, लेकिन समय के अभाव में इतनी सी बात कह कर जो प्रस्ताव पेश किया मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, श्री मोहनलाल मोदी।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमका थाना): माननीय सभापति महोदया, मैंने राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पढ़ा और 79 का राज्यपाल महोदय का अभिभाषण भी देखा। इन दोनों भाषणों के अन्दर नीति सम्बन्धी इतना विरोधाभास है कि ज्यादा अच्छा यह होता कि राज्यपाल महोदय स्वयं आकर यहां भाषण न देते। आपने पहले जो मांग की थीं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी बातें राज्यपाल के कहलाई थीं उनके कारण आपने उनका मुंह से नहीं समर्थन नहीं किया। इस अभिभाषण में भी नीतियों और कार्यक्रमों में जबर्दस्त विरोधाभास पढ़ने को मिलता है।

एक माननीय सदस्य : चश्मा बदल दिया उनका।

श्री मोहनलाल मोदी : सभापति महोदय, जो चुनाव की बात इसमें लिखी है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं कांग्रेस के साथियों से निवेदन करना चाहूंगा। आपको भी आज जनता ने वोट दिया है, पहले आपने जो व्यवस्था की थी, जो कार्यक्रम चालू किये थे, उनमें एक नसबन्दी वाला कार्यक्रम था। उसके चालू करने में कुछ गलत नीतियां अपनाई गईं, उनके कारण आपको जाना पड़ा और जनता पार्टी को आपसी फूट के कारण जाना पड़ा। जब जनता पार्टी की सरकार गई तो आम जनता के अन्दर यह बात आई। हमने जनता पार्टी को चुना किन्तु उसके अलग-अलग दलों की अलग-अलग नीतियां थीं. वे एक नहीं रह सके। इस कारण जनता के पास कोई दूसरा उपाय नहीं रहा, इसलिए आपको अधिकतर वोट मिले।

आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि आपकी स्थिति भी जनता पार्टी की तरह होने वाली है। आपने भी वही स्थिति पैदा की है। आपके अन्दर ही अन्दर एक आग सुलग रही है। आपके अन्दर जो सच्चे कांग्रेस के भक्त हैं, उनको टरकाया जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है।

(व्यवधान)

देखिये, मैं आपके मन की बात कह रहा हूं, आपके भले की बात कह रहा हूं। जिनको आपकी नीतियों में विश्वास रहा है, उन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जा रहा है। उन लोगों को बाहर रखा जा रहा है। इसलिए आपके अन्दर ऐसी आग सुलग रही है कि जो जनता पार्टी का हृस हुआ उससे भी ज्यादा आपका नहीं हो जाये। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि थोड़ी शांति से काम लें।

आप लोगों में एक होड़ सी लगी हुई है, मैं दो दिन से बराबर देख रहा हूं, ट्रेजरी बैंचेज के लोग हैं, माननीय सदस्य हैं, उनमें होड़ लग रही है कि हम ज्यादा बोलेंगे तो शायद हमारा मंत्री पद के लिए नम्बर आ जाये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो चुप रहेगा उसका नम्बर पहले मंत्री पद पर आयेगा। इसलिए आप लोग बोलना कम करो।

सभापति महोदय, राज्यपाल के इस अभिभाषण को पढ़ने से इसमें कहीं यह नजर नहीं आता है कि हम क्या करने जा रहे हैं। इस राजस्थान में हम किस तरह की व्यवस्था करना चाहते हैं। किस तरह हम कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक करना चाहते हैं। किस तरह की शिक्षा सम्बन्धी बात करना चाहते हैं। यह अभिभाषण राज्यपाल महोदय ने हमारे सामने दे दिया इसमें किसी प्रकार की राजस्थान की कोई तस्वीर सामने नहीं आती है कि जनता की भलाई के लिये हम किस तरह से, किन-किन मदों में किस प्रकार काम करेंगे और कैसे जनता को लाभ पहुंचाने का काम करेंगे।

कानून और व्यवस्था की बात को आप ले लीजिये। कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई है। कानून और व्यवस्था की स्थिति पहले से खराब है। मैं नहीं कहता पहले कोई सुन्दर व्यवस्था थी लेकिन उसके बाद ज्यादा बिगड़ी है।

मैं अपने यहां का जिक्र करना चाहता हूं। नीम का थाना क्षेत्र के अन्दर हत्या की दो घटनाएं हुईं। एक ऐसी घटना हुई, आप देखिये, यह बात समझ में आ सकती है कि दूसरी

(श्री मोहनलाल मोदी)

कौम के लोग हैं, वह मर्डर कर दें, लेकिन एक वनिये के लड़के, दीवान खानदान के लड़के ने ब्राह्मण के लड़के को छुरा घोंपकर मार दिया।

एक माननीय सदस्य : वहां एम.एल.ए. कौन है ? इसका श्रेय किसको है ?

श्री मोहन लाल मोदी: सारा श्रेय खेतसिंह जी को जायेगा। राज ही आपका है।

मोट्रका की विधवा महिला, अपने दामाद के साथ नीम का थाना से मोट्रका जा रही थी। रात को रामपुरा गांव में रही। उसका रात में मर्डर हो गया। उसके जंवाई को गिरफ्तार कर लिया। जो मर्डर करे उसको गिरफ्तार किया नहीं। दामाद को गिरफ्तार करने की क्या आवश्यकता थी। मर्डर करने वाले दूसरे लोग होंगे। मैं समझता हूं, मर्डर करने वाला बच जावे और निर्दोष व्यक्ति फंस जाये तो यह बहुत बुरी बात है। इसलिये मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस केस की जांच सी.आई.डी. के जरिये हमारे मुख्य मंत्री कराएं और इसकी असलियत पर पहुंचे कि इसमें असली मुल्जिम कौन हैं ?

यह आप कानून और व्यवस्था कर रहे हैं। रास्ते चलती स्त्रियों की दिन में जंजीर तोड़ लेना, डाके डालना एक आम बात हो गई है। जो जरायम पेशा लोग हैं, गुण्डा तत्व हैं, उनको राज का भय नहीं है। जब तक लोगों को राज का भय नहीं होता है, तब तक गुण्डागर्दी और ऐसी घटनाएं रुक नहीं सकती हैं।

दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहता हूं, आज कानून और व्यवस्था ज्यादा क्यों बिगड़ रही है ? मेरी मान्यता है कि राजस्थान में जो शराब बन्दी की है, मैं उसके पक्ष में जरूर हूं लेकिन किस तरह से शराब बन्दी हुई है, आप किसी भी गांव में जाइये। पहले शराब के लिये पैसा खर्च करना पड़ता था वहां आज बोतलों के बजाय गैलनों में शराब मिलती है। आप कहीं भी चले जाइये, गांव के लड़के छोटी छोटा शराब की केतलियां लटकाये हुए मिलेंगे। इस कारण से आज गांव में ज्यादा लोग शाम को शराब पिये हुए मिलेंगे। जितने पुलिस कर्मचारी हैं, आपके सिपाहियों को ले लीजिये, आपके एस. एच. ओ. को ले लीजिये, सारे लोग शाम के वक्त शराब पिये हुए मिलेंगे। जो कि शराब पीने वालों को पकड़ने वाले हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वह अपने मित्र से कहने लगे, बहुत अधिक प्यास लगी है, शराब हो तो पिलाओ। यह ऐसे आदमी की बात है जो शराब पीने वालों को पकड़ने वाले हैं। नाजायज शराब निकालते हैं उनको आप बन्द करवायें तभी जुर्म कम हो सकते हैं।

कानून और व्यवस्था के बारे में आपने दो लफ्ज लिख दिये। लेकिन किस तरह से कानून और व्यवस्था कायम करेंगे इसके सम्बन्ध में कुछ तो इसमें लिखना चाहिये था। आप देखें, अजमेर में मुख्य मंत्री जी मौजूद थे तब कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं पर लाठीचार्ज हो रहा था। उनके कार्यकर्त्ता मिलने आ रहे हैं और पुलिस उन पर लाठी चला रही है। यह आपकी कानून और व्यवस्था है। इसको, खेतसिंह जी साहब, ठीक करवाइये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री मोहनलाल मोदी)

आपने सभापति महोदया, एक घन्टे का टाइम दिया है उसमें पहला ही सदस्य बोल रहा हूं।

श्री सभापति : सदस्य और भी है आपके। उनके लिये भी कुछ रखें।

श्री मोहनलाल मोदी : अभी तो टाइम दिया है मुझे।

श्री सभापति : बीस मिनट पूरे हो गये। माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री मोहनलाल मोदी : तो इस तरह की कानून और व्यवस्था है उसमे आप सुधार करिये। आदमी की जीवन रक्षा करना सरकार का पहला काम है। वह अगर नहीं कर सकती तो मैं समझता हूं कि उससे बड़ी कमजोरी कोई हो नहीं सकती।

शिक्षा के संबंध में आपने इसमें तो कहीं लिखा ही नहीं है कि आप स्कूल खोलेंगे या नहीं खोलेंगे। लेकिन एक सवाल के जवाब में यह कहा था कि आपकी यह नीति है कि स्कूल नहीं खोलेंगे। पहले जनता पार्टी ने स्कूल खोले वहां तो अध्यापक नहीं है और आप स्कूल खोलना नहीं चाहते। आखिर शिक्षा के प्रचार के लिये कुछ तो आपको संकेत देना चाहिये था कि इतने स्कूल खोलेंगे। अब आपको बजट में इसका प्रावधान रखना चाहिये।

एक थोड़ा सा अंकुर सिनेमा के बारे में जिक्र करना चाहता हूं। मैं जनता कॉलोनी में रहता हूं। इसकी जमीन म्यूनिसिपैलिटी की जमीन थी। 73-74 में डंडा लगवाया था। कांट्रेक्टर को ठेका दिया था इसका एम. इस का ग्यारसीलालटी.75में रिकार्ड में दर्ज हुआ। खर्चा वगैरह लिखा गया है। इसको वक्फ की जमीन बता कर सिनेमा बनाने की इजाजत दी गई है। यह म्यूनिसिपैलिटी की जमीन है। वक्फ की नहीं है। इसकी आपको जांच करनी चाहिये।

महंगाई का आज क्या हाल है। आप देखें, किसानों को राहत पहुंचाने के लिये दो शब्द लिख दिये लेकिन आपने देखा, खाद पर कितना पैसा पड़ता है, आखिर क्या सुविधा आप उनको देना चाहते हैं। किस प्रकार से उनको सुविधा देंगे। दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है। आज चीनी का भाव साढ़े सात, आठ रुपये किलो है। आप महंगाई को कंट्रोल करने के लिये क्या उपाय कर रहे हैं। आम आदमी के जीवन की जो जरूरी चीजें है उन पर आप नियंत्रण नहीं कर सकते, उन पर कंट्रोल नहीं कर पायेंगे तो आम आदमी को क्या राहत मिलेगी? 25-30 रुपये खाद के थैले पर बढ़ा दिये। डीजल मिलता नहीं, डीजल की व्यवस्था नहीं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से इतनी तस्वीर ही हमारे सामने आनी चाहिये थी कि हमारी यह सरकार इन सब चीजों को रोकने के लिये क्या करने जा रही है लेकिन कहीं भी कुछ नहीं है। महंगाई दिन-पर-दिन बढ़ रही है। सभी चीजों में दुगने-चौगुने दाम हो गये हैं, आम आदमी की हालत बहुत ज्यादा खराब है।

मैं आपको किसानों के बारे में दो एक बातें बताना चाहता हूं। मेरे यहां जागीरदारी थी। जब से जमीन किसानों को मिली और किसान जमीन का मालिक हुआ उस समय से आज तक भी कई जगह झगड़े चल रहे हैं। 30 साल से किसान

(श्री मोहन लाल मोदी)

कशत कर रहा है लेकिन आज भी झगड़े उसे परेशान कर रहे हैं। मैं एक गांव का उदाहरण देना चाहता हूं, सादरा गांव में झालरा नाम का एक कुआं है। कुएं पर शुरू में 55-56 जिसमें वक्त जिन काश्तकारों का कब्जा था उस वक्त एक आदमी मरा। आज ऐसी स्थिति है कि आज उसको काश्त करने जाते हैं तो पुलिस मदद करना नहीं चाहती, एस.डी.ओ. ने वारन्ट जारी कर दिये लेकिन पुलिस मदद करना नहीं चाहती। इसलिए आप छोटे काश्तकार के बारे में विशेष ध्यान दीजिये। आपकी पुलिस जो निष्क्रिय है उसको थोड़ा सक्रिय करिये। जैसे घोड़ी सवार को पहचानती है उसी प्रकार आपके अफसर हैं ये सारे सवार को पहचानते हैं। इसलिये व्यवस्था को ठीक करें और राजस्थान का भला करें।

इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री दुलाराम।

श्री दुलाराम (रायसिंहनगर) : माननीय सभानेत्री महोदया,....

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय काफी है।

श्री दाऊदयाल जोशी : कोई महिला सदस्य विराजमान हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, प्रधान मंत्री भी महिला हैं तो प्रधान मंत्राणी नहीं कहते। अगर आपने व्याकरण नहीं पढ़ी है तो कल कृपा करके पधारे ताकि आइन्दा ख्याल रहे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें।

श्री दुलाराम : माननीय सभानेत्री महोदया, अगर दाऊदयाल जोशी महिला होते तो मैं बताता कि यह सही है या गलत है।

श्री दाऊदयाल जोशी : दुआ करते रहें। भगवान करें, ऐसा हो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया व्यवधान न डालें।

श्री दुलाराम : माननीय सभापति, महोदया, माननीय राज्यपाल महोदय ने इस सदन में आकर जो अभिभाषण दिया और उसके लिए जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। जनता पार्टी द्वारा जो अभिभाषण तैयार किया गया था और जो अभिभाषण इस सदन में माननीय राज्यपाल महोदय ने दिया था इस अवसर पर उसकी ओर भी मैं सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं। तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार ने बड़े जोश से यह अभिभाषण यहां पर दिलाया था— "मार्च में हुए लोक सभा के चुनाव तथा जून में हुए विधान सभा के चुनाव ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं निर्णायक चुनाव रहे हैं। लोक सभा के चुनाव के समय जनता ने शान्तिपूर्ण परिवर्तन से तानाशाही को जड़ से उखाड़ने का जो संकल्प किया था वह विधान सभा के चुनावों के साथ पूरा हुआ।"

(4.50 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष पदासीन)

मान्यवर, यह अभिभाषण था। माननीय भैरोंसिंह जी के राज्य के अन्दर क्या हुआ? मेरा किसी जाति विशेष से कोई द्वेष नहीं

(श्री दुलाराम)

है और न जाति विद्वेष रखने में मैं विश्वास करता हूं। परन्तु जैसे ही जनता पार्टी का राज कायम हुआ तो सब से पहले जो इनके नजदीकी रिश्तेदार थे शेरसिंह जी उनको इन्होंने प्रमुख शासन सचिव बना दिया। इसके बाद इन्होंने बिजली बोर्ड का अध्यक्ष पृथ्वीसिंह को नियुक्त किया। इसके बाद राजस्थान केनाल बोर्ड का अध्यक्ष इन्होंने भीमसिंह को नियुक्त किया। इसके बाद कृषि विपणन बोर्ड का अध्यक्ष, श्री पृथ्वीसिंह को नियुक्त किया। इसके बाद श्रीमती गायत्री देवी को पर्यटन विभाग का चैयरमेन नियुक्त किया। इसके बाद आपातकाल की ज्यादतियों की जांच के लिए जो आयोग नियुक्त किया गया उसका भी कानसिंह को अध्यक्ष नियुक्त किया। मान्यवर, मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं कि जाति से सम्बन्धित व्यक्तियों को नियुक्त करने, प्रतिक्रियावादी और सामन्तवादी शक्तियों को बढ़ावा देने और अपने लोगों को लगाने के अलावा कोई धन्धा नहीं किया।

मान्यवर, अन्त्योदय योजना के तहत जो कार्य किये गए हैं उस सम्बन्ध में, मैं गंगानगर जिले के बारे में निवेदन कर सकता हूं। गंगानगर जिले के अन्दर एक गांव को ले लें। वहां इन्होंने पांच परिवारो का चयन किया अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत। हिन्दुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के समय जिस प्रकार रिफ्यूजी को 50/-, 100/- रुपये की सहायता दी जाती थी, उसी प्रकार से भैरोंसिंह जी की सरकार ने अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत जिन लोगों को सहायता दी वे व्यक्ति आज भी मारे मारे फिर रहे हैं। जिनके पास जमीन नहीं थी उनको जमीन देने की व्यवस्था की जाती तो अलग बात होती परन्तु इन्होंने क्या किया? किसी को साइकिल के लिए ऋण दिया, किसी को गाय के लिए ऋण दिया, किसी को बकरी के लिए ऋण दिया। जो ऋण दिया गया वह इन्स्पेक्टर की मार्फत दिया गया। उसने कहा, पहले रसीद दिखाओ, भैंस खरीद ली है या नहीं। रसीद दिखा दी तो उसको 100/-500/- या 1000/- रुपये का अनुदान ऋण दे दिया गया। यह तो हुआ इनका अन्त्योदय कार्यक्रम। माननीय अध्यक्ष, जो अन्त्योदय का प्रोग्राम चलाया गया था, वह हमारी माननीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी का जो बीस सूत्री कार्यक्रम था, उसमें हरिजनों और वीकर सेक्शन को रिलीफ देने का एक कार्यक्रम था, उसी को इन्होंने अन्त्योदय योजना के तहत प्रारंभ किया।

इसी प्रकार इन्होंने समग्र क्रान्ति का नारा लगाया और उस नारे की आड़ में प्रतिक्रियावादी जनसंघ ने काम्युनल झगड़े करवाये, इसके अलावा कुछ नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय, जब 1975 के अन्दर कांग्रेस शासन था तो कांग्रेस शासन ने 2 लाख 70 हजार 807 व्यक्तियों को 7 लाख 84 हजार 183 एकड़ जमीन का आवंटन किया था। उनमें से 30 हजार 412 व्यक्ति अनुसूचित जाति और जन जाति के थे। इसी प्रकार से सन 1976 में करीब 3 लाख 706 एकड़ भूमि बड़ी सिंचाई योजना जैसे राजस्थान कैनाल और अन्य योजनाओं में भूमिहीन किसानों, जिनमें अनुसूचित जाति और दूसरी जातियों के

(श्री दुलाराम)

भी हैं,. को भूमि का आवंटन किया था। इसके अलावा राजा-महाराजाओं से सीलिंग के अन्तर्गत 59 लाख 510 बीघा जमीन ली गई। मगर जनता सरकार ने वापस उनको कब्जा दिला दिया अपने बहुमत के आधार पर। यह एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय था। राजा-महाराजा और जागीरदारों के पास जो हजारों एकड़ जमीन थी उस जमीन पर जनता सरकार ने अपने बहुमत के बलबूते पर वीकर सैक्शन का गला घोंट कर उनको कब्जा करने का अधिकार दे दिया।

अध्यक्ष महोदय, जनता सरकार ने राजस्व अभियान का बड़ा ढिंढोरा पीटा। उस अभियान के दौरान कलेक्टर, एस.डी.-ओ., तहसीलदार, पटवारी बुरी तरह से पिछली विधान सभा में मैंने उसके संबंध में स्थगन प्रस्ताव रखे थे और तत्कालीन सरकार को आगाह किया था कि करोड़ों रुपये खर्च करके भी कोई फायदा नहीं हो रहा है इस अभियान के अन्तर्गत। रास्ते की कोई भूमि हो, बांध बंधाने की कार्यवाही हो, तो उसके लिए कलेक्टर, एस.डी.ओ. दौड़ रहा था। गरीब हरिजन के पास जमीन नहीं है, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया और रास्ता बनाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर दिये। इस प्रकार करोड़ों रुपयों का राजस्थान सरकार को घाटा पहुंचाया गया। मैंने यह प्रश्न किया था कि राजस्व अभियान के अन्तर्गत जिनको आपने खातेदारी के राइट्स दिए हैं क्या आप यह कह सकते हैं कि उनको जमीन आपने अलाट की है? उसका कोई जवाब नहीं आया। इनकी तो एक ही नीति थी—किसी तरह से राजा, जागीरदार, बड़े बड़े भूपति जो हैं वे बने रहें। इसके अलावा इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं था।

इसी प्रकार से, अध्यक्ष महोदय, काम के बदले अनाज योजना चलायी गयी। उसके अन्तर्गत भी कोई काम नहीं हुआ। न पीने के पानी की व्यवस्था हुई, न डिग्गी की व्यवस्था हुई। आपने आंकड़ों के अन्दर यह दिखा दिया कि इतना काम हुआ है काम के बदले अनाज योजना में परन्तु यह सारा भ्रम था। इसकी जांच करवा कर देखेंगे तो मालूम होगा कि खास काम नहीं हुआ। उल्टे जो अनाज राजस्थान सरकार उस योजना के तहत सरपंचों को देती थी वह अनाज वापस मण्डी में आकर बिकता था। फर्जी मस्टर रोल बना कर वह पैसा सरपंच के पास रह गया। जो पैसा उस गरीब तक पहुंचना चाहिए था वह उन तक नहीं पहुंचा। वह पैसा सरपंच की जेब में ही पड़ा रहा। इस प्रकार से उस योजना के अन्तर्गत काम हुआ। जो आंकड़े दिये गये वह आंकड़े फर्जी थे। आप उन फर्जी आंकड़ों की जांच आयोग बिठा कर जांच करवा लें, कहां सड़कें बनी हैं, कहां स्कूल बने हैं, कहां पर काम के बदले अनाज योजना में पानी की टंकी, डिग्गी, स्कूल बनवाये गये हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जनता सरकार ने जो भी कार्य किए हैं, पंचायत घर बनाये हैं, जहां इस प्रकार के सौ कार्य हुए हैं वहां दस दस हजार का गबन हुआ है। क्या इस प्रकार के घोटालों की जांच नहीं हो सकती है? मैं तो मुख्य मन्त्री जी से और सदन से भी निवेदन करूंगा कि उन्होंने जो राज्य सरकार को करोड़ों का घाटा दिया

(श्री दुलाराम)

जिसे बराबर मैंने सदन में उठाया है, कई मन्त्री जिसे खा पी गये उसकी जांच होनी चाहिये । जांच से पता चल जायेगा कि कितना करोड़ रुपया बरबाद हुआ । रुपया सभी सरपंचों को सक्यूंलेट किया गया था 'काम के बदले अनाज' योजना के अंदर उस में कितना काम हुआ इसकी तो आपको जानकारी सदन में दी जा चुकी है । सदन में कंक्रीट मिला हुआ अनाज भी पेश किया गया था। सरपंचों ने अनाज में कंक्रीट मिला कर बांटा और उस अनाज को बाजार में बेच दिया। अजमेर मण्डी में उस अनाज को बेचा गया। यह बात नहीं कि सदन में इस प्रश्न को उठाया नहीं, मन्त्री महोदय को इस सम्बन्ध में निवेदन किया गया था लेकिन उस समय इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी । अब मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जिन्होंने इस प्रकार का कार्य किया अनाज मंडी में ले जाकर के बेचा, जो काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत किया गया उसके बारे में जांच होनी चाहिये ।

मान्यवर, ये कानून और व्यवस्था बारे में बड़ा हल्ला मचा रहे थे। विपणन के माननीय नेता महोदय और सदस्य बड़े जोर से बोल रहे थे । किसी पार्टी में मैम्बर ने यह कहने से पहले कभी यह भी सोचा कि आपके राज्य के अन्दर सन 1978 में 2567 क्राइम्स हुये और सन 1980 में आपके शासन काल के दौरान 987 क्राइम्स हुये । यह आप नहीं मानते हैं, लेकिन जनता जानती है । झगड़े फसाद असामाजिक तत्व करते हैं । रेप केस होते हैं, कोई किसी की बहिन बहू बेटियों की इज्जत पर हमला करता है तो ऐसे रेप केसेज को रोका जाना चाहिए, उनके शील की रक्षा होनी चाहिये । लेकिन किसी को बिना आरोप के ही बद-नाम किया जाता है उसके विरुद्ध धारा 376 के तहत एफ. आई. आर. दर्ज हो चुकी है तो उसको हथकड़ी लगाकर बाजार में नहीं घुमाना चाहिये, यह गलत है।' कोई लड़की अगर किसी से द्वेष रखती है तो वह उस व्यक्ति के खिलाफ धारा 376 के अन्तर्गत केस दर्ज करा सकती है और उस गिरफतार करा सकती है । मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिये । रेप केसेज नहीं होने चाहिये, शील की रक्षा होनी चाहिये, मगर इसमें झूठे केसेज का ध्यान रखना चाहिये, कानून में इस तरह का प्रावधान होना चाहिये ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सिंचाई मन्त्री जी का ध्यान गंगनहर की तरफ ले जाना चाहता हूं । जनता सर-कार ने कई दफा गंगनहर के बारे में चर्चा की । सिंचाई मन्त्रीजी ने कई बार भाषण दिये कि गंगानगर को गंगनहर, जो कि सन् 1927 के अन्दर महाराजा गंगासिंह जी ने बनाई थी, बहुत खराब हो चुकी है और कभी भी टूट सकती है। उस पर विचार तो प्रकट किये गये लेकिन आज तक वह नहर नहीं बनी, वैसी ही रही है। इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा सिंचाई मन्त्री जी से कि अगर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में गंगनहर का नाम होता तो गंगानगर की जनता उसके लिये आपको धन्यवाद देती । अभी नाम नहीं आ सका तो आइन्दा के लिये ध्यान रखें ।

(श्री दुलाराम)

राजस्थान केनाल के बारे में निवेदन करूंगा कि राजस्थान केनाल का माहोल ढाई साल में बिगड़ा है, शेरसिंह जी के समय में बिगड़ा है। उन्होंने अलावा तीतर और बटेर मारने के कोई काम नहीं किया। जब वे सर्वे पर जाते तो पिंजरा ले जाते और उनको छोड़ कर बन्दूक से गोली मार कर गिराकर मांस बनाया जाता था।

श्री गोपाल पचेरवाल : आपको भी निमंत्रण दिया था कि नहीं ?

श्री दुलाराम : अगर देते तो जरूर जाता।

इसके कारण, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान केनाल कांग्रेस शासन में जहां तक बनी थी वहीं रही। जो आंकडे दिये हैं कि राजस्थान केनाल इतने माइल्स बनी वह फर्जी है। सन 79 में...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सदन का समय 8 बजे तक बढ़ा दिया जाय।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, 8 बजे तक विधान सभा का समय बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आवश्यक हो तो 7 बजे तक समय बढ़ा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि अगर इसी समय का सदुपयोग किया जाये तो समय बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आपके नेता महोदय श्री खेतसिंह जी भी मौजूद थे उन्होंने स्वयं कहा है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव है रोजाना चार घन्टे वाद-विवाद होना चाहिये। चार घन्टे के हिसाब से देख लीजिये। पौने चार बजे आपने यह बिजनेस शुरू किया है इसलिये 8 बजे तक का समय बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। आप इसको समझिये, अगर नेता की बात नहीं मानते हैं तो उनको बदल दीजिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वाच एण्ड वार्डस के जो कर्मचारी हैं वे सुबह 8 बजे यहां आते हैं और 8 बजे शाम को जाते हैं। दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं।

एक माननीय सदस्य : अब आपको समझ आई क्या ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। श्री नाथूसिंह। आर्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो इतना सा निवेदन है कि समय बढ़ायें, हमें आपत्ति नहीं है परन्तु हमको पहले से सूचना रहनी चाहिये। हम सुबह यह सोच कर आते हैं कि इतने समय तक सदन चलेगा, इतना समय रखा जायेगा और उसके अनुसार हम तैयारी करके आते हैं। यहां आने के बाद पता चलता है कि समय इतना बढ़ा दिया है। मेरा सुझाव है कि यह बात एक दिन पहले ही बता दी जाये तो अच्छा है।

(108)

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सचेतक महोदय से निवेदन करूंगा जैसा अभी कहा कि धन्यवाद प्रस्ताव पर 4 घण्टा कम से कम वाद-विवाद चलना चाहिये। आज 3 बजे बहस चालू हुई थी। फिर कल और परसों की छुट्टी है, हमारे अनेक माननीय सदस्य गांव जाना चाहते हैं इसलिए समय को 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाये तो आपकी मेहरबानी होगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। सदन के अलग अलग दलों के बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं कि सदन का समय 7 बजे तक के लिए ही बढ़ाया जाये इसलिए क्या सदन की सम्मति है कि सदन का समय आज 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाय।

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया

एक बात और भी है कि माननीय सदस्य थोड़ा समय का भी ध्यान रखें। दुलाराम जी से निवेदन करूंगा कि वे शीघ्र समाप्त करें।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री दुलाराम : आपके आदेशानुसार 2 मिनट में अपना भाषण समाप्त करूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण में हमारे नेता संजय गांधी का पांच सूत्री प्रोग्राम अपनाने का संकल्प किया है। हमारी नेता इन्दिरा गांधी के 20 सूत्री कार्यक्रम को भी इसमें शामिल किया गया है जिसके लिए मैं विशेष रूप से राज्यपाल महोदय का आभार मानता हूं।

एक माननीय सदस्य: आपको मिनिस्टर बना देंगे।

श्री दुलाराम : मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए निवेदन करता हूं कि जनता ने इस सरकार को जिस तरीके से चुना है, उसमें संजय गांधी का नाम भी रोशन हो और हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी का नाम भी रोशन हो।

श्री अध्यक्ष : श्री हजारीलाल शर्मा।

एक माननीय सदस्य : इसमें राजीव गांधी का नाम भी ले लो।

श्री हजारीलाल शर्मा (पिलानी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है, उसकी एक प्रति मेरे पास है। उसमें 'प्रथम सत्र' शब्द अशुद्ध छपा है। जहां पहले ही पहले नजर जाती है वहां अशुद्ध छपा है। आगे क्या होगा इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है। First impression is the last impression.

श्री दुलाराम : मेरे पास जनता पार्टी के समय का अभिभाषण है। उसमें भी वैसा ही छपा हुआ है।

एक माननीय सदस्य : आप हमारे पद चिह्नों पर चलें। ढाई साल में हम उधर आ जायें और आप इधर आ जावें।

श्री हजारीलाल शर्मा : मैं दोनों पक्षों के महानुभावों से निवेदन करूंगा, इस थोड़े से समय में व्यवधान नहीं डालें। सुनें तो ज्यादा अच्छा होगा। दोनों पक्षों के नेता महोदय आरोप प्रत्यारोप लगाने में ही व्यर्थ

109

(श्री हजारीलाल शर्मा)

समय खराब करते हैं। सही बात कहने में असमर्थ हैं। वस्तुत: हम जो यहां बैठते हैं तो सारे के सारे पोलिटिशियन हैं, स्टेट्समैन नहीं है। पोलिटिशियन और स्टेट्समैन में अन्तर होता है। वह अन्तर यह है-Statesman thinks of the next generation, while the politician thinks of only the next elections. हम सारे के सारे इलेक्शनबाज हैं। इलेक्शन से हमको मतलब है। हमारी जनरेशन आगे क्या होने वाली है, इसके बारे में हम कुछ नहीं सोचते हैं। आरोप लगाते हैं एक पक्ष पर दूसरा पक्ष प्रत्यारोप करता है कि वह बेईमानी करता है, चुनाव में पैसा कमाता है, आदि आदि। मैं निवेदन करूं कि दोनों ही पक्ष चुनाव में ईमानदार नहीं हैं। कांग्रेस (आई) के जो सज्जन बार बार यह कहते हैं कि जनता पार्टी के लोगों ने चुनाव में गड़बड़ी की है, जनता पार्टी के लोग यह कहते हैं कि कांग्रेस वालों ने गड़बड़ी की है। मैं दोनों के नमूने पेश करता हूं। सबसे पहले कांग्रेस को रखता हूं। हमारे यहां चिड़ावा म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव हुआ यह वह काल था जिसको कि विनोबा जी ने बहुत अच्छा नाम दिया था "अनुशासन पर्व।" ठीक ही था इस हद तक कि पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उसका लाभ मिला। देश की जनता को कोई लाभ नहीं मिला। उन दिनों नवलगढ़ म्यूनिसिपैलिटी का भी चुनाव हुआ था। मैं निवेदन करूंगा कि वह कांग्रेस पार्टी का चुनाव नहीं था। वह राजस्थान सरकार का चुनाव था। कलेक्टर से लेकर चपरासी तक और आई. जी. से लेकर सिपाही तक सारे चुनाव में मशगूल थे। जो विरोधी दलों से चुनाव लड़ना चाहते थे उनकी हालत ऐसी खस्ता बना रखी थी कि घर से बाहर निकल नहीं सकते थे। आप ताज्जुब करेंगे, मुझे घर से अलग ले जाकर एक पुलिस अधिकारी ने यह कहा कि "मुझे मन्त्री जी ने भेजा है और यह कहा है कि यह इमर्जेन्सी का टाइम है, विरोध में नहीं आयें तो अच्छा है।" वह डी.वाई.एस.पी. साहब मेरे मिलने वाले थे।

एक माननीय सदस्य : उनका नाम बताइये।

श्री हजारी लाल शर्मा : नाम बताना मना है। मैने अर्ज किया कि वह हमारे शुभचिन्तक थे। मैंने उनसे कहा कि मिनिस्टर साहब से कह दो कि मुझे गिरफ्तार करा दें। तो उन्होंने बड़ा आश्चर्य प्रकट किया। बोले, "इससे आपको क्या मिलेगा मैने कहा कि गिरफ्तारी से हमारे केण्डीडेट्स जीत जायेंगे और मैं भी जेल में आराम से रहूंगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप लीडर हो जाते।

श्री हजारी लाल शर्मा : मैंने कहा, मैं जेल में आराम से रहूंगा। कोई घर ऐसा नहीं था जिस पर जबरदस्ती कांग्रेस का झण्डा नहीं फहराया गया था।

एक माननीय सदस्य : क्यों गप्प मारते हैं।

श्री हजारी लाल शर्मा : बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। रिजल्ट क्या आया। उनके सोलह में से साढ़े चार।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह तो आपका लाभ कर दिया।

श्री हजारी लाल शर्मा : अब आप देखिये। क्या हुआ? उन्होंने राजस्थान पत्रिका में छपवाया रिजल्ट 16 में से 7:9। मैंने राजस्थान पत्रिका के सम्पादक महोदय को फोन पर पूछा, आपके पास क्या आधार है 7 व 9 का? उन्होंने कहा कि हमारे पास तो पी.सी.सी. से लिखा हुआ आया है। हमने कहा कि यह तो ग्यारह और साढ़े चार हैं। आप छाप दें। उन्होंने कहा कि हम कैसे छाप दें, हमको अपना अखबार चलाना है। आप सम्पादक के नाम पत्र लिख दें वह पत्र छाप देंगे। मैंने कहा, आप कुलिश नहीं हैं। आप बहुत नरम है। इसके बाद हमारे माननीय खेतसिंह साहब, जो मेरे सामने बैठे हैं, ने तीन महीने तक चेयरमैन का चुनाव नहीं करवाया।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप भूल गये हैं। मैं लोकल सेल्फ का मिनिस्टर कभी नहीं रहा।

श्री हजारी लाल शर्मा : आप चुनाव के मिनिस्टर थे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां चुनाव का था।

श्री हजारी लाल शर्मा : तीन महीने तक इन्होने चेयरमैन का चुनाव नहीं होने दिया। इनका कहना था कि इनके सदस्यों को मैं उड़ा कर ले गया था इसलिए इन्होंने चुनाव नहीं कराये। आश्चर्य की बात देखिए कि इनकी सरकार और इमर्जेंसी का टाइम और फिर भी हम इनके सदस्यों को उड़ा ले गये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ठीक है।

श्री हजारी लाल शर्मा : फिर क्या हुआ। इनके मन्त्रियों में आपस में फूट पड़ी। उन्होने मजबूर किया इनको, आप डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे है, अगर नहीं मानते है तो हम इस्तीफा देते हैं। तब उन्होंने चेयरमैन का चुनाव लड़ा और हारे। ज्यों ही हमारा चेयरमैन बना, जनता पार्टी की गवर्नमेन्ट आ गई। इन्होंने क्या किया कि हम सबको बरखास्त कर दिया, हमने पूछा कि हमको बरखास्त क्यों किया तो जवाब लिखा कि तुम्हारा भी जन्म इमर्जेन्सी में हुआ था। जिसका जन्म इमर्जेन्सी में हुआ है उसका पुनर्जन्म होना चाहिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ये तो बड़े जुल्मी थे, साहब।

एक माननीय सदस्य : आपसे कम।

श्री हजारीलाल शर्मा : इन्होंने कारण यह दिया कि चुनाव के समय लोग जेलों में थे और जेलों में होने के कारण चुनाव में भाग नहीं ले सके, इसलिए हम इस चुनाव को नहीं मानते। अध्यक्ष महोदय, ये चिड़ावा में एक भी आदमी ऐसा बता दें जो कि जेल में था। वस्तु स्थिति तो यह है कि कोई भी आदमी जेल में नहीं था। लेकिन हमें मालूम नहीं, क्योंकि इन्होने हमारी म्युनिसिपैलिटी को भंग कर दिया और आज तक म्युनिसिपैलिटी के चुनाव नहीं हुए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : तो भी हम इनसे भले हैं।

श्री हजारीलाल शर्मा : भला कोई भी नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में मुझे बिजली के बारे में पढ़ने का मौका मिला कि रबी की फसल को बढ़ाने की दृष्टि से कुल बिजली

(श्री हजारीलाल शर्मा)

का अधिकांश भाग कृषि के लिए उपलब्ध कराया गया। श्रीमान्, मैं भी एक काश्तकार हूं, मेरा फार्म भी है। ये कह रहे हैं कि कृषि के लिए पाबन्दी नहीं है और किसानों को अधिकांश भाग बिजली का उपलब्ध कराया जाता है। उधर हमारे क्षेत्र के इन्जीनियर कहते हैं कि किसानों को 8 घन्टे बिजली निश्चित रूप से देंगे जब कि वस्तुस्थिति यह है कि एवरेज में तीन घन्टे से अधिक किसी काश्तकार को बिजली नहीं मिली। इसके लिए किसानों ने आन्दोलन किया कि हमारी फसल जल रही है और बिजली नहीं मिल रही है तो जिन काश्तकारों ने आन्दोलन में भाग लिया ...

एक माननीय सदस्य : यह पिछले साल की बात हो रही है।

श्री हजारीलाल शर्मा : उनकी लाइन काट दी। जो ज्यादा शोर करने वाले काश्तकार थे उनके यहां पलवडुएशन कर दिया जिससे सैकड़ों मोटरें जल गईं। श्रीमान्, काश्तकार कितनी मुश्किल से काम चलाता है। उनके सात आठ दिन तो वैसे गये, खेती का नुकसान हो गया एक मोटर जल जाने से और सात आठ सौ रुपये वैसे लग गये क्योंकि मोटर दुबारा तैयार करनी पड़ी। निर्दयतापूर्वक लोगों के कनेक्शन्स काट दिये गये जिससे उनको हानि उठानी पड़ी।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा गया है कि किसानों को अधिक सुविधायें दी जायेंगी। इसमें यह भी कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा को महत्व देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं निवेदन करूं कि शिक्षा के मामले में कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा के महत्व को हमने प्राथमिकता देने की कोशिश की है। मैं निवेदन करूं शिक्षा के मामले में कि शिक्षा के साथ जितना खिलवाड़ हो रहा है उतना किसी विभाग के साथ नहीं हो रहा है। जो भी शिक्षा मन्त्री बनता है उसकी स्किम के ऊपर नई बातें शुरू होती हैं, नये एक्सपेरीमेन्ट्स किये जाते हैं। कहीं 10+2, कहीं पर 10+2+1, कहीं कुछ और, कहीं कुछ। प्राथमिक शिक्षा की बात अर्ज करूं कि एक स्कूल में डेढ़ सौ–दो सौ विद्यार्थी होते हैं वहां पर एक अध्यापक होता है जब कि नियम यह है कि 40 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक होना चाहिए। वस्तुस्थिति यह है कि जिन गांवों का राजनैतिक महत्व नहीं होता या जिन गांवों में राजनैतिक महत्व के व्यक्ति नहीं होते वहां पर डेढ़ सौ और दो सौ विद्यार्थियों पर एक अध्यापक नियुक्त किया जाता है। टीचर भी ऐसे होते हैं जो ऐसे स्कूल में अपना ट्रान्सफर करवाते हैं जहां पर उनको सुविधा होती है। नतीजा यह होता है कि छोटे गांवों में बच्चे स्कूलों में बहुत हैं और अध्यापक कम हैं। फिर कहते हैं कि शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। एक अध्यापक दो सौ बच्चों को पानी–पेशाब की छुट्टी देने में भी सक्षम नहीं है फिर वह पढ़ायेगा क्या। मैं, अध्यक्ष महोदय, आमतौर पर शिक्षा की बात करूं तो बात यह है कि हमारे यहां जो अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी और कालेजेज हैं उनमें विद्यार्थियों को क्या बनाया जाता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। देखने की बात यह है कि कहीं भी किसी भी स्टेज पर विद्यार्थी को यह बात नहीं सिखाई जाती कि उसे समाज को क्या देना है। हम शिक्षित होकर समाज को क्या देंगे, यह

(112)

(श्री हजारीलाल शर्मा)

बात किसी स्टेज पर नहीं सिखाई जाती। सिर्फ एक ही बात सिखाई जाती है कि वह समाज से क्या प्राप्त करेगा। जब तक शिक्षा के अन्दर यह बात नहीं लाई जायगी कि विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के बाद समाज को क्या देगा तब तक शिक्षा का अर्थ सही नहीं है और हमारे देश की जो हालत है शिक्षा के मामले में वह बिगड़ती चली जायगी, सुधरने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इण्डस्ट्रीज के बारे में भी यह चर्चा आई है कि जो छोटी इण्डस्ट्रीज हैं, लघु उद्योग हैं उनकी रक्षा की जायगी, उनको प्राथमिकता दी जायगी और उनका ध्यान रखा जायगा। अध्यक्ष महोदय, मेरे देखने में यह आया है कि लघु उद्योग जितना सफर कर रहे हैं उतना बड़े उद्योग सफर नहीं कर रहे हैं। बड़े उद्योगपति साधन सम्पन्न होते हैं। उनके पास अनेक तरह के साधन होते हैं। उनका तरीका होता है साधन प्राप्त करने का लेकिन लघु उद्यमी साधारण व्यक्ति होता है। उसकी हालत देखने के लिये किसी को फुरसत नहीं है। मैं एक उदाहरण दूं आपको कि यहां जो छोटी-छोटी इण्डस्ट्रीज लगी हुई हैं विश्वकर्मा इण्डस्ट्रियल एस्टेट में, उनमें से कुछ इण्डस्ट्रीज को देखने का अवसर मुझको मिला है। जैसे एक फाउण्डरी है उसमें कोयला, पिग आइरन, पावर और मजदूर की आवश्यकता होती है। पिग आइरन जिसको अलाट हो गया उसको कोयला अलाट नहीं किया, और अगर इत्तिफाक से कोयला और पिग आइरन मिल गया तो बिजली नहीं मिली। अब मुझे आप बताइये कि उस साधारण व्यक्ति को, साधारण उद्यमी की यह स्थिति है तो वह कितने दिनों तक मजदूरों को बिठाकर किस प्रकार से काम चलायेगा। पिग आइरन मिल गया उसके ब्याज में ही लुटता चला जायगा। बातें बहुत की जाती हैं, कागजों पर बहुत सुन्दर तरीके से लिखा जाता है लेकिन लघु उद्यमी का कितना ध्यान रखा जाता है? उसकी दिक्कतों को देखा जाय तो मालूम पड़ेगा कि लघु उद्यमी परेशान हैं, एक्सप्लाइटेड है और वह सोचता है कि मैं फंस तो गया लेकिन निकलूं कैसे।

इस अभिभाषण के अन्दर बहुत सी बातें हमारे राजनीतिज्ञ जो हैं, उनके बारे में भी आई। एक पार्टी को फासिस्ट सामन्तवादी और प्रतिक्रियावादी इसमें बताया गया है। मैं यह देख रहा हूं कि जो पार्टी पावर में आ जाती है वह दूसरे को यही सारी बातें बताती है। यही उसका विश्लेषण करती है या सारे का सारा एक पार्टी दूसरी पार्टी पर थोप देती है।

अतः मेरा निवेदन है कि हम लोग यदि इन बातों में न पड़ कर अपने आपको देखें, अपने आपको सुधारने की कोशिश करें तो राजनीति सही चलेगी और देश का भला होगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह बिश्नोई।

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर दो तीन दिन से इस सदन में वाद-विवाद चल रहा है। कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार यहां पर प्रस्तुत किये। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण किसी पार्टी को, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को

113

(श्री रामसिंह विश्नोई)

प्रदर्शित करता है। जो सरकार और जो पार्टी चुनाव से पहले या चुनाव के दौरान जनता से वायदा करती है, उन्हें सफलता के बाद राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के जरिये आने वाले समय में लागू करने का कार्यक्रम प्रस्तुत करती है।

मान्यवर, यहां अभिभाषण माननीय राज्यपाल महोदय ने पढ़ा और जो दो-तीन साल पहले राज्यपाल महोदय ने जनता पार्टी के कार्यक्रम को यहां पर पढ़ा। राज्यपाल महोदय ने इस कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम को, नीति को यहां पर प्रदर्शित किया। मान्यवर, जो पार्टी गांवों में किसानों का, गरीबों का हित चाहती है, उस प्रोग्राम को यहां पर लागू कराने के लिए जो माननीय सदस्य यहां पर पधारते हैं उनका परम कर्त्तव्य हो जाता है कि वह अपने सुझाव अपनी पार्टी के नेता को, मंत्रिगणों को समय समय पर प्रस्तुत करे। जो विपक्ष के साथी हैं, उनका भी परम कर्त्तव्य और फर्ज हो जाता है कि जो कुछ भी सुझाव दें वह सुन्दर ढंग से सदन में प्रस्तुत करें व सदन के अन्दर रखें।

यहां पर हम यह देखने लग जायें कि जनता पार्टी ने क्या किया, व कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, अगर इसी बात पर यहां विचार करने लग जायें तो पूरे 5 साल एक दूसरे पर आरोप लगाने में ही लग जायेंगे। जिस प्रकार देश के अन्दर जनता पार्टी का शासन था और उसके नेताओं ने 28 महीने तक केवल हमारे देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के खिलाफ अखबारों में, रेडियो में जितनी आलोचना करनी थी की। जितना उनको तंग करना, परेशान करना था, किया। हमारी नेता की जो नीतियां थीं, कार्यक्रम थे उनको असफल करने की बात की। उसके अलावा कुछ भी इन्होंने नहीं किया, आयोगों पर करोड़ों रुपये खर्च किये। इसी का नतीजा है कि 28 महीने के बाद जब देश में चुनाव हुए व चुनाव कराने पड़े तो देश की जनता ने विधान सभा में और पार्लियामेंट में पुन: इन्हें मौका नहीं दिया। मान्यवर, क्योंकि सदन एक पवित्र स्थान है। हमारे लोग यहां अच्छे सुझाव कार्यक्रम को रखें, हम यहां पर यह देखें कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया और दूसरों ने क्या क्या किया। इसमें हमारा समय जाता है और असली कार्य जो विधायकों का है, उसे नहीं कर पाते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारा समय बहुत ही अमूल्य है। समय नष्ट होता है उससे बहुत बड़ी हानि जनता व हमारे प्रांत को तथा हमारे देश को होती है।

मान्यवर, मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री विराजमान है। राजस्थान बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। 30 साल के अन्दर कई प्रकार के कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने प्रस्तुत किये। राजस्थान के अन्दर कार्यक्रम शुरू किये, उसके बावजूद हमारा राजस्थान हिन्दुस्तान के दूसरे प्रांतों के मुकाबले बहुत ही पिछड़ा हुआ प्रांत रह गया है।

हमारे प्रांत के अन्दर जो मुख्य समस्या अकाल व बाढ़ की हैं, दो-तीन साल में यहां पर भयंकर अकाल पड़ता है। हर दो तीन साल बाद हमारे यहां पर बाढ़ आती रहती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मुख्य मंत्री से कहना चाहूंगा कि

(114)

(श्री रामसिंह विश्नोई)

वह दिल्ली के अन्दर रहे हैं। वह करीब 15-20 साल तक अच्छे पदों पर रहे हैं। वह अपने प्रभाव का उपयोग कर राजस्थान की जो स्थिति है उससे अवगत करावें। हमेशा हमारे ऊपर भार पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे कार्यक्रम खराब हो जाते हैं व आगे के विकास के प्रोग्राम भी नहीं कर पाते है। इसलिए मेरा सुझाव है, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर बाढ़ एवं अकाल सहायता कोष की स्थापना की जानी चाहिए। हर वर्ष 10 करोड़ की राशि जमा हो व इतनी ही राशि केन्द्र सरकार से मिलनी चाहिए, ताकि हर वर्ष 20 करोड़ रु० सहायता कोष में जमा होते रहें व अकाल के वक्त राज्य पर आर्थिक भार ज्यादा नहीं पड़ सके, चाहे कितनी ही अकाल की स्थिति हो, चाहे बाढ़ की कैसी भी स्थिति हो हम आसानी से अपने कार्यक्रमों को, अपने प्रोग्रामों को आगे बढ़ा सकें।

मान्यवर, क्योंकि समय बहुत कम है। मैं ख्वाहमख्वाह इतनी बात क्यों कहूं। मेरा निवेदन है कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वह रेगिस्तानी इलाका है। पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में राजस्थान कैनाल का निर्माण हमारे नेताओं ने बड़ी सूझ-बूझ से पण्डित जवाहर लाल नेहरू के समय में इसी उद्देश्य से किया था कि हमारा इलाका रेगिस्तानी इलाका है जहां पशु-पालन के अलावा कोई धन्धा नहीं है। यहां पशु-पालन भी बहुत बड़ी समस्या है। इसी इलाके को ठीक करने के लिए राजस्थान कैनाल का निर्माण किया गया। गंगानगर जिले को, बीकानेर और जैसलमेर को पूरा करके जोधपुर को भी इसमें शामिल किया जाये। अगर जोधपुर जिले को इसमें शामिल नहीं किया जाता है तो आने वाले 50 साल के अन्दर कोई सिंचाई की योजना होनी नहीं है। जहां अन्डर ग्राउण्ड वाटर नहीं है एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। जो पानी वहां खारा है, उससे फसल नहीं हो सकती है। गांवों के अन्दर दो-तीन सालों में अकाल पड़ता है। इसलिए यहां का जो किसान है वह पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश और जो दक्षिण में हमारे राज्य हैं उनके जो किसान है उनके मुकाबले हमारे किसान गरीब हैं तथा उनके मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता इसलिए मेरा निवेदन हैं कि राजस्थान कैनाल का जैसलमेर से जोधपुर तक विस्तार किया जाए। अगर यह हो जाता है तो राज्य सरकार को हर वर्ष करोड़ों रुपये खर्च करना पड़ता है वह बच जायेगा तथा सिंचाई इन क्षेत्रों में हो जाने से लाखों टन जहां अनाज होगा, वहां पशुधन की रक्षा हो सकेगी व पीने के पानी की समस्या सदैव सदैव के लिए हल हो जावेगी। बाड़मेर तो साथ में आ ही जावेगा। मेरा एक निवेदन था मुख्य मंत्री जी से गंगानगर जिले में सिंचाई विभाग ने एक स्कीम बनाई है, वहां पर 50+60=110 प्रतिशत की एक स्कीम बनाई है, 110 परसेंट की इर्रीगेशन की स्कीम गंगानगर जिले में की है, इसका मतलब यह होता है कि रबी के अन्दर 50 प्रतिशत और खरीफ के अन्दर 60 प्रतिशत पानी मिलेगा। एक तरफ हमारा इलाका बिल्कुल सूखा है, पीने के पानी की समस्या है और दूसरी ओर वहां पर किसानों को और अधिक मालदार करना चाहते है, वह

(श्री रामसिंह विश्नोई)

किसान तो हमारे मुकाबले में कई गुना मालदार हो जायगा अगर यह स्कीम लागू हो जाती है । मेरा निवेदन है कि उस स्कीम को न लागू करें । 50 ही रखें और 60 परसेंट एक्सट्रा पानी बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, नागोर जहां भी उचित समझें दें । मै उम्मीद करता हूं कि आप यह कर सकते हैं, 5 साल का समय हैं, यह बहुत बड़ा काम हो जाए तो यह कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, गरीबों और किसानों को लाभ होगा जो 25-30 साल से इंदिरा गांधी और कांग्रेस के साथ रहे हैं उन अकाल पीड़ित किसानों का बहुत बड़ा हित होगा ।

मान्यवर, मेरा एक सुझाव है कि जब तक अपने यहां पर बड़ी रेलवे व डबल रेलवे लाइन नहीं होगी तब तक कोई उद्योगपति राजस्थान में उद्योग लगाने को तैयार नहीं होगा । आज अलवर, भरतपुर, कोटा में उद्योग लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं लेकिन जब तक पश्चिम राजस्थान व बीकानेर, चूरू साइड में उद्योग नहीं होंगे तब तक यहां की जनता सुखी नहीं हो सकेगी । यहां की जमीन पर जो भार है उसको कम करने के लिए केवल मात्र उद्योग ही एक साधन है जो आबादी को उस तरफ आकर्षित कर सकते हैं । उद्योगपति केवल दिल्ली, अलवर व भरतपुर के आसपास उद्योग धंधे लगाना चाहते हैं । इस तरह तो राजस्थान का बेलेंस इम्बेलेस हो जायगा । इसलिए राजस्थान में कहां बड़ी व डबल लाइन होनी चाहिए, कहां रेलों का जाल बिछाना चाहिए, सब कुछ आप कर सकते हैं, आप समर्थ हैं इसलिए यह भी आपके ध्यान में होना चाहिए ।

सबसे अहम मसला डेयरी उद्योग का है । यह उद्योग खास तौर से पश्चिमी राजस्थान में जब लागू किया गया, बीकानेर और जोधपुर में जब प्लांट्स लगाए गये तो उसका एक मकसद था कि यहां के जो पशुपालक हैं उनकी माली हालत खराब है; अनाज पैदा कम होता है, हर दो तीन वर्ष बाद अकाल पड़ता है, मवेशी लेकर बाहर जाना पड़ता हैं, इसलिए जब डेयरी कार्यक्रम वहां पनपेगा, लोगों को डेयरी की सुविधा होगी, लाखों करोड़ों रुपये बैंक से दिए जावेंगे तो लोगों को काफी राहत होगी । लेकिन यहां के अधिकारियों ने मिल कर पूरी स्कीम को पूरे राजस्थान में लागू कर दिया । इससे आज अलवर में जो पशुपालक दूध पैदा करते है उसमें जो खर्चा आता है उसके मुकाबले जैसलमेर और बाड़मेर के पशुपालक जो दूध बेचेंगे उनका दुगुना खर्चा आएगा । बीकानेर और जैसलमेर से ले जाकर दूध दिल्ली बेचेंगे तो जितना खर्चा उनका पड़ेगा उससे कम अलवर वाले का होता है तो अलवर का पशुपालक ज्यादा मालदार होगा । वह सरसब्ज इलाका है । वहां किसान दुगुना अनाज व घास पैदा करता है और पशु पालन दुगुना तिगुना होता है । पश्चिमी राजस्थान में जो डेयरी उद्योग लगाया उसके अन्दर एक ही मकसद था । इसलिए पश्चिमी राजस्थान के पशुपालक को सबसीडाइज करके प्रोत्साहन दें । वरना भरतपुर, अलवर, उदयपुर जयपुर सब जगह एक समान स्कीम लागू की गई तो हमारे पशुपालक बरबाद हो जायेंगे और आपका मकसद जो था, वह पूरा नहीं होगा, अलबत्ता दूध इकट्ठा करके दिल्ली और जयपुर के बड़े बड़े अधिकारियों को दूध पिलाने का, उनके बच्चों को दूध पिलाने का, मकसद तो पूरा

(श्री रामसिंह विश्नोई)

हो जाएगा लेकिन जिन गरीबों की आप गरीबी खतम करना चाहते हैं वह स्वप्न साकार नहीं हो सकता। इसलिए या तो सब्सीडाइज करें या दूसरे तरीके से प्रोत्साहित करावें, इसी क्षेत्र में स्कीम लागू करनी चाहिए अन्यथा कोई मकसद नहीं रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, आज ज्वलंत समस्या डीजल की है। यह एक प्रान्त की बात नहीं है पूरे विश्व की बात है। पूरी दुनियां में तेल की समस्या है, तेल की राजनीति है लेकिन इसकी वितरण व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि काश्तकार को, ट्रेक्टर मालिकों को सहूलियत से डीजल मिले, उचित दाम पर मिले, हम देखते हैं कि डीजल की गाड़ी 15 हजार लिटर लेकर आती है लेकिन केवल दो, तीन या चार लिटर डीजल काश्तकार को देते है, बाकी 10 हजार लिटर ब्लेक में बेच देते हैं। इस तरह की अगर व्यवस्था रही तो जो वे दो साल से कर रहे हैं, इससे भारी असंतोष बढ़ेगा। मान्यवर, हमको मालूम था यह सरकार कुछ करने वाली नहीं है, सारे अधिकारी सप्लायर्स से मिले हुए थे। इसलिए मैं मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी फसल बोने का समय है, उसके बाद गेहूं बोने का समय आएगा। किसान ने वोट दिया जो आशायें उसको हमसे थीं वे पूरी नहीं होंगी। इसलिए तेल वितरण की ठीक व्यवस्था हो, यह आप देखें।

मेरा और खास निवेदन है कि राजस्थान बहुत विशाल राज्य है, यहां 5 बड़े बड़े डिवीजन्स हैं, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर व जयपुर। लेकिन सारे राजस्थान की पूरी शक्ति, सारे अधिकारीगण, पूरे उद्योगपति और राजस्थान के जितने मालदार और संपन्न घरानों के लोग हैं सब लोग आकर सारी भीड़ जयपुर में लगाना चाहते हैं। जयपुर की आबादी 2 लाख थी जो आज 15 लाख हो गई है। इसकी वजह यह है कि पूरे राजस्थान के जितने बड़े बड़े आफिसेज थे सारे यहां लाकर रख दिए हैं। मेरा निवेदन है कि राजस्थान बहुत ही विशाल प्रान्त है, यहां की अलग अलग भौगोलिक स्थिति है। उदयपुर किसी कारण से प्रसिद्ध है, बीकानेर की अलग विशेषता है, जोधपुर अलग विशेषता रखता है। इसलिए, मुख्य मंत्रीजी, उनकी विशेषताएं कायम रखने के लिए, उनका महत्व बनाए रखने के लिए कुछ आफिसेज वहां रखे जाने चाहिए। जैसे बीकानेर रेगिस्तानी इलाका है, कुछ आफिसेज वहां होने चाहिए, कुछ जोधपुर में ताकि उनका महत्व कायम रहे नहीं तो अधिकारीगण आपको गुमराह करते हैं। सब चाहते हैं कि जयपुर में रहें, हमारे बाल बच्चे अच्छे स्कूल व कालेजों में शिक्षा लें, सब तरह की सुविधायें लें। तो वे ऐसे कागजात पेश करते हैं कि हमारे मंत्रिगण व मुख्य मंत्री उनके प्रभाव में आकर फैसला कर देते हैं। जो भी आफिसेज जोधपुर में थे सारे लाकर जयपुर में समेट दिए। आबादी के हिसाब से जोधपुर राजस्थान का दूसरे नम्बर का शहर है, वहां की आबादी सरकार की नीतियों व उसका महत्व बनाये रखने के कारण नहीं बल्कि आबादी में बढ़ोतरी हो जाने से बढ़ गई है लेकिन उसका महत्व बढ़ गया हो, ऐसा नहीं है। इसलिए जोधपुर का महत्व बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्यालय वहां पुनः स्थापित

(श्री रामसिंह विश्नोई)

करने चाहिए । जोधपुर ही नहीं कोटा, बीकानेर सबका महत्व बनाए रखने के लिए वहां ग्राफिसेज होने चाहिए।

ग्रन्त में, मैं निवेदन करूंगा कि जनता पार्टी के समय में जो कुछ ग्रनियमित्तायें की गई, उनकी हम बुराई नहीं करते लेकिन, मान्यवर. जैसे कि पिछले वर्ष जसवंत सागर डैम, पिचायक, बिलाड़ा में ग्रतिवृष्टि के कारण, बाढ़ के कारण नुकसान हुग्रा, हजारों मवेशी, लाखों करोड़ों रुपयों के मवेशी बह गए, ग्रादमी मर गए, लेकिन इनकी ग्रक्ल का नमूना देखिये, इन्होंने किसी तरह की व्यवस्था शीघ्र नहीं की हमने कहा था कि जूनियर इंजीनियर्स व ए.ई. एन. की लापरवाही के कारण इतनी बड़ी हरकत हुई है, ग्राप उनको हटा दें लेकिन दो साल तक वे हमारे सामने रहे लाखों रुपये पुनर्निर्माण में खा गए। लेकिन ग्राज तक उनको नहीं हटाया गया ग्रौर ग्राज तक सड़कों पर पुलियायें नहीं बनी, करोड़ों रुपये की सम्पत्ति नष्ट हो गई थीं, वापस उसके पुनर्निर्माण के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। इसलिये, ग्रध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पर जो धन जन की हानि हुई है, सड़कों की हानि हुई है, बिजली की जो हानि हुई है, मवेशी मर गये हैं उसकी पूर्ति की जाय। ग्रध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां बहुत भारी मात्रा में जो घाटा हुग्रा है उसकी पूर्ति जल्दी से जल्दी करा कर वहां की जनता को राहत देवें। इसी के साथ में मैं जो राज्यपाल महोदय जी ने ग्रपना ग्रभिभाषण यहां सदन में दिया ग्रौर उसके समर्थन में माननीय सदस्य श्री शिवचरणजी माथुर ने जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया उसका समर्थन करते हुए ग्रपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री बृजसुन्दर शर्मा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, सदन में पिछले दो दिनों से राज्यपाल महोदय के ग्रभिभाषण पर काफी चर्चा हुई है। यहां पर कई बातें कही गयी हैं। ग्रध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय का जो ग्रभिभाषण है वह ग्रभिभाषण कांग्रेस की नीतियों ग्रौर उसके कार्यक्रमों की पालना के लिये इस साल का उद्धरण है।

(5.42 म.प.)

(श्री प्रद्युम्नसिंह, सभापति पदासीन)

राज्यपाल महोदय के ग्रभिभाषण में उन्होंने कहा है कि मतदाता ने फासिस्ट, साम्प्रदायिक, प्रतिक्रियावादी, सामन्ती एवं जातीय संगठनो को ठुकरा दिया है। जिन लोगों ने पहले जनता पार्टी को वोट दिया उन्होंने ही इन लोगों को बहुत ही कम समय में ठुकरा दिया। सभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहां पर हमारे सामने बैठने वाले मुखियाजी, जो जनता पार्टी के नेता थे, बड़ी बड़ी डींगें हांका करते थे। जो मिलता उसी को यह कहते कि तेरा काम हो जायेगा। कोई ग्राकर कहता कि हमारे यहां पर बिजली नहीं है तो कहते कि फिक्र मत करो, तुम्हारे यहां पर बिजली ग्रा जायेगी। कोई कहता कि हमारे यहां पर पानी नहीं है तो कहते कि तुम्हें पानी मिल जायेगा। जो धन्धा चाहता उसको कहते कि तुम्हें धन्धे के लिये लाइसेन्स मिल जायेगा। तू भी कमा खाना। इस तरह से, सभापति महोदय, उन्होंने सन् 1977 में

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

तो किसी तरह से वोट ले लिये। सभापति महोदय, इन्होंने वायदे तो बहुत कर लिये पर वायदे किसी के भी पूरे नहीं कर सके। हां, अलबत्ता फायदा हुआ जरूर उन लोगों को जो कि नेकर पहन कर सुबह उनकी शाखा में जाते थे। उनको इन्होंने खूब फायदा दिया। बाकी बेचारी जनता को कुछ भी लाभ नहीं हुआ।

सभापति महोदय, सन् 77 में जब जनता के सामने चुनावों का समय आया तो उन्होंने सोचा, कांग्रेस का शासन इतने लम्बे समय से चल रहा है अब जरा दूसरी पार्टी की सरकार को भी देखें। सभापति महोदय, इन सभी विरोधी पार्टी के लोगों ने मिल कर एक संगठन कांग्रेस विरोधी बनाया उस संगठन का उद्देश्य केवल, सभापति महोदय, यही था कि किस प्रकार से कुर्सी हथियायी जाय। चूंकि वह संगठन सिर्फ कुर्सी हथियाने के लिये था इसीलिये संगठन ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। अन्त में यह संगठन जल्दी ही टूट गया और जनता पार्टी का राज्य हमारे देश से समाप्त हो गया।

सभापति महोदय, बड़ी डींगें मारा करते थे मुखियाजी। वह अभी शायद सदन में मौजूद नहीं हैं। वह होते तो जरा अच्छा रहता।

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदय, मुखिया जी से इनका क्या मतलब है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। बीच में इन्टरप्शन नहीं करें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मुखियाजी से मतलब भारतीय जनता पार्टी के मुखिया जी से है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें।

श्री बृज सुन्दर शर्मा : सभापति महोदय, माननीय सदस्य नये हैं, यह पहले जब हम विधान सभा के सदस्य थे तब यहां पर नहीं थे। उन्हें शायद इसीलिये पता नहीं है कि हम उन्हें मुखियाजी कहते थे।

वह बड़ी डींगें मारा करते थे कि हम 25 में से 25 लोकसभा की सीटें जीतेंगे और राजस्थान में जनता पार्टी की सरकार आयेगी। लेकिन, सभापति महोदय, जनता पार्टी की सरकार नहीं आयी। जनता ने कांग्रेस को चुनकर भेजा और कांग्रेस की सरकार हमारे यहां आई।

सभापति महोदय, मैं यह भी यहां पर निवेदन करना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह दृष्टिगोचर होता है कि जो प्रगतिशील कार्यक्रम पहले कांग्रेस सरकार ने शुरू किये थे जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने उन कार्यक्रमों को खतम कर दिया, जिन कार्यक्रमों से हमारे यहां का विकास होता वह समाप्त कर दिये। सभी कांग्रेसी कार्यक्रम जनता पार्टी ने खतम कर दिये। उसका खतम करने का मूल उद्देश्य सिर्फ यही था चूंकि वह प्रगतिशील कार्यक्रम सिर्फ कांग्रेस शासन ने शुरू किये थे, जनता पार्टी ने वह कार्यक्रम समाप्त कर दिये। जनता पार्टी की सरकार यह चाहती थी कि कांग्रेस के शासन काल में शुरू हुए कार्यक्रमों का हमारे यहां पर नामो निशान नहीं रहना चाहिये।

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

सभापति महोदय, हमारे देश की नेता श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने जो जनता के हित के लिये एक 20सूत्री कार्यक्रम शुरू किया था उसको जनता पार्टी के शासन शुरू होते ही समाप्त कर दिया गया। उसके बदले एक ऐसा कार्यक्रम जनता पार्टी के शासकों ने चलाया जिसका नाम था अन्त्योदय की योजना। सभापति महोदय, जनता पार्टी के शासन के समय में अन्त्योदय की योजना के कार्यक्रमों के बारे सदन में व बाहर काफी चर्चा होती थी। सभापति महोदय, अन्त्योदय योजना से आम जनता को कितना लाभ हुआ इतना तो मैं नहीं बता सकता हूं पर अन्त्योदय योजना में क्या क्या काम लोगों ने किये, बाकी जगहों की तो मैं नहीं कहता पर जब उन दिनों मैं एक गांव में गया तो वहां पर मैंने एक व्यक्ति को पूछा कि भाई, तुम यह भैंस कहां से लाये हो। तो उसने मुझे बताया कि यह भैंस मैंने 22 सौ रुपये में खरीदी है। मैंने पूछा कि तुम्हारे पास पैसे कहां से आये? तो उसने मुझे बताया कि पैसे तो मैंने अन्त्योदय योजना के तहत ले लिये हैं और भैंस में पटेलजी की ले आया हूं वह मैंने मेरे घर पर बांध ली है। तब मैंने पूछा कि अगर लोग दो तीन महीने बाद इस भैंस के बारे पूछने आये तो क्या कहोगे? तो उसने कहा कि जब पूछने आयेंगे तो मैं कह दूंगा कि वह भैंस तो मर गई। तो, सभापति महोदय, यह अन्त्योदय कार्यक्रम इस जनता पार्टी के शासन का था।

श्री दाऊदयाल जोशी: यह आप शायद पन्नालाल का कह रहे होंगे जो कि तालेड़ा का था और आपकी कांग्रेस (आई) का सदस्य था।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बीच में बोल कर व्यवधान नहीं डालें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: इसी तरह, सभापति महोदय, मैं बून्दी के एक दूसरे गांव में गया वहां पर मैंने देखा कि जनता पार्टी वाले डंकों से ढिंढोरा पीटा करते थे। एक डंके से तो यह कहते अन्त्योदय ....

(व्यवधान)

दूसरे डंके से यह कहते कि काम के बदले अनाज योजना हमने शुरू कर दी है। काम के बदले अनाज योजना में भयंकर भ्रष्टाचार था, सभापति महोदय। मुखियाजी यहां पर कुर्सी पर बैठते ही यह कहते थे कि भ्रष्टाचार करने वाले हैं मैं उनके नाक से पैसा निकलवा लूंगा, अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया तो नाक से पैसा निकलवा लूंगा। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार के पैसे को तो नाक से निकलवाया नहीं लेकिन उस भ्रष्टाचार का सर्किल जरूर बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि जितना मर्जी हो उतना खाओ। उन्होने पंचों तक को भी इसमें लिप्त करा दिया। पांच हजार के काम बिना तखमीने व अपनी मर्जी से शुरू करने के अधिकार पंचायतों को दिये।

एक माननीय सदस्य: पांच नहीं सात हजार रुपये तक।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: हां सात हजार रुपये तक कोई भी काम सरपंच काम के बदले अनाज योजना में करा सकता। बून्दी जिले में दो तीन सरपंचों, जो कि जनता पार्टी के थे, ने तो खूब भ्रष्टाचार किया। पकड़े जाने पर भी उनके खिलाफ में कोई मुकदमे नहीं चलाये गये। पुलिस के अन्दर केस देने की बात हुई तो यहां से टेली-

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

फोन गया मिनिस्टर साहब का कि इन सरपंचों के खिलाफ में कोई भी मुकदमा दर्ज करने की जरूरत नहीं है। तो सभापति महोदय, अब मेरा माननीय मुख्य मन्त्रीजी से यह निवेदन है कि जिन लोगों के खिलाफ में भ्रष्टाचार के खुले मामले हैं उनके खिलाफ अब तो मुकदमे चलाने की कृपा करें। अगर हमारे कांग्रेसी सरपंचों ने यह किया होता तो जनता पार्टी के शासन काल में मन्त्रीजी कहते कि इनको अन्दर रख दो। और उनको जेल में धर दिया जाता पर चूंकि जनता पार्टी के सरपंच थे इसलिए उन्हें नहीं रखा गया।

सभापति महोदय, इसके अलावा एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि जनता पार्टी के राज में जनता शासन ने जो पुराने पंचायतों के नियम थे वह ही बदल दिये। सारा पंचायत एक्ट ही बदल दिया गया। जो प्रधानों के चुनाव सरपंच व पंचों के माध्यम से होते थे वह नियम बदल कर इन्होंने प्रधानों के चुनाव केवल सरपंचों से करने का प्रावधान कर दिया। इसलिए, सभापति महोदय, मैं मुख्य मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित कर यह निवेदन करना चाहूंगा कि अब तो कम से कम आप उस कानून को बदलने की कृपा करें और जिस तरह पहले प्रधानों के चुनाव पंच व सरपंच करते थे उसी तरह वापस कराने का प्रावधान नियमों में कराने की कृपा करें।

मैं, माननीय सभापति महोदय, आपका ध्यान कुछ समस्याओं की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। वह चम्बल क्षेत्र से संबंधित समस्यायें हैं। चम्बल क्षेत्र में वर्ल्ड बैंक की स्कीम के जरिये कुछ योजनायें बनाई गई कि किस तरह से ज्यादा से ज्यादा पानी का उपयोग हो सके। जमीनों का कन्सोलिडेशन किया गया, कई गांवों को केचमेन्ट में लाया गया लेकिन काश्तकारों को सारी स्कीम की वजह से परेशानी में डाल दिया गया क्योंकि आप जानते हैं, कन्सोलिडेशन जहां किया गया वहां बड़े बड़े आदमियों ने गांवों के किनारे किनारे अपनी जमीन ले ली और गरीब हरिजनों को दूर जमीनें दे दीं और यह कह दिया कि कन्सोलिडेशन हो गया। समतल करने के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है यह जमीन तो समतल है लेकिन स्क्रेपिंग करके इसमें पानी ठीक तरह से पहुंच जाये, इसमें नालियां बनानी पड़ेगी, बुलडोजर भी चलाने पड़ेंगे और निश्चित रूप से तुमको कर्जा मिल जायेगा काश्तकारों ने कर्जा ले लिया और दस्तखत कर दिए। बादमें पाया जाता है कि पानी पहुंचा ही नहीं। कोई देखने वाला ही नहीं है। रिश्वत लेकर बड़े बड़े आदमियों को नजदीक में जमीने दे दी, छोटे आदमी आज भी चिल्ला रहे हैं। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके जरिये मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मैंने चम्बल क्षेत्र के किसानों को यह कह दिया है, यह सलाह दी है कि वह इस स्कीम के बारे में जब तक पूरी जानकारी नहीं ले लें तब तक दस्तखत नहीं करें। स्कीम बने, तरीके से बने और जिन गांवों में जरूरत है वहां बने। जिनकी जमीन समतल हैं उसकी भी कास्ट 500 रुपया प्रति बीघा ली। इसका मतलब यह हुआ कि 1250 रुपया एकड़ हुआ। इस तरह से कई बातें परेशानी में डालने वाली हैं।

सभापति महोदय, हमारे यहां बूंदी में एक सरकारी शुगर मिल की स्थापना हुई। आज शक्कर की कमी है। योजनाबद्ध तरीके

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

से उसको मुनाफा मिलना शुरू हो गया था। जब कांग्रेस का राज था तो 1 लाख 90 हजार बोरियां तक वहां शक्कर बनी लेकिन उसके बाद उसके मैनेजमेन्ट में दखल दिया गया। कई लोगों ने अपने असर के जरिये अपने आदमियों को रखवाया। वहां के एम.एल.ए. साहबान थे उन्होंने अपने अपने आदमियों को रखवाया और पुराने काम करने वालों को निकाल दिया। योजनाबद्ध तरीके से गन्ने की फसल नहीं की गयी इसका नतीजा यह हुआ कि उस को-आपरेटिव शुगर मिल का दिवाला निकल गया। भारत सरकार ने उसको कब्जे में लिया। मुख्य मन्त्रीजी, आप जानते हैं कि वहां कस्टोडियन नियुक्त होना चाहिए था वह आज तक नियुक्त नहीं है। वहां फाइनेन्स का एक सुपरवाइजर था वही कस्टोडियन बन गया है। कोई आगे के लिए कार्यक्रम नहीं बनाया गया कि इतना गन्ना बोया जायेगा। किसानों के पैसे बाकी हैं। वहां पर मैनेजमेंट खराब हो चुका है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप शुगर मिल को बचाना चाहते हैं, उसको चालू रखना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी कृपा करके या तो उसे आप अपने अण्डर में ले लीजिए, अपने यहां का कोई कस्टोडियन मुकर्रर कीजिए वरना लाखों रुपया जो किसानों के शेयर का है वह बेकार चला जायेगा और उत्पादन भी नहीं होगा। जहां पहले 1 लाख 90 हजार बोरियां चीनी की बनती थीं वहां 12 हजार बोरियां ही तैयार करवाई हैं। जब कानून बना हुआ है कि इस मिल में गन्ना पैरने के लिए किसी भी जगह से गन्ना प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी जगह को खण्डसारी की सीमा नियुक्त कर सकते हैं, जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि किसी तरह से को-आपरेटिव सैक्टर में कोई भी उद्योग चले और कामयाबी के साथ चले। इसलिए उसने जानबूझ कर उसको फेल किया।

हमारे आज कई माननीय सदस्य, जो यहां हैं, बड़े उछल उछल कर कह रहे थे कि हमारे जमाने में भ्रष्टाचार नहीं हुआ। कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने जमाने के बारे में कहा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोटा में चम्बल एरिया डवलपमेंट और इरिगेशन डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। उसमें इनके समर्थकों ने गलत मस्टर रोल बनाये यह आज भी साबित करवा सकता हूं। उसमें लाखों रुपयों का गबन हुआ है। इनके नियुक्त किए हुए व्यक्ति आज भी सरकार को फेल करने में लगे हुए हैं और आज भी काश्तकारों को तकलीफ देते हैं। चार चार मिनिस्टर कोटा से थे फिर भी आज आप कोटा में देख लें इन योजनाओं और कार्यक्रमों को। एक मशीनरी होनी चाहिए किसी कार्यक्रम को पूरा करने के लिए वह सारी की सारी मशीनरी चाहे सिंचाई विभाग की हो, चाहे को-आपरेटिव विभाग की हो, चाहे एजूकेशन विभाग की हो और चाहे वह पुलिस की मशीनरी हो इतनी वहां पर गड़बड़ियां हैं कि किसी भी कार्यक्रम को पूरा नहीं कर सकता। जब बजट पर बहस होगी तो मैं बताऊंगा कि किस तरह से फर्जी मस्टर रोल बनाये गये और किस तरह से चम्बल के क्षेत्र में आर. एस. एस. के लोगों को फर्जी नियुक्तियां दिखा कर पैसा दिया गया....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : Give some concrete example.

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं बहुत ही जिम्मेदार तरीके से कह रहा हूं। मेरे पास आंकड़े हैं।

अभी, माननीय सदस्य, दस दिन पहले की ही बात है मेरे पास रिपोर्ट आई कि जवाहरसागर बांध के ऊपर गर्मियों के दिनों में 2 लाख रुपयों की मिट्टी तुड़वाई गयी। हमें यह शक है कि बरसात आ जाने के ऊपर यह दिखा दिया जायेगा कि मिट्टी बह गयी। इसलिए मैंने इंजीनियर को टेलीफोन करके कहा कि आप किसी व्यक्ति को भेजिए। वह जांच करे कि वहां पर मिट्टी पड़ी हुई है या नहीं ...

श्री खेतसिंह राठौड़ : घोटालों का घर है यह।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय सभापति महोदय, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि के लिए, जनता को आसानी से आवश्यक वस्तुएं मिल सकें, इस भाषण में कहीं जिक्र नहीं है। मुझे अफसोस होता है कि जहां आवश्यक चीजें उपलब्ध होती हैं, लोग लेने के लिए जाते हैं तो मना कर दिया जाता है और कहा जाता है कि इंदिराजी का राज आ गया अब नहीं मिलेगी। जगह-जगह कोआपरेटिव सोसाइटीज में चले जाइये, किसी मार्केटिंग सोसाइटी में चले जाइये वहां ऐसे आदमी लगाये गये हैं जो कि जनता को गुमराह करते है। जनता में रोष पैदा करने के लिए वहां बैठे हुए हैं।

सभापति महोदय, हमारे माननीय तीन सदस्य, जो बहुत मशहूर कार्यकर्ता हैं, एक सज्जन कोटा से आये हैं, दूसरे अजमेर से आये हैं, की तरफ से जब शासन चलता था तब क्या क्या इन्होंने किया है। मैं तो समझता हूं बड़ी दंग करने वाली बात है। किस तरह से शासन में राजनीति को सर्विसेज में प्रवेश करा करके उनके दिमागों को बिगाड़ा गया, किस तरह से उनसे नाजायज फायदा उठाया गया। जब यह साबित हो जाता है, श्रीमान्, वास्तव में नाजायज फायदा उठाया गया है, किसने उठाया, यह साफ जाहिर है तो चाहे वे अपने आपको कुछ भी कहें, जनता अपने आप समझती है, कौन कितने गहरे पानी में।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अजमेर से आये, उनकी भी कहें ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : अच्छी बात कही है।

सीलिंग कानून का पालन क्यों रोक दिया गया, क्यों नहीं जमीनें बांटी ? इन तीन सालों में कितनी जमीन सीलिंग में ली गई ? कहने को यह कह दिया कि हमने पुराने मामले सब खोल दिये हैं। जो बड़े बड़े लोग थे उनके मामले कहां खोले, 100, 80 बीघा के काश्तकार घूमते फिरते हैं, मेरा फैसला हो गया था मुझे वापिस क्यों बुला लिया। जिन लोगों को जमीनें बांटी गईं वे है कहां ? खाली कागज में नोट कर कब्जे वापिस कर लिये। गरीब हरिजन और किसान, जिनको जमीनें मिली थीं, जो कहते थे, कांग्रेस के राज में जमीनें मिलीं, आज अदालतों के चक्कर काटते हैं। मैं राज ल महोदय को इस बात के लिये तो धन्य दूंगा, उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा कि ऐसे आदमियों की जमीनों की रक्षा लिये समुचित व्यवस्था की जायेगी।

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

इसके साथ साथ, श्रीमान्, आपके सामने इस सदन के सम्मुख एक और चीज रखना चाहता हूं। सैकड़ों मजदूर जो कारखानों में काम करते हैं, उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। वर्षों तक मुकदमें चलते रहते हैं। एक पूंजीपति अपने कारखाने से मजदूरों को निकालने और वापस नहीं रखने को अपनी शान समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक केसेज जाते हैं। जैसा राज्यपाल महोदय ने गरीब किसानों के लिये कहा है, मैं निवेदन करना चाहता हूं मुख्य मन्त्री जी से कि जब तक डिसमिस्ड मजदूरों का फैसला न हो, वे पुकार करते रहते हैं, मेरा फैसला होगा। इसलिये मजदूर की तरफ से मुकदमा लड़ने का प्रबन्ध किया जाना चाहिये। जब तक बहाल न हो उस वक्त तक कहीं अन्यत्र रख कर उससे काम लेकर तनख्वाह दिलाई जानी चाहिये ताकि वह अपना गुजारा कर सके।

सभापति महोदय, मैं आपके जरिये, मुख्य मंत्रीजी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कल हमारे यहां के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल में अच्छी तरह का रुख अपनाया और हड़ताल को समाप्त करवाया। मैं इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने सामुहिक सौदेबाजी के सिद्धान्त को मानकर मजदूरों की बात रखी। मजदूर कहां तक अदालतों में जाते रहेंगे ? सरकार चाहती तो कह सकती थी कि अदालत फैसला करेगी। हम तो बातचीत में विश्वास करते हैं हल करने में। जहां तक हो सके हमें सामुहिक सौदेबाजी के सिद्धान्त को लेकर मजदूरों के हित में फैसला करना चाहिये। हमें बीच में पड़कर चिन्ता नहीं करनी चाहिये कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। मजदूरों को क्या फायदा होगा ..

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मैं केवल दो मिनिट और कहना चाहूंगा।

पुलिस के बारे में आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप को लॉ एण्ड आर्डर को तेजी से ठीक करना चाहिये, जो कि जनता पार्टी के राज में इतना बिगड़ा कि भले आदमी की कोई इज्जत नहीं रही। किसी भी थाने में, किसी भी केस में रख दिया जाता है और कहा जाता है कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा है। चोरियां, डकैती, बलात्कार इतने जबरदस्त हुए उनका कोई अंत नहीं। मैं अपने बून्दी की बात कहना चाहता हूं। आज चोरियां होती है। लोग यह कहते हैं कि पुलिस वाले शामिल हैं। थानेदार से बात करें तो कहते हैं कि ऊपर तक पैसा पहुंचाना है, कहां से लाये। उनके मुंह पर खून लगा हुआ है। खून का चस्का ऐसा पड़ गया है कि जब तक उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करेंगे तब तक खतम नहीं हो सकता। आप देखेंगे, पहले एक जमाना था जब कि हमारे यहां उल्टी बात होती थी, पहले पहल जब हम विधान सभा में आये। इस ढाई साल के अर्से में सामन्तवादी परंपरा वाले किसी एक व्यक्ति से मुलाकात की होगी उसकी बोली में फर्क मालूम पड़ा होगा। वह कहता था, अब तो राज हमारा हो गया अब राज थोड़े जाने देंगे। अभी की घटना बताता हूं। एक बांध पर ओवरसियर काम कर रहा था। उस बांध की मिट्टी किसी के खेत में से ले ली ठाकुर साहब ने, मना किया। ओवरसियर की

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

रिपोर्ट गई। बात करने के लिये गया तो उन साहब ने न आव देखा न ताव, मार दिया। इरिगेशन डिपार्टमेंट के मजदूरों ने अजमेर में एक दिन स्ट्राइक रखी। कलेक्टर ने एक हजार रुपया उसकी विधवा को फौरन दिलवाया। हमारी यूनियन के अजमेर जिले के इरिगेशन के जितने भी मजदूर थे वे एक दिन की तनख्वाह देंगे। मैं पूछना चाहता हूं ऐसे मामलों में हम क्या करेंगे? कितनी मदद पहुंचा सकेंगे? रोजमर्रा ऐसी घटनायें होती है। किसी भी आदमी को ताव आया, मार दिया।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

जो प्रवृति वापिस चालू हुई है उसे बंद करना पड़ेगा। तत्परता के साथ इस प्रवृति, जो प्रवृति रही है, परम्परा रही है, को मैं समझता हूं 30 वर्ष की आजादी के बाद हमें खतम करने के लिये कदम उठाना पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में मैं क्या बताऊं, आपको, चौबेजी महाराज हरएक मास्टर, जो शाखा लगाता था, को वहां रखते थे और दूसरों का वहां से तबादला कर देते थे। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपने जो कार्यक्रम बनाया है उसकी क्या मशीनरी आपके पास है? क्या उपयुक्त व्यक्ति को उपयुक्त स्थान पर लगाया गया है? आज भी हमारे चौबे जी महाराज के चमचे कोटा में बैठे हुए हैं, सारा काम करते हैं। एक डिप्टी इन्सपेक्टर चन्चलानी वहीं बैठा है··

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : फांसी तो नहीं लगाई है··

(व्यवधान)

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। व्यवधान न डालिए माननीय संदस्य, शीघ्र समाप्त करें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं यह कहना चाहूंगा, आपके अपने कार्यक्रमों को, अपनी नीतियों को पूर्ण सफलता से साथ चलाना है तो फिर शीघ्र से शीघ्र इस बात पर ध्यान दीजिये कि उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त स्थान पर रहे। मैं चाहता हूं सरकारी कर्मचारी का तो कम से कम शाखा में जाना बन्द करवा दें, आर्डर के जरिए बन्द कर दें। आज यह जहर बराबर फैलता जा रहा है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री चांद खां (कामां): अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम बोला गया था लेकिन मैं नमाज पढ़ने चला गया था···

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री चांद खां : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम बोला गया था····

श्री सभापति : आपका नाम पुकारा गया था लेकिन आप थे नहीं। अब आप कृपया, स्थान ग्रहण करें।

श्री लच्छूराम।

(व्यवधान)

स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री चांद खां : मैं वाक आऊट करता हूं।

(बहिर्गमन)

श्री लच्छूराम (मण्डावा) : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण जो सदन में प्रस्तुत हुआ है, उसी प्रकार का है जिस प्रकार का सन् 1952 से लेकर आज तक बजट अधिवेशन में होता रहा है, इसमें कोई नवीनतम प्रोग्राम नहीं दिया गया है। जैसा कि अभिभाषण के पढ़ने से ज्ञात होता है शुरुआत के पन्ने केवल राजनैतिक प्रतिशोध की ही भावना से लिखे गये हैं। सबसे पहले अभिभाषण में कांग्रेस (आई) की तरफ से इस प्रकार का दम्भ भरा गया है कि हम जनता के आदेश से इस विधान सभा में 133 की संख्या में आये हैं। इस बात को तो हम मंजूर करते हैं लेकिन इसके साथ ही सत्ता पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्यों ने इस बात का भी दम्भ भरा है कि बहुमत से जनता ने हमें भेजा है। इस बात को मैं मंजूर नहीं करता हूं। राजस्थान की 42.96 प्रतिशत जनता ने अपना मतदान करके आपको भेजा है। 57 प्रतिशत राजस्थान के मतदाता कांग्रेस (आई) के खिलाफ थे। केवल आपको राजस्थान की जनता ने 42.95 प्रतिशत मतदान दिया है···

(व्यवधान)

मैं मानता हूं इस बात को कि आपकी संख्या 133 है लेकिन 42 प्रतिशत आपको मतदान हुआ है और विधान सभा में आपका प्रतिशत 67 है। इसके विपरीत विरोध पक्ष को 57 प्रतिशत मतदान मिलने पर उसका प्रतिशत 33 प्रतिशत है, 33 प्रतिशत वे यहां पर पहुंच सके हैं···

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप तो 700-800 से जीते हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : कोई काम की बात कहें।

श्री लच्छूराम : मैं काम की बात ही कह रहा हूं···

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया आपस में बात न करें।

श्री लच्छूराम : सभापति महोदय, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य बार बार दम्भ भरते हैं कि हम बहुमत से जीत कर आये हैं, यह नजरिया उनका गलत है। आपका 20 सूत्री कार्यक्रम 5 सूत्री कार्यक्रम बहुमत ने मंजूर नहीं किया है लेकिन जन-प्रतिनिधि कानून के अनुसार आपको बहुमत प्राप्त हुआ है और इसको हम मान्यता देते हैं।

इस अभिभाषण के अन्दर माननीय राज्यपाल महोदय ने 12 महीने में किस प्रकार काम करना है या कांग्रेस की क्या नीतियां है, इस का एक प्रोग्राम दिया है।

आज सबसे अधिक और ज्वलन्त समस्या जो राजस्थान की है वह है पीने के पानी की। सन् 1952 से लेकर आज सन् 1980 तक हर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इसी प्रकार के शब्द लिखे गये हैं कि पेय जल की समस्या को हम पांच साल के शासन में दूर करेंगे लेकिन, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वह समस्या वैसी की वैसी ही अभी मौजूद है। पश्चिमी राजस्थान में जो बीकानेर डिविजन, जोधपुर डिविजन और अजमेर डिविजन का, झुंझुनूं का हिस्सा है उसमें पेय जल की बहुत बड़ी समस्या है। चूरू और झुंझुनूं जिले में कभी भी किसी प्रकार की कोई पेय

126

(श्री लच्छूराम)

जल की समस्या को हल करने की सम्भावनायें पैदा तक नहीं की गई हैं। वैसे सन् 1974 के अन्दर एक नेहरू केनाल योजना बनाई गई थी। उस योजना का पांच लाख रुपया खर्च करके सर्वे भी किया गया था। उसको पिलानी से बिसाऊ तक लाने का प्रोग्राम था लेकिन आपके सत्ता पक्ष के मंत्री महोदय ने अपना प्रभाव डाल कर उस योजना को खटाई में डाल दिया। झुंझुनूं जिले के उत्तरी क्षेत्र, जो चूरू से मिलता है, में पंचायत समिति अलसीसर और चूरू की सभी तहसीलों में पीने के पानी की अक्यूट प्राब्लम है। मैं समझता हूं जिस प्रकार का ध्यान दिया जाना चाहिये था वह नहीं दिया गया। मैं सभापति महोदय, आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पेय जल की समस्या का समाधान करते वक्त पंचायत समिति अलसीसर, जिसमें 53 गांव हैं, बिलकुल खारे पानी के हैं, की ओर सबसे पहले ध्यान दिया जाना चाहिये। केवल 43 गांवों के लिये पानी की विद्युत योजना चालू है। 700 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र ऐसा है जिसमें पेय जल की कोई योजना नहीं बनाई गई है। 43 गांवों को विद्युत से पानी सप्लाई किया जा रहा है परन्तु वहां पर भी प्रशासन निरीक्षण के मामले से इतना कमजोर है कि केवल दो स्थान हैं गुढ्ढा और मलसीसर जहां आपके ओवरसियर मौजूद रहते हैं लेकिन उनके पास भी निरीक्षण के लिये न तो कोई जीप की व्यवस्था है और न कोई टेलीफोन की ही व्यवस्था है। आये दिन लाइनें खराब होती हैं किन्तु आपके ओवरसियर तीन तीन दिन में वहां पहुंच पाते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि इस प्रकार की योजनाओं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, के लिये पूरे साधन मुहय्या करने चाहिये।

दूसरा शिक्षा के क्षेत्र में अभिभाषण में यह जरूर लिखा गया है कि प्राइमरी शिक्षा की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये। सन् 1973 में क्राइटेरिया रखा गया आबादी के हिसाब से, 320 की आबादी पर प्राइमरी स्कूल, 1200 की आबादी पर मिडिल स्कूल और ढाई हजार की आबादी पर हाई स्कूल होंगे। ठीक है, कोई क्राइटेरिया होना चाहिये लेकिन मेरा सुझाव है इस प्रकार का क्राइटेरिया इस सरकार ने भी रखा तो देहातों मे मिडिल स्कूल खोलने का विचार ही नहीं आयेगा। प्राय: राजस्थान की पंचायतों में केवल एक गांव की पंचायत ही नहीं है। एक पंचायत क्षेत्र में 6-6, 7-7 गांवों के क्षेत्र आते हैं इसलिए मेरा सुझाव है कि मिडिल स्कूल के लिए, हाई स्कूल के लिए एक पंचायत को एक इकाई माना जाय और एक पंचायत क्षेत्र के अन्दर जितनी आबादी है उसको देखते हुए हाई स्कूल और मिडिल स्कूलों का कन्वर्शन होना चाहिए। जनता पार्टी के शासन काल में एक रेवेन्यू सर्किल को आधार मान कर मिडिल स्कूलों का और हाई स्कूलों का डिविजन किया गया था, इसलिए इस प्रकार के गांव रह गए जहां वाकई स्कूलों की आवश्यकता थी। इसलिए मै माननीय सभापति महोदय के द्वारा मुख्य मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि जब मिडिल स्कूलों और हाई स्कूलों के बारे में सोचें तो मेरे सुझाव को ध्यान में रखें और पंचायत क्षेत्र की आबादी को एक इकाई मान करके मिडिल स्कूलों और हाई स्कूलों का विकास किया जावे।

(श्री लच्छूराम)

माननीय सभापति महोदय, पुलिस, कानून और व्यवस्था के सम्बन्ध में दो तीन दिनों से क्या रोजाना ही बहुत ही शोर शराबा और बहस मुबाहिसा हो रहा है। इसके लिए कारगर ढंग से सोचने के लिए सभी माननीय सदस्यों ने.....

श्री दुलाराम : बहस कहो, शोर शराबा नहीं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : No interruption, please.

श्री लच्छूराम : तो मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कानून और व्यवस्था के मामले में भी बहुत ही गंभीरतापूर्वक सोच करके उसकी व्यवस्था करनी चाहिए।

काम के बदले अनाज योजना और अन्त्योदय योजना की सत्ता पक्ष के अन्दर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने काफी आलोचना की है। काम के बदले अनाज योजना को तो आपकी केन्द्रीय सरकार ने, आपके वरिष्ठ नेताओं ने मंजूर किया है और इसको चालू रखने के लिए मंजूरी दी है। इसको माना है कि काम के बदले अनाज योजना बहुत अच्छी योजना है। सत्ता पक्ष में बैठने वाले खुद दिल में जानते हैं कि काम के बदले अनाज योजना वरदान सिद्ध हुई है। परन्तु माननीय सदस्य केवल बहस करने की गरज से और राजनैतिक आधार के ऊपर यहां बहस कर रहे हैं। जब आप अपने क्षेत्र में जाते हैं तो आप जानते हैं कि आपके तीस वर्षों के राज में पंचायतों के सरपंच अपनी तिबारियों में बैठ कर, पोलियों में बैठ कर, पेड़ के नीचे बैठ कर के पंचायतें किया करते थे। लेकिन इस ढाई साल के जनता शासन के बाद आज कोई भी पंचायत ऐसी नहीं है....

श्री खेतसिंह राठौड़ : जिनकी इंक्वायरी नहीं खुली हुई हो।

श्री लच्छूराम : मेरे क्षेत्र के अन्दर में जाता हूं तो ....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। व्यवधान नहीं करें।

श्री लच्छूराम : हर पंचायत के अन्दर इस तरह से भवन बने हैं, हर पंचायत में समाज कल्याण भवन बन गए हैं और पचायतों में स्कूलों के भवन बन गए हैं, बाउण्ड्री वाल बन गई है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हर सरपंच की इन्क्वायरी शुरू हो गई है।

श्री लच्छूराम : गलत काम किया है तो इंक्वायरी की कोई मना ही नहीं है। जो अच्छे काम हुए हैं उनको तो मानिये।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री लच्छूराम : केवल विरोध करने के लिए विरोध करें और यह कहें कि काम के बदले अनाज योजना से बंटाधार कर दिया तो गलत है।

इसी तरह से अन्त्योदय योजना की भी आलोचना की गई। माननीय सदस्य, जो बूंदी से आए है, बृज-

(श्री लच्छूराम)

सुन्दरजी ने बताया कि बाईस सौ रुपये की भैंस खरीदी। हो सकता है कि इस प्रकार के कोई केस हों लेकिन यह कहना कि जनता पार्टी ने मनमाने ढंग से अपने अपने आदमियों को ले लिया, ऐसी बात नहीं थी। यह बात असलियत के खिलाफ है।

(व्यवधान)

अन्त्योदय में आदमी को छांटने के लिए आपके स्कूल के अध्यापक ग्राम सेवक, सरपंच और गांव वाले के सामने मजमा ए आम में फैसला होता था। कोई इनकी कमेटी नहीं थी बल्कि मजमा ए आम में फैसला किया गया था''

श्री खेतसिंह राठौड़ : मजमा ए आम तो नाम था।

श्रीमती उजला अरोड़ा : गांव वाले खुद मिल कर फैसला करते थे। आपको मालूम क्या है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री लच्छूराम : परिवार का चुनाव मजमा ए आम में हुआ करता था। एक राजनैतिक विद्वेष की भावना से यहां सम्माननीय सदस्य, जो एक एक लाख मतदाताओं के प्रतिनिधि हैं, क्या जानबूझ कर इस प्रकार की बातें करने के लिए बैठे हुए हैं। रचनात्मक कार्यों के लिए हम यहां आए हैं। आपके अच्छे अच्छे सुझाव हों, अपने क्षेत्र के बारे में, अपने प्रदेश के बारे में तो उनके बारे में सोचें। इस प्रकार की बातों के लिए पब्लिक मीटिंग का ही समय बहुत है। वहां इस तरह बातें करने के लिए बहुत समय है लेकिन सदन का बहुमूल्य टाइम है इसलिए हमें सोचना चाहिए। माननीय मुख्य मन्त्री के सामने अपने अपने क्षेत्र के अभाव, अपने क्षेत्र की समस्यायें बतानी चाहिये और उनके बारे में अपनी अपनी राय प्रस्तुत करनी चाहिये।

मैं माननीय सभापति महोदय के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को यह बता देना चाहता हूं कि हमारा जो झुंझुनूं जिला है उसमें विद्युतीकरण के हिसाब से 8 पंचायत समितियां हैं जिनमें से 7 पंचायत समितियां कम्पलीट हो गई है। मैं मुख्य मंत्री जी से यह चाहूंगा कि रबी की फसल आने से पहले काश्तकारों के कुओं पर कनेक्शन मिल जावें जिससे वे रबी की फसल पैदा कर सकें।

इसके अलावा दूसरा मेरा सुझाव यह है कि पंचायत समिति में अलसीसर क्षेत्र जो है वह मण्डावा विधान सभा क्षेत्र का तीन चौथाई इलाका है। मेरे से पहले माननीय रामनारायणजी वहां से लगातार तीन दफा चुन कर आते रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री लच्छूराम : मण्डावा चुनाव क्षेत्र जो तीन साल पहले था उसी हालत में आज भी पड़ा हुआ है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सड़कें बन गई हैं।

श्री लच्छूराम : सड़क के नाम पर केवल एक सड़क है। झुंझुनूं और चूरू जिले को जोड़ने के लिए मण्डावर से होकर एक सड़क गुजर गई लेकिन इसके अलावा''

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री लच्छूराम : इसके अलावा झुंझुनूं हैड क्वार्टर से राजगढ़ को जाने के लिए एक सड़क चली गई । इसके अलावा कोई मंडावर क्षेत्र के अन्दर सड़क नहीं है । बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, पेयजल का कोई प्रबन्ध नहीं है ।

दूसरा माननीय सभापति महोदय के माध्यम से एक यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के क्षेत्र, जिनकी जनसंख्या दस हजार के करीब हैं, में म्युनिसिपैलिटी बन जाती हैं लेकिन उनके अन्दर न तो कोई मार्केट है, न कोई मण्डी है···

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उनकी हालत ग्राम पंचायत से भी बहुत बदत्तर है । इसलिए मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से कहूंगा कि इस प्रकार की म्युनिसिपैलिटी को विशेषरूप से अनुदान दिया जाना चाहिए जिससे कि वह अपना विकास कर सके । मिसाल के तौर पर मेरे क्षेत्र में मंडावा और बिसाऊ हैं जिनकी आबादी तो दस हजार से ऊपर है लेकिन वहां पर न कोई मार्केट है और न कोई मण्डी है क्योंकि सूखा इलाका है । इसलिए इस प्रकार की जो म्युनिसिपैलिटियां हैं, जिनकी आमदनी कम है, जन संख्या कम है उनका विशेषरूप से ध्यान रखना चाहिए। मै ज्यादा समय नहीं ले करके, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि म्युनिसिपैलिटियों की ओर..

श्री खेतसिंह राठौड़ : पचायतें बना दो।

श्री लच्छूराम : अगर पंचायत बना दें तो भी ज्यादा फायदेमन्द रहेगा । इस प्रकार की म्युनिसिपैलिटियों को ज्यादा अनुदान देना चाहिए, उनको सब्सिडी दीजिए, नहीं तो पंचायत बनाने में ही क्या हर्ज है....

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें ।

श्री लच्छूराम : तो राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है, उसे बिलकुल अस्पष्ट, दिशाहीन तो नहीं कह सकता, लेकिन यह कह सकता हूं कि उन्होंने अस्पष्ट भाषण दिया है । इसलिए मैं इस भाषण के लिए धन्यवाद देना उचित नहीं समझता । मैं समझता हूं कि इस प्रकार के अभिभाषण पर धन्यवाद नहीं दिया जा सकता, इसलिए मैं धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री सभापति : श्री जनार्दनसिंह गहलोत ।

(अनुपस्थित)

श्री चेतराम ।

(अनुपस्थित)

श्री मेघराज तावड़ ।

(अनुपस्थित)

श्री त्रिलोकसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री रतनलाल ताम्बी ।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को लेकर सदन में काफी विचार विमर्श और चर्चा हो रही है । मैं इस विषय में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जनता ने गत चुनावों में प्रतिक्रियावादी, सामन्तवादी और सांप्रदायिक तत्वों को परास्त करके समाजवाद, धर्म-निरपेक्षता और गुट निरपेक्षता की नीतियों में विश्वास

(श्री रतनलाल ताम्बी)

प्रकट किया है। यह जनता का एक सही और सच्चा निर्णय है। इसके साथ साथ मैं यह भी मानता हूं कि वह शक्तियां, जिनको जनता ने परास्त किया है, आज किसी न किसी रूप में इस नये प्रशासन और नयी सरकार के साथ काम करने वाले लोगों से जुड़ना चाहती है। कई प्रकार के लोग आज आपके पास आकर सामने आना चाहते हैं। आप यह मान कर चलें कि इन तत्वों को जनता पसन्द नहीं करती है,

(व्यवधान)

कोटा से आने वाले माननीय सदस्य बहुत बोल रहे हैं, मैं उन्हीं से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की धरती पर, राजस्थान के प्रशासन में, राजस्थान के इतिहास में आज तक आपकी जो करतूतें रही हैं, उनको जनता उतना नहीं समझ सकती है जितना मैं समझ सकता हूं। आपने गांव-गांव में, विद्यालयों के अन्दर आर. एस.एस. के लोगों को बैठाया, सिचाई के काम में आर.एस.एस. के लोगों को बैठाया उससे मैं समझता हूं, आने वाली पीढ़ियां आपको भूलेंगी नहीं।

मैं इसके बारे में आप लोगों से यह निवेदन करना चाहता हूं, चाहे किसी भी दल के हों, चाहे किसी भी पार्टी के हों, राज्यपाल महोदय के भाषण से मैं अक्षरशः सहमत नहीं हूं। उसके बारे में आप लोगों से मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। राज्यपाल महोदय ने जनता पार्टी की सरकार को दिशाहीन माना है। इस अभिभाषण में दिशाहीन प्रशासन की बात सामने आई है। इसके साथ साथ यह बात भी बहुत साफ है कि जो पिछली सरकार थी, उसकी नीतियां दिशाहीन और बहुत ही अस्पष्ट थीं। मैं यह भी कह सकता हूं कि राजस्थान की सरकार दिशाहीन ही नहीं बल्कि एक प्रकार से तबादलों की सरकार थी। जितनी बड़ी संख्या में तबादले हुए राजस्थान में, इसे तबादलों का प्रशासन कहा जा सकता है, उतने तबादले राजस्थान के इतिहास में कभी नहीं हुए। एक विचारधारा के आधार पर राजस्थान में तबादलों की परम्परा डाली गई। राजस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों पर इस बात के लिये दबाव डाला गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की राजनीति आपके प्रशासन में नहीं आये। इस प्रकार की विचारधारा के आधार पर राजस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशासन में नहीं दबाया जाये। यही नहीं, राजस्थान में स्वच्छ और निष्पक्ष प्रशासन होना चाहिये।

मैं माननीय मुख्य मन्त्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता ने एक पिछड़े हुए और उपेक्षित समाज से आपको राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में भेजा है और इसमें राजस्थान की जनता गौरव अनुभव करती है। आप काम करके दिखायें। राजस्थान की जनता और राजस्थान के जन-प्रतिनिधित्व ने जो विश्वास आपमें प्रकट किया है, आप उसको किस प्रकार से साबित करेंगे, यह तो समय बतायेगा। जिस तरह जनता सरकार ने बदले की भावना से काम किया उस तरह की नीतियां और तौर तरीके आप नहीं अपनायेंगे, यह मैं आप से अपेक्षा करना चाहता हूं।

(श्री रतनलाल तांबी)

पिछले दिनों आपात काल की बात को लेकर काफी चर्चा की गई, दूसरी आजादी की बात कही गई। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में पंचायत राज स्थापना 1950 में हुई थी। सारे देश ने पंचायतीराज की स्थापना को सराहना की थी। फिर सारे देश में पंचायतीराज की स्थापना हुई थी। जनता सरकार ने उन कानून कायदों को बदल करके × × × × × × × × × ×। मैं आप लोगों से अपेक्षा करना चाहता हूं कि जनता के अधिकारों को सीमित करना प्रजातन्त्र के खिलाफ था। पंच सरपंच सब वोट देते थे। सरपंचों को खड़ा होने का अधिकार प्रजातन्त्र के खिलाफ था। पंच-सरपंचों को वोट देने के अधिकार से वंचित करना प्रजातन्त्र के खिलाफ था। इस बात को बदलने की आवश्यकता है।

यही नहीं, आपातकाल में लोक सभा के चुनाव हुए वह तो ठीक था, लेकिन जब नगरपालिकाओं के चुनाव हुए, उस समय विरोधी दल के रूप में जो थे, जनसंघ जिसको मैं कह सकता हूं उन्होंने इस बात की कोशिश की, व्यवस्था की कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को उनकी अवधि समाप्त होने से पहले एक अध्यादेश के जरिये हटा दिया जाये। वह लोकतन्त्र की सबसे बड़ी हत्या थी! उसका एक नमूना है। कृषि उपज मन्डी का जिस समय जनता पार्टी शासन में आयी उस समय मैं चेयरमैन था। उस समय मैं कांग्रेसी विचारधारा का माना गया था। वहां के लोग आये और उन्होंने यह कहा कि यहां तो कांग्रेसी बैठे हैं, तीन साल की अवधि तक इनको नहीं देखना चाहते हैं। तो एक साल के अन्दर उसको भंग किया गया। ये इस प्रकार की बातें उस जमाने में हुई थीं। माननीय सदस्य, जनता ने जो फैसला दिया, उसको आप मानें, उन संस्थाओं को राजनैतिक आधार पर भंग न किया जाये ऐसी व्यवस्था की मैं आपसे अपेक्षा करना चाहता हूं।

श्री खेतसिंह राठोड़ : × × × × × × × ×। बड़े शर्म की बात है।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, आपकी नीतियां, आपके कार्यक्रमों और आपके फैसले जो होते है, उसका निर्णय जनता करती है।

जनता पार्टी प्रशासन से पहले, आपातकाल के जमाने में, बीस सूत्री कार्यक्रम थे, पांच सूत्री कार्यक्रम थे, उनके बारे में किसी में मतभेद नहीं होना चाहिये, उनको क्रियान्वित करने में कहां-कहां गलती रही, इसको आज भी स्वीकार करने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये। मैं स्वयं अपनी पंचायत समिति में प्रधान था। मैने अपने इलाके में इन कार्यक्रम को अच्छे ढंग से लागू करवाया। लोगों में बड़ा सन्तोष था। मैं आज भी कह सकता हूं कि 20 सूत्री कार्यक्रम और पांच सूत्री कार्यक्रम को राजस्थान में तेजी से लागू किया जाये। जनता इसका हार्दिक स्वागत करेगी। कार्यक्रम लागू करने में आपका सही दृष्टिकोण होना चाहिये। इस प्रकार की मशीनरी आप स्थापित कीजिये ताकि निष्पक्ष ढंग से और सही ढंग से इसको लागू करके जिस तबके को लाभ मिलना चाहिये, उसको लाभ दे सकें।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनता पार्टी प्रशासन में, 20 सूत्री कार्यक्रम में भूखण्ड दिये गये उनमें से कई

××××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अभिव्यक्ति अपलोपित की गई।

(132)

(श्री रतनलाल ताम्बी)

गरीब लोगों से भूखण्ड और जमीन छीन ली गई। अगर आप गरीबों का भला करना चाहते हैं तो जिन लोगों से भूखण्ड छीन लिये गये थे, उनको आप जमीन दिला कर उनकी मदद कर सकते हैं। यह बहुत बड़ा काम होगा।

मैं इसके साथ साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि देश में पिछले 25-26 सालों में जो नीतियाँ और कार्यक्रम स्वीकार किये गये उनको पिछले सालों में कई प्रकार से बदला गया, तोड़ा-मरोड़ा गया, इस बात को भी देखने की आवश्यकता है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं गुट निरपेक्षता की नीति को लेकर, राज्य सरकार का सम्बन्ध विदेशी मामलों में, जहां तक मेरी जानकारी है, खास अधिक नहीं है। विरोधी दल के माननीय नेता जब मुख्य मंत्री थे, तब गोडावण पक्षी के शिकार के नाम पर यहां पर शाह बदर आये थे। उनका जिस प्रकार से स्वागत किया गया; ....

(समय सूचक समाप्ति घंटी)

वह भी हमारे लिये शोभा की बात नहीं है। इस प्रकार की जो बातें होती हैं, हमारे लिये अच्छी नहीं कही जा सकती है।

मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करूंगा कि इन सब बातों को लेकर आज हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभिभाषण राज्यपाल महोदय का होता है, अभिभाषण डाक्यूमेंट होता है, यह निश्चित रूप से आपकी पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को जहां प्रदर्शन करता हूं, वहां सामाजिक, आर्थिक रूप से प्रदेश का विकास किस प्रकार से होना चाहिये, यह भी दर्शाता है इस। मामले में जहां तक मैं समझता हूं कुछ मेरे सुझाव हैं, उन पर आप गौर करेंगे।

राजस्थान में 33428 किलोमीटर कुल सड़कें हैं, मेरे जिले में कुल 1138 किलो मीटर सड़कें हैं और मेरे क्षेत्र जहाजपुर में 100 किलोमीटर सड़क है। यह आंकड़े मैं आपको तीन साल पहले के दे रहा हूं। इन तीन सालों में प्रगति के विश्लेषण की बात हो, इन तीन सालों में हमारे जिले में नई सड़क बनी हो, उसका विस्तार हुआ हो, ऐसे आंकड़े आज की तारीख में उपलब्ध नहीं हो सकते। आज वहां संचार के साधनों की कमी है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, शीघ्र समाप्त करें।

श्री रतनलाल ताम्बी : श्रीमन, मैं विस्तार से नहीं बोल रहा हूं। एक सदस्य कुल बोले हैं।

श्री सभापति : लम्बी सूची है इसलिए आप शीघ्र समाप्त करें।

(6,40 सायं)

(श्री पूनमचन्द, विश्नोई, अध्यक्ष पदासीन)

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं चाहूंगा इस क्षेत्र में सड़कों का विस्तार किया जायेगा। विस्तार की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

सिंचाई के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा, जितनी जमीन की राजस्थान में सिंचाई होती है उसमें से 13 लाख हैक्टेयर की कुओं से सिंचाई होती है। आज राजस्थान में सिंचाई के साधनों की काफी कमी है। भीलवाड़ा में पानी बहुतायत से जा रहा है वहां आज एनिकट बनाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही ट्यूब वैल की बहुत बड़ी गुंजाइश है। इस पर विचार किया जावे।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

मैं समझता हूं आज योजना मंडल बनाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। योजना मण्डल की चर्चा की गई। दुर्भाग्य से राजस्थान में योजना मण्डल बने, वे केवल कागजों में रह गये। उनकी गतिविधि कहीं भी नजर नहीं आती। मैं मुख्य मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि वे योजना मंडल का गठन करें। आप सारे जिलों के योजना मण्डलों को मजबूत बनाइये ताकि योजना मण्डल आगे आयें। अगर आप इतना कर सकें तो राजस्थान का बहुत भला होगा।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य, काफी समय हो गया।

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल नया आदमी आया हूं मुझे समय दिया जाय। मैं अधिक समय नहीं लूंगा। 60 मिनट हमको दिये गये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं 20-25 मिनट बोलूं तो दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अब 20-25 मिनट नहीं बोल सकते।

श्री रतनलाल ताम्बी : अब तो 10 मिनट बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : नहीं पांच मिनट।

श्री रतनलाल ताम्बी : भीलवाड़ा जिले में खनिज का भण्डार है, विपुल खनिज का भण्डार है भीलवाड़ा में। माइका माइंस में राजस्थान प्रान्त में भीलवाड़ा जिले में 28 हजार मजदूर काम करते थे वहां आज के दिन राजस्थान सरकार की ओर से उपेक्षा करने के परिणाम स्वरूप केवल 1400 मजदूर काम करने वाले हैं। माइका की ग्राइंडिंग के माध्यम से उद्योग फिर पनप सकते हैं। इस दिशा में ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा मेरा एक सुझाव और है स्पिलिंग प्लान्ट के लिए ट्रांजिस्टर डिपोजिट की सम्भावना है। 1947-49 में एक अमेरिका के विशेषज्ञ आये थे और 74 में भी इस बारे में कुछ जांच हुई है। इस ओर ध्यान दिया जाय। बरसात के दिनों में वहां बिजली सी चमकती है ऐसा लोग मानते हैं।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बताया गया है कि ग्रामोद्योग कार्यक्रम के अन्तर्गत 11 हजार इकाइयां पंजीकृत की गई हैं। मुझे आश्चर्य है इस बात का कि जो पंजीकृत होती हैं वे चालू क्यों नहीं हैं? इस दिशा में आगे नहीं बताया गया है। मेरे ख्याल से पंजीकृत नाम मात्र को होती है। वे ढंग से कार्य करें इस बारे में प्रयत्न किये जाने चाहिये।

पेयजल की समस्या के बारे में विस्तार से निवेदन करना चाहूंगा। पेयजल की समस्या काफी गम्भीर है। इस बारे में राज्य सरकार को विशेष तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ जल योजना जो पूरी नहीं हुई उन पर विशेष तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। काम के बदले अनाज योजना का जहां तक सवाल है मैं इस योजना का स्वागत करता हूं। यह योजना अच्छी है लेकिन पिछले तीन सालों में इसमें कई घोटाले हुए हैं। जरूरत इस बात की है कि उनमें सुधार करके पक्का काम हो, विस्तार से संचार के साधन बढ़ें, ऐसे काम की जरूरत है। ऐसे काम

(134)

(श्री रतनलाल ताम्बी)

नहीं हों जो बनें और बरसात में मिट्टी बह जाये। हालांकि पंचायत घर, औषधालय और दूसरे विकास के काम पक्के बने हैं, ये काम तो ठीक हैं लेकिन इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कई जगह फर्जी मस्टर-रोल भरे गये हैं, कई जगह भारी तादाद में घोटाले हुए है उनकी विशेष तौर से जांच करवाई जावे।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और जन-जाति के विकास की बातें करते हैं किन्तु राजस्थान में कई ऐसे उपेक्षित इलाके हैं जिनमें इन योजनाओं का इन लोगों को लाभ नहीं पहुंचा। इस दृष्टि से जो पिछड़ रहे हैं, उन पर ध्यान दिया जाना चाहिये। भीलवाड़ा जिले में जहाजपुर, ऐसे इलाके हैं जहां शिड्यूल्ड कास्ट्स की जनसंख्या काफी है उनकी ओर ध्यान देने का कष्ट करें।

साथ ही राजस्थान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। आज के दिन चीजें मिलती नहीं, महंगाई बहुत है। मैं चाहूंगा वितरण प्रणाली सहकारिता के माध्यम से आप बनायें। वितरण की व्यवस्था के लिए जहां 8825 दुकानें हैं उनमें से सहकारिता के अन्तर्गत 5200 दुकानें हैं। सीलिंग के नाम पर राजस्थान में पिछली सरकार ने सामंती तत्वों को बढ़ावा दिया है।

(समय-समाप्ति- सूचक घण्टी)

सीलिंग के नाम पर बड़े बड़े लोगों को संरक्षण दिया है। इन मामलों की आप जांच करें।

मेरे इलाके में 2–3 उदाहरण मौजूद हैं जहां जिन व्यक्तियों के नाम ही नहीं, न जो लोग रहते हैं उन लोगों को जमीनें दी गईं। वह आप खास तौर से देखें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 2–3 मिनट में समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : शीघ्र समाप्त करें।

श्री रतनलाल ताम्बी : शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। हमारे क्षेत्र में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि तुम फलां तबके के लोग हो इसलिए स्कूल नहीं खोलेंगे। हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं खोलेंगे। आप भी अन्याय करना चाहते हैं तो यह बात कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। सैकण्डरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, जहां जिसकी जरूरत है उसके लिए विस्तार से प्रावधान करने की आवश्यकता है।

इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं पंचायत समितियां, जिला परिषद और सहकारी संस्थाएं बिल्कुल नाम मात्र की रह गई हैं। यदि आप लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तो इन संस्थाओं में विश्वास करें। आज राजस्थान की जनता में निराशा हो रही है। कामकाज कुछ नहीं हो रहा है। इन संस्थाओं को आप जीवित कीजिये और लोकतंत्र में आपका विश्वास है उसको प्रमाणित कीजिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य भाषण समाप्त कीजिये।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं एक काम की बात और कह दूं।

श्री अध्यक्ष : आपका भाषण बहुत ही सोबर रहा है।

श्री रतनलाल ताम्बी : कानून और व्यवस्था के बारे में खास तौर से निवेदन करना चाहूंगा। इस व्यवस्था को सुधारने

(श्री रतनलाल ताम्बी)

की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सदन में बहुत बढ़ा चढ़ा कर कई प्रकार की बातें कही गई। कुछ घटनाएं सहमति से होती हैं कुछ असहमति से होती हैं। दोनों प्रकार की घटनाएं हैं। उदयपुर की घटना का उदाहरण मौजूद है। इन घटनाओं की जांच होनी चाहिये और आपातकाल की उपज आक्रोश में नकारात्मक वोट से जो शासन आया था, को जनता ने अस्वीकार कर दिया है और दुबारा उसी शासन को चुना है। मैं आशा करता हूं कि यह शासन निष्पक्ष और जन भावना के अनुसार काम करेगा। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी। पांच मिनिट।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण मैंने पढ़ा है। इसकी तेरह नम्बर की पक्ति थोड़ी सी अखरने वाली है और इसके अलावा अन्य बातें भी समझ से परे नजर आ रही हैं इसलिए हमारे राज्यपाल महोदय के चरणों में, में धन्यवाद प्रस्तुत करने में असमर्थ हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैंने तीन बार इसी सदन में सम्माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को सुना है। जब मैं उनके अभिभाषण को सुनता था और उसमें जब वे पिछली जनता सरकार की सारी कार्यवाहियों को इस सदन में प्रस्तुत करते थे तो हर्षतिरेक में डूब जाता था। यह दुर्भाग्य है इस देश का, यहां पर परम्परा इस प्रकार की बनी हुई है कि, राज्यपाल महोदय अपना मौलिक भाषण न पढ़ कर प्रशासन द्वारा, सचिवालय द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा जो भाषण लिख कर उनको दिया जाता है, उसको पढ़ने के लिए उनको मजबूर होना पड़ता है। जनता पार्टी के शासन की जो उपलब्धियां रही हैं उनका कोई उल्लेख इस अभिभाषण में नहीं है।

जनता पार्टी ने पूज्य बापू के एक स्वप्न को, एक ध्येय को पूरा करने के लिए अन्त्योदय की योजना प्रारम्भ की थी उसका उद्देश्य यही था कि देश के नीचे से नीचे तबके को, व्यक्ति को ऊंचा उठाया जाए। यह कार्य हमने प्रारम्भ किया। राजस्थान के मुख्य मंत्री पद का कार्य भार जब श्री पहाड़िया जी ने संभाला तो पत्रकारों ने उनसे यह सवाल किया था, क्या वे अन्त्योदय योजना को चालू रखेंगे? पहाड़िया जी ने कहा, मैं अन्त्योदय को निश्चित रूप से चालू रखूंगा। परन्तु मुझे खेद के साथ यहां पर निवेदन करना पड़ रहा है कि उनके सचिवालय द्वारा जो यह अभिभाषण बनाया गया है, इसमें अन्त्योदय योजना को चालू रखने के बारे में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। राज्यपाल महोदय अत्यन्त ही विद्वान, वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ हैं परन्तु सचिवालय ने उनको ऐसा भाषण तैयार करके दिया। हमने अन्त्योदय के जरिये जो एक अच्छी शुरुआत की थी उसको बन्द कर रहे है।

श्री दिनेश डांगी : यह अन्त्योदय नहीं अन्त्येष्टि थी

श्री दाऊदयाल जोशी : सम्माननीय राज्यपाल महोदय ने इस अभिभाषण में यह कहा है कि हमारा शासन दिशाहीन शासन था। राज्यपाल महोदय लगातार तीन वर्षों तक हमारे निर्णयों, कार्यों पर मोहर लगाते रहे हैं....

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने गलत रिपोर्ट बना कर दी थी इसलिए 150 में से 30 ही वापस आ पाये है। ....

श्री दाऊदयाल जोशी : तीन साल तक राज्यपाल महोदय ने हमारे कार्यों का उल्लेख किया है, और आज वही कार्य, वही शासन दिशाहीन नजर आ रहा है। उनके सम्मान में मैं कोई कटु शब्द कहने की आवश्यकता नहीं समझता। मुख्य मन्त्री जी ने जो चश्मा उनको दिया उसी चश्मे से उन्होंने यह अभिभाषण यहां पर पढ़ा है। मुझे डर है कि कहीं वापस जनता पार्टी का शासन आ गया तो राज्यपाल महोदय के हाथ में फिर वही चश्मा होगा और आप लोग उधर से इधर होंगे। मेरा निवेदन है कि शासक पार्टी को चाहिए कि वह राज्यपाल महोदय को गलत चश्मा न दें। जो अच्छी बातें हुई हैं, जिनका उल्लेख इस अभिभाषण में नहीं किया गया है, उनका उल्लेख किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में 27 स्कूल ऐसे थे जिनमें मेरे बच्चे, मेरे नौनिहाल पेड़ के नीचे बैठ कर क्या सर्दी, बरसात, गर्मी में पढ़ते थे। वह खुले आसमान के नीचे बैठ कर सर्दी, बरसात में पढ़ते थे। वही बच्चे अब पक्की छत के नीचे बैठ कर पढ़ते हैं। यह जनता पार्टी के शासन की उपलब्धि है। चूंकि विरोध के लिए विरोध करना है इसलिए इन उपलब्धियों की तरफ आप इंगित नहीं कर रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपने तो बहुत घोटाले किए हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुख्य सचेतक महोदय से यह अपेक्षा की जाती है कि वे कम से कम माननीय सदस्य के भाषण में व्यवधान न करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जनता पार्टी के शासन काल में अनेक पंचायत भवन बने हैं। 1332 पंचायत घर, 537 औषधालय और 7743 कुए बने हैं।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने भाषण में यहां पर जिक्र किया था कि शक्कर क्यों महंगी हो रही है? आज शक्कर का जिस तेजी से भाव बढ़ रहा है आगे भी यही हाल रहा तो भाव 10 रुपये तक पहुंचेगा। परन्तु इसके महंगी होने के अन्य कारण हैं ..

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप उन कारणों को छिपा रहे हैं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, भाषण बहुत लम्बा हो गया है। कई माननीय सदस्य अभी यहां पर बैठे हैं। इसलिए यदि सदन का समय आधे घण्टे के लिए बढ़ा दिया जाए

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि सदन का समय एक घंटे और बढ़ा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय एक घण्टा और बढ़ा दिया जाए?

[स्वीकृत]

सदन का समय एक घन्टा और बढ़ाया गया।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि राजस्थान में चीनी की दो मिलें हैं। मिल मालिकों और मजदूरों के सम्बन्ध अच्छे न होने के कारण ये दोनों मिलें बन्द पड़ी हैं। इसका एक कारण तो यह है कि पिछले 6 महीने से केन्द्रीय सरकार को इस ओर देखने की फुर्सत नहीं मिली। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि गन्ने का उत्पादन कम हुआ। इसलिए चीनी का उत्पादन भी कम हुआ। सन् 1975 में एक कमीशन बिठाया गया था। यह कमीशन यह जांच करने के लिए बनाया गया था कि देश के अन्दर चीनी की दोहरी नीति लागू रक्खी जाए या नहीं। उस कमीशन ने जांच की। उसकी रिपोर्ट जब हमारे सामने आई। उस सेन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट को हमने लागू किया। इस सेन कमीशन को श्रीमती गांधी ने अपाइंट किया था और उसकी रिपोर्ट को हमने लागू किया। इस प्रकार जनता पार्टी के शासन द्वारा चीनी की दोहरी नीति को समाप्त करने के कारण ही हिन्दुस्तान के इतिहास में 30 वर्ष में पहली बार राजस्थान में ही नहीं हिन्दुस्तान भर में जूतियों के भाव शक्कर बिकी ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, भाषण समाप्त करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि यहां पर जो बातें कही गई हैं वह सारी ग्रान्ट की गई है। मैं पूछना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी से, उद्योग मंत्री जी से, क्या यह ठीक नहीं है कि कोटा के अन्दर कच्चा माल उपलब्ध नहीं होने के कारण अनेक छोटे बड़े उद्योग बन्द पड़े हैं...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य भाषण समाप्त करें। आर्डर प्लीज।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, बस 2 मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

कोटा में और राजस्थान में खाद की समस्या पैदा हो गई है। कोटा में श्रीराम फर्टीलाइजर लि० खाद बनाता है। अध्यक्ष महोदय, श्रीराम केमिकल्स सारे भारत में, देश भर में खाद बेचता फिर रहा है लेकिन राजस्थान को खाद नहीं मिल रही है। इसका कारण यह है कि उसका राजस्थान में हैड आफिस नहीं है, दिल्ली और कानपुर में उसका हैड आफिस है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि उस कारखाने के हैड आफिस को राजस्थान में लाया जाये।

मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी कोटा पधारें और देखें कि कोटा से चित्तौड़गढ़ की बड़ी लाइन का सर्वे हो चुका है या नहीं। यदि पूरा नहीं हुआ है तो उसको जल्दी पूरा करवायें। यहां बड़ी रेलवे लाइन बन जाये तो कोटा केवल राजस्थान को ही नहीं सारे भारत की सीमेंट की मांग पूरी कर सकता है?

मैं पर्यटन की बात कर रहा हूं। मुझे खुशी है, अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी धर्मपरायण व्यक्ति हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे जयपुर के गलता जी को जाकर देखें, वहां की हालत क्या है। वहां पर रोजाना हजार डेढ़ हजार आदमी स्नान के लिये जाते हैं और जो भी बाहर से पर्यटक

(138)

(श्री दाऊदयाल जोशी)

आता है वह वहां जरूर जाता है। वहां पर लाइट की व्यवस्था नहीं है वहां पर अंधकार है। अभी पिछले सप्ताह ही वहां पर दो व्यक्तियों की जान जा चुकी है...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : शराबबन्दी के बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि इसको सख्ती के साथ लागू किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, भाषण समाप्त करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बारे में कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, भाषण समाप्त करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, उन गरीब वाच एण्ड वार्ड के लोगों के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं जो यहां पर रात को 8 बजे तक रहते हैं। इनको पिछले साल का भी हार्ड ड्यूटी अलाउन्स नहीं दिया गया है। इनको हार्ड ड्यूटी अलाउन्स दिया जाय......

श्री अध्यक्ष : भाषण समाप्त हुआ। श्री माणकमल मेहता।

श्री माणकमल मेहता (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर जो चर्चा हो रही है उस पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का जो समर्थन किया जा रहा है, मैं समर्थन कर्त्ताओं की वाणी में अपनी वाणी को सम्मिलित करते हुए अपना वक्तव्य प्रारम्भ करता हूं।

मान्यवर, आज से ढाई साल पहले कांग्रेस के शासन के बाद जिस पार्टी का शासन आया उस पार्टी ने इस प्रदेश को क्या दिया और क्या नहीं दिया, वह आपके और मेरे समक्ष है। ढाई वर्ष के बाद जब आपसी फुटोवल से उनकी कुर्सियां गिर गयीं और दुबारा चुनाव हुए तो फिर जनादेश से कांग्रेस पार्टी आज सत्ता में मौजूद है। इस प्रदेश के मुख्य मंत्री की कुर्सी को पहाड़िया जी सुशोभित कर रहे हैं, यह बहुत खुशी की बात है।

ढाई साल पहले जिस पार्टी ने शासन की बागडोर संभाली थी। ढाई साल पहले जब इस पवित्र सदन का शुभारम्भ हुआ था तब जो अभिभाषण राज्यपाल का हुआ उस अभिभाषण में जो बातें कही गयी उन बातों की क्रियान्विति उस समय के शासन कर्त्ताओं ने, उस समय की सत्ताधारी पार्टी ने की या नहीं की यह आज हमारे समक्ष है। हम लोग इस बात का समर्थन करते हैं और आज यह बात कह सकते हैं कि जनता पार्टी के शासन काल में जो उपलब्धियां हुई वे ढाई साल की उपलब्धियां 30 साल के कांग्रेस शासन से अत्यन्त नीचे थीं। वे यह भूल जाते हैं कि जो बातें उनके शासनकाल में होती थीं, वह राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जरूर रखी गयी थीं, जो बातें उनके चुनाव के मेनोफेस्टो में थीं ये बातें राज्यपाल के अभिभाषण में तो अवश्य थीं। लेकिन फिर इन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे जनता के समक्ष वह मुंह करके बात कर सकते। उसका फल आज उनको भोगना पड़ रहा है। 20 सूत्री कार्यक्रम, जो हमारे देश

(श्री माणक मल मेहता)

की प्रधान मंत्री ने दिया था, की गलत क्रियान्विति के कारण हमारा शासन चला गया था। जनता पार्टी की गलतियों के कारण वह पुनः प्रस्थापित हो गया है। आज देश का जन जन यह महसूस कर रहा है कि जहां कांग्रेस का शासन हो गया है वहां प्रत्येक व्यक्ति शांति और स्थायित्व पा रहा है। इसलिये इस तरह का जनादेश जनता ने हमारे पक्ष में, हमारे समर्थन में दिया और हमारे 134 सदस्य जीत कर आये।

मैं आपके समक्ष धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय जो नीतियां, जो कार्यक्रम, हमारे राज्यपाल के अभिभाषण में हैं उनको हमें पूर्णतया क्रियान्वित करना होगा। इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि इन नीतियों और कार्यक्रम की क्रियान्विति में जो बातें जनता शासन काल में हुयी थीं और जो रुकावट आई थी उसको फिर से पक्का किया जाय, रि-कन्सट्रक्शन किया जाय, इस बात की बहुत खुशी है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूं कि राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है उसमें जनता पार्टी के शासनकाल में जो दिशा विहीन शासन था उसके विषय में कोई बात नहीं कही गयी है। इसका कारण उन्होंने यह स्पष्ट तया बताया है कि कोई उपलब्धि उस समय नहीं हुयी थी सिर्फ अफसरों के स्थानान्तरण किये गये। ऐसे आदमियों को भेजा गया जो कि उनकी नीतियों में विश्वास रखते थे व उनकी नीतियों को मानते थे। उनको ही ऐसे स्थानों पर लगाया गया जो उनकी गलत नीतियों में विशेष दिलचस्पी रखते थे। ढांचे को ठीक करने के लिये उनको ठीक स्थानों पर रखना पड़ेगा। जो इस समय में भ्रष्टाचार हुआ है उसको ठीक करना पड़ेगा आपको देखना होगा कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में जो गलतियां हुई हैं, उनको कैसे सुधार किया जाये।

मै आपको पाली जिले में ले चलूंगा। इस अभिभाषण में पीने के पानी पर जोर दिया गया है। इस में कहा गया है कि इसके लिए युद्धस्तर पर काम किया जाएगा। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि पाली कान्स्टीट्यूएन्सी में रोहट पंचायत समिति पूरी की पूरी ऐसी है जिसमें पानी की जबरदस्त किल्लत है। सारा पानी खारा है। पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं। कुंए नहीं है। आज तक उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया हैं। अकाल की विभीषिका में टैंकरों द्वारा पानी ले जाते रहे हैं। स्थायी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे कि राहत दी जा सके। मैं निवेदन करूंगा कि सुमेरपुर से जवाई नहर निकलती है। उसका पानी जोधपुर पीने के लिए ले जाते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि रोहट पंचायत समिति के 50 गांवों के लिये इस नहर से पीने के पानी की व्यवस्था कर दीजिए। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि राजस्थान कैनाल फलौदी तक आ रही है और जवाई का पानी जो आज जोधपुर को दे रहे हैं, उसको कम करके राजस्थान कैनाल का पानी जोधपुर को दीजिए। इससे जोधपुर को ड्रिंकिंग वाटर की समस्या हल हो जाएगी। इससे पीने के पानी की समस्या का स्थायी हल हो जाएगा रोहट पंचायत समिति में पीने के पानी की जबरदस्त समस्या है। इस समस्या को युद्ध-स्तर पर हल किया जाना चाहिए। अगर

(श्री माणक मल मोहता)

दूसरी कोई स्ट्रेटेजी बन सके तो एक्सपर्ट बैठा कर बहुत शीघ्र इस समस्या का हल निकालने के लिए प्रयत्न करना चाहिए।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहूंगा पाली एक डवलपिंग सिटी है। राजस्थान में सबसे अधिक इण्डस्ट्रीज पाली में लगी हुई हैं छपाई और रंगाई के करीब तीन सौ कारखाने हैं। पाली में उम्मेद मिल है, कपड़े की मिल है जिसमें 4–5 हजार मजदूर काम करते है। उन फैक्ट्रियों को राजस्थान सरकार की ओर से कोई सुविधा नहीं दी गई। वहां पर इन दिनों किसानों और इण्डस्ट्रियलिस्ट के बीच में एक संघर्ष की स्थिति पैदा हो रही है। वहां जो रंगाई छपाई का खराब पानी निकालते हैं, उसके लिए किसानों की ओर से कहा जाता है कि हमारी जमीन खराब होती है। वह पानी जाने से जमीन की फर्टिलिटी खतम हो जाती है। मेरा निवेदन है कि वाटर ट्रीटमेण्ट के जो भी काम हैं वह किये जावें और इस औद्योगिक बस्ती को नष्ट नहीं होने दिया जाये। सब्सिडी देकर वाटर ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट लगाना चाहिये। मैं मुख्य मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस डवलपिंग सिटी की ओर विशेष ध्यान दें जो 300 इण्डस्ट्री लगी हुई है, उनका किसी प्रकार का नुकसान नहीं है ऐसी व्यवस्था करें। इण्डस्ट्रीज के खिलाफ मुकदमें भी पेंडिंग है जब इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट की एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन से बातचीत हुई है तो उसको यह कहा गया था कि वाटर ट्रीटमेन्ट की कार्यवाही हम करेंगे लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैं यह निवेदन करूंगा कि पाली डवलपिंग सिटी है इसकी इकॉनामी अच्छी हो पाई है और हमारी इकॉनामी का आधार बनी है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस ओर ज्यादा ध्यान देकर इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट की ओर से एक काम्पलेक्स कायम किया जाये साथ ही एक ऐसा आफिस कायम किया जाना चाहिये जैसा कि अहमदाबाद में है। जो को आर्डिनेशन का काम करता रहे। राजस्थान के इन्डस्ट्रियलिस्ट बाहर इण्डस्ट्री लगाये हुए है, उनको जब राजस्थान के लिये कहा जाता है तो वह कहते हैं कि राजस्थान में हमारे लिए कोई सुविधाएं नहीं हैं। राजस्थान के इण्डस्ट्रियलिस्ट दूसरी जगह में जाकर इण्डस्ट्री लगाते हैं पूरे देश में हमारे राजस्थान के इण्डस्ट्रियलिस्ट छाये हुए हैं। उनको इम्पोर्टेंस देकर, अधिक सुविधाएं दें ताकि वे राजस्थान में इन्डस्ट्री को लगावें

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

एक मिनट।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है, उस पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हुआ माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने शासन काल में वे उपरोक्त बातों की क्रियान्विति करें। वे पाली जिले का विशेष ध्यान रखें।

अन्त में मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव का पुनः समर्थन करता हूं।

(7·15 सांय)

(श्री प्रद्युम्नसिंह, सभापति, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: श्री जयदेव प्रसाद।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़): भगवान आसुतोष की महती अनुकम्पा से माननीय अध्यक्ष महोदय आपने जो मुझे बोलने का समय दिया है, इसके लिए मैं आपका अत्यन्त आभार मानता हूं। मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे यह बता दिया जाये कि बोलने के लिए मुझे कितना समय प्रदान किया गया है ताकि आपके कर कमलों को घण्टी बजाने का मौका नहीं मिले।

श्री अध्यक्ष : दस मिनट।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण इस सदन में दिया है, उसके लिए जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है। उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय, ने प्रदेश की ज्वलन्त समस्याओं को छूने का प्रयत्न किया है। साथ ही साथ यह भी दर्शाया है कि दिशाहीन जनता पार्टी के राज को जनता ने किस प्रकार से समाप्त कर दिया। मैं सदन में राष्ट्र के प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी और अपने क्षेत्र को जनता को भी धन्यवाद देता हूं तथा उनका अभिनन्दन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे जिले की मूल भूत समस्या पेयजल की है। इसकी ओर मैंने कई बार सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। यहां के राज्यपाल महोदय, जो अभी वर्तमान में भी राज्यपाल हैं, का भी जिला कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से भी ध्यान आकर्षित किया है और उनसे निवेदन किया है। उन्होंने अपने अभिभाषण में पेयजल की समस्या को बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या माना है। उसको पूरा करने के लिए उन्होंने दिशा निर्देश भी दिया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार के द्वारा मेरे क्षेत्र में जो नलकूप खोदे गये थे वे तीन साल से बेकार पड़े हुए हैं और आज भी बेकार हैं। उनसे पेयजल की बहुत बड़ी समस्या हल हो सकती है। गंगासर सिकराबी में नलकूप बने हुए हैं उनके द्वारा पेयजल की समस्या हल हो सकती है। मैं पेयजल के बारे में इसलिए जोर दे रहा हूं कि मेरे क्षेत्र के दक्षिणी पश्चिमी भू-भाग में पानी खारा और विरावणा है जिसको कोई पशु व आदमी, जो धूप में चल कर आया हो, पी ले तो वह बीमार हो जाता है। सरकार इस ओर ध्यान देगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूं।

शिक्षा के सम्बन्ध मे मेरा निवेदन है, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में प्राथमिक शिक्षा को बहुत महत्व दिया है। महत्व देना भी चाहिए किन्तु क्या हम वास्तव में प्रदेश की जनता को साधारण शिक्षित ही बनाना चाहते हैं। मैं आपको यह सुझाव देना चाहता हूं कि पिछली कांग्रेस सरकार ने टिडियासर लोहा व राजलदेसर आदि जिन गांवों में सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने के आदेश प्रदान किए थे और जनता सरकार ने जिनको चालू नहीं किया था उन स्थानों पर सरकार को इस वर्ष ध्यान देना चाहिए। राजलदेसर में हायर सेकण्डरी स्कूल व लूछ में मिडिल स्कूल के आदेश प्रसारित हो गये थे उसके बावजूद भी राजनीतिक दृष्टिकोण से वहां पर स्कूल नहीं खोले गये। वहां पर आप विशेष रूप से ध्यान देकर, ऐसी आशा है, स्कूल खुलवाने का प्रयत्न करेंगे।

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया)

मैं जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे उस वक्त राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत ने रतनगढ़ में यह घोषणा की थी कि रतनगढ़ के अन्दर कालेज खोल दिया जायगा। अभी विधान सभा के चुनाव हुए तब चुनाव अभियान में भैरोंसिंहजी वहां पर आम सभा मे बोलने गये तो वहां के छात्रों ने स्टेज पर कब्जा कर लिया। मुख्य मंत्रीजी को वहां से रेस्ट हाउस में जाना पड़ा पुलिस के माध्यम से। उन्होंने जब बच्चों को बिल्कुल झूठा आश्वासन दिया कि कालेज के आदेश हो गये हैं, कालेज खोल दिया जायेगा तब वे मीटिंग में आ सके और वक्तव्य दे सके। मैं यहां उपस्थित हुआ हूं इसमें छात्र बन्धुओं का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। रतनगढ़ में कालेज खोलने का प्रश्न मेरे जीवन-मरण के प्रश्न से सम्बन्धित प्रश्न है वहां हम देखते है कि ठिठुरती सर्दी के अन्दर पौष और माघ के महीने में छात्र सुबह पांच बजे उठ कर 6.35 की गाड़ी से चूरू पहुंचते हैं। उनकी माताएं उनके लिये नाश्ता और दोपहर का भोजन तैयार करने के लिये सुबह सर्दी में उठती हैं। ऐसी स्थिति मे उनको जो भयंकर कष्ट है उसको नहीं समझा गया और वहां पर कालेज नहीं खोला गया तो वहां के कालेज के जो छात्र हैं वे मुझे सड़कों पर नहीं फिरने देंगे और सिर पर बाल व बदन पर कपड़े नहीं रहने देंगे। मैं सोचता हूं कि मैं उनके सामने बोल भी नहीं सकूंगा इसलिए माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मुझे भी इस सदन में श्रद्धांजलि देनी पड़े और सदन को दो मिनट का मौन रखना पड़े। मैं बहुत ही नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी मुख्य मांग पेयजल और कालेज की समस्या हल करने की है। ये समस्यायें मेरे जीवन से जुड़ी हुई हैं। मैं और किसी समस्या को लेकर आपके सामने नहीं आऊंगा। भैरोंसिंहजी ने लोक सभा और विधान सभा के चुनावों में जनता को झूठा आश्वासन दिया। उनके झूठे आश्वासन और वायदों से तंग आकर इस बार जनता ने करवट ली है, इसको समझना चाहिए और इन मांगों को पूरा करना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि कालेज के अलावा मैं इस सत्र काल में दूसरी मांग नहीं करूंगा।

इतनी सी बात कह कर जो अकाल की मूल समस्या है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। जब अकाल पड़ा तो सरकार मे जिला कांग्रेस ने निवेदन किया कि इस जिले में भयंकर रूप से अकाल है और तारानगर व जिले के उत्तरी और पश्चिमी भागों में एक बूंद भी पानी नहीं पड़ा है। हमने रिक्वेस्ट की जिलाधीश महोदय से अकाल राहत कार्य प्रारम्भ करने के लिये। उन्होंने कहा कि हम गिरदावरी कर रहे हैं। हमको बड़ा ताज्जुब हुआ। जो काश्तकार लोग हैं, जो कृषि से सम्बन्धित हैं उन्होंने सोचा कि एक बून्द भी पानी नहीं बरसा तो गिरदावरी किस चीज की करेंगे, यह समझ में नहीं आया। अन्त में मालूम हुआ कि ये जिलाधीश महोदय, यहां की स्थिति से पूर्णतया अनभिज्ञ हैं और इस सरकार से हमको राहत नही मिल सकती। हमने आन्दोलन किया और सरकार को बाध्य किया कि अकाल राहत कार्य शीघ्र खोले जायें। इसके लिए 40 हजार

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया)

आदमियों ने प्रदर्शन किया और प्रशासन को बाध्य कर दिया। जिलाधीश महोदय चार सालों में बन्द हो गये। दो हजार पुलिस इकट्ठी कर ली। उसके बाद चार कार्यकर्ताओं ने भूख हड़ताल की वे। अनशन पर बैठे। उनको दो दिन के बाद पुलिस गिरफ्तार करके ले गई, बीकानेर ले गई। बीकानेर में कई दिनों तक वे अस्पताल में रहे। जब भारत की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी बीकानेर पधारीं तो उन्होंने कृपा करके अस्पताल में जाकर उनकी भूख हड़ताल तुड़वाई। आज भी, श्रीमान्, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उन चार आदमियों पर केस बना कर मुकदमे चलाये गये हैं जिसकी आगामी 26 तारीख को पेशी है। जो लोग जनहित के कार्य के लिए गये थे, अकाल पीड़ित लोगों की आवाज लेकर पहुंचे थे उनको गिरफ्तार किया गया, उन पर लाठी चार्ज हुआ, उनको गिरफ्तार करने के बाद उन पर मुकदमे चला रहे हैं। इसलिए उनकी ओर विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि मुकदमों को वापिस लिया जाय इसके आदेश शीघ्र ही प्रदान किये जायं।

मेरे क्षेत्र की इन दो समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आप शीघ्र व्यवस्था करने की कृपा करेंगे ऐसी आशा है। दूसरी जो समस्यायें हैं उन पर विभिन्न समयों पर विचार प्रस्तुत करूंगा। मेरी इस सत्र में मांग केवल कालेज की है उसका आप ध्यान रखें। जो धन्यवाद प्रस्ताव राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय शिवचरण जी ने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री बाऊदयाल जोशी : आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस साल कोई नया कालेज नहीं खोला जायगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपको क्या मालूम।

श्री घाराराम (सिवाना) : माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय द्वारा सदन में जो अभिभाषण प्रस्तुत किया गया है उस पर श्री शिवचरण माथुर साहब ने जो सदन में धन्यवाद प्रस्ताव रखा है उसका मैं पूरे जोश खरोश से और हृदय से समर्थन करता हूं। सन् 1977 में हमारी जनता ने जनता पार्टी को भारी बहुमत से 5 साल के लिए सत्ता सौंपी थी, लेकिन उसके लिए यह कहावत सार्थक हुई।

राम किसी को मारे नहीं, नहीं हत्यारा राम।
अपने आप मरजावसी, कर कर खोटा काम।

वह अपने कारनामों से सत्ता से हट गई। जैसा आप जानते हैं, जनता ने उसको 5 साल की बजाय ढाई साल में ही हटा दिया।

श्रीमान्, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे जिले बाड़मेर में सिवाना बहुत ही बैकवर्ड है सड़क की दृष्टि से, पानी की दृष्टि से, बिजली की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से। वास्तव में अगर देखा जाये तो कोई कार्य वहां नहीं हुआ। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं सिवाना की तरफ आप विशेष ध्यान देकर विकास करने में सहयोग दें।

जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कुछ नहीं किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आजादी से पहले भारत में क्या हो रहा था? सूई भी बाहर से आती

(144)

(श्री धाराराम)

थी। क्या आप नहीं जानते कि आजादी के बाद में हमारी सरकार ने अपनी नीति के अनुसार उद्योग कल-कारखाने, नाना प्रकार की मिलें लगाने, सड़कें बनाने और बिजली पहुंचाने आदि कई प्रकार के काम किये और देश को आगे बढ़ाया। आप जानते हैं। कल-कारखानों की दृष्टि से देखें, सिंचाई या शिक्षा की दृष्टि से देखें, किसी भी दृष्टि से देखें हर दृष्टि से विकास हुआ है। अगर आप सोचते हैं कि काम नहीं हुआ है तो आप अपने अर्थ शास्त्रियों से पूछ सकते हैं। भारत का विकास जितना 30 वर्षों में हुआ इतना दुनियां के किसी भी देश में शायद ही इतने कम समय में हुआ हो। यह आप भी देख सकते हैं।

इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि भारत के औद्योगीकरण की दृष्टि से या विकास की दृष्टि से सही मायनों में देखा जाय तो कांग्रेस पार्टी ही वास्तव में एक ऐसी पार्टी है जो अपनी नीतियों से इस देश को मजबूत बना सकती है और देश को विकास की ओर ले जा सकती है। उसने भारत का विकास किया है और विकास कर सकती है। नीति की दृष्टि में जनता पार्टी का मैं इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उसने अपने शासन काल में अगर कोई उपलब्धि प्राप्त की है तो मैं यह बताना चाहता हूं वह सिर्फ एक है जांच आयोग बैठाना। अटल जी हमारे विदेश मन्त्री थे। पाकिस्तान और चीन के बीच में जिस समय चीन द्वारा सड़क बनाई गई विदेश मन्त्री उस समय क्या कर रहे थे? उनको आशा नहीं थी भारत के मजबूत विकास की ओर, भारत की रक्षा की। उस समय प्रधान मंत्री जी कहां गये थे? हमारे रक्षा मंत्री जी कहां गए थे? आप जानते हैं, इन्हीं कारणों से जनता ने उनको हटा दिया है।

मैं सदन का ज्यादा समय न लेकर के, सभापति महोदय, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे इस पिछड़े इलाके की ओर जरूर ध्यान देकर इसका विकास करें। हमेशा ध्यान देकर के काम कराये।

श्री सभापति : श्री राम नारायण।

श्री राम नारायण डूडी (बिलाड़ा) : माननीय सभापति जी, इस सदन के अन्दर श्रीमान् राज्यपाल महोदय ने 8 तारीख को अपना अभिभाषण पढ़ा। श्री शिवचरण माथुर ने उसका समर्थन किया। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस वक्त के अन्दर हम सबसे पहले 1977 में कांग्रेस से जीत कर आये, उस वक्त जहां अब सदन के नेता श्री जगन्नाथ जी हैं, वहां श्री भैरोंसिंह शेखावत जी मुख्य मंत्री थे।

सभापति महोदय, ये जनता पार्टी वाले एक ही बात चिल्लाते थे कांग्रेस के शासन में, इमर्जेन्सी के दौरान, आपात काल के दौरान कांग्रेस ने जितने जुल्म ढाये, सभापति महोदय.....

श्री दाऊदयाल जोशी : इमर्जेन्सी के दौरान जुल्म ढाये, आप इसे ठीक करें।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप जारी रखें।

श्री रामनारायण डूडी : सभापति महोदय, इस प्रकार ताने दिये जाते थे। क्या इन लोगों के लिए नहीं कहें? मगर हिन्दुस्तान की जनता बड़ी समझदार, सजग हो गई थी और इन लोगों की बातों में आने वाली नहीं थी।

(श्री रामनारायण डूंडी)

हिन्दुस्तान में फिर से इलेक्शन हुए, जिसके अन्दर हमारी कांग्रेस पार्टी, जिसका इन्दिरा गांधी नेतृत्व करती हैं, पूरे जोश खरोश के साथ, बहुमत के साथ देश के अन्दर शासन में आई हैं।

सभापति महोदय, मुझे निवेदन यह करना है कि हमारे कल कारखानों पर ध्यान देना होगा हमारी नीतियां, जो हमने जनता को कही हैं, के अनुसार आज सब बातों को लागू करना होगा चाहे हम उसे किसी भी प्रकार से करें।

सभापति महोदय, जहां इस बात का सवाल है कि ढाई सालों में किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ, वहां जो कल कारखाने काम कर रहे थे, जनता शासन की नीतियों के कारण उनमें हड़तालें हुई तथा विकास का सब काम काज ठप्प हो गया। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में राजस्थान नहर परियोजना सबसे बड़ी परियोजना है जिसका कांग्रेस शासन ने निर्माण शुरू करवाया। मगर जनता शासन ने गलत नीतियों, बदले की भावना से वहां काम कर रहे अधिकारियों का बड़े पैमाने पर स्थानान्तरण कराया, सीमेन्ट, कोयले, इस्पात की मांग का जनता शासन ने कतई ध्यान नहीं दिया और जोरों से इसके पूरे होने का काम हो रहा था वह रुक गया। जनता सरकार ने नहर का भट्टा बैठा दिया। सभापति महोदय, मैं मुख्य मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान नहर का निर्माण टाइम लिमिट के अन्दर पूरा करें, पश्चिमी राजस्थान की भूमि, जो आज तक अनकल्टीवेटेड रही है, को हरा भरा किया जाए और पश्चिमी राजस्थान के जो निवासी पानी के मारे प्यासे मर रहे है, जहां पानी नहीं है, जोधपुर क्षेत्र को राजस्थान कैनाल से जोड़ कर वहां उससे पानी पहुँचाया जाए।

इसके साथ हम प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारी जल प्रदाय योजना 14-15 साल से बन्द पड़ी है, मगर पानी की कमी होने से जो क्राइटेरिया है, जितनी मात्रा उनको पानी की मिलनी चाहिए वह अभी तक नहीं पहुँची है। पहले उसको हाथ में लेकर जितनी पाइप लाइन अंडरग्राउन्ड बिछी पड़ी है उससे गांवों में पानी मिलना चाहिए और नजदीक की दो-दो किलो मीटर दूर ढाणियां हैं, जिनका पशुधन भी वहां रहता है उन ढाणियों की व्यवस्था भी करनी चाहिए। केवल ढाणियों की आबादी को देखें। गांवों को बिजली व पानी से जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि गांव को पानी और बिजली से जोड़ दिया तो यह अधूरी योजना है। जहां 10-20, 40-50 ढाणियों का समूह है, सबसे पहले उन ढाणियां के अन्दर पानी की व्यवस्था होनी चाहिए।

मैं शिक्षा के संबंध में केवल यही कहना चाहता हूं कि 30 साल से जो व्यवस्था चली आ रही है उसमें बड़े पूंजीपतियों के लड़के पब्लिक स्कूलों के अन्दर पढ़ते आ रहे हैं। राजस्थान में भी इस प्रकार की व्यवस्था है। गरीबों के बच्चे कभी भी समानता के आधार पर इस स्तर तक पहुंच नहीं सकते। एक तरफ हमारी नीति यह है कि हम समानता को आधार रखना चाहते हैं और दूसरी ओर यह असमानता है। हमारा सौभाग्य है कि राजस्थान के मुख्य मन्त्री एक नीचे तबके से बने। उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हमें समानता के आधार पर

(146)

(श्री रामनारायण डूंडी)

शिक्षा नीति बनानी है तो सबसे पहले शिक्षा की नीति में परिवर्तन करना होगा और समान शिक्षा लागू करनी होगी।

विश्व विद्यालयों के जैसे हालात जनता पार्टी के शासन के दौरान हुए, जगह जगह हड़तालें हुईं, कभी भी परीक्षायें समय पर नहीं हुईं क्योंकि भय मुक्त समाज का नारा लगा, सबको छूट दे दी, किसी प्रकार का अनुशासन नहीं रहा, इसलिये विश्वविद्यालयों में राजनीति घुस गई। आर. एस. एस. के लोग उनमें चले गए। उन्होंने एक ही बात कही कि जो नेकर पहन कर जाएगा और जो हमारी बात मानेगा, उन्हीको पढ़ाया जायेगा। छोटे--छोटे जो प्राइमरी स्कूल हैं उनमें भी इन लोगों ने अखाड़े खोले। सबसे पहले जनता पार्टी के शासन में जिन लोगों की बदलियां की गईं, आर. एस. एस के लोगों को भेजा गया है, उनकी ओर ध्यान दिया जाय और जो अखाड़े चल रहे हैं, उनको बन्द किया जाय, साथ ही विश्वविद्यालय में जिस प्रकार से अनुशासनहीनता उन्होने फैलाई उसको बन्द करें, आर. एस. एस को खतम किया जाए—

श्री दाऊदयाल जोशी : जो नेकर पहन कर आए....

(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूंडी : जितनी बदलियां शिक्षा के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में बिजली विभाग में की गई हैं, उन सारी बदलियों का जायजा लिया जाए तो पता लगेगा कि राजस्थान को जो बड़ा घाटा हुआ उसका कारण वे बदलियां हैं। जहां भी लोगों को लगाना था वहां अपने आदमियों को लगाया। शिकायतें कीं जोधपुर में, जहां से हम जीत कर आए हैं, मेरा क्षेत्र बिलाड़ा है, वह शिक्षा का केन्द्र है, 12-13 सैकण्डरी स्कूल्स हैं, वहां अपने लोगों को बिठाया, सभी हैड आफ डिपार्टमेंट के आदमियों को हटा कर अपने आदमी को बिठाया। यही हालत थानों की है। मैं पूछना चाहता हूं नागौर में कितने थाने हैं? ढाई साल के अन्दर जांच कराई जाए इन लोगों ने कितने राजपूतों को बिठाया? दूसरे लोगों को हटा कर अपनी एक विशेष जाति के लोगों को लगाया।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री रामनारायण डूडी : सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि ब्यावर, बिलाड़ा, सोजत में खनिज संपदा है। वहां लाइम की खनिज सम्पदा है। यदि राज्य सरकार इसको विकसित करने पर ध्यान दें, मिनी सीमेंट प्लांट लगाए तो जो बेरोजगारी की समस्या है, मजदूरों को काम दिलाया जा सकता है और बेरोजगारी की समस्या मिट सकती है।

आपने घंटी बजाई, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए, धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : श्री भैरूंसिंह गुर्जर।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : सभापति जी, हमारे राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया, उस पर माननीय श्री

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

श्री शिवचरण ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा, उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं पहले तो जनता पार्टी के राज की व्याख्या इन चार लाइनों में करना चाहूंगा :—

जनता पार्टी के जितने रहनुमा थे गद्दार हो गए,
गुलामी में एक भी न था अब बेशुमार हो गए,
गरीबों के खून के प्यासे चहुं ओर तैयार हो गए,
ये वतन, ये आजाद जीने से बेजार हो गए।

हमारा सौभाग्य है कि हमारे मुख्य मंत्री राजस्थान के सबसे बड़े जन समुदाय, जिसमें मैं भी हूं, का प्रतिनिधित्व करते हैं। पढ़े लिखे और सुसंस्कृत विचारों वाले मुख्य मंत्री हैं, जब कि जनता पार्टी के मुख्य मंत्री आंकड़ेबाज थे। जनता पार्टी के शासन में क्या था ? जनता पार्टी की सरकार आते ही सबसे पहले जितने विभाग थे वहां जितने उच्चाधिकारी लगाए, आप गिन गिन करके जांच करें, सबसे ज्यादा राजपूत लगाए। इससे सामन्ती बदबू आती है। गरीबों का शोषण करके जातिवाद को बढ़ावा दिया गया।

सब-इन्सपेक्टर्स के सलेक्शन में 100 में से 48 राजपूत लिए। आर. ए. एस. इन्टरव्यू में आज तक का रिकार्ड है कि कोई आशार्थी 160 नम्बर से ज्यादा प्राप्त नहीं कर सका किन्तु जनता पार्टी के राज में हुए आर. ए. एस. के इन्टरव्यू में 200 में से 185 नम्बर तक दिए व जिन्हें इतने नम्बर मिले वे राजपूत आशार्थी थे। इस प्रकार जातिवाद व सामन्तवाद को बढ़ाया।

श्री दाऊदयाल जोशी : नरेन्द्रसिंह जी से पूछ लो।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सबसे पहले उदाहरण दे रहा हूं, यहां से भूतपूर्व मुख्य मंत्री दिल्ली जाते थे, जोधपुर हाउस में ठहरते थे, वहां एक नए कमरे का निर्माण किया गया। पड़ौस में कमरा बनाया गया था, उसका उपयोग क्या था ?

एक माननीय सदस्य : बाथ रूम।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : भूतपूर्व शिक्षा मंत्री ने विधान सभा में घोषणा की थी, वरिष्ठ अध्यापकों के वेतनमान में संशोधन किया था उसके अनुसार जो नए अध्यापक आ गए उनको 620) मिले लेकिन पुराने को एक पैसे का भी फायदा नहीं हुआ। वे आज भी रो रहे हैं। उन्होंने यह भी घोषणा की थी कि कार्यरत अध्यापकों के बी. एड. करने पर दो वेतन वृद्धियां दी जायगी किन्तु कई अध्यापकों ने बी. एड. कर लिया लेकिन उनको कुछ नहीं दिया गया।

परसों से दिन भूतपूर्व बिजली मंत्री, श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी का जब नाम आया तो कूद रहे थे। पचपदरा में सात मंत्री राजकीय खर्चे पर गए, विद्युत व राजस्व विभाग इकट्ठा किया। गुजरात से भी मंत्री आए। उन्होंने किसका मौसर किया, किसलिए वहां इकट्ठे हुए ?

श्री दाऊदयाल जोशी : कांग्रेस मर गई थी उसका मौसर किया था।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : कांग्रेस का नहीं जनसंघ का मौसर हो रहा था ...

(व्यवधान)

श्री दिनेश डांगी : वहां पर आर. एस. एस. का जनाजा निकाला गया था।

(148)

श्री सभापति : ग्रार्डर, ग्रार्डर प्लीज-माननीय सदस्य, बैठे बैठे नहीं बोलें। बीच बीच में व्यवधान नहीं डालें।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : ग्रध्यक्ष महोदय, जब ललित किशोर चतुर्वेदी जी विद्युत मंत्रीजी थे तब एक बार जोधपुर गये थे। वहां पर इन्होंने एक ए. ईएन. को चोर कहा था तो उस डी. पी. गुप्ता, ए. ईएन. ने इनकी गर्दन पकड़ ली थी। फिर इनको ग्रपनी बदतमीजी के लिये उससे क्षमा भी मांगनी पड़ी थी।

(व्यवधान)

श्री सभापति : ग्रापस में बातचीत नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, यहां पर जनसंघी सदस्य लोग बलात्कार की काफी बातें करते हैं पर जनता शासन में महिलाग्रों के साथही नहीं,ग्रापके ग्रार.एस.एस. में तो पुरुषों के साथ बलात्कार किया गया था। ग्रापको शर्म आनी चाहिये।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं जनता पार्टी के समय में हर जगह भ्रष्टाचार व चारों तरफ ग्रन्याय हो रहा था। मैं ग्रापको देवस्थान विभाग का एक उदाहरण देता हूं कि जब पुरुषोत्तम मन्त्री, देवस्थान विभाग के मंत्री थे तब देवस्थान विभाग के ग्रधीन एक मन्दिर श्री राधा मनोहर जी, झालानियों का रास्ता, जयपुर में एक क्लर्क को मकान किराये दिया हुग्रा था। वह व्यक्ति 1-9-71 से किराये पर था। नियमानुसार उसने 31-1-79 तक किराया भी जमा कर दिया। किन्तु मन्त्री महोदय को जानकारी होने के बावजूद सात वर्ष के किरायेदार को इन्होंने बेदखल कर दिया एवं राज्य सरकार के पास सहायक ग्रायुक्त के रिश्तेदार को एक कमरा दिया, मन्त्री ग्रपने पी. ए. की धर्म पत्नी दमयन्ती नागर को दे दिया। इसके साथ-साथ एक पूर्व में रह रहे किरायेदार, जो कि देवस्थान विभाग में ही नौकरी कर रहा था, को बेदखल किया एवं उसे पुलिस केसों में भी उलझाया। भूतपूर्व किरायेदारों ने पुलिस में इसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई पर जनता शासन के काल में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

सभापति महोदय, हमारे पाली जिला में रघुनाथ पुरा वाली तहसील में स्कूल बनाने के लिये रुपया सैंक्शन हुग्रा पर वहां स्कूल नहीं बना। वहां स्कूल पुराना है। उसकी बहुत बुरी हालत है। उस रुपये को हमारे भूतपूर्व विधान सभा सदस्य श्री हनवन्तसिंह जी के रिश्तेदार खा गये। मेरा निवेदन है मुख्य मन्त्री महोदय से कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ में मुकदमें चला कर उन्हें सजा दिलायी जाये।

सभापति महोदय, जनता शासन में ऐसे ऐसे ××× मिनिस्टर थे जिन्होंने हमारे देश की 52 रेल गाड़ियों की पटरियों को हटवाया ग्रौर जो कि डाइनामाइट कांड के दोषी थे। उनके खिलाफ में मुकदमें जो चलने चाहिये थे वे उठा लिये गये ग्रौर हमारे देश के युवा नेता, श्री संजय गांधी पर किस्सा कुर्सी नाम का झूठा मुकदमा चलाया गया ग्रौर उन्हें जनता शासन काल में तरह तरह के झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश की गई। सभापति महोदय, वह झूठा मुकदमा जिस तरह ग्रमृत नाहटा ने संजय गांधी पर लगाया था उन्होंने ही कहा कि वह मुकदमा झूठा था। कितनी शर्म की बात है।

सभापति महोदय, इसके ग्रलावा मैं एक बात ग्रौर कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी

××× माननीय ग्रध्यक्ष के ग्रादेशानुसार शब्द ग्रपलोपित किया गया।

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

का शासन सेठों का था। खारची में पहले कांग्रेस राज्य में नगरपालिका थी। नगरपालिका को सेठों के कहने से तोड़कर पंचायत बना दिया गया। खारची तहसील में जनता पार्टी के शासन काल में कोई काम नहीं हुआ। वहां कोई सड़क नहीं, हायर सैकण्डरी स्कूल और पानी हेतु नल योजना नहीं और विद्युतीकरण में भी हमारी खारची तहसील के गांव पिछड़े हुए हैं। जनता पार्टी के शासन काल में जो विकास की बातें करते हैं उन्होंने अपने शासन काल में कोई विकास कार्य खारची में नहीं किया। इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह खारची तहसील के विकास की ओर ध्यान देने की कृपा करें।

सभापति महोदय, राज्य सरकार ने जो विकलांगों के लिए 2 प्रतिशत आरक्षण सरकारी नौकरियों में किया था उसकी तरफ भी जनता शासन ने कोई ध्यान नहीं दिया।

इसी प्रकार हमारे यहां पर कोट सोलंकियान बांध के लिये रुपया सैंक्शन हुआ था उसका आधा माल आया किन्तु बांध नहीं बना। जो सामान पड़ा था वहां पर वह सामान जनता पार्टी के मंत्रियों के XXX ने उठाकर अपने घर ले जाकर अपने घर बना लिये। सभापति महोदय, 80 हजार रुपये हजम कर गये।

इसी प्रकार, सभापति महोदय, हमारे मारवाड़ जंक्शन स्टेशन पर काफी गाड़ियां आती रहती है। वहां पर पुलिया नहीं होने की वजह से बहुत से लोग मरते हैं पर कोई सुनवाई जनता शासन में हमारे कहने पर भी नहीं हुई। मेरा निवेदन है कि वहां पर पुलिया बनायी जाये ताकि लोगों की जानमाल की रक्षा हो सके।

इसी तरह हमारे यहां तीन नदियां हैं वहां पर भी पुल अधूरे पड़े है। जो रुपया सैंक्शन थोड़ा बहुत जनता पार्टी के शासन काल में हुआ था उससे खरीदा सामान जो वहां पर थोड़ा बहुत पड़ा था वह भी जनता पार्टी के XXX उठा कर ले गये।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, मुझे पांच मिनट तो और दीजिये।

श्री दिनेश डांगी : सभापति महोदय, बोलने दीजिये। यह पाली जिले का शेर बोल रहा है। जनता पार्टी में भैरोंसिंह हैं तो यह भैरूंसिंह गुर्जर कम नहीं।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, अन्त्योदय योजना की बहुत तारीफ जनता पार्टी के नेता लोग करते हैं। यह ऐसी योजना थी जिसमें सरकार के धन को डुबाया गया था। एक व्यक्ति को 500 रुपये का कर्ज अन्त्योदय की योजना के तहत दिया गया तो उस पांच सौ रुपये के ऋण की वसूली में ही पांच हजार रुपये बैंक के खर्च हो जाते हैं क्योंकि एक व्यक्ति अगर बैंक का चक्कर ऋण उगाने के लिए काटता है तो 25 रुपये डी.ए.टी.ए. के और 20 रुपये स्कूटर के पैट्रोल के खर्च कर देता है। आप हिसाब लगायें किस प्रकार की यह योजना है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

. XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार शब्द अपलोपित किये गये।

(150)

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, इसी प्रकार यह बात आपको और निवेदन करना चाहता हूं कि किस तरह की गुण्डा गर्दी राजस्थान में फैली हुई थी। ब्यावर में दिनांक 14–5–79 को राधेश्याम नाम के एक छात्र पर तेजाब डाल दिया गया। वह बेचारा अंधा और विकृत हो गया पर तेजाब डालने वाले के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई और जो मुल्जिम था वह आजाद हो गया।

(व्यवधान)

इसी तरह, सभापति महोदय, राजस्थान का जो कर्मचारी संघ है उसमें फिरकापरस्ती करके अपने गुट के एक व्यक्ति शिवकिशोर सनाढ्य के गुट को पावर में लाये और उसके इशारे पर कई मास्टरों के तबादले कराये। एक जगमोहन नाम के हैड मास्टर को बून्दी भेजा गया और सनाढ्य को यहां लाया गया। हजारों मास्टरों को ट्रांसफर्स करके परेशान किया गया और जो आर. एस.एस. के मास्टर्स थे उन्हें अच्छी अच्छी जगह लगाया गया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बैठ जायें। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, दो मिनट और।

सभापति महोदय, जनता पार्टी के शासन काल में जुलाई, 1978 में मरुस्थल वनारोपण एवं चरागाह विकास निदेशालय की जोधपुर में स्थापना का एक सुखद समाचार था। रेगिस्तानी क्षेत्रों में वनीकरण की आशा बलवती हुई थी। अपेक्षा थी कि अव्यवस्थित वनों का वैज्ञानिक प्रबन्ध होगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह क्या पढ़ रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, क्या सदन में इस प्रकार माननीय सदस्य द्वारा पढ़ा जा सकता है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बैठ जाइये।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, मैं पोइंट्स तैयार करके लाया हूं वह पढ़ रहा हूं।

एवं नव वनीकरण से क्षेत्र हरा भरा हो उठेगा, सूखे व बाढ़ पर नियन्त्रण हो सकेगा, तापान्तर घटेगा एवं जलवायु में अनुकूलता आयेगी। परन्तु जागृत नागरिकों के सामने इस कार्यक्रम का विकृत व नग्न पक्ष उजागर हुआ। सुन कर व देख कर वेदना होती थी। वन विभाग के आकस्मिक विस्तार से अधिकारियों की यकायक बाढ़सी आ गई थी, उन्होंने वृक्ष लगाये थे कम और कटवा दिये ज्यादा। नव पदोन्नत उप वन संरक्षक एवं उप वन क्षेत्रियों ने खुल कर इस वन विनाश की प्रतियोगिता में हाथ बढ़ाया एवं अपना घर बनाया। वन विकास के नाम पर वन विनाश किया। हरा भरा कहने के नाम पर प्रदेश की पूर्व लगाई गई हरियाली को भी नष्ट किया जा रहा है। विकास कार्यों हेतु आवंटित सीमेंट का दो तिहाई भाग यहां तक कि 80 रुपया प्रति कट्टा की दर से ब्लेक में बेचा गया। मुरड़ में तार-बन्दी कर चूने की खरीद बताई गई। तबादला, चयन, ट्रेनिंग हेतु चयन, पदोन्नति तथा ट्रेनिंग स्कूल में प्रथम आने तक की दरें तय हो गईं। रिश्वतखोरी की यह दरें हर किसी की जानकारी में हैं।

(151)

(श्री भैरूंसिंह गुर्जर)

एक सड़क पर 25 किलोमीटर दूरी में 6 लाख रुपये खर्च करके 50,000 वृक्ष लगाये गये थे। उनमें से एक साल बाद 2500 वृक्ष ही जीवित रहे। सफलता मात्र पांच प्रतिशत मिली। पाली के एक उप वन संरक्षक ने गलत स्थान का चयन कर हजारों रुपये बरबाद कर दिए एवं अन्ततः उस जगह को वृक्षारोपण हेतु निरस्त करना पड़ा। सेन्दड़ा. देसूरी, बाली, खारची के वन क्षेत्रों की कटाई अखबारों में 50 बार सुर्खियों में छपी थी। पाली रेन्जर व उसके भ्रष्ट वन रक्षकों की कार गुजारियां जग-जाहिर थी। जिलाधीश महोदय पाली भी उनके आचरण से अवगत रहे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह क्या पढ़ रहे हैं आप ?

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, मैं पाइन्ट्स तैयार करके लाया हूं। मुझे याद है। मैं बोल सकता हूं इतना ही।

निदेशालय बनने के बाद वृक्ष जितने लगे हैं उनकी दुगुनी मात्रा में वृक्ष कटे हैं बाबी पोल का ढोल बज रहा था। जनता शासन में और कुछ नहीं था।

श्री सभापति : आप कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : सभापति महोदय, यह सभी जनता शासन के कारनामें है।

अब आप ज्यादा समय नहीं दे रहे हैं तो फिर मैं जो राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण सदन में दिया और उसके समर्थन में माननीय सदस्य श्री शिवचरण माथुर ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया है उसका समर्थन करता हुआ, अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही दिनांक 24 जुलाई के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 7.58 बजे सोमवार दिनांक 14 जुलाई, 1980 के म. पू. 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

---

(152)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 63 का विवरण)

विवरण प्रश्न संख्या 70

राणा प्रताप सागर बांध चम्बल परियोजना का द्वितीय चरण है। इस योजना की कुल अनुमानित लागत 3641 लाख रु है। वर्ष 1979-80 तक इस पर 3045.20 लाख रुपये व्यय किया जा चुका है वर्ष 80-81 में इसके लिए योजना व्यय में 60 लाख रुपये तथा गैर योजना व्यय में 29.55 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इस परियोजना की लागत में मध्य प्रदेश व राजस्थान का बराबर भाग है। राजस्थान के भाग (शेयर) में से आधा सिंचाई एवं आधा विद्युत विभागो द्वारा वहन किया जाता है।

अब बाकी के कामों को पूरा करने के लिए 594.80 लाख रुपये की आवश्यकता है। यह व्यय 1980-81 से 1983-84 तक करना प्रस्तावित है।

वर्ष 80-81 में निम्नलिखित कार्य किये जावेगे। जिन पर कुल 60 लाख की धनराशि व्यय की जावेगी।

(1) Down stream protection works.

(2) Raising of divide wall between power house & Spillway.

(3) Road from Eklingpura to Chechat.

(4) Raising of retaining wall.

(5) Control room and installation of wireless sets etc.

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 70 की सूची)

पिछले पांच वर्षों में पानी प्राप्ति के आंकड़े

वर्ष	प्राप्त मात्रा (क्यूसेक्स दिन)
1975-76	5308
1976-77	4459
1977-78	417
1978-79	1781
1979-80	2361

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 71 की सुची)

क्रमांक	नाम पंचायत समिति	आवश्यकता	प्राप्ति
1.	झोटवाड़ा	306	70
2.	बस्सी	3585	154
3.	सांगानेर	312	210
4.	चाकसू	1755	196
5.	दौसा	562	336
6.	सिकराय	1176	126
7.	लालसोट	285	208
8.	बांदीकुई	680	294
9.	कोटपूतली	465	238
10.	विराटनगर	990	122
11.	शाहपुरा	568	226
12.	साभर	900	562
13.	दूदू	391	100
14.	फागी	960	126
15.	आमेर	667	204
16.	जमवारामगढ़	1615	126
17.	गोविन्दगढ़	487	250

परिशिष्ट 4

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

धोलपुर को जिला बनाना

72. **श्री बनवारी लाल (धोलपुर)**: क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पिछली कांग्रेस सरकार ने धोलपुर को जिला बनाने का निर्णय ले लिया था, किन्तु जनता सरकार ने उस निर्णय को निरस्त कर दिया ?

(2) क्या कांग्रेस सरकार अपने पुराने निर्णय का क्रियान्वयन करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं, जब पिछली कांग्रेस सरकार ने धोलपुर को जिला बनाने का निर्णय ही नहीं लिया तो जनता सरकार के द्वारा उक्त निर्णय को निरस्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) धोलपुर को जिला बनाने का निर्णय ही नहीं लिया गया तो क्रियान्वयन करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जोधपुर शहर के डेयरी बूथ

73. **श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल)**: क्या डेयरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर में जोधपुर डेयरी द्वारा निर्धारित बूथों की संख्या पर्याप्त नहीं है ? अगर हां, तो इन बूथों की संख्या कब तक बढ़ा दी जायेगी ?

(2) क्या यह भी सही है कि जोधपुर डेयरी जो दूध उपलब्ध कराती है वह बोतलों में बन्द नहीं होता ? अगर हां, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार डेयरी का दूध बन्द बोतलों में उपलब्ध कराना उचित समझती है जिससे मिलावट की आशंका न रहे ? अगर हां, तो यह व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी।

उत्तर

(1) आवश्यकतानुसार बूथों की संख्या बढ़ाई जाती रही है।

(2) जी हां।

(3) जी हां। प्री 'पैक' मशीन मंगाये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है।

बून्दी जिले के स्कूलों को क्रमोन्नत करना

74. **श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन)**:— क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बूंदी में कितने हायर सैकण्डरी स्कूल हैं और इन्हें सैकण्डरी से हायर सैकण्डरी कब क्रमोन्नत किया गया ?

(2) वर्तमान में जिला बून्दी में कितने सैकण्डरी स्कूल चल रहे हैं इन्हें कब खोला गया था या मिडिल से सैकेण्डरी में क्रमोन्नत किया गया था तिथि सहित पूर्ण जानकारी सदन के पटल पर रखने का श्रम करें।

(3) क्या यह भी सही है कि जनता सरकार द्वारा इस प्रकार का निर्णय लिया गया था कि नगरपालिका मुख्यालय पर कार्यरत सैकण्डरी स्कूलों को हायर सैकण्डरी में क्रमोन्नत किया जावेगा। यदि हां, तो यह निर्णय कब लिया गया था।

उत्तर

(1) बून्दी जिले में निम्नलिखित हायर सैकण्डरी स्कूल हैं :—

नाम विद्यालय	क्रमोन्नत होने का वर्ष
1 उच्च माध्यमिक विद्यालय, बून्दी	1960-61
2 उच्च माध्यमिक विद्यालय, लाखेरी	1970-71
3 उच्च माध्यमिक विद्यालय, हिण्डोली	1960-61
4- राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, बून्दी।	1971-72

(2) बून्दी जिले में चल रहे सैकण्डरी स्कूल तथा उनकी क्रमोन्नत संबंधी जानकारी की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। 5 फरवरी, 1980 को ऐसा निर्णय लिया गया था।

क. सं.	नाम विद्यालय		विद्यालय जिस वर्ष खोला
1	रा. मा. विद्यालय, मेमना		1965–66
2	,,	अस्पन	1965–66
3	,,	कापरेन	1965-66
4	,,	केशोरायपाटन	1965–66
5	,,	देई	1966–67
6	,,	वानेक	1966–67
7	,,	बानदंनवाड़ा	1968–69
8	,,	मोडका	1971–72
9	,,	झालोपीर करमा	1971–72
10	,,	पुनखाना	1971–72
11	,,	सुपाडा	1971–72
12	,,	बस्ती	1975–76
13	,,	करदर	1975-76
14	,,	ब्यावर	1977–78
15	,,	बाडेड़	1977–78
16	,,	भाटुंण्डा	1977–78
17	,,	तलवार	1977–78
18	,,	सटाड	1977–78
19	,,	डाबी	1977-78
20	,,	घाट का घराना	1977–78
21	,,	धरमेडा	1977–78
22	,,	बड़ांसी	1977–78
23	,,	नवांना	1977-78
24	,,	बुढान कादान	1977–78
25	,,	बनेडा	1977–78
26	,,	दुमारी	1978–79
27	,,	चोगा नकेट	1978–79
28	,,	बड़ाखेडा	1979-80
29	,,	बड़ाभगा गांव	1979–80
30	,,	जवाहरसागर बांध	1979-80

छात्रा विद्यालय

1	रा. मा. विद्यालय, तासेरी		1967-68
2	,,	केशवरायपाटन	1967-68
3	,,	बूंदी सिटी	1975-76
4	,,	मेमना	1977-78
5	,,	कापरेन	1978-79
6	,,	देई	1979-80

कामर्स कॉलेज जयपुर में समय पर प्रश्न पत्र नहीं पहुंचने का प्रकरण

75. **श्री दाऊदयाल जोशी** (टीगोद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष राजस्थान विश्वविद्यालय की अव्यवस्था के कारण जयपुर स्थित कामर्स कॉलेज परीक्षा केन्द्र पर एम. कॉम. परीक्षा का 'प्रबन्ध के सिद्धान्त व व्यवसाय' विषय का प्रश्न-पत्र दिनांक 16 जून, 80 को समय पर नहीं पहुंचा था ?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रश्न-पत्र बोल कर लिखवाया गया जिसके कारण परीक्षा समय में 1 घण्टा विलम्ब हो गया था ? यदि हां, तो ऐसा क्यों व किसकी लापरवाही के कारण हुआ ?

(3) क्या विश्वविद्यालय प्रशासन ने पेपर न पहुंचाने वाले अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) कामर्स कॉलेज केन्द्र पर परीक्षार्थियों की संख्या वास्तव में 109 थी किन्तु त्रुटि से न्यूमेरिकल रिटर्न में परीक्षार्थियों की संख्या 109 के स्थान पर 2 अंकित हो गई इसी कारण केवल 10 प्रश्न पत्र केन्द्र को भेजे गये । छात्रों की संख्या की अपेक्षा प्रश्न पत्र कम थे । अतः बोलकर लिखवा दिया गया । इस कारण परीक्षा आधा घण्टा देर से प्रारम्भ हुई ।

(3) सम्बन्धित व्यक्तियों से रिपोर्ट मांगी गई है । इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं इसकी जांच विश्वविद्यालय द्वारा की जा रही है ।

पंचायत समिति, कुचामन के कृषकों को कृषि हेतु विद्युत कनेक्शन

76. **श्री रामेश्वरलाल चौधरी** (नावां): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) माह दिसम्बर, 1979 के बाद में पंचायत समिति, कुचामन, जिला नागौर में कितने कृषि कनेक्शन दिए गए हैं ? माहवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) दिनांक 1 जून, 1980 तक कितने फार्म बिना कनेक्शन के पड़े हैं जिन्हें कनेक्शन दिया जाना शेष है ? इन लोगों को कनेक्शन नहीं दियें जाने के क्या कारण हैं तथा कब तक इन लोगों को विद्युत कनेक्शन दे दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) माह दिसम्बर, 1979 के बाद कृषि के 61 कनेक्शन दिये गये हैं जिनकी माहवार स्थिति निम्नानुसार है :—

जनवरी, 1980	42
फरवरी	9
मार्च	—
अप्रेल	—
मई	4
जून	6
	61

(2) दिनांक 1 जून, 1980 को कृषि हेतु विजली के कनेक्शन के लिए 433 प्रार्थना पत्र विचाराधीन थे । इनमें से 214 के डिमान्ड नोटिस के पैसे जमा हो गये हैं तथा 129 के डिमान्ड नोटिस अभी नहीं निकाले गये हैं । जिनके पैसे जमा हुए हैं उनमें से 199 ने 'एल' फार्म प्रस्तुत किये हैं । कनेक्शन सामान की उपलब्धि के अनुसार दिये जा रहे हैं । अतः समय के लिए निश्चित रूप से कुछ कहना अभी सम्भव नहीं है ।

अरबी-फारसी शोध संस्थान, टौंक

77. **श्री बाऊदयाल जोशी** (टीगोद): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) टौंक स्थित अरबी-फारसी शोध संस्थान में किस किस योग्यता के कौन-कौन अधिकारी कब से कार्यरत हैं।

(2) क्या यह सही है मौजूदा निर्देशक जो पूर्व में वहीं वरिष्ठ लिपिक थे निर्देशक की योग्यता न रखते हुए भी पद स्थापित कर दिये गये हैं, जो विदेशों से माने वाले विद्वानों एवं पर्यटकों को अपनी अयोग्यता के कारण सन्तुष्ट नहीं कर पाते ?

(3) इस वर्ष इस शोध संस्थान में कौन कौन विद्वान व पर्यटक किस किस देश से आये

(4) इस शोध संस्थान पर राज्य सरकार कुल कितना खर्च कर रही है।

(5) इस शोध संस्थान में कुल कितने ग्रन्थ हैं क्या उनका वर्गीकरण करके सूची बनाई हुई है? क्या यह भी सही है कि अनेकों महत्वपूर्ण ग्रन्थ इधर उधर पड़े हैं।

उत्तर

(1) टौंक स्थित अरबी-फारसी शोध संस्थान मे राजपत्रित अधिकारी केवल एक है जो संस्थान में निदेशक के पद पर 620-1100 के ग्रेड पर दिनांक 6-12-78 से कार्यरत है। इस अधिकारी की योग्यताएं निम्न हैं :-

(क) एम. ए. (इतिहास)

(ख) बी. ए. (फारसी साहित्य)

(ग) एम. एफ. के. (फारसी)

(घ) फाजिल (अरबी)

(2) जी नहीं। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर में शुरु में गवेषक (सर्वेयर) के पद पर नियुक्त हुए थे।

(3) सूची संलग्न है (परिशिष्ट—क)

(4) गत वर्ष इस संस्थान के लिए 1-39 लाख रुपये का बजट में प्रावधान था एवं इस वर्ष 1-59 लाख का प्रावधान है।

(5) संस्थान में इस समय कुल ग्रन्थ 6102 है इनका वर्गीकरण कर सूचियां तैयार हैं। यह सही नहीं है कि महत्वपूर्ण ग्रन्थ इधर उधर बिखरे पड़े हैं।

परिशिष्ट क

क. स.	नाम पर्यटक/विद्वान	देश का नाम जहां से आये.
1-	श्री अल शेख मोहम्मद अल हाफिज	मदीना, सऊदी अरबिया
2-	श्री अब्दुल रशीद खां	जद्दाह ,, ,,
3-	श्री हबीबुर्रहमान खां	करांची, पाकिस्तान
4-	श्री ऐजाजुल हक	,, ,,
5-	श्री अजीज अहमद खां	,, ,,
6-	श्री शरीफ अहमद	,, ,,
7-	श्री मोहम्मद उमर	,, ,,
8-	डाक्टर अजीत, ई. एम. टी. सर्जन	हमादान, ईरान

159

ई. बी. सी. सर्विस रोड से निकलने वाली ड्रेन पर पुलिया निर्माण

78. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ई. बी. सी. सर्विस रोड पर रामपुरा गांव के पास से निकलने वाली ड्रेन पर पुलिया बनाने हेतु टेण्डर हुए थे तथा मेटेरियल भी डाल दिया गया था ? यदि हां, तो वहां पर अभी तक भी पुलिया नहीं बनने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या सरकार किसानों की परेशानी को देखते हुए वहां पर शीघ्र पुलिया का निर्माण कार्य शुरू करायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां; टेण्डर मांगे गये थे, परन्तु मेटेरियल डालने के लिए कोई आदेश नहीं दिये गये। क्योंकि इस ड्रेन पर करीब 400 मीटर की दूरी पर एक पुलिया दो मोखे वाली का निर्माण करवाया जा चुका है एवं रामपुरा गांव के ग्रामीण इस पुलिया पर आते जाते हैं। अतः कथित स्थान पर यह पुलिया बनाना उचित नहीं है।

(2) रामपुरा गांव के ग्रामवासियों को उक्त ड्रेन पर पुलिया का निर्माण कर आने जाने का रास्ता दिया जा चुका है। अतः किसानों की परेशानी का प्रश्न ही नहीं उठता है।

सवाई माधोपुर जिले में पीने के पानी की समस्या का समाधान

79. श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली): क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर जिले में पीने के पानी का अत्यन्त अभाव है ? यदि हां, तो क्या पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु कोई विस्तृत योजना सरकार के विचाराधीन है ? अगर हां, तो क्या इस योजना के अन्तर्गत करौली उपखण्ड में मांसलपुर के डांग क्षेत्र को, जहां पेयजल का भयंकर संकट है, भी सम्मिलित किया गया है ?

उत्तर

यह सत्य है कि सवाई माधोपुर जिले के कुछ ग्रामों में पीने के पानी का अभाव है। जिले के 1531 आबाद ग्रामों में से 1003 ग्राम पेयजल से समस्याग्रस्त हैं जिनमें से 131 ग्रामों में जल प्रदाय योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं शेष ग्रामों की समस्या के हल हेतु इस जिले को भी विश्व स्वास्थ्य संगठन को प्रस्तावित 600 करोड़ रुपये की लागत की 10 वर्षीय योजना में शामिल कर दिया गया है। मांसलपुर के डांग क्षेत्र में पेयजल का भयंकर संकट नहीं है। इस क्षेत्र के ग्रामों में कुओं का पानी मीठा है। गत वर्ष कम वर्षा होने के कारण कुओं का जल स्तर कम हो गया था, परन्तु यह समस्या केवल अस्थाई थी।

विद्युतीकृत जल प्रदाय योजनाओं पर विद्युत प्रवाह की वैकल्पिक व्यवस्था

80. श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि गांवों में जल प्रदाय योजनाओं पर पूर्व में जेनरेटर सैट लगे हुए थे उनका विद्युतीकरण हो जाने के बाद जेनरेटर सैट अथवा डीजल इंजिन अन्य जल प्रदाय योजनाओं पर भेज दिये गये अथवा कार्यालय मुख्यालयों पर मंगवा लिये गये ?

(श्री सूरज पाल सिंह)

(2) क्या यह भी सही है कि इस नीति के कारण ग्रामवासियों को एवं मवेसियों को पीने के पानी की घोर कठिनाई उस समय उठानी पड़ती है जब लगातार चार पांच दिन तक बिजली उपलब्ध नहीं होती ?

(3) क्या राज्य सरकार यह उचित मानती है कि जिन जल प्रदाय योजनाओं का विद्युतीकरण हो चुका है वहां जेनरेटर सैट अथवा डीज़ल सैट्स की वैकल्पिक व्यवस्था की जाय ? अगर हां, तो यह व्यवस्था कब तक कर दी जायगी ?

उत्तर

(1) डीजल चलित जल योजनाओं के विद्युतीकरण हो जाने पर उन पर पूर्व में लगे जेनरेटिंग सैट अथवा डीजल इंजन अन्य योजनाओं पर भेज दिये जाते हैं जहां निर्माणाधीन योजना पर विद्युत उपलब्ध न हो।

(2) जी हां, विद्युत के अभाव में पूर्ण रूप से जल वितरण होने में कभी कभी कुछ योजनाओं में बाधा आती है।

(3) धनाभाव की स्थिति को देखते हुए डीज़ल इंजिन तथा जेनरेटिंग सैटों को अन्य नई विद्युत रहित योजनाओं पर काम में लिया जाना उचित है तथा दोहरी व्यवस्था करने से रख-रखाव पर बहुत आर्थिक भार आता है।

सहकारी समिति, मोडक के पदाधिकारियों द्वारा गबन का प्रकरण

81. श्री हरीश कुमार शर्मा (रामगंज-मण्डी) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(1) क्या यह सही है कि सहकारी समिति लिमिटेड आर. 425 गांव मोडक, तहसील रामगंज मण्डी (कोटा) में समिति के पदाधिकारियों द्वारा गबन किया गया है? यदि हां, तो फिर भी न तो गबन शुदा राशि की वसूली की जा रही है और न उन्हें पदों से ही हटाया जा रहा है ? सरकार कब तक गबन शुदा राशि की वसूली करने व दोषी पदाधिकारियों को हटाने की कार्यवाही करेगी ?

(2) कोटा जिले की किन-किन सहकारी समितियों के गबन के मामले सरकार के ध्यान में आ चुके है ? सरकार ने गबन की राशि की वसूली एवं गबनकर्ताओं के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) समिति में सामान एवं अग्रिम राशि का दुरुपयोग का मामला सामने आया था जिसमें धारा 74 के अन्तर्गत दिनांक 29-1-80 को निर्णय किया जा चुका है। निर्णय के अनुसार दोषी व्यक्तियों की निर्णय के दिनांक से प्रबन्धकारिणी सदस्यता स्वतः समाप्त हो चुकी है। सम्बन्धित पदाधिकारियों को प्रबन्धकारिणी की सदस्यता के निर्वाचन हेतु आगामी 6 वर्षों के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। दिनांक 19-3-80 को उनके विरुद्ध कुर्की वारन्ट जारी किये थे। अब शीघ्र वसूली की कार्यवाही की जायेगी। पंजीयक ने सम्बन्धित अधिकारियों को शीघ्र वसूली करने के आदेश भी दे दिये गये हैं।

(2) कोटा जिले की सहकारी समितियों के गबन के पंजीकृत मामलों की सूची संलग्न है। इन सभी समितियों के मामलों में जो कार्यवाही अब तक की गई है, उसका विवरण सूची "अ" में इंगित है। सभी मामलों में नियमों के अन्तर्गत शीघ्र कार्यवाही की

(सहकारिता मंत्री)

जावेगी। इस सम्बन्ध में भी सम्बन्धित अधिकारियों को शीघ्र कार्यवाही करने के आदेश भी दे दिये गये हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

भवानी मण्डी से जयपुर व उज्जैन व इन्दौर सीधी बस सेवा

82. **श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग)** : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले में भवानी मण्डी एक व्यापार और उद्योग का बड़ा केन्द्र है ?

(2) क्या भवानी मण्डी से जयपुर सीधी कोई बस चलती है ? क्या यहां भवानीमण्डी होकर वाया डग-बडोदा उज्जैन इन्दौर तक रोडवेज की कोई बस चलती है ?

(3) क्या सरकार व्यापारिक महत्व की दृष्टि में इन रूट्स पर 2-3 बसें विकास और व्यापारियों की सुविधा हेतु चलाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) भवानी मण्डी-जयपुर मार्ग पर पर्याप्त यात्री भार उपलब्ध नहीं होने के कारण निगम का इस मार्ग पर वाहन संचालन करना सम्भव नहीं है।

आवासन मण्डल की रामगंज मण्डी के लिये आवासीय योजना

83. **श्री हरीश कुमार शर्मा (रामगंजमण्डी)** : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले के रामगंज मण्डी में आवासन मण्डल की आवासीय योजना स्वीकृत हो चुकी है एवं लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया है लेकिन अभी तक निर्माण कार्य चालू नहीं किया गया है ?

(2) रामगंजमण्डी में आवासीय कमी की दृष्टि में क्या सरकार अब निर्माण कार्य यथा शीघ्र प्रारम्भ करने पर विचार करेगी ?

उत्तर

(1) (अ) जी नहीं

(ब) अभी कुल 184 आवेदन प्राप्त हुये हैं।

(स) जी हां

(2) अभी तो सम्भव प्रतीत नहीं होता चूंकि पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या 200 से कम है जबकि योजना स्वीकृत हेतु न्यूनतम संख्या 200 है।

संजय गांधी के निधन पर राजकीय अवकाश

84. **श्री माधूसिंह (बांसीकुई)** : क्या सामान्य प्रशासन विभाग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने संजय गांधी की मृत्यु पर राजस्थान में राजकीय अवकाश घोषित किया था ?

(2) यदि हां, तो किन प्रावधानों एवं नियमों के तहत ऐसा किया था ?

(3) उक्त निर्णय से राज्य कोष को कुल कितना नुकसान हुआ ?

162

उत्तर

(1) जी हां।

(2) गैर सरकारी गणमान्य व्यक्तियों के निधन पर इस विषय में कोई औपचारिक प्रावधान अथवा नियम नहीं है। राज्य सरकार के निर्णयानुसार अवकाश किया गया।

(3) इससे राज्यकोष को कोई नुकसान नहीं हुआ।

उदयपुर नगर में नगर विकास न्यास द्वारा हुडकों के सहयोग से मकानों का निर्माण

85. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर में कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अल्प आय वर्ग की आवासीय समस्या को हल करने की नगर विकास न्यास के पास क्या कोई योजना विचाराधीन है।

(2) क्या उदयपुर नगर विकास न्यास हुडको (HUDCO) के सहयोग से इन लोगों को मकान बनाकर बसाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक इस कार्य को प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां, अल्प आय वर्ग के लिए योजना बनाई थी लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कोई विशेष योजना नहीं बनाई गई।

(2) नगर विकास न्यास उदयपुर द्वारा हुडको की सहायता से इन लोगों को प्लाट बनाकर देने की योजना प्रस्तावित की गई थी लेकिन भूमि न्यास के आधिपत्य में नहीं होने के कारण फिलहाल न्यास की तकनिकी समिति ने अपनी बैठक दिनांक 4/7/80 में इसे पेन्डिंग रखने का निर्णय लिया है।

रामगंज मण्डी में रेस्ट हाउस का निर्माण

86. हरीशकुमार शर्मा (रामगंजमंडी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि रामगंजमण्डी में रेस्ट हाउस बनाने की स्वीकृति लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व सरकार द्वारा दी जा चुकी है साथ ही चेचट से खेड़ा मूंदड़ा तक पक्की सड़क बनाने की भी स्वीकृति दी जा चुकी है लेकिन अभी तक दोनों ही कार्य चालू नहीं किए गये हैं? सरकार अब कब तक दोनों कार्य प्रारम्भ करवा कर पूर्ण कराने का इरादा रखती है?

उत्तर

यह सही है कि रामगंजमण्डी में रेस्ट हाउस बनाने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा रुपये 2.17 लाख की प्रदान की है। कार्य प्रगति पर है और कार्य इस वर्ष पूर्ण होने की संभावना है।

चेचट से खेड़ा रूट सड़क का निर्माण कार्य कृषि उपज मण्डी के अन्तर्गत राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा रुपया 13.90 लाख की स्वीकृति वर्ष 78-79 में प्रदान

की गई है कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। दिसम्बर, 1981 तक कार्य पूर्ण करने की संभावना है।

सिकराय क्षेत्र में नई सड़कों का निर्माण

87. श्री राम किशोर मीणा (सिकराय): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: --

(1) क्या सिकन्दरा से बैर खण्डा मार्ग का विभाग द्वारा सड़क निर्माण हेतु सर्वे किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या गत 30 अक्टूबर, 79 को तत्कालीन भूतपूर्व मुख्य मंत्री द्वारा इस रास्ते पर गुजरने के बाद इस सड़क को अविलम्ब बनवाए जाने का आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई ?

(3) क्या सिकराय क्षेत्र में राज्य सरकार के पास नई सड़क निर्माण की योजना है ? यदि हां, तो किस स्थान से किस स्थान तक बनवाए जाने का प्रस्ताव है।

उत्तर

(1) इसका प्रारम्भिक सर्वे किया जा चुका है। प्लान में इसकी कोई स्वीकृति नहीं है. अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत इस वर्ष इसी सड़क पर रानौली से गोलिया वाया लांका टोरड़ा पर 2.50 लाख की स्वीकृति हैं।

(2) इस विभाग को आश्वासन की कोई जानकारी नहीं है तत्काल में नई सड़क बनाने की कोई योजना नहीं है।

नवीन प्रस्तावित जल प्रदाय योजना

88. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: -

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा कलां, अयाना, बसौरी कलां, लुहावद तथा करवाड़ में नल योजना स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार इन गांवों की पेयजल समस्या दूर करने हेतु शीघ्र नल योजना की स्वीकृति प्रदान करेगी ?

(3 क्या यह सही है कि ग्राम इटावा की नल योजना स्वीकृत हो गई है ? यदि हां, तो कार्य की क्या प्रगति है ?

उत्तर

(1) ग्राम अयाना एवं लुहावदा की हैण्ड पम्प योजनाएं विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है ग्राम पीपल्दा बसारी कला, तथा करवाड योजनाए सरकार के विचाराधीन हैं।

(2) धन राशि उपलब्ध होने पर इन ग्रामों की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

(3) ग्राम इटावा की पम्प व टैंक योजना 1979-80 में स्वीकृत हो चुकी है। योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों को आरम्भ करने के लिए निविदायें आमंत्रित की जा चुकी हैं। पाइप लाइन डालने के कार्य आदेश दे दिये गये हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में इस योजना पर 41500 रु. की राशि खर्च की जा चुकी है। इस वर्ष 50000 रु. का बजट आवंटन अभी तक किया जा चुका है।

(164)

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न सं. 29 की रिपोर्ट)

PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT
CENTRAL LABORATORY RAJASTHAN, JAIPUR

REPORT OF THE CHEMICAL EXAMINATION OF WATER

Date of complete Examination :- October,, 1979.

BILARA

	Particulars: Lab Samples No.	Results of Bilara Water Supply Source, as informed on Telephone by Junior Chemist, PHED, Lab. Jodhpur on 4-7-80. Tube Well 1	Tube Well 2	Tube well 3	Open Well
	NOTE —All results except PH are in mo/l.				
1	PH	8.3	8.3	8.3	8.4
2	Total Alkali nity (ca co3)	320	180	200	370
3	Total Hardness (ca co3)	170	130	170	60
4	Calcium Hardness	70	60	30	30
5	Magnesium Hardness	100	70	140	30
6	Carbonate Hardness	170	130	170	30
7	Non-Carbonate Hardness	nil	nil	nil	nil
8	Chlorides as Cl.	520	160	61	210
9	Nitrates as NO. 3	4	4	9	18
10	Total dissoloved solids	1330	nil	1510	460
11	Flueside ?	4.0	2.5	3.1	2.4

Sd/-

Superintending Chemist,

PHED, Raj., Jaipur.

165

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 31 की सूची)

जिला बूंदी में थाना केशोरायपाटन, लाखेरी, कापरेन और मंडोल में माह जून, 80 में दर्ज हुए मुकदमों का ब्यौरा इस्तगासीय अपराधों सम्बन्धी दर्ज रिपोर्टों का ब्यौरा

क्र. सं.	थाना	दिनांक	नाम रिपोर्ट कुनिन्दा	जुर्म	नाम जिनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई
1	केशोरायपाटन	6-6-80	मिलापचन्द जैन	379, 25 टी.ए.	—
2	,,	6-6-80	बद्रीलाल पुत्र गोपीलाल	147, 325	नवरंगा, छोटा, मोती, नन्दकिशोर, लटूर व मांगीलाल
3	,,	6-6-80	रामनारायण पुत्र सीताराम	354	बद्रीलाल पुत्र गोपीलाल मीना
4	,,	7-6-80	फकरुद्दीन अमीन	380	—
5	,,	8-6-80	विशनदास पुत्र कालूराम	420, 406, 418	एम. पी. गुप्ता व मोहर
6	,,	8-6-80	गुलाबचन्द पुत्र पन्नालाल	380	—
7	,,	10-6-30	केशरीलाल पुत्र रामचन्द्र मीना	452, 323	भंवरलाल
8	,,	11-6-80	बालकिशन पुत्र गिरराज बेरानी	314, 323	छोटिया माधोबलाई
9	,,	15-6-80	मांगीलाल पुत्र रामगोपाल	457, 380	—
10	,,	19-6-80	नन्दकिशोर पुत्र गोमदा माली	394	—
11	,,	21-6-80	हरिप्रकाश, एन. सी. नं. 247	399, 401, 402, 352	शंकरसिंह, माधो, मोहन, चांधाली व कल्याण
12	,,	22-6-80	हीरासिंह पुत्र प्रतापसिंह	140, 148, 149	फरिदुल्ला, दशरथलाल, हरि कामरेड, कालू माली, रामकरण सैनी, नाथूलाल, बन्सी लटुर कुल 36 मुलजिम
13	,,	28-6-80	बन्शीलाल	140, 148	उपरोक्त मुलजिम
14	,,	29-6-80	भंवरलाल	342, 323	किशनलाल, भंवरलाल, नयनाशंकर, शिवप्रसाद
15	कापरेन	4-6-80	भागीरथ	342, 332.	बृजमोहन गोस्वामी, रामस्वरूप,
16	,,	13-6-80	मांगीलाल	447, 451	किरपा, किशना, प्रसाद, मुमताज,
17	,,	13-6-80	कन्हैयालाल	332	बाबूलाल
18	,,	24-6-80	मदनलाल	—	—
19	,,	24-6-80	आनन्दीलाल	43 आर. टी. एक्ट	हीरा, मोड़ू
20	मंडोली	6-6-80	लक्ष्मीनारायण	140, 323, 325	बाबूलाल, मोतीलाल, शांतिलाल, महावीर
21	,,	10-6-80	बाबू, मोहम्मद	380	—
22	,,	13-6-80	सिद्दरचन्द	452, 323	महावीरप्रसाद
23	,,	13-6-80	नारायण	342, 323	मोहन, सांलतया, करणा मीना,
24	,,	20-6-80	बृजकिशोरसिंह, एच. सी.	304, 209, 331	मदनलाल, श्रीनाथ, बाबूलाल
25	,,	28-6-80	मोहरलाल	452, 323	छोटा, मोहनलाल, विशन
26	लाखेरी	8-6-80	भवरा	380	—
27	,,	8-6-80	नेमीचन्द	380	—
28	,,	13-6-80	सेरमल	324, 341	प्रताप, मनफूल, गट्टू
29	,,	16-6-80	जगन्नाथ	379	—
30	,,	18-6-80	रामदेव	354, 352	किशन, गोपाल, दत्तालाल, ग्यारसीलाल, छीतरलाल
31	,,	19-6-80	करीमबक्स	366, 452, 307, 147	गफार, सुखवीर, दुरगा, राम विलास आदि 9 मुलजिमान
32	,,	20-1-80	अब्दुल गफूर, एस.एस.आई.	13 जुआ एक्ट	प्रभूलाल
33	,,	21-6-80	तिलोकीनाथ	324, 323	—
34	,,	20-6-80	भंवरलाल	379	—
		28-6-80	महावीरप्रसाद	379	छीतरलाल
			नन्दकिशोर	363, 366, 379	किशनगोपाल, सूरजमल, चन्दा

(166)

माह जून में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की सूची

थाना 1	अभियोग संख्या 2	गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम 3
केशोराय पाटन	61/80 धारा 147,148, 149,325,323 ता.हि.	1-श्री बजरंगा पुत्र फून्दा मीना नि. जुहासा गंडोली
		2-,, मोती पुत्र फून्दा मीना नि. जुहासा गंडोली
		3-,, सत्यनारायण पुत्र गोपाल निवासी मंडोली
		4-,, लट्टर पुत्र रामनारायण, निवासी माथेली के. पाटन
		5-,, कालु पुत्र माधो मीना निवासी लाडपुर के. पाटन
		6-,, शंकरिया उर्फः शंकर पुत्र मोती मीना निवासी माथेली के. पाटन
,,	62/80 धारा 354 ता.हि.	7- बद्री पुत्र गोपी मीना नि. सांथली थाना के. पाटन
,,	67/80 धारा 324 ता.हि.	8- छोटिया पुत्र बजरंग ब्रा. नि. मिया
,,	70/80 धारा 399,401, 402,300 ता.हि.	9- शंकरसिंह पुत्र रामनाथ निवासी माडली थाना अलीगढ
		10- माधो पुत्र कजोड़ नि. झरवालापुरा थाना सदर बूंदी
		11- मोहन पुत्र प्रभूलाल नि. झरवाला-पुरा थाना सदर बूंदी
		12- चौथमल पुत्र मोतीलाल बलाई नि. झरवालापुरा थाना सदर बूंदी
		13- कल्याण पुत्र भंवरलाल मीना नि. रजवान (मंडाली)
,,	71/80 धारा 147,148, 149.440,447,452,427 ता.हि.	14- फरीदुल्ला पुत्र रमतुल्ला खां नि. झालपुरक कोटा
		15- दशरथ पुत्र रामकिशन ब्रा., निवासी मिया के. पाटन

(167)

1	2	3
		16-श्री नन्दकिशोर पुत्र मन्नालाल ब्रा. नि. मकराना के. पाटन
		17-,, लेखराज महाजन, बूंदी रोड
		18-,, नाथूलाल ब्रा., बडाना
		19-,, भंवरलाल मीना नि. महराना के. पाटन
		20-,, रामकरण गांवडी, मंगाइथा
		21-,, रामचरन तेली, नि. बदाना
		22-,, रामनिवास मीना, नि. महराना
केशोरायपाटन	72/80 धारा 147,148, 149,332,353 ता.हि.	इस अभियोग में उक्त अभियोग 71/80 के ही सभी मुलजिम हैं।
गंण्डोली	40/80 धारा 457, 380 ता.हि.	जगन्नाथ पुत्र गोरू मीना, निवास विलेठा, हिण्डोली किशना पुत्र रवाना भील नि. कांटी, अस्तोली गोविन्दसिंह पुत्र रनजीतसिंह नि. पाई, थाना देई
,,	53/80 धारा 452,323	गंगा विशन पुत्र गोवर्धन मीना छोटा पुत्र गोपी मीना गोवरीलाल पुत्र रवाना मीना
लाखेरी	52/80 धारा 323,324 ता.हि.	छीतरलाल मीना गोपाल केलालाल प्यारसीलाल
,,	53/80 धारा 307,148 ता.हि.	शब्बीर खां कैलाश संगीर खां अली मोहम्मद रसीद अब्दुल गफार बरकत अली
	54/80 धारा गेम्बलीग एक्ट	प्रभूलाल
कापरेन	13/80 धारा 324	राधेश्याम मांगीलाल

168

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 32 की सूची)

उत्तर:--

वर्ष 1973-74 में हुए अर्द्ध विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण बाड़मेर जिले के शिव पंचायत समिति में निम्न ग्रामों का किया गया:--

(1) आंतड़ा	(2) आसाडी	(3) वालासर
(4) औरंग	(5) वालेवा	(6) भांडासर
(7) मियाद	(8) छाछाड़ा	(9) दामाद
(10) देदाडियाल	(11) धारवीकलां	(12) फोगेरा
(13) गदरारोड	(14) गिराव	(16) गोधाकाली
(17) झांकली	(17) झांपलीकलां	(18) कानसर
(19) कासमेर	(20) कोटरा	(21) कुदानी
(22) मेदुसर	(23) मगरा	(24) मोखनवकलां
(25) मुगेया	(26) जागुर्दा	(27) नेगर्दा
(28) निंबाला	(29) पासा	(30) चंचाल
(31) राजदाल	(32) रजसर	(33) रथ कुड़िया
(34) रेदाना	(35) खंखाली	(36) सास्त्रीगांव
(37) शिव	(38) शिवाला	(39) सुंदरा
(40) स्वामी का गांव	(41) तमलीर	(42) तानु
(43) त्रिबिनियार	(44) उनादा	(45) उन्दू
(46) उतरोड		

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 33 की सूची)

प्रश्न 1 की सूची

क्र. सं.	योजना का नाम	जल स्रोत	योजना के अन्तर्गत आने वाले गांव
(1)	डेगाना	नलकूप कितलसर	1. गारडी करना 2. गोरडी चाचा 3. कितलसर
(2)	मोगास	नलकूप ग्राम मोगास	1. मोगास 2. पडवाला 3. गेमलियावास 4. सुख बासनी 5. डूडीयां की ढाणी 6. आंतरोलो कला 7. आंतरोली खुर्द 8. जालसू स्टेशन 9. जालसू खुर्द 10. जालसू कल्ला 11. जालसू नानक 12. खिन्वास 13. जोधरास 14. खातोलाई 15. बुड़ियास 16. अलवास
(3)	हरसीर	कुआ हरसील	1. हरसीर
(4)	बुटाटी	नलकूप बुटाटी	1. बुटाटी
(5)	पुनास	नलकूप कारासोडा	1. पुनास 2. करासोडा 3. खारिया 4. चोलियास 5. पीलास 6. बच्छलाल
(6)	चांदारुण	कुआ चान्दारूण	1. चान्दारुण
(7)	डेगाना गांव	कुआ डेगाना गांव	1. डेगाना गांव
(8)	छोटी खाटू	सांजू	1. सांजू
(9)	अलोनी भावना	सांजू	1. डागरा
(10)	जावला	(परबतसर) जावला	1. मेराना

नोट:—जल योजना जावला जो परबतसर में है मगर इस योजना का गांव मेराना पंचायत समिति, डेगाना में है।

(120

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 35 का विवरण)

(सूची अ)

तहसील सिकराय के विद्युतीकृत ग्रामों में 30-6-80 को कृषि कुओं के कनेक्शनों के लिये पेंडिग प्रार्थना पत्रों का विवरण

क्रम सं०	गांव का नाम	30-6-80 को विचाराधीन प्रार्थना पत्रों की संख्या	सबसे पुराने विचाराधीन प्रार्थना पत्र की तिथि
1	2	3	4
1	सिकन्दरा	28	29-12-72
2	ब्राह्मण बोरडा	8	26- 5-79
3	बड़ली	10	26- 4-79
4	गीजगढ़	33	22- 9-73
5	बावनपाड़ा	14	3- 8-73
6	पांचोली	37	7- 8-73
7	गनीपुर	2	16-11-79
8	मानपुर	9	2 - 2-79
9	सिकराय	14	30-12-78
10	मुरलीपुर	4	14-12-78
11	सरुण्डला	3	31- 5-79
12	गिरधरपुरा	3	17- 5-78
13	रायपुरा	10	9- 9-77
14	मरियाडा	23	8-12-77
15	गांवड़ी	8	31-12-77
16	पीलोड़ी	—	—
17	बांसड़ा	1	18- 6-80
18	चान्दपुर	8	21-1 -78
19	कालेड़ा	3	5- 3-80
20	छोकरवाड़ा	20	14-12-79

(171)

1	2	3	4
21	निहालपुरा	2	16-11-79
22	झरना	2	27-10-79
23	अचलपुरा	15	3- 2-79
24	गांगदवाड़ी	17	26-12-78
25	गंडरावा	6	2-10-78
26	अगावली	7	20- 9-77
27	शेखपुरा	5	19-5 -79
28	टोरडा	21	11-12-79
29	फरीशपुरा	13	15-11-79
30	बीनदरवाड़ा	18	4- 9-78
31	कलावन	17	16-10-79
32	सीकरी	4	14-11-77
33	धूलकोट	9	22- 3-79
34	देवरी	5	10- 8-79
35	झापड़ावास	5	17-11-79
36	राणोली	14	23- 4-79
37	गुमानपुरा	4	12-10-78
38	लाका	13	15-10-77
39	कारोली	10	3-11-79
40	मोहचेगपुरा	6	9- 1-79
41	मोरोली	7	26-10-79
42	ईटका	34	17-9 -79
43	गिलाड़ी	2	2- 1-80
44	पाडली बाढ़	14	10-10-79
45	रामगढ़	12	27-11-78
46	गोलिया	--	—
	कुल	500	

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 36 की सूची)

फरार व्यक्तियों की सूची

क्र. सं.	नाम जिला	फरार व्यक्तियों की संख्या
1	बीकानेर	96
2	गंगानगर	97
3	चूरू	34
4	सीकर	62
5	झुंझुनूं	51
6	जोधपुर	103
7	जालोर	17
8	नागौर	49
9	टौंक	13
10	पाली	18
11	जैसलमेर	42
12	सिरोही	10
13	बाड़मेर	108
14	अजमेर	118
15	जयपुर	147
16	अलवर	146
17	भरतपुर	707
18	सवाई माधोपुर	184
19	उदयपुर	39
20	भीलवाड़ा	27
21	चित्तौड़	29
22	डूंगरपुर	4
23	बांसवाड़ा	12
24	कोटा	172
25	बूंदी	11
26	झालावाड़	44
27	रेलवे अजमेर	28
		योग 1368

(173)

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न सं. 38 की सूची)

जिला सवाई माधोपुर में विभिन्न स्थानों पर गत दो वर्ष 1978 एवं 79 में दर्ज कुल मुकदमों की सूची :—

क्र.सं.	नाम थाना	दर्ज मुकदमात की सं. 1978	1979
1	2	3	4
1	सवाई माधोपुर	285	311
2	चौथकाबरवाड़ा	99	74
3	खण्डार	70	102
4	दांती	74	90
5	स्थापना डूंगर	58	44
6	मलारना डूंगर	95	99
7	गंगापुर	319	433
8	गढमोरा	76	108
9	बामनवास	78	93
10	करौली	228	290
11	कैलादेवी	50	70
12	धोलपुर	76	95
13	मंडरायल	77	66
14	सपोटरा	76	95
15	हिण्डौन	341	455
16	खेमपुर	111	124
17	टोडाभीम	122	145
18	महुवा	105	107
19	मण्डावर	72	66
	योग	2441	2865

परिशिष्ट 12

(अतारांकित प्रश्न सं. 41 का विवरण) ·

कृषि कनेक्शनों के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों का उप-खण्डवार विवरण

(अ)

वर्ष	सोजत (ओ० एण्ड एम०)	सोजत (आर०ई०सी०)	खारची (आर०ई०सी०)
1978-79	154	96	498
1979-80	117	112	446

(ब)

वर्ष 1978-79 एवं 1979-80 में दिये गये कृषि कनेक्शनों का माहवार विवरण

माह	सोजत (ओ० एण्ड एम)		सोजत (आर०ई०सी०)		खारची (आर०ई०सी०)	
	1978-79	1979-80	1978-79	1979-80	1978-79	1979-80
अप्रेल	—	—	—	1	—	20
मई	—	5	—	3	3	—
जून	5	10	—	2	—	16
जुलाई	—	1	—	—	—	12
अगस्त	1	—	6	1	5	9
सितम्बर	9	—	4	1	10	25
अक्टूबर	17	13	2	5	18	14
नवम्बर	5	4	15	10	4	8
दिसम्बर	5	20	10	16	30	19
जनवरी	6	12	15	4	44	17
फरवरी	12	7	3	9	30	12
मार्च	40	—	9	—	26	—
योग	100	72	64	52	170	142

(स)

31 मई, 1980 को पेन्डिग कृषि कनेक्शनों हेतु आवेदन पत्रों का उप-खण्डवार विवरण जिनकी राशि 6 माह से अधिक समय से जमा है:—

सोजत (आर०ई०सी०)	109
सोजत (ओ० एण्ड एम०)	44
खारची (आर०ई०सी०)	180
योग	333

12-5

परिशिष्ट–13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 42 की रिपोर्ट)

Report of the Chemical Examination of Water

Date of Collection of Samples
24/1/78 27/5/78

No. Lab/Tech ( ) 1970-7/545

Date of receipt 2.11.77

	Particular lab. Sample No. 249 & 253	Tube well No. 1	Open well No. 2	Open well No. 3	Open well No. 1	C.W.R.
1	P.H.	8.3	6.2	6.2	6.1	8.3
2	Alkalinity Pnolpthlien (Caco 3)	10	nil	nil	nil	10
3	„ Metayl Orange (Caco 3)	110	260	260	240	280
4	Total Hardness (Caco 3)	180	260	250	430	460
5	Calcium Hardness	60	120	140	130	210
6	Magnasium „	120	140	110	240	240
7	Carbonate „	110	210	250	240	280
8	Non. „ „	70	nil	nil	190	170
9	Chlorine as C 1	160	210	220	680	730
10	Sulphates as SO4	nil	19	nil	10	211
11	Nitriles as NO3	18	18	26	26	121
12	Total dissoled solids	326	570	472	1540	1344
13	Fluoride	0.80	1.4	0.8	1.2	0.5

Note:—Date of collection of C. W. R. Sample 27/5/78
Report No. 91 dt. 30/5/78.

परिशिष्ट-14

(अतारांकित प्रश्न सं 43 की सूची)

वर्षाकाल में बन्द हो जाने वाले मार्गों की सूची

1 पाटन-सारोला :- कुल मार्ग की लम्बाई 56 कि० मी० है। उक्त मार्ग पर खानपुर से सारोला तक के मार्ग की लम्बाई 16 कि० मी० है। खानपुर से सारोला मार्ग 'बी' व 'सी' श्रेणी में आता है, और वर्षाकाल में बन्द रहता है।

2 पाटन - पनवाड़:- मार्ग की कुल लम्बाई 60 कि. मी. है यह मार्ग खानपुर से पनवाड़ पूर्णतया 'सी' क्लास है, जिसकी लम्बाई 21 कि० मी० होती है और यह मार्ग वर्षाकाल में बन्द रहता है।

3 पाटन - इकलेरा:- मार्ग की कुल लम्बाई 66 कि० मी० है यह मार्ग खानपुर से पनवाड़ 21 कि० मी० 'सी' क्लास है व खानपुर से सारोला 18 कि० मी० 'बी' व 'सी' क्लास है। उक्त मार्ग के दोनों हिस्से वर्षाकाल में बन्द हो जाते है।

4 झालावाड़-बोलिया:-मार्ग की कुल लम्बाई 53 कि० मी० हैं। जो मार्ग भवानीमण्डी से बोलिया 25 कि० मी० 'बी' क्लास है। यह मार्ग वर्षाकाल में बन्द हो जाता है।

5 झालावाड़ - माचलपुर:- मार्ग की कुल लम्बाई 69 कि० मी० है। व बकानी से माचलपुर 24 कि० मी० 'बी' क्लास है। यह मार्ग बकानी से माचलपुर तक वर्षाकाल में बन्द हो जाता है।

6 झालावाड़-बड़ोद:- मार्ग की कुल लम्बाई 140 कि. मी. है। व भवानीमन्डी दुधालिया 78 कि. मी. 'बी' क्लास है। वर्षाकाल में सिलेगढ़ से बड़ोद 63 कि0मी0 मार्ग बन्द हो जाता है।

7 झालावाड़- चोमहला:- मार्ग की कुल लम्बाई 142 कि. मी. है। व भवानीमण्डी से डग 62 कि. मी. 'बी' क्लास है। वर्षाकाल में सिलेगढ़ से डग 39 कि० मी० मार्ग बन्द हो जाता है।

8 झालावाड़ -दुधालिया:- मार्ग की कुल लम्बाई 132 कि. मी. है। व भवानीमण्डी से दुधालिया 78 कि. मी. 'बी' क्लास है। वर्षाकाल में सिलेगढ़ से दुधालिया 55 कि. मी. मार्ग बन्द हो जाता है।

9 झालावाड़-सोयत वाया पगारिया:- मार्ग की कुल लम्बाई 106 कि. मी. है। भवानीमण्डी से पगारिया 36 कि० मी. 'बी' क्लास व पगारिया से पिढावा 17 कि. मी. 'सी' क्लास है। वर्षाकाल मे सिलेगढ़ से पिड़ावा तक मार्ग बन्द हो जाता है।

10 डग-पिड़ावा वाया नन्दपुर:- इस मार्ग पर डग से नन्दपुर तक वाहनों का सचालन है। नन्दपुर से पिड़ावा तक पूर्णतया कच्चा है। इस मार्ग पर वर्षभर वाहनों का संचालन नहीं है।

11 मनोहरथाना-इकलेरा वाया हरनावदा:- यह मार्ग 43 कि० मी० लम्बा है। इकलेरा से हरनावदा वाहनों का संचालन है। हरनावदा से मनोहरथाना तक मार्ग कच्चा है। इस मार्ग में वर्षभर वाहनों का सचालन नहीं है।

12 मनोहरथाना-सालपुरा वाया हरनावदा, इकलेरा:- इस मार्ग पर भी मनोहरथाना से हरनावदा 26 कि० मी० का मार्ग पूर्णतया कच्चा है, और वाहन संचालन योग्य नहीं है। वर्षभर इस मार्ग पर वाहन संचालन नहीं है।

परिशिष्ट-15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 46 का विवरण)

अनुसूची (अ)

केन्द्रीय करों एवं शुल्कों से वर्ष 1979–80 में राजस्थान सरकार को मिलने वाली हिस्सा राशि का सम्पूर्ण विवरण

(राशि लाखों में)

क्रम सं०	माह	दिनांक (प्राप्ति का)	मद: कृषि उत्पाद शुल्कों में राजस्थान सरकार का अंश मय बिजली पर उत्पादन शुल्क सहित	मद: विक्रय कर के बदले अतिरिक्त उत्पादन शुल्क में राजस्थान सरकार का अंश	मद: आय पर निगम कर से भिन्न कर में राजस्थान सरकार का अंश	मद: सम्पदा शुल्क में राजस्थान सरकार का अंश	योग	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मई, 1979	2–5–79	831.25	117.58	–	–	948.83	
2	जून ,,	2–6–79	,,	,,	–	–	,,	
3	जुलाई ,,	31–6–79	,,	,,	292.33	–	1241.16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4–अगस्त, 79		1–8–79	831.25	1.7.58	292.33	–	1–241.16	
5–सितम्बर, 79		1–9–79	,,	,,	,,	–	,,	
6–अक्टूबर, 79		3–10–79	,,	,,	,,	8.78	1249.94	
7–नवम्बर, 79		2–11–79	,,	,,	,,	–	1241.16	
8–दिसम्बर, 79		6–12–79	,,	,,	,,	–	,,	
9–जनवरी, 80		1–1–80	,,	,,	,,	–	,,	
10–फरवरी, 80		1–2–80	,,	,,	,,	–	,,	
11–मार्च, 80		31–3–80	2060.96	380.43	1435.70	10 40	3887.49	
कुल योग–			10373.46	1556.23	3774.34	19.18	15723.21	

परिशिष्ट 16

(अतारांकित प्रश्न संख्या 47 की तालिका)

राष्ट्रपति शासन के दौरान जिला वाईज संगीन अपराधों की तालिका माह मार्च, 1980 से जून 1980 तक

क.सं.	नाम जिला	डकैती	लूट	हत्या	नकवजनी	बलवा	चोरी	बलात्कार	अन्य अपराध	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अजमेर	1	10	9	113	92	179	1	426	831
2.	जयपुर	4	69	28	404	507	1036	1	1182	3231
3.	भरतपुर	13	49	26	137	230	399	—	434	1288
4.	अलवर	4	17	12	91	216	222	3	337	902
5.	स0 माधोपुर	3	8	10	100	190	223	7	330	871
6.	बीकानेर	1	11	9	55	68	83	2	229	458
7.	चुरू	—	3	4	29	70	59	3	194	362
8.	गगानगर	—	10	32	78	41	172	13	736	1082
9.	सीकर	—	10	6	53	147	87	3	234	540
10.	झुंझुनूं	—	6	5	38	97	80	1	152	379
11.	जोधपुर	3	25	4	90	148	181	2	374	827
12.	बाड़मेर	—	11	8	30	53	72	2	182	358
13.	जैसलमेर	—	3	—	6	16	34	—	48	107
14.	जालौर	1	4	3	15	30	48	2	215	318
15.	नागौर	3	23	11	74	107	150	1	330	699
16.	पाली	—	18	11	79	74	112	1	445	740
17.	सिरोही	—	4	10	22	31	33	—	103	203

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	कोटा	2	38	19	213	93	250	3	722	1340
19.	बून्दी	–	7	3	39	66	113	1	277	506
20.	झालावाड़	2	11	11	74	38	73	3	251	463
21.	टोंक	–	4	10	31	64	60	2	176	347
22.	उदयपुर	–	18	17	108	87	311	4	857	1402
23.	बांसवाड़ा	–	9	5	20	62	38	–	224	358
24.	भीलवाड़ा	–	13	10	88	91	171	3	561	937
25.	डूंगरपुर	1	4	4	22	43	33	–	146	253
26	चित्तौड़गढ़	–	23	19	126	111	191	1	570	1041
27.	रेल्वे अजमेर	1	3	1	6	5	207	–	43	266
	योग	39	411	287	2141	2777	4617	59	9778	20109

विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 72 (मु. मं०) द्वारा भंवरलाल शर्मा विधायक में अनुपूरक सूचना

विशेष अभियोग तालिका जो हरिजनों पर अत्याचार के सम्बन्ध में माह मार्च, 1980 से जून, 1980 तक दर्ज हुए मुकदमात मय निस्तारण के

क.सं.	अपराध	अभियोग दर्ज हुए	एफ. आर.	चालान	जेर तफतीश
1	कत्ल	8	–	5	3
2	गम्भीर चोट	57	3	37	17
3	बलात्कार	14	1	6	7
4	गम्भीर क्षति (आगजनी)	17	5	6	6

परिशिष्ट 17

(अतारांकित प्रश्न सं0 50 की सूची)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

(Relief Department)

Statement showing the No. of works in progress through various agencies

(As on 30-6-1980)

Sl No.	Name of District	FFWP	P.W.D.	Irrigation	Forest	Soil conservation	Wells	Tanks	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ajmer	818	34	90	—	12	—	—	954
2	Alwar	154	—	—	—	—	—	—	154
3	Banswara	1106	45	14	—	5	—	—	1170
4	Barmer	6[illegible]6	78	12	12	—	—	—	798
5	Bharatpur	596	2	10	—	—	243	146	997
6	Bhilwara	601	60	20	—	—	—	—	681
7	Bikaner	249	10	—	—	—	—	—	259
8	Chittorgarh	1113	22	10	1	—	—	—	1146
9	Bundi	17	6	4	—	1	46	4	78
10	Churu	683	23	—	1	—	—	—	707
11	Dungarpur	327	20	25	10	89	—	—	471
12	Ganganagar	140	2	—	—	—	—	—	142
13	Jaipur	738	10	7	—	—	—	—	755
14	Jaisalmer	493	18	14	—	—	—	—	525
15	Jalore	184	23	9	—	—	—	—	216
16	Jhalawar	548	11	3	—	—	—	—	562
17	Jhunjhunu	463	6	5	—	—	—	—	474
18	Jodhpur	607	40	4	—	—	—	—	651
19	Kota	544	7	—	—	—	—	—	561
20	Nagaur	648	36	4	—	—	11	—	699
21	Pali	1023	16	39	18	19	—	—	1114
22	S. Madhopur	1124	5	1	3	—	—	—	1133
23	Sikar	811	11	10	3	—	—	—	835
24	Sirohi	371	11	2	3	1	59	6	453
25	Tonk	436	5	30	—	—	88	104	663
26	Udaipur	2422	56	77	3	3	—	—	2561
	Total	16912	556	390	54	130	447	260	18749

(182)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

'G'

(Relief Department)

Statement Showing the Labour Strength on Departmental and Relief Works (as on 30-6-80)

Labour Strength Under

S.No.	Name of District	FFWP through Panchayat	P.W.D. On Departmental normal works	P.W.D. On Relief works	Irrigation On Departmental normal works	Irrigation On Relief works	Forest On Departmental normal works	Forest On Relief works	Soil Conservation On Departmental normal works	Soil Conservation On Relief works	On construction/ digging wells	On construction/ repair of tanks	Total On Departmental normal works	Total On Relief works	Grand Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ajmer	30932	2838	8174	1950	6446	350	—	—	1259	—	—	5138	46811	51949
2	Alwar	56851	1065	—	1600	—	350	—	—	—	—	—	3015	56861	59876
3	Banswara	13880	500	15267	4539	2203	325	—	—	831	—	3667	5364	35848	41212
4	Barmer	24511	3576	36140	325	821	800	1791	—	—	—	—	4701	63263	67964
5	Bharatpur	9621	2860	80	3385	496	300	—	—	—	1292	4311	6545	15800	22345
6	Bhilwara	11625	1999	20184	3498	1848	330	—	—	—	—	—	5827	33657	39484
7	Bikaner	23291	3607	2116	—	—	3100	—	—	—	—	—	6607	25407	32014
8	Chittorgarh	25829	659	6195	3200	565	650	248	—	—	—	—	4509	32837	37346
9	Bundi	1702	1000	821	1836	166	50	—	—	19	400	59	2886	3167	6053
10	Churu	53289	339	11177	—	—	300	150	—	—	—	—	639	64616	65255
11	Dungarpur	16340	1226	9044	3225	2350	2531	2055	—	9960	—	—	6982	39749	46731
12	Ganganagar	22771	4281	26	810	—	3500	—	—	—	—	—	8591	28797	37388
13	Jaipur	12922	2630	1757	571	452	1155	—	—	—	—	—	4356	15131	19487
14	Jaisalmer	8396	465	2284	300	800	600	—	—	—	—	—	1365	11480	12845
15	Jalore	10132	1145	4114	1433	1405	517	—	—	—	—	—	3095	15651	18746
16	Jhalawar	5798	1068	1583	2590	339	147	—	—	—	—	—	3805	7220	11525
17	Jhunjhunu	31192	1450	458	62	94	400	—	—	—	—	—	1912	31744	33656
18	Jodhpur	20052	4036	8500	1360	430	524	—	—	—	—	—	5920	28982	34902
19	Kota	9399	3887	481	5407	—	6766	—	—	—	—	—	16060	9880	25940
20	Nagaur	30169	1520	5891	530	1195	597	—	—	—	292	—	2647	37547	40194
21	Pali	44424	4806	3573	1605	2131	510	1706	—	1243	—	—	6921	53077	59998
22	S. Madhopur	13985	885	508	1575	25	220	91	—	—	—	—	2680	14609	17289
23	Sikar	11700	570	2413	480	736	300	272	—	—	—	—	1350	15121	16471
24	Sirohi	8293	845	1203	1030	133	90	211	—	386	566	922	1965	11714	13679
25	Tonk	5634	970	259	1215	3450	39	—	—	—	563	2647	2224	12553	14777
26	Udaipur	56108	2875	28134	8313	6669	1000	557	—	402	—	—	12188	91870	104058
	TOTAL :	564856	51102	170382	50839	32754	25351	7081	-	14100	3113	11606	127292	803892	931184

LABOUR ON RELIEF WORKS AND ON DEPARTMENTAL PLAN WORKS AS ON 30-6-80

S. No.	Name of District	Labour on Relief works.	Labour on departmental works.	Total lobour
1	Through Panchayats	564856	—	564856
2	,, P.W.D.	170382	51102	221484
3	,, Irrigation	32754	50839	83593
4	,, Forest	7081	25351	32432
5	,, Soil Conservation	14100	—	14100
6	,, Wells	3113	—	3113
7	,, Tanks	11606	--	11606
8	,, PHED	-	3500	3500
9	,, Mahi Project	--	13100	13100
10	,, Rajasthan Canal	—	11526	11526
11	,, C. A. D. Chambal	—	4099	4099
12	,, Others Deptts.	--	15000	15000
	Total	803892	174517	978409

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

(Relief Department) Dated 3-6-1980

Statement showing the No. of works and amount sanctioned during the Year 1979–80 & 1980–81

(Rs. in lacs)

S.No.	Name of District	P.W.D. Deptt.		Irrigation Deptt.		Soil Conservation Deptt.	
		No. of Works	Amount	No. of Works	Amount	No. of Works	Amount
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ajmer	34	58.52	102	53.25	12	3.50
2.	Alwar	—	—	—	—	—	—
3.	Banswara	51	77.81	23	20.05	5	4.49
4.	Barmer	94	118.35	21	7.22	36	1.25
5.	Bharatpur	10	15.00	29	20.45	—	—
6	Bhilwara	20	22.63	33	41.26	—	—
7.	Bikaner	35	44.05	—	—	—	—
8.	Chittorgarh	22	39.35	18	27.75	—	—
9.	Bundi	8	12.18	15	27.55	—	—
10	Churu	3	40.82	—	—	—	—
11.	Dungarpur	20	24.15	43	10.22	70	7.20
12.	Ganganagar	3	5.39	—	—	—	—
13.	Jaipur	15	10.39	18	22.60	—	—
14.	Jaisalmer	18	18.30	23	8.18	—	—
15.	Jalore	15	15.74	9	4.78	—	—
16	Jhalawar	6	9.57	20	25.80	—	—
17.	Jhunjhunu	11	9.76	4	2.45	—	—
18.	Jodhpur	43	65.38	8	0.80	6	3.70
19.	Kota	9	14.91	—	—	—	—
20.	Nagaur	7	55.22	12	6.14	—	—
21.	Pali	21	33.22	16	9.45	20	4.00
22.	S. Madhopur	15	25.04	15	26.6[illegible]	—	—
23	Sikar	14	21.65	12	5.65	3	0.10
24.	Sirohi	15	16.54	6	22.46	2	0.30
25.	Tonk	6	3.85	41	29.76	4	1.16
26.	Udaipur	80	166.33	96	51.78	5	1.10
	Total	635	937.05	568	423.52	163	26.80

वर्ष 1979–80 एवं 80–81 में स्वीकृत सहायता कार्य एवं धनराशि

दि. 30–6–80 तक (राशि लाखों में)

क्र.सं	नाम जिला	वन विभाग		फार्म पोण्ड्स		टैंक्स	
		कार्य सं.	राशि	कार्य सं.	राशि	कार्य स.	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अजमेर	20	2.36	—	—	510	38.25
2	अलवर	13	2.90	—	-	—	—
3	बांसवाड़ा	12	1.80	—	—	75	5.62
4	बाड़मेर	4	0.60	—	—	119	8.93
5	भरतपुर	22	4.66	—	—	—	—
6	भीलवाड़ा	13	1.86	—	—	59	4.425
7	बीकानेर	2	0.22	-	—	16	1.20
8	चित्तौड़गढ़	22	4.01	—	—	-	—
9	बूंदी	797	0.86	—	—	—	—
10	चूरू	2	0.08	1210	18.15	—	—
11	डूंगरपुर	34	13.91	—	—	50	3.75
12	गंगानगर	13	5.85	—	—	—	—
13	जयपुर	12	4.13	—	—	—	—
14	जैसलमेर	3	0.40	—	—	—	—
15	जालौर	6	1.20	—	—	82	6.15
16	झालावाड़	14	2.75	—	—	56	4.20
17	झुंझुनूं	6	2.22	—	—	50	3.75
18	जोधपुर	6	0.69	—	—	24	1.80
19	नागौर	4	1 07	—	—	—	—
20	पाली	32	3.71	—	—	20	1.50
21	सवाई माधोपुर	17	4.05	—	—	33	2.475
22	सीकर	12	6.08	—	—	—	—
23	कोटा	23	4.13	—	—	—	—
24	सिरोही	17	4.69	—	—	—	—
25	टोंक	6	0.52	—	—	100	7.50
26	उदयपुर	41	6.06	—	—	139	10.425
	योग	363	80.81	1210	18.15	1333	99.975

(186)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

(Relief Department)

Dated 31-6-1970

Statement Showing the No. of Relief works and Amount Sanctioned During the year 1979-80 & 1980-81

(Rs. in Lacs)

No. S.	Name of District	Wells		Total		
		No of. wells.	Alloted Wheat (in M.Ts)	No. of works	Amount	Alloted wheat (in M.ts.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Ajmer	2000	1500	2678	156.38	1500
2	Alwar	500	500	513	2.90	500
3	Banswara	700	450	866	109.77	450
4	Barmer	510	475	784	136.35	475
5	Bharatpur	790	530	851	40.11	530
6	Bhilwara	1304	826	1429	70.075	826
7	Bikaner	–	–	53	45.97	–
8	Chittorgarh	1200	700	1262	71.11	700
9	Bundi	230	205	260	40.59	205
10	Churu	–	–	1235	59.05	–
11	Dungarpur	900	650	1117	59.23	650
12	Ganganagar	200	150	216	11.24	150
13	Jaipur	2000	1500	2045	37.12	1500
14	Jaisalmer	–	–	44	26.88	–
15	Jalore	1500	1250	1612	27.87	1250
16	Jhalawar	400	300	496	42.34	300
17	Jhunjhnu	900	600	971	18.18	600
18	Jodhpur	1500	1000	1587	72.37	1000
19	Kota	2000	1500	2032	19.04	1500
20	Nagaur	1075	887.5	1138	65.63	887.5
21	Pali	2750	1867	2859	51.88	1867
22	S. Madhopur	2700	2250	2780	58.235	2250
23	Sikar	1900	1450	1941	33.48	1450
24	Sirohi	400	300	440	43.99	300
25	Tonk	1149	1026.5	1306	42.79	1026.5
26	Udaipur	1615	962	1976	215.695	962
	Total	28223	20879	32491	1587.755	20879

परिशिष्ट-18

(अतारांकित प्रश्न संख्या 51 की सूची)

काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत दि. 31-12-79 तक जिलों द्वारा पूर्ण किये कार्यों की संख्या

क्र. सं.	नाम जिला	शाला भवन	औष-धालय	पंचायत दर	पेयजल कूप	सिंचाई तालाब	सड़कें संख्या	अन्य कार्य
1	अजमेर	155	11	33	55	459	330	222
2	अलवर	1057	130	347	881	693	774	5051
3	बांसवाड़ा	249	16	66	132	39	79	49
4	बाड़मेर	157	4	51	110	291	4	123
5	भरतपुर	129	9	16	102	55	118	313
6	भीलवाड़ा	32	1	1	16	146	264	25
7	बीकानेर	44	3	3	6	65	57	165
8	चित्तौड़गढ़	160	10	40	110	45	49	197
9	बूंदी	10	3	5	36	12	134	37
10	चूरू	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	98
11	डूंगरपुर	100	3	46	22	117	76	80
12	गंगानगर	87	12	80	29	137	27	590
13	जयपुर	498	78	92	706	1782	2574	1517
14	जैसलमेर	6	1	2	—	—	—	7
15	जालोर	21	6	6	141	629	425	723
16	झालावाड़	130	18	25	172	25	273	344
17	झुंझुनूं	165	18	34	34	—	—	61
18	जोधपुर	218	28	52	2006	29	306	158
19	कोटा	130	10	37	135	—	—	—
20	नागौर	35	1	2	11	—	5	84
21	पाली	83	6	23	71	147	66	541
22	सवाई माधोपुर	157	17	41	211	24	19	394
23	सीकर	330	40	43	474	—	30	2774
24	सिरोही	71	—	20	60	38	386	104
25	टोंक	41	8	11	42	187	6	16
26	उदयपुर	735	51	99	82	888	1903	742
	योग—	4798	479	1175	5644	5807	7905	12862

1880

काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत चल रहे कार्यों की सूची दि० 30-6-80

क्र. सं.	नाम जिला	कार्यों की संख्या
1	अजमेर	818
2	अलवर	154
3	बांसवाड़ा	1106
4	बाड़मेर	696
5	फतेहपुर	596
6	भीलवाड़ा	601
7	बीकानेर	249
8	चित्तौड़गढ़	1113
9	बूंदी	17
10	चूरू	683
11	डूंगरपुर	327
12	गंगानगर	140
13	जयपुर	738
14	जैसलमेर	493
15	जालौर	184
16	झालावाड़	548
17	झुंझुनूं	463
18	जोधपुर	607
19	कोटा	544
20	नागौर	648
21	पाली	1023
22	स० माधोपुर	1024
23	सीकर	811
24	सिरोही	371
25	टौंक	436
26	उदयपुर	2422
		16912

परिशिष्ट 19

(अतारांकित प्रश्न सं. 54 की सूची)

शर्तों की सूची

1. उक्त धर्मशाला का 56 प्रतिशत भाग जनाना एवं मर्दाना के मरीजों के देख भाल करने वाले व्यक्तियों द्वारा काम में लिया जावेगा और शेष 50% भाग को यदि मरीजों के देखभाल करने वाले व्यक्तियों को आवश्यकता न हो तो अन्य व्यक्तियों द्वारा आवासीय हेतु प्रयोग में लिया जावेगा।

2. उक्त धर्मशाला पर समस्त निर्माण का खर्च दानदाता द्वारा किया जावेगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस प्लान का अनुमोदन किया जावेगा भजन एवं विभाग द्वारा निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण किया जायेगा।

3. धर्मशाला का प्रबन्ध कमेटी द्वारा किया जावेगा। इस कमेटी के अध्यक्ष जिलाधीश होंगे और इस कमेटी में दो सरकारी एवं दो गैर सरकारी सदस्य इसके सदस्य होंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर एवं अधीक्षक जनाना अस्पताल अलवर राजकीय सदस्य होंगे तथा धर्मशाला या प्रबन्ध एवं खजान्ची की नियुक्ति कमेटी की सलाह पर दानदाता द्वारा की जायेगी।

4. धर्मशाला का अनावर्तक खर्चा दानदाता द्वारा कमेटी के जरिये किया जावेगा।

5. धर्मशाला के अन्दर प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी जाति वर्ग भेद के प्रवेश दिया जावेगा लेकिन शर्त यह होगी कि इस प्रकार के व्यक्ति जनाना एवं मर्दाना अस्पतालों के अन्तर्गत भर्ती किये गये मरीजों की देखभाल करने वाले व्यक्ति हों और इस आशय का प्रमाण पत्र चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अध्यक्ष अधीक्षक जनाना अस्पताल अलवर द्वारा अध्यक्ष उक्त अधिकारियों द्वारा मनोनीत के द्वारा स आशय का दिया गया हो।

6. इस धर्मशाला में निर्माण हेतु स्वीकृत दुकानों का निर्माण एवं आवंटन कमेटी के अनुमोदन से किया जावेगा एवं दुकानों तथा उससे प्राप्त होने वाली समस्त आय का उपयोग धर्मशाला के प्रबंध एवं विकास के लिये कमेटी के अनुमोदन के अनुसार व्यय किया जायेगा।

7. धर्मशाला के अन्तर्गत भवन एवं पथ विभाग अलवर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अनुमोदन के बिना कोई अतिरिक्त निर्माण परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

8. धर्मशाला के दिन प्रतिदिन के प्रबंध एवं व्यवस्था तथा मरम्मत आदि की देखभाल की जिम्मेदारी कमेटी की होगी।

9. धर्मशाला परिधि में धर्मशाला में रुके हुए रोगियों की देखभाल करने वाले व्यक्तियों अथवा कर्मचारियों द्वारा कोई गन्दगी आदि नहीं की जाती है, यह प्रबन्ध कमेटी द्वारा देखा जावेगा। इस सम्बन्ध में कमेटी को अस्पताल के अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देश की पालना करनी होगी।

10. धर्मशाला के निर्माण के पश्चात् यह सम्पत्ति राज्य सरकार में निहित समझी जावेगी। यदि किसी शर्त का उल्लंघन किया गया तो प्रबन्ध कमेटी के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। तथा राज्य सरकार धर्मशाला का प्रबन्ध सम्भाल लेगी।

11. दानपत्र का निष्पादन इस उद्देश्य हेतु करायी जावे।

(190)

परिशिष्ट 20

(अतारांकित प्रश्न संख्या 55 की प्रगति विवरण)

परिशिष्ट 'अ'

राजस्थान राज्य में परिवार कल्याण आपरेशन की प्रगति

क्र.सं.	जिला	जून 77 से दिसम्बर 79	जनवरी, 80 से फरवरी, 80
(1)	अजमेर	4177	1017
(2)	जयपुर (प्रथम एवं द्वितीय)	9843	1660
(3)	अलवर	1879	411
(4)	भरतपुर एवं धौलपुर	1477	541
(5)	सीकर	1114	308
(6)	झुंझुनू	2995	570
(7)	टौंक	399	4470
(8)	सवाई माधोपुर	860	371
(9)	बीकानेर	2730	317
(10)	गंगानगर	5239	2387
(11)	चूरू	1700	286
(12)	नागौर	1901	373
(13)	जोधपुर	4121	403
(14)	जालौर	488	64
(15)	बाड़मेर	360	50
(16)	जैसलमेर	190	43
(17)	पाली	1415	389
(18)	सिरोही	1091	446
(19)	कोटा	1597	568
(20)	बूंदी	455	169
(21)	झालावाड़	1144	509
(22)	उदयपुर	4351	921
(23)	चित्तौड़गढ़	1246	267
(24)	भीलवाड़ा	1608	474
(25)	डूंगरपुर	1636	343
(26)	बांसवाड़ा	2274	505
		56290	13839